चतुर्थ माला, खंड 18, अंक 1 सोमवार, 22 जुलाई, 1968/31 आषाढ़, 1890 (शक)

Fourth Series, Vol. XVIII, No. 1 Monday, July 22, 1968/Asadha 31, 1890 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[पांचवां सत्र / Fifth Session]

Preservation Unit
16-1-84
Parliament Library

[खंड 18 में अंक 1 से 10 तक हैं / Vol. 18 contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price: One Rupee

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिए गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. In English/Hindi.]

विषय-सूची CONTENTS

अंक 1—सोमवार, 22 जुलाई, 1968/31 आषाढ़, 1890 (शक)

No. 1—Monday, July 22, 1968/Asadha 31, 1890 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची	Alphabetical List of Members	xxiv—xxx
लोक-सभा के पदाधिकारी	Officers of the Lok Sabha	x.xi—
भारत सरकार-मंत्री, राज्य मंत्री आदि	Government of India-Ministers, Ministers of State, etc.	xxxii-xxxiii
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण निधन सम्बन्धी उल्लेख	Members Sworn Obituary References.	1—6
ता० प्र० संख्या S. Q. No.		
1. ओरल कैंसर की प्रारंभिक अ के अध्ययन के बारे में भारत डेन्माक परियोजना	Indo-Danish Project re: Study of initial Stage of Oral Cancer	6—8
2. कोरबा में कोयले पर आधारित उर्वरक कारखाना	Coal based Fertilizer Plant at Korba . .	8-9
3. कोयले पर आधारित उर्वरक कारखाना	Coal based Fertilizer Plant	9—14
4. फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड	Fertilizers and Chemicals Travancore Ltd.	14—18
प्रश्नों के लिखित उत्तर	WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
तारांकित प्रश्न संख्या S. Q. No.		
5. सोने के तस्कर व्यापार को रोकना	Prevention of Gold Smuggling .	18

*किसी नाम पर अंकित यह+चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The Sign+ marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

प्रश्नों के लिखित उत्तर — WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या
S. Q. No.

S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
6.	नर्मदा जल विवाद	Narmada Water Dispute	19
7.	अहमदाबाद के आसपास गैस क्षेत्र	Gas Fields around Ahmedabad . . .	19
8.	राज्यों को केन्द्रीय सहायता	Central Aid to States	19
9.	त्रिवेन्द्रम में टिटेनियम डाइ-आक्साइड संयंत्र	Titanium Dioxide Plant at Trivandrum .	20
10.	एडवांस इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड बम्बई	Advance Insurance Company Ltd. Bombay	20
11.	अंशों में जीवन बीमा निगम का पूंजी विनियोजन	Life Insurance Corporation's Investment in Shares	20-21
12.	एक भारतीय परामर्शदातृ इंजीनियरी फर्म द्वारा क्यूबा में अलोह धातु शोधक कारखाने की स्थापना	Setting up of Non-ferrous Metal Refinery in Cuba by an Indian Consulting Engineering Firm	21
13.	मिथापुर में टाटा उर्वरक परियोजना	Tata Fertilizer Project at Mithapur . .	21-22
14.	बरौनी के निकट गंगा नदी में लगी आग के सम्बन्ध में जांच समिति	Inquiry Committee re: Fire in Ganga near Barauni	22
15.	कर्जन रोड, नई दिल्ली पर वाणिज्यिक क्षेत्र	Commercial Areas on Curzon Road, New Delhi	22-23
17.	बिहार में गया और पटना जिलों के खण्डों में पानी की कमी	Water Drought in Blocks of Gaya and Patna Districts in Bihar	23
18.	दिल्ली स्थित सरकारी अस्पतालों के प्रसूति कक्ष	Maternity Wards of Government Hospitals in Delhi	23
19.	भारत में विदेशी पूंजी निदेश	Foreign Investment in India . . .	24
20.	ऋणों का लौटाया जाना	Repayment of Debts	24-25
21.	केरल में परियोजनाओं का विकास	Development of Projects in Kerala . .	25
22.	वित्त मंत्री की बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत	Finance Minister's Discussion with Representatives of Banks	25
23.	जाली भारतीय मुद्रा का तस्कर व्यापार	Smuggling of Counterfeit Indian Currency .	26

ता० प्र० संख्या S. Q. No. विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
24. सोने का मूल्य	Gold Price .	26
25. कोचीन कस्टम्स हाउस	Cochin Customs House	26-27
26. जाली भारतीय मुद्रा	Counterfeit Indian Currency	27
27. दिल्ली के अस्पतालों में अवैतनिक डाक्टर	Honorary Doctors in Delhi Hospitals	27-28
28. छोटी कार का निर्माण	Manufacture of Small Car	28
29. लेखा वाह्य धन	Unaccounted Money.	28-29
30. कलकत्ता इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई कारपोरेशन	Calcutta Electricity Supply Corporation .	29

अतारांकित प्रश्न संख्या U. S. Q. No.		
1. फिल्म उद्योग से सम्बन्धित व्यक्तियों पर करों की बकाया राशि	Tax Arrears due from Film People	30
2. डिगवाडीह और सिन्द्री के बीच गंधक के तेजाब (सल्फ्यूरिक एसिड) का टपकना	Leakage of Sulphuric Acid between Digwadi and Sindri	31
3. श्री कान्ती लाल मोरारजी देसाई की ओर कर की बकाया राशि	Arears of tax due from Shri Kantilal Morarji Desai	31
4. नागार्जुन सागर परियोजना के लिये आन्ध्र प्रदेश सरकार को ऋण	Loan to Andhra Pradesh Government for Nagarjuna Sagar Project. .	31-32
5. परिवार नियोजन केन्द्रों को बच्चों की देखभाल का कार्य सौंपना	Entrusting Family Planning Clinics with care of Children	32
6. चिकित्सा छात्रों के लिये परिवार नियोजन कार्य	Family Planning Work for Medical Students	
7. चोरी छिपे लाई गई मुद्रा का पकड़ा जाना	Seizure of Smuggled Currency .	32-33
8. परिवार नियोजन के लिए जड़ी बूटियां	Herbs for Family Planning	33
9. पंजाब के भटिंडा जिले के एक गांव में नसबन्दी आपरेशन	Vasectomy Operation in a Village in Bhatinda District (Punjab)	33

अ० प्र० संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
10.	राज्यों में विद्युत् जनन तथा उसकी खपत	Power Generation and Consumption in States	34-36
11.	विदेशों से ऋण सम्बन्धी समझौते	Agreements for Foreign Loans. . .	36
12.	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त	Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes	36-37
13.	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त	Commissioner for S.C. and S.T. . . .	37
14.	अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह में अनुसूचित जातियां	Scheduled Castes in Andaman and Nicobar Islands	37-38
15.	केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता	D.A. to Central Government Employees .	38
16.	वेतनमानों के पुनरीक्षण पर रोक	Ban on Revision of Pay Scales	38-39
17.	पाकिस्तानी विशेषज्ञों का फरक्का बांध जाना	Visit of Pakistani Experts to Farakka Barrage	39-40
18.	विदेशी ऋण की राशि का उपयोग न किया जाना	Non-utilization of Foreign loan	40-42
19.	आदिम जाति जनसंख्या को ऋण सुविधायें देने के लिये दी गई राशि	Amount released for credit facilities to Tribal Population	42
20.	सब्जी मंडी का आजादपुर दिल्ली में ले जाया जाना	Shifting of Subzimandi to Azadpur (Delhi)	43
21.	नर्मदा नदी पर नवगांव बांध	Navagam Dam on Narmada . .	43-44
22.	फर्टिलाइज़र ऐण्ड कैमिकल्स (त्रावनकोर) लिमिटेड	Fertilizers and Chemicals (Travancore) Ltd.	44
23.	परिवार तथा बाल कल्याण परियोजनाएं	Family and Child Welfare Projects	44-45
24.	मैसर्स साहू जैन की ओर अन्य कर की बकाया राशि।	Income tax arrears due from M/s Sahu-Jain	45—47
25.	बिहार के आदिवासियों में असंतोष	Discontentment among Tribals of Bihar	47

ता० प्र० संख्या

Q.Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
26.	विलास की वस्तुओं का तस्कर व्यपार	Smuggling of Luxury Goods	48 49
27.	ब्रिटेन से सहायता	British Aid	49
28.	वाशिंगटन में भारत सहायता सार्थ संघ की बैठक	Aid India Consortium's Meeting Washington	50
29.	सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र में उर्वरक परियोजनायें	Fertilizer Projects in Public and Private Sectors	50-51
30.	मंत्रियों को विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange to Ministers . . .	51-52
31.	बरौनी उर्वरक कारखाना	Barauni Fertilizer Factory. . . .	52
32.	आगरा नहर विवाद	Agra Canal Dispute	52-53
33.	केन्द्रीय आवास बोर्ड	Central Housing Board	53
34.	कोचीन पत्तन के पास अम्बलाभेद स्थान पर फर्टिलाइजर एण्ड कैमकल्ज त्रावनकोर का नया नाइट्रोजन संयंत्र	Fact's New Nitrogenous Plant Ambalamedu near Cochin Port	53-54
35.	उर्वरक कार्यक्रम का पुनरीक्षण	Reappraisal of Fertilizer Programme	54-55
36.	समुद्र द्वारा केरल के समुद्र तट का कटाव	Sea-Erosion on Kerala Sea Coas . .	55
37.	खम्भात की खाड़ी में तेल की खोज	Exploration of Oil in Gulf of Cambay	56
38.	उर्वरकों की खरीद	Purchase of Fertilizers.	56
39.	दिल्ली के एक निवासी द्वारा विदेशी मुद्रा का उल्लंघन	Foreign Exchange Violation by a Resident of New Delhi	57
40.	पूर्व भारत में सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में भारत पाकिस्तान बैठक	Indo-Pak. Meeting on Irrigation projects in East India	57-58
41.	अमरीकी आर्थिक सहायता	U.S. Economic Aid	58-59
42.	आसाम में दूसरा सरकारी तेल शोधक कारखाना	Second Public Sector Refinery in Assam	59
43.	अन्तर्राज्य नदी जल विवाद अधिनियम का संशोधन	Amendment of Inter-State River Water Dispute Act	59
44.	गोरखपुर में मिट्टी के तेल का वितरण	Distribution of Kerosene Oil in Gorakhpur	60

U.S.Q.Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
45.	मिट्टी के तेल का वितरण	Distribution of Kerosene Oil . . .	60
46.	कर दाता	Tax Payers	60
47.	गोरखपुर जिला, उत्तर प्रदेश में नेवेजपार अस्पताल का निर्माण	Constrcuution of Newaizpur Hospital in Gorakhpur, District, U.P. . .	60-61
48.	भारतीय तेल निगम के कर्मचारियों का निलम्बन	Suspension of I.O.C. Employees. . .	61
49.	दिल्ली के अस्पतालों में बहिरंग रोगी	Out Door Patients in Delhi Hospitals	61-62
50.	कोयना बांध	Koyan Dam	62
51.	अशोधित तेल से प्राप्त होने वाले उपयोगी उत्पाद की प्रतिशतता	Percentage of useful products extracted from crude oil	62-63
52.	अशोधित तेल से प्राप्त होने वाले उपयोगी उत्पादों की प्रतिशतता	Percentage of useful products extracted from Crude Oil	63
53.	चीनी वस्तुओं की तस्करी	Smuggling of Chinese goods . . .	63-64
54.	कुडम्बी जाति को पिछड़ी जाति घोषित करना	Declaration of Kudumbi Caste as Backward Class	64
55.	द्वितीय संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन के होस्टल मे दरारें	Cracks in UNCATD II Hostel, New Delhi	64
56.	बरौनी तेल शोधक कारखाने में लो सल्फार हैवी स्टाक के भण्डार	Stock of L.S.H.S. in Barauni Refinery .	65
57.	निषिद्ध वस्तुओं का पकड़ा जाना	Seizure of contraband goods in Daman	65-66
58.	तपेदिक उन्मूलन के लिये तीन सूत्री योजना	Three point plan for T.B. Eradication .	66—68
59.	प्रधान मंत्री के लिये निवास-स्थान	Prime Minister's Residence . . .	68
60.	आल इडिया मैडिकल साइन्सेज इंस्टीटयुट के स्नातकोत्तर छात्रों को छात्रवृत्तियां	Scholarships to Post Graduate Students of All India Institute of Medical Sciences	68-69
61.	मितव्ययिता के उपाय	Economy Measures.	69
62.	स्टेट बैंक आफ सिक्किम	State Bank of Sikkim	69-70

अ० ता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
63.	राष्ट्रीय कैंसर अनुसन्धान केन्द्र, कलकत्ता	National Cancer Research Centre, Calcutta.	70
64.	साहू जैन उद्योग समूह को दी गई विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange given to Sahu Jain Group of Firms	70-71
65.	एयर इंन्डिया के अधिकारी के निवास स्थान पर छापा	Raid on Residence of Air India Officer at Delhi	71-72
66.	श्री हरिदास मूंदड़ा की ओर कर की बकाया राशि	Tax Arrears of Shri Haridas Mundhra .	72
67.	कारखानों से उत्पादन शुल्क कर्मचारियों का हटाया जाना	Withdrawal of Excise Staff from Factories]	72-73
68.	चलचित्र में कार्य करने वाले लोगों से आयकर की बकाया राशि	Income-tax due from Film People . .	73
69.	अविवाहित व्यक्तियों का बंध्यीकरण	Sterilization of Unmarried Persons . .	73
70.	नागार्जुन सागर में जवाहर नहर	Jawahar Canal at Nagarjunsagar . .	73
71.	भारतीय तेल निगम को ढ़ोलों का सम्भरण	Supply of Barrels to Indian Oil Corporation	74
72.	भारतीय तेल निगम के लिये ढ़ोल	Barrels for Indian Oil Corporation . .	74-75
73.	भारतीय तेल निगम को हिन्द गालवेनाइजिंग द्वारा ढ़ोलों का सम्भरण	Supply of Barrels by Hind Galvanising to Indian Oil Corporation	75
74.	भारतीय तेल निगम	Indian Oil Corporation	75-76
75.	नगरीय विकास कार्यक्रम	Urban Development Programme . .	76-77
76.	कर प्रणाली का सरलीकरण	Simplication of Taxation	77
77.	हिमाचल प्रदेश की नदियों द्वारा उत्पादित बिजली पर स्वामित्व की मांग	Royalty Demand on Power Generated by Himachal Pradesh waters . .	77-78
78.	सोनिया गांधी का आपरेशन	Operation of Sonia Gandhi . .	78
	यूनेस्को को विदेशी मुद्रा का नियतन	Foreign Exchange Allotment to UNESCO	78-79

अ० ता० प्र० संख्या U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
80.	पूर्वी कोसी नहर परियोजना	Eastern Kosi Canal Project . . .	79-80
81.	मैसर्स बैकरग्रे एण्ड कम्पनी	M/s. Becker Grey and Co. . . .	80
82.	लेखा बाह्य धन विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघनों/तस्करी का पता लगाने के लिये छापे मारा जाना	Raid to uenarth Unaccounted Money/Foreign Exchange, Violations smuggling . .	80-81
84.	अन्तर्राज्यिक नदी जल विवाद	Inter-State River Water Disputes . .	81
85.	राज्यों की सिंचाई परियोजना के लिये धन का नियतन	Allocation of Funds for Irrigation Projects in States	81-82
86.	पैट्रोलियम उत्पादों के लिये तट दूर खुदाई	Off Shore Drilling of Petroleum Products	82-83
87.	उड़ीसा को सूखे के सम्बन्ध में सहायता	Drought Relief to Orissa	83
89.	आयकर की बकाया राशि	Income Tax Arrears	83-84
90.	नीमच (मध्य प्रदेश) में एलक्लायड का कारखाना	Alkoloids Factory at Neemuch (M.P.) .	84
91.	विश्व बैंक से ऋण	Loan from World Bank	84
92.	कोयम्बत्तूर में मिट्टी के तेल की कमी	Scarcity of Kerosene Oil in Coimbatore .	85
93.	जीवन बीमा निगम का पूंजी विनियोजन	L.I.C. Investment	85
94.	सोडा बाइकारबोनेट के उत्पादन के लिये दिया गया लाइसेंस	Licence for Production of Soda Bicarbonate	85-86
95.	पंजाब नेशनल बैंक	Punjab National Bank	86
96.	सोवियत रूस से ऋणों की राशि का लौटाया जाना	Repayment of Loans to USSR. . .	86-87
97.	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग व आयल इंडिया लिमिटेड का पुनर्गठन	Reorganisation of O.N.G.C. and Oil India Ltd.	87
98.	तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के बारे में रूसी विशेषज्ञ दल का प्रतिवेदन	Report of Soviet Russian Team of Experts on Oil and Natural Gas Commission. .	87-88
99.	थरोम्बोसिस रोग के इलाज के लिये सर्प विष	Snake venom for cure of Thrombosis. .	88

अ० ता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
100.	दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के लिये क्वाटर	Accommodation for Government Employees in Delhi	88
101.	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के क्वाटरों में बिजली के पंखे	Electric Fans in Class IV Quarters . .	89
102.	हरिजनों तथा आदिवासियों संबंधी मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन का निर्णय	Chief Ministers Conference decisions on Harijans and Adivasis	89
103.	उर्वरक के उत्पादन की सम्भावनायें	Prospects of Fertilizer Production . .	90
104.	हरिजनों द्वारा कूड़े को सिरों पर उठाना	Carrying of Refuse by Harijans on Heads	90
105.	मद्य निषेध लागू करने वाले राज्यों को प्रतिकर	Compensation to States for Introducing Prohibition	91
106.	बाल कल्याण समिति	Child Welfare Committee	91
107.	उर्वरकों के लिये विक्रय कार्यक्रम का न होना	Non-Availability of Marketing programme for fertilizers	91-92
108.	दिल्ली में बाढ़ नियंत्रण	Control of flood in Delhi	92
109.	परिवार नियोजन का नया तरीका	New Method for Family Planning . .	92-93
110.	शाहदरा दिल्ली के निकट के बस अड्डे से खोखों का हटाया जाना	Removal of Khokhas Near Bus stand, Shahdara (Delhi)	93
111.	कलावती सरन अस्पताल, नई दिल्ली के कर्मचारी	Exployees of Kalawati Saran Hospital, New Delhi	93-94
112.	कुछ कम्पनियों द्वारा आयकर का भुगतान	Payment of Income Tax by certain companies	94
113.	बिड़ला उद्योग समूह	Birla Group of Industries	94
116.	तस्करी	Smuggling	95
117.	भारतीय पटसन की नेपाल की तस्करी	Smuggling of Indian Jute into Nepal. .	95
118.	सीमावर्ती क्षेत्रों में मिलावट वाली औषधियों का व्यापार	Trade in Adulterated Drugs in Border Areas	95-96
119.	स्टेट बैंक आफ इण्डिया	State Bank of India	96

U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
120.	सरकार को माल सप्लाई करने के लिये टेन्डर देने वाले निर्माताओं के गिरोह का तोड़ा जाना	Breaking of Manufacturers' Ring in Tendering for Government Supplies . . .	97
121.	स्टेट बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली के साथ धोखा धड़ी	Cheating of State Bank of India, New Delhi	97
122.	एक विदेशी द्वारा भारतीय मुद्रा में विमान भाड़े का भुगतान	Payment of Air Fare by a Foreigner in Indian Currency	98
123.	वर्ष 1968–69 के लिये राज्यों को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to States for 1968-69	98
125.	दिल्ली के ग्रामों में पीने के जल की विधाओं का सर्वेक्षण	Survey of Drinking Water Facilities in Delhi Villages	98-99
126.	कपड़ा उद्योग के लिये विकास छूट	Development Debate for Textile Industry .	99
127.	रामाकृष्णा पुरम, नई दिल्ली में सरकारी क्वार्टर	Government Quarters in R. K. Puram, New Delhi	99
128.	शहीदों के स्मारक	Memorials to Martyrs	100
129.	कृष्णा जल विवाद	Krishna Water Dispute	100-101
130.	उत्तर भारत में पेय जल की अत्याधिक कमी	Scarcity of Drinking Water in North India	101
131.	जल संसाधनों का उचित उपयोग	Proper Utilisation of Water Resources .	101-102
132.	औषधियों और दवाइयों का आयात	Import of Medicines and Drugs	102
133.	बाढ़ से क्षति	Loss due to Floods	103
134.	गोआ में उर्वरक कारखाने के लिये बिड़ला समूह को भूमि का दिया जाना	Allotment of Land to the Birlas for Fertilizer Plant, Goa	103
135.	राजस्थान नहर	Rajasthan Canal	103-04
136.	चेचक के प्रकोप में वृद्धि	Increase in Incidence of Small Pox . .	104
137.	बिजली का राष्ट्रीय ग्रिड	National Grid for Electricity	104-05

अता० प्र०, संख्या

U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
138.	हाल्दिया और बरौनी पैट्रोलियम रसायन कारखाना समूह	Haldia and Barauni Petro-Chemical Complexes	105-006
139.	लाकवा तथा रुद्रसागर से तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के अशोधित तेल की ढुलाई	Transportation of O.N.G.C. Crude from Lakwa and Rudrasagar	106
140.	रसायनों का उत्पादन	Production of Chemicals	106-07
141.	उर्वरकों के मूल्य	Prices of Fertilizers	107-08
142.	विदेशी सहायता	oreign Aid	108
143.	अल्याबेत द्वीपसमूह तथा ताप्ती बेसिन के तट से दूर के क्षेत्र में तेल की खोज	Off Shore Drilling for Oil in Allabet Island and Tapti Basin	108
144.	जीवन बीमा निगम का कारोबार	L.I.C. Business	108-09
145.	नेफा क्षेत्र में तेल की खोज	Oil Exploration in NEFA area . .	109-10
146.	अमरीकी सहायता में कटौती	Cut in US Aid	110
147.	इड्डिकी परियोजना	Idikki Project	110-111
148.	बिहार में लू से मृत्यु	Deaths due to Heat Wave in Bihar. . .	111
149.	हरयाणा और पंजाब की सरकारों से बकाया किराये की राशि	Rent due from Haryana and Punjab Governments	111
150.	दिल्ली के अस्पतालों को सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया जाना	Taking over of Delhi Hospitals by Government	111-12
151.	अनुसन्धान तथा चिकित्सा विज्ञान स्नातकोत्तर संस्था, चण्डीगढ़ की चयन समिति	Selection staff of Post-Graduate of Research & Medical Sciences, Chandigarh . .	112
152.	कम्पनियों के विदेशी बैंकों में खाते	Companies having Bank Accounts Abroad	112-13
153.	प्रशुल्क आयोग के स्थान पर राष्ट्रीय आर्थिक आयोग का गठन	Replacement of Tariff Commission .	113
154.	आसाम में बाढ़	Floods in Assam	113-14

अता० प्र० संख्या U.S.Q.Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
155.	खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम को लागू करना	Enforcement of Prevention of Food Adulteration Act	114-15
156.	विदेशी ऋण में वृद्धि	Increase in Foreign Debt	115
157.	दिल्ली में प्रस्तावित अकबर होटल	Proposed Hotel Akbar in Delhi	115-16
159.	नेपाल की सीमा पर से माल को चोरी छिपे लाया जाना	Smuggling across the Nepal Border	116
160.	पी० एल० 480	PL. 480 Fund	116
161.	विदेशी ऋण में वृद्धि	Increase in Foreign Debt	116-17
162.	गोरखपुर में उर्वरक कारखाना	Fertilizer Factory at Gorakhpur	117
163.	देवरिया तथा बलिया जिलों में बाढ़	Floods in Deoria and Ballia Districts	118
164.	संसद् भवन की विस्तार इमारत का निर्माण	Construction of Parliament House Extension Building	118
165.	उत्तर प्रदेश में कृषकों को बिजली की सप्लाई	Power Supply to cultivators in U.P.	118-19
166.	मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश) में उर्वरक कारखाना	Fertilizer Plant at Mirzapur, U.P.	119
167.	दिल्ली में रुधिर विज्ञान संस्था की स्थापना	Setting up of Haematology Institute in Delhi	119
168.	जीवन बीमा निगम में स्वचालित मशीनों का प्रयोग	Automation in LIC	120
169.	मैसर्स भारत बैरल एण्ड ड्रम मैन्युफैक्चरिंग (प्रा०) लिमिटेड को काली सूची में रखने का आदेश	Black listing Order on M/s. Bharat Barrel and Drum Manufacturing (P) Ltd.	120-121
170.	भारतीय तेल निगम के लिये तेल और तारकोल के ढोल	Barrels and Bitumen Drums for Indian Oil Corporation	121
171.	मोतिया खान के लोहे और इस्पात के व्यापारियों को भूमि का आवंटन	Allotment of Land to Iron and Steel Dealers of Motia Khan	121-22
172.	दिल्ली में अनधिकृत बस्तियों का विनियमन	Regularisation of Unauthorised Colonies in Delhi	122

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
173.	दिल्ली विकास अधिकरण में अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों के लिये आरक्षण	Reservations for Scheduled Castes / Scheduled Tribes in DDA . . .	122
175.	खम्भात की खाड़ी के बाहर अरब सागर में तेल की खोज	Exploration of Oil in Abrabian Sea outside Cambay Gulf	123
176.	दिल्ली के अस्पतालों के संबंध में प्रतिवेदन	Report on Delhi Hospitals . . .	123-24
177.	कोयना भूकम्प के बारे में प्रतिवेदन	Report on Koyna Earthquake . . .	124
178.	तेल के कुंओं और तेल शोधक कारखानों में गैस का वार्षिक उत्पादन	Annual Production of Gas in Oil Wells and Oil Refineries	125
179.	नहरकटिया और मोरान के तेल के कुंओं से तेल तथा गैस निकालने की योजना	Scheme to draw out oil and Gas from Naharkatia and Maran Oil	125
180.	पैट्रोल कोक एल्युमिनियम	Petroleum Coke Aluminium . . .	125-26
181.	गोहाटी तेलशोधक कारखाना	Gauhati Refinery	126
182.	गैर-सरकारी क्षेत्र के तेल-शोधक कारखानों की आय	Earnings of Private Sector Refineries. .	126-27
183.	वित्त आयोग	Finance Commission	127
184.	राज्यों को दी गयी वित्तीय सहायता	Financial Assistance given to States .	127
185.	बिहार की बड़ी सिंचाई योजनाओं के लिये वित्तीय सहायता	Financial Assistance for Major Irrigation Schemes, Bihar	128
186.	बिहार बिजली बोर्ड को घाटा	Bihar Electricity Board	128
187.	अमरीकी सहायता	US Aid	128-29
188.	फरक्का बांध	Farakka Barrage	129
189.	गंडक बांध का नक्शा	Map of Gandak Barrage	129-30
190.	इंडिया शूगर्स एंड रिफाइनरीज लिमिटेड, होस्पेट	India Sugars and Refineries Ltd., Hospet	130

अता० प्र० संख्या U.S.Q.Nos	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
191.	नागार्जुनसागर बांध में क्रेस्ट गेट	Crest Gates at Nagarjunasagar Dam .	130-31
192.	मैसूर सरकार को सिंचाई कार्यों के लिये ऋण	Irrigation Loan to Mysore Government	131
193.	कम अथवा अधिक राशि के बीजक बनाने के मामलों का पता लगाने के लिये विदेशों में काम कर रहा एकक	Unit to Detect Under Invoicing and Over Invoicing Functioning Abroad . .	131-32
194.	बैंकों में जमा राशि तथा उस का विनियोजन	Deposits and Investment of Banks . .	132
195.	अधवाड़ा बाढ़ नियंत्रण तथा सिंचाई योजना	Adhawara Flood Prevention-*cum*-Irrigation Scheme	133
196.	पश्चिम कोसी नहर पन बिजली योजना	Western Kosi Canal Hydro Electric Scheme	
197.	बिहार में बिजली की उपलब्धता	Power Availability in Bihar . . .	133-34
198.	हरिजनों के लिये उच्च शक्ति प्राप्त संसदीय समिति	High Power Parliamentary Committee for Harijans	134
199.	परिवार नियोजन कार्यक्रम	Family Planning Programme . . .	134-35
200.	पश्चिम कोसी नहर का रेखांकन	Alignment of Western Kosi Canal . .	135
201.	केरल सरकार द्वारा जीवन बीमा तथा सामान्य बीमा व्यवसाय आरम्भ करने का निर्णय	Kerala Government's Decision to enter into Life and General Insurance Business	135-36
202.	गुजरात में परिवार नियोजन संबंधी कार्य	Family Planning Work in Gujarat. .	136
203.	गुजरात में परिवार नियोजन कार्य के लिये संगठनों का अनुदान	Grants to Organisations for Family Planning Work in Gujarat	136-37
204.	लोक भविष्य निधि योजना	Public Provident Fund Scheme . . .	137
205.	जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश की हसनपुर तहसील में बाढ़ें	Floods in Hasanpur Tehsil of District Muradabad, U.P.	137-38

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
206.	उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में डाक्टरों की कमी	Shortage of Doctors in U.P. Hospitals .	138
207.	विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन के मामले	Foreign Exchange Violation Cases . .	138
208.	परिवार नियोजन कार्यक्रम पर व्यय	Expenditure on Family Planning Programme	139
209.	हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी	Hindustan Housing Factory . . .	139
210.	खाद्य अपमिश्रण सम्बन्धी मुकदमें	Prosecution due to Food Adulteration .	139
211.	कैटेलिस्टों का निर्माण	Manufacture of Catalysts	140
212.	कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली में साफ सफाई	Sanitation of Kotla Mubarakpur, New Delhi.	140
213.	नई दिल्ली में कोटला मुबारकपुर के पार्क की गंदी स्थिति	Insanitory Condition of Kotla Mubarakpur Park, New Delhi	140-41
214.	कोटला मबारकपुर, नई दिल्ली के निवासियों के लिये सुविधायें	Amenities to Residents of Kotla Mubarakpur, New Delhi	141
215.	राजस्थान तथा उड़ीसा के कृषि के प्रयोजनों के लिये बिजली के सम्भरण के लिये राज सहायता	Subsidy for Supply of Electricity for Agricultural Purposes to Rajasthan and Orissa	141
216.	प्रतिनिधिमंडलों, मंत्रियों, आदि द्वारा विदेश यात्रा	Visit Abroad by Delegations, Ministers etc.	141-42
217.	तेल की खोज करने का ईरान का प्रस्ताव	Iranian Oil Exploration Offer . . .	142
218.	महात्मा गाँधी जन्म शताब्दी पर जारी किये जाने वाले सिक्के	Coins to be issued on Birthday Centenary of Mahatma Gandhi	142
219.	राजस्थान में औसत जीवन काल	Average Life Expectancy in Rajasthan . .	143
220.	नंगे तार के कारण दिल्ली विद्युत् संभरण उपक्रम के लाइनमैनों की बिजली के झटके से मृत्यु	Electrocution DESU Linemen due to Exposed Wires	143

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
221.	अत्यधिक आय वाले व्यक्तियों को रोग	Ailments in Top Income Group People .	143-44
222.	जाली मुद्रा	Counterfeit Currency Cases	144
223.	राज्यों में सूखा राहत कार्य	Drought Relief Measures in States . .	144
224.	हरयाना के कैदियों के नसबन्दी आपरेशन	Vasectomy Operations of Haryana Prisoners	145
225.	लेखा बाह्य धन का मूल्यों पर प्रभाव	Effect of Unaccounted Money on Prices .	145-46
226.	उत्पादन शुल्क से आय	Excise Revenue	146
227.	दिल्ली के भोजनालयों में भोजन की दरें	Rates of Food Served in Delhi Restaurants .	146
228.	ग्रामीण मार्गदर्शी बिजली परियोजनायें	Rural Pilot Electric Projects . . .	147
229.	बस्तर जिले में आदिवासी क्षेत्र के लिये पेय जल के कुंएं	Drinking Water Wells For Tribal Region in Bastar District	147-48
230.	दर्दनाक तथा लाइलाज बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को आराम की मृत्यु देने के काम को वैध बनाना	Legalisation of Euthansia . . .	148
231.	आय कर अधिकारियों के परीक्षण कालिज को हटा कर हैदराबाद ले जाया जाना	Shifting of I.T.O.'s Training College to Hyderabad	148
232.	पैट्रोल रसायन परियोजनाएं	Petro Chemical Projects	148-49
233.	पैट्रोल रसायन उद्योगों के लिये समन्वयी अभिकरण	Co-ordinating Agency for Petro-Chemical Industries	149
234.	पैट्रोल रसायन उद्योग के बारे में योजना सम्बन्धी उप दल का प्रतिवेदन	Report of Planning Sub-Group Re Petro-Chemical Industries	149
235.	राजस्थान में मद्य निषेध	Prohibition in Rajasthan	150
236.	पोलैंड को रेल डिब्बों के निर्यात पर विश्व बैंक की आपत्ति	World Bank's Object on Export of Wagons to Poland	150

अता० प्र० संख्या U. S .Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
237.	खेती के काम के लिये बिजली के कनैक्शन	Power connections for Agricultural Purposes	150-51
238.	डाक द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम	Family Planning Programme by Post .	151
239.	औषधियों और औषधों के मूल्यों पर नियंत्रण	Control Over Prices of Drugs and Medicines	151
240.	अनिवार्य औषधियों का उत्पादन	Production of Essential Drugs	151-52
241.	बाटा जूतों पर उत्पादन शुल्क	Excise Duty on Bata Shoes	152
242.	इड्डिकी पन बिजली परि-योजना	Idikki Hydel Project	152-53
243	गाँधी नगर दिल्ली में सामुदायिक केन्द्र	Community Centre in Gandhi Nagar, Delhi	153
244.	उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के लिये सिंचाई और बिजली की सुविधायें	Irrigation and Power Facilities for Eastern Districts of U.P.	153
245.	खंभात में गहरे समुद्र में तेल की खोज के लिये खुदाई	Deep Sea Drilling in Cambay . . .	154
246.	किसानों को ऋण देना	Advancing of Loans to Farmers .	154-55
247.	बांदा जिला में सिंचाई योजनाएं	Irrigation Schemes in Banda District .	155
248.	राज्यों द्वारा देय ऋण	Loans due from States	154-55
249.	तस्कर व्यापार	Smuggling	156
250.	सरकारी इमारतों पर ब्रिटिश चिह्न	British Emblem on Government Buildings .	156
251.	दिल्ली में किराये की इमारतों में कार्यालय	Government Offices in Rented Buildings at Delhi	156-57
252.	'बी' पावर स्टेशन दिल्ली का स्प्रे प्लांट	Spray Plant of 'B' Power Station, Delhi .	157
253.	पूर्वी कोसी नहर	Eastern Kosi Canal .	157-58
254.	पश्चिमी कोसी नहर	Western Kosi Canal .	158
255.	डी० डी० टी० फैक्टरी, दिल्ली	D.D.T. Factory, Delhi	158-59

अ॰ता॰ प्र॰ संख्या U. S. Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
256.	पाइराइट्स तथा रसायन विकास निगम का मुख्यालय	Headquarters of Pyrites and Chemicals Development Corporation . . .	159
257.	मैमर्स साराबाई मक, बड़ौदा	M/s. Sarabhai Merek of Baroda.	159-60
258.	राजस्थान नहर	Rajasthan Canal .	160
259.	फर्मों से पकड़े गये कागजातों का प्रकाशन के लिये समाचार पत्रों को दिया जाना	Circulation of seized documents of Firms to Newspapers for ciruclation .	160-61
260.	सऊदी अरब से पैट्रोलियम प्रतिनिधि मंडल	Petroleum Delegation from Saudi Arabia .	161
261.	नए नायलन एककों के लिये लाइसेंस देने पर प्रतिबन्ध	Ban on Licensing of new Nylon Units.	161
262.	मैसूर में ऊपरी कृष्णा परि-योजना	Upper Krishna Project in Mysore	161-62
263.	मैसूर में मालप्रभा परि-योजना	Malaprabha Project in Mysore .	162
264.	नई सब्जी मण्डी, (दिल्ली)	New Subzimandi (Delhi) . .	162
265.	दिल्ली में भूमि के दामों में वृद्धि	Rise in land Prices in Delhi	163
266.	सब्जी मण्डी (दिल्ली)	Subzimandi Delhi	163
267.	दिल्ली के फल व्यापारियों द्वारा कर अपवंचन	Income-Tax Evasion by Fruit Merchants of Delhi . . .	163
268.	सोने की तस्करी	Gold Smuggling . . .	164
269	सोने तथा चांदी के सिक्कों की तस्करी	Smuggling of Gold and Silver Coins .	164
270.	मध्य प्रदेश में बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनायें	Major and Medium irrigation projects in Madhya Pradesh . . .	164-65
271.	मध्य प्रदेश विद्युत् परि-योजना	Power Project in Madhya Pradesh	165
272.	रामाकृष्णापुरम नई दिल्ली के सेक्टर 9 में पानी की सप्लाई	Water Supply in Sector IX of R.K. Puram, New Delhi .	165-66
273.	चांदी तथा रेयन रेशे की तस्करी	Smuggling of Silver and Rayon Fibre .	166

अता० प्र० संख्या

U. S.Q.Nos	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
274.	कलकत्ता में पौलीबुटाडीन पौलीसोप्रीन का निर्माण	Manufacture of Polybutadiene/Polyisopreme in Calcutta .	166-67
275.	आय कर की बकाया राशियों की वसूली	Recovery of Income-Tax arrears .	167-68
276.	भारत द्वारा परमाणु अस्त्रों के फैलाव को रोकने सम्बन्धी संधि के विरोध से विदेशी सहायता पर प्रभाव	Effect on Foerign aid of India's opposition to Nyclear non-proliferation Treaty .	168
277.	नर्मदा जल विवाद	Narmada Sagar Project .	168-69
278.	मास्कों में विश्व विद्युत् सम्मेलन के लिये भारतीय प्रतिनिधि मंडल	Indian Delegation to World Power Conferencr in Moscow	169-70
279.	भारतीय उर्वरक निगम द्वारा उर्वरक कारखाने का निर्माण	Erection of Fertilizer Factory by Fertilizer Corporation of India	170
280.	अम्लों तथा उनके उपोत्पादों के कीमतों की अधिकतम सीमा	Ceilings on the prices of Acids and its Bye Products . . .	170-71
281.	महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी के अवसर पर जारी किये जाने वाले नोट	Currency Notes to be issued on Birthday Centenary of Mahatma Gandhi . .	171
282.	सचल अनुर्वरीकरण	Mobile Sterilization Units .	171-72
283.	उड़ीसा को योजना तथा गैर योजना कार्यों के लिये सहायता	Plan and Non-Plan Assistance to Orissa .	172
284.	श्रीनिवासपुरी, दिल्ली में अपराध	Crimes in Srinivaspuri, Delhi . .	172
285.	दिल्ली विद्युत् सम्भरण उपक्रम के लाइनमेनों की कार्य की शर्तें	Working Conditions of DESU Linesmen	173
286.	इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले विमान इंधन पर उत्पादन शुल्क	Excise Duty on Aviation Fuel Used by IAC	173-74
287.	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आयोग	Commission for Scheduled Castes and scheduled tribes	174

अता० प्र० संख्या U.S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
288.	आय के वितरण के बारे में महलनवीस समिति का प्रतिवेदन	Mahalanobis Committees' Report on Income Distribution . . .	174
289.	भारत में असैनिक अस्पताल और औषधालय	Civil Hospitals and Dispensaries in India	174-75
290.	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये ट्यूशन फीस	Tuition fee for Scheduled Castes and Scheduled Tribes Students . .	175
291.	हरिजनों का कल्याण	Welfare of Harijans . . .	175
292.	बाढ़ नियंत्रण योजनाएं	Flood Control Schemes . .	175-76
293.	गंडक परियोजना के अधिकारियों द्वारा जीपों का दुरुयोग	Misuse of jeeps by Gandak Project Officers	176
294.	दिल्ली स्टाक एक्सचेंजों में कुप्रथाएं	Malpractices in Delhi Stock Exchanges.	176-77
295.	एकाधिपत्य पूंजी द्वारा नियंत्रित श्रेष्ठि चत्वर	Stock Exchange Controlled by Monopoly Capital	177
	अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance . . .	178
	पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर रूसी शस्त्रास्त्र का सप्लाई किया जाना	Reported massive supply of Soviet arms to Pakistan .	178-82
	स्थगन प्रस्ताव	Motion for adjournment . . .	182
	रूस द्वारा पाकिस्तान को शस्त्रास्त्र की सप्लाई	Supply of arms by USSR to Pakistan.	182
	सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table .	182-91
	विशेषाधिकार समिति	Committee of Privileges . .	191
	पाँचवाँ प्रतिवेदन	Fifth Report .	191
	सदस्य द्वारा त्याग पत्र	Resignation of Member . .	191
	(श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित)	Shrimati Vijaya Lakshmi Pandit	191
	प्राक्कलन समिति	Estimates Committee . .	192
	सत्तावनवाँ प्रतिवेदन	Fifty-Seventh Report.	192
	संविधान (संशोधन) विधेयक	Constitution (Amendment) Bill .	192
	(1) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	(i) Report of Joint Committee	192
	(2) संयुक्त समिति के समक्ष साक्ष्य	(ii) Evidence before Joint Committee .	192

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos. विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक	Indian Penal Code (Amendment) Bill .	192
प्रवर समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिये नियत समय का बढ़ाया जाना	Extension of time for presentation of Report of Select Committee	192
(11) प्रवर समिति में एक सदस्य की नियुक्ति	Appointment of a member to Select Committee	192-93
अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति—आदेश (संशोधन) विधेयक	Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Bill . . .	193
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिये नियत समय का बढ़ाया जाना	Extension of time for presentation of Report of Joint Committee	193
संविद श्रमिक (विनियमन तथा उन्मूलन) विधेयक	Contract Labour (Regulation and Abolition) Bill	193
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिये नियत समय का बढ़ाया जाना	Extension of time for presentation of Report of Joint Committee . .	193
सरकार का (दुष्कृति में दायित्व) विधेयक	Government (Liability in Tort) Bill .	194
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिये नियत समय का बढ़ाया जाना	Extension of time for presentation of Report of Joint Committee	194
लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक	Lokpal and Lokayuktas Bill .	194
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिये नियत समय का बढ़ाया जाना	(i) Extension of time for presentation of Report of Joint Committee . .	194
राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में सदस्य की नियुक्ति के बारे में प्रस्ताव	Motion re. Appointment of a Member to Joint Committee by Rajya Sabha . .	194-95
अविश्वास प्रस्ताव के बारे में	Re. Motion of No-Confidence . . .	195
चार सदस्यों की गिरफ्तारी, दोष सिद्धि तथा रिहाई	Arrest, Conviction and Release of four Members	195
विधेयक प्रस्तुत किये गये	Bills Introduced . .	196
1. स्वर्ण नियंत्रण विधेयक, 1968	1. Gold Control Bill, 1968	196-97

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos. विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2. न्यायाधीश (जाँच) विधेयक, 1968	2. Judges (Inquirty) Bill, 1968	198
स्वर्ण (नियंत्रण) अध्यादेश, 1968 के बारे में विवरण	Statement re. Gold (Control) Ordinance, 1968	198
अचल सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जुन (संशोधन) विधेयक, 1968	Requisitioning and acquisition of Immovable Property (Amendment) Bill. 1968 .	199
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	199
श्री जगन्नाथ राव	Shri Jaganath Rao . .	199
श्री च० चु० देसाई	Shri C. C. Desai . . .	200
स्थगन प्रस्ताव के बारे में—जारी	Motion for Adjourment---*Contd.*	
रूस द्वारा पाकिस्तान को शस्त्रास्त्र सप्लाई किया जाना—जारी	Supply of arms by USSR to Pakistan—*Contd.*	
श्री पीलू मोंडी	Shri Piloo Mody .	201
श्री हनुमन्तय्या	Shri Hanumanthaiya . . .	203
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	204
श्रीमती सुचेता कृपालानी	Shrimati Sucheta Kripalani . .	205
श्री मनोहरन	Shri Manoharan . . .	207
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	Shrimati Tarkeshwari Sinha .	208
श्री श्री० अ० डाँगे	Shri S.A. Dange .	209
श्री मोरारजी देसाई	Shri Morarji Desai . . .	210
श्री जी० भा० कृपालानी	Shri J. B. Kripalani	212
श्रीं मधु लिमये	Shri Madhu Limaye . .	213
श्री संत बख्श सिंह	Shri Sant Bux Singh	214
श्री राममूर्ति	Shri P. Ramamuri . .	214
श्री त्रिदिव कुमार चौधरी	Shri Tridib Kumar Chaudhuri	215
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain	216
श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी	Shri Surendranath Dwivedy . . .	216
श्री नेशेटि विश्वनाथम	Shri Tenneti Viswanatham . . .	217
श्रीमती इन्दिरा गाँधी	Shrimati Indira Gandhi	218
अचल सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन (संशोधन) विधेयक, 1968—जारी	Requisitioning and Acquisition of Immovable Property (Amendment) Bill—*Contd.*	221
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	221
श्री कवंर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	221

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची चतुर्थ लोक-सभा

अ

अंकिनीडु, श्री (गुडिवाडा)
अंजनप्पा, श्री (नेल्लोर)
अंबाज़ागन, श्री (तिरूचेंगोड)
अंबुचेजियान, श्री (डिंडीगुल)
अगड़ी, श्री संगण्णा अन्दानप्पा (कोप्पल)
अचल सिंह, श्री (आगरा)
अदिचन, श्री (अडूर)
अनिरुद्धन, श्री (चिरयिन्कील)
अब्राहम, श्री (कोट्टयम)
अमरसे, श्री म० (बनस्कंठा)
अमात, श्री दे० (सुन्दरगढ़)
अमीन, श्री रा० की० (ढंढुका)
अमीन, श्री रामचन्द्र ज० (मेहसाना)
अयरवाल, श्री राम सिंह (सागर)
अरुमुगम, श्री (टेंकासी)
अवधेश चन्द्र सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
असगर हुसैन, श्री (अकोला)
अहमद, डा० इ० (गिरिडीह)
अहमद, श्री ज० (धुबरी)
अहमद, श्री फखरुद्दीन अली (बारपेटा)
अहिरवार, श्री नाथू राम (टीकमगढ़)

आ

आगा, श्री अहमद (बारामूला)
आज़ाद, श्री भागवत झा (भागलपुर)
आत्म दास, श्री (मुरैना)

इ

इकबाल सिंह, श्री (फाज़िल्का)

उ

उइके, श्री (मंडला)
उमानाथ, श्री (पुदुदूकोटै)
उलाका, श्री राम चन्द्र (कोरापुट)

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नामनिर्देशित-आँग्ल-भारतीय)
एरिंग, श्री डा० (उत्तर पूर्व सीमान्त क्षेत्र)
एस्थोस, श्री (मुवत्तुपुजा)

ओ

ओबराय, श्री एम० एस० (हजारी बाग)
ओंकार सिंह, श्री (बदायूं)
उरांव, श्री कार्तिक (लोहारडगा)

क

कछवाय, श्री हुकम चन्द (उज्जैन)
कटकी, श्री लीलाधर (नवगांव)
कथ्थम, श्री बी० ना० (जलपाईगुड़ी)
कन्डप्पन, श्री (मैटूर)
कपूर, श्री लखन लाल (किशनगंज)
कबिर, श्री हुमायून् (बसिरहाट)
कमलानाथन्, श्री (कृष्णगिरि)
कमला कुमारी, कुमारी (पालामऊ)
कर्ण सिंह, डा० (ऊधमपुर)
कर्णी सिंह, डा० (बीकानेर)
कलिता, श्री धीरेश्वर (गोहाटी)
कस्तुरे, श्री अ० श्री० (खामगांव)
कांबले, श्री (लातूर)
कामेश्वर सिंह, श्री (खगरिया)
कावड़े, श्री भा० रा० (नासिक)
कहानडोल, श्री ज० मं० (मालेगांव)
किकर सिंह, श्री (भटिंडा)
किन्दर लाल, श्री (हरदोई)
किरुतिनन, श्री (शिवगंज)
किस्कु, श्री अ० कु० (झाड़ग्राम)
कुंटे, श्री दत्तात्रय (कोलाबा)
कुचेलर, श्री (वेल्लौर)
कुण्डू, श्री स० (बालासौर)
कुरील, श्री बै० ना० (रामसनेहीघाट)

कुरेशी, श्री शफी (अनन्तनाग)
कुशवाह, श्री यशवन्त सिंह (भिंड)
कुशोक बाकुला, श्री (लद्दाख)
कृपालानी, श्री जी० भा० (गुना)
कृपालानी, श्रीमती सुचेता (गोंडा)
कृष्ण, श्री मं० रं० (पेद्दपल्लि)
कृष्ण, श्री एस० एम० (मंडया)
कृष्णन, श्री (कोलार)
कृष्णप्पा, श्री (हस्कोटे)
कृष्णमूर्ति, श्री (कड्डलूर)
केदरिया, श्री छ० म० (मांडवी)
केसरी, श्री सीताराम (कटिहार)
कोठारी, श्री स्वतंत्र सिंह (मंदसौर)
कौशिक, श्री कृ० मा० (चांदा)

ख

खन्ना, श्री प्रे० कि० (शाहजहांपुर)
खां, श्री अजमल (पेरियाकुलम)
खां, श्री ग़यूर अली (कैराना)
खां, श्री जुल्फिकार अली (रामपुर)
खां, श्री मु० अ० (कासगंज)
खां, श्री लताफत अली (मुजफ्फरनगर)
खडिलकर, श्री र० के० (खेडू)

ग

गंगादेवी, श्रीमती (मोहनलालगंज)
गजराज सिंह राव, श्री (महेन्द्रगढ़)
गणपत सहाय, श्री (सुल्तानपुर)
गणेश, श्री (अंदमान तथा नीकोबार द्वीपसमूह)
गांधी, श्रीमती इन्दिरा (रायबरेली)
गायत्री देवी, श्रीमती (जयपुर)
गिरिजा कुमारी, श्रीमती (शहडोल)
गिरिराज शरण सिंह, श्री (मथुरा)
गुडाडिन्नी, श्री ब० क० (बीजापुर)
गुप्ता, श्री इन्द्रजीत (अलीपुर)
गुप्त, श्री कंवरलाल (दिल्ली सदर)
गुप्त, श्री राम कृष्ण (हिसार)
गुप्ता, श्री लखन लाल (रायपुर)
गुह, श्री समर (कन्टाई)
गेविट, श्री तुकाराम (नानदरबार)
गोपालन, श्री अ० कु० (कासरगोड)
गोपालन, श्री प० (तेल्लिचेरी)
गोपालन, श्रीमती सुशीला (अम्बलपुजा)
गोयल, श्री श्रीचन्द (चंडीगढ़)
गोविन्द दास, डा० (जबलपुर)
गोंडर, श्री मुत्तु (तिरूपतूर)
गौड, श्री गाडिलिंगन (कुरनूल)
गौडर, श्री नंजा (नीलगिरि)
गौडा, श्री हुचे (चिकमगलूर)
गौतम, श्री चिं० (बालाघाट)

घ

घोष, श्री गणेश (कलकत्ता–दक्षिण)
घोष, श्री परिमल (घाटल)
घोष, श्री प्र० कु० (रांची)
घोष, श्री विमल कान्ति (सेरामपुर)

च

चक्रपाणि, श्री (पोन्नाणि)
चटर्जी, श्री कृष्ण कुमार (हावड़ा)
चटर्जी, श्री नि० चं० (बर्दवान)
चतुर्वेदी, श्री रो० ला० (एटा)
चन्दा, श्री अनिल कु० (भोलपुर)
चन्दा, श्रीमती ज्योत्सना (कचार)
चन्द्र शेखर सिंह, श्री (जहानाबाद)
चन्द्रिका प्रसाद, श्री (बलिया)
चव्हाण, श्री दा० रा० (कराड़)
चव्हाण, श्री यशवन्तराव (सतारा)
चित्ति बाबू, श्री (चिंगलपट)
चौधरी, श्री जे० के० (त्रिपुरा–पश्चिम)
चौधरी, त्रिदिब कुमार (बरहामपुर)
चौधरी, श्री नीतिराज सिंह (होशंगाबाद)
चौधरी, श्री बालमीकी (हाजीपुर)
चौहान, श्री भारत सिंह (धार)

छ

छत्रपति, श्रीमती विजयमाला (हथकनंगले)

ज

जगजीवन राम, श्री (सासाराम)
जमीर, श्री स० चु० (नागालैंड)
जगैया, श्री कों० (ओंगोल)
जनार्दनन, श्री (त्रिचूर)
जमुना लाल, श्री (टोंक)
जयपाल सिंह, श्री (खुन्टी)

जाधव, श्री तुलशीदास (बारामती)
जाधव, श्री वें० नं० (जालना)
जेना, श्री (भद्रक)
जेवियर, श्री (तिरुनेलवेल्लि)
जोशी, श्री एस० एम० (पूना)
जोशी, श्री जगन्नाथ राव (भोपाल)

झ

झा, श्री भोगेन्द्र (जयनगर)
झा, श्री शिव चन्द्र (मधुबनी)
झारखण्डे राय, श्री (घोसी)

ठ

ठाकुर, श्री गुणानन्द (सहरसा)
ठाकुर, श्री प्र० रं० (नवद्वीप)

ड

डांगे, श्री श्री० अ० (बम्बई मध्य-दक्षिण)

ढ

ढिल्लों, श्री गुरदयाल सिंह (तरनतारन)

त

तापड़िया, श्री सु० कु० (पाली)
तामस्कर, श्री (दुर्ग)
तारोड़कर, श्री वें० बा० (नांदेड़)
तिवारी, श्री कमल नाथ (बेतिया)
तिवारी, श्री द्वा० ना० (गोपालगंज)
तुला राम, श्री (घाटमपुर)
त्यागी, श्री ओम् प्रकाश (मुरादाबाद)
त्रिपाठी, श्री कृष्ण देव (उन्नाव)

द

दंडपाणि, श्री (धारापुरम)
दलबीर सिंह, श्री (सिरसा)
दांडेकर, श्री नारायण (जामनगर)
दामानी, श्री (शोलापुर)
दार, श्री अब्दुल गनी (गुड़गांव)
दास चौधरी, श्री बें० कृ० (कूच बिहार)
दास, श्री न० ता० (जंगुई)
दास, श्री सी० (तिरूपति)
दासप्पा, श्री तुलसीदास (मैसूर)
दिग्विजय नाथ, श्री महन्त (गोरखपुर)
दिनेश सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
दीक्षित, श्री गं० च० (खंडवा)
दीपा, श्री अनिरुद्ध (फूलबनी)
दीवीकन, श्री (कल्लाकुरिच्चि)
दुरायरासु, श्री (पेरम्बलूर)
देव, श्री क० प्र० सिंह (ढेंकानाल)
देव, श्री धीरेन्द्र नाथ (अगुंल)
देव, श्री प्रताप केसरी (कालाहांडी)
देव, श्री रा० रा० सिंह (बोलनगीर)
देवगुण, श्री हरदयाल (पूर्व दिल्ली)
देवघरे, श्री न० रा० (नागपुर)
देविन्दर सिंह, श्री (लुधियाना)
देशमुख, श्री कृ० गु० (अमरावती)
देशमुख, श्री भा० दा० (औरंगाबाद)
देशमुख, श्री शिवाजीराव शं० (परभणी)
देसाई, श्री चं० चु० (साबरकंठा)
देसाई, श्री दिनकर (कनारा)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
द्विवेदी, श्री नागेश्वर (मछलीशहर)
द्विवेदी, श्री सुरेन्द्रनाथ (केन्द्रपाड़ा)

ध

धरंगधरा, श्री श्रीराज मेघराजजी (सुरेन्द्रनगर)
धुलेश्वर मीना, श्री (उदयपुर)

न

नन्दा, श्री गुलजारी लाल (कैथल)
नम्बियार, श्री (तिरुचिरापल्लि)
नायनार, श्री (पालघाट)
नाघनूर, श्री मु० न० (बेलगांव)
नाथ पाई, श्री (राजापुर)
नायक, श्री गुरु चरण (क्योंझर)
नायक, श्री रा० वें० (रायचूर)
नायडू, श्री चेंगलराया (चित्तूर)
नायर, श्री क० कृ० (बहराइच)
नायर, श्री नी० श्रीकान्तन (क्विलोन)
नायर, श्री वासुदेवन (पीरमाडे)
नायर, श्रीमती शकुन्तला (केसरगंज)
नारायणन, श्री (पोलाची)
नाहाटा, श्री अमृत (बाडमेर)
निर्लेप कौर, श्रीमती (संगरूर)
निहालसिंह, श्री (चन्दौली)
नैयर, डा० सुशीला (झांसी)

प

पटेल, श्री जे० एच० (शिमोगा)
पटेल, श्री ना० नि० (बलसार)
पटेल, श्री पाशाभाई (बड़ोदा)
पटेल, श्री बाबूराव (शाजापुर)
पटेल, श्री मणिभाई जे० (दमोह)
पटेल, श्री मनुभाई (डभोई)
पद्मावती देवी, श्रीमती (राजनन्दगांव)
पन्त, श्री कृष्ण चन्द्र (नैनीताल)
परमार, श्री द० रा० (पाटन)
परमार, श्री भालजीभाई (दोहद)
पस्वान, श्री केदार (रोसेरा)
पहाड़िया, श्री जगन्नाथ (हिंडौन)
पाओकाई हाओकिप, श्री (बाह्य मनीपुर)
पाटिल, श्री अनन्तराव (अहमदनगर)
पाटिल, श्री चू० आ० (धूलिया)
पाटिल, श्री तु० अ० (उस्मानाबाद)
पाटिल, श्री देवराव (यवतमाल)
पाटिल, श्री ना० रा० (भीर)
पाटिल, श्री स० दा० (सांगली)
पाटिल, श्री से० ब० (बागलकोट)
पाटोदिया, श्री देवकी नन्दन (जालोर)
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (भुवनेश्वर)
पाण्डेय, श्री काशी नाथ (पदरौना)
पाण्डेय, श्री विश्वनाथ (सलेमपुर)
पाण्डेय, श्री सरजू (गाजीपुर)
पार्थसारथी, श्री (राजमपेट)
पालचौधरी, श्रीमती इला (कृषनगर)
पुनाचा, श्री चे० मु० (मंगलौर)
पुरी, डा० सूर्य प्रकाश (नवादा)
प्रताप सिंह, श्री (शिमला)
प्रधानी, श्री ख० (नौरंगपुर)
प्रमाणिक, श्री जि० ना० (बलूरघाट)
प्रसाद, श्री य० अ० (मचिलीपट्टणम)

फ

फरनेन्डीज़, श्री जार्ज (बम्बई, दक्षिण)

ब

बख्शी, श्री गुलाम मुहम्मद (श्रीनगर)
बजाज, श्री कमलानयन (वर्धा)
बदरुद्दूजा, श्री (मुर्शिदाबाद)
बनर्जी, श्री स० मो० (कानपुर)
बरुआ, श्री बेदब्रत (कलियाबार)
बरुआ, श्री राजेन्द्रनाथ (जोरहाट)
बरुआ, श्री हेम (मंगलदायी)
बर्मन, श्री किरित बिक्रम देव (त्रिपुरा-पूर्व)
बसवन्त, श्री (भिवंडी)
बसी, श्री सोहन सिंह (फिरोज़पुर)
बसु, डा० मैत्रेयी (दारजीलिंग)
बसु, श्री ज्योतिर्मय (डायमण्ड हार्बर)
बसुमतारी, श्री (कोकराझार)
बाजपेयी, श्री विद्याधर (अमेठी)
बाबूनाथ सिंह, श्री (सरगुजा)
बारुपाल, श्री प० ला० (गंगानगर)
बिड़ला, श्री राधा कृष्ण (झुंझनू)
बिरुआ, श्री कोलाई (सिंहभूम)
बिष्ट, श्री जं० ब० सिं० (अल्मोड़ा)
बिस्वास, श्री जि० मो० (बांकुरा)
बूटा सिंह, श्री (रोपड़)
बृज भूषण लाल, श्री (बरेली)
बृजराज सिंह कोटा, श्री (झालावाड़)
बृजेन्द्र सिंह, श्री (भरतपुर)
बेरवा, श्री ओंकार लाल (कोटा)
बेसरा, श्री स० च० (दुमका)
बेहेरा, श्री बेधर (आजपुर)
बैरो, श्री (नामनिर्देशित-आंग्ल-भारतीय)
बोस, श्री अमिय नाथ (आरामबाग)
बोहरा, श्री ओंकारलाल (चित्तौड़गढ़)
ब्रह्म प्रकाश, श्री (बाह्य दिल्ली)
ब्रह्मानन्दजी, श्री स्वामी (हमीरपुर)

भ

भक्त दर्शन, श्री (गढ़वाल)
भगत, श्री ब० रा० (शाहबाद)
भगवती, श्री (तेजपुर)
भगवान दास, श्री (औसग्राम)
भट्टाचार्य, श्री चपलाकांत (रायगंज)
भण्डारे, श्री रा० ढो० (बम्बई-मध्य)
भदौरिया, श्री अर्जुन सिंह (इटावा)
भानु प्रकाश सिंह, श्री (सीधी)
भारती, श्री महाराज सिंह (मेरठ)

भार्गव, श्री ब० ना० (अजमेर)
मास्टर भोलानाथ, श्री (अलवर)

म

मंगलाथुमाडम, श्री (मवेलिक्करा)
मंडल, डा० प० (विष्णुपुर)
मंडल, श्री जु० कि० (उलुबेरिया)
मंडल, श्री बि० प्र० (माधीपुरा)
मंडल, श्री यमुना प्रसाद (समस्तीपुर)
मधुकर, श्री क० मि० (केसरिया)
मधोक, श्री बलराज (दक्षिण दिल्ली)
मनोहरन, श्री (मद्रास उत्तर)
मयावन, श्री (चिदाम्बरम)
मरंडी श्री (राजमहल)
मारन, श्री मु० (मद्रास-दक्षिण)
मल्होत्रा श्री इन्द्रजीत (जम्मू)
मसानी, श्री मी० रु० (राजकोट)
मसुरियादीन, श्री (चैल)
महतो, श्री भजहरि (पुरूलिया)
महाजन, श्री विक्रम चन्द (चम्बा)
महादेव प्रसाद, डा० (महाराजगंज)
महादेवप्पा, श्री रामपुर (गुलबर्गा)
महाराज सिंह, श्री (मैनपुरी)
महिषी, डा० सरोजिनी (धारवाड़ उत्तर)
महीडा, श्री नरेन्द्र सिंह (आनन्द)
माईती, श्री श० ना० (मिदनापुर)
माझी, श्री महेन्द्र (मयूरभंज)
माने, श्री शंकरराव दत्तात्रय (कोल्हापुर)
मिनीमाता अगमदास गुरू, श्रीमती (जंजगीर)
मिर्जा, श्री बाकर अली (सिकन्दराबाद)
मिश्र, श्री गा० शं० (छिन्दवाड़ा)
मिश्र, श्री विभूति (मोतीहारी)
मिश्र, श्री श्रीनिवास (कटक)
मीना. श्री मीठा लाल (सवाई माधोपुर)
मुकने, श्री यशवन्त राव (दहानु)
मुकर्जी, श्री हो० ना० (कलकत्ता-उत्तर-पूर्व)
मुकर्जी, श्रीमती शारदा (रत्नगिरि)
मुत्तुस्वामी, श्री सी० (करूर)
मुल्ला श्री आनन्द नारायण (लखनऊ)
मुहम्मद इमाम श्री जे० (चित्रदुर्ग)
मुहम्मद इस्माइल, श्री (बैरकपुर)
मुहम्मद इस्माइल, श्री एम० (मंजेरी)
मुहम्मद यूसफ, श्री (सीवन)
मुहम्मद शरीफ, श्री (रामानाथपुरम)
मूर्ति श्री ब० सू० (अमलापुरम)
मूर्ति, श्री मि० सू० (अनकापल्लि)
मृत्युञ्जय प्रसाद, श्री (महाराजगंज)
मेघचन्द्र, श्री (आन्तरिक मनीपुम्)
मेनन, श्री गोविन्द (मुकन्दपुरम)
मेनन, श्री विश्वनाथ (एरणाकुलम)
मेलकोटे, डा० (हैदराबाद)
मेहता, श्री अशोक (भंडारा)
मेहता श्री प्रसन्न भाई (भावनगर)
मोडक, श्री वि० कु० (हुगली)
मोडी, श्री पीलु (गोधरा)
मोलहू प्रसाद, श्री (बांसगांव)
मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहसिन, (श्री धारवाड़-दक्षिण)
मोहिन्दर कौर, श्रीमती (पटियाला)

य

याज्ञिक, श्री (अहमदाबाद)
यादव, श्री चन्द्र जीत (आजमगढ़)
यादव, श्री जगेश्वर (बांदा)
यादव, श्री नगेन्द्र प्रसाद(सीतामढ़ी)
यादव, श्री राम सेवक (बाराबंकी)
यशपाल सिंह, श्री (देहरादून)

र

रंगा, श्री (श्रीकाकुलम)
रघुरामैया, श्री (गुन्टूर)।
रजनीदेवी, श्रीमती (रायगढ़)
रणजीत सिंह, श्री (खलिलाबाद)
रणधीर सिंह, श्री (रोहतक)
रमानी, श्री (कोयम्बत्तूर)
राउत, श्री भोला (बगहार)
राज देव सिंह, श्री (जौनपुर)
राजशेखरन, श्री (कनकपुरा)
राजाराम, श्री (सलेम)
राजू, डा० द० स० (राजमंड्रि)
राजू, श्री द० ब० (नरसापुर)
राज्य लक्ष्मी, श्रीमती ललिता (धनबाद)

राणा, श्री (भड़ौच)
राधाबाई, श्रीमती (भद्राचलम)
राणे, श्री (बुलडाना)
राम, श्री तु० (अरारिया)
राम चरण, श्री (खुर्जा)
रामजी राम, श्री (अकबरपुर)
राम धन, श्री (लालगंज)
राम धनी दास, श्री (गया)
रामभद्रन, श्री टी० डी० (तिंडिवनम)
राममूर्ति, श्री (मदूरै)
राममूर्ति श्री एस० पी० (शिवकाशी)
राम शेखर प्रसाद सिंह ,श्री (छपरा)
राम सुभग सिंह डा० (बक्सर)
राम सेवक, श्री (जालौन)
राम स्वरूप, श्री (रोबर्टसगंज)
राय, श्री चित्तरंजन (जयनगर)
राय, श्री रवि (पुरी)
राय, श्री विश्वनाथ (देवरिया)
राय, श्रीमती उमा (माल्दा)
राव, डा० कु० ल० (विजयवाड़ा)
राव, डा० वी० के० आर० वी० (बेल्लारी)
राव, श्री क० नारायण (बोब्बिली)
राव, श्री जगन्नाथ (छतरपुर)
राव, श्री रामपथी (करीमनगर)
राव, श्री तिरूमल (काकिनाडा)
राव, श्री मुत्याल (नगरकुरनूल)
राव, श्री रामेश्वर (महबूबनगर)
राव, श्री नरसिम्हा (पार्वतीपुरम)
रेड्डी, श्री ईश्वर (कड़प्पा)
रेड्डी, श्री एन्थनी (अनन्तपुर)
रेड्डी श्री गंगा (आदिलाबाद)
रेड्डी, श्री जी० एस० (मिरियालगुडा)
रेड्डी, श्री दशरथ राम (कावली)
रेड्डी, श्री नारायण (निजामाबाद)
रेड्डी, श्री नीलम संजीव (हिन्दुपुर)
रेड्डी, श्री सुरेन्द्र (वारंगल)
रोहतगी, श्रीमती सुशीला (बिल्हौर)

ल

लकप्पा, श्री (तुमकुर)
लक्ष्मीकान्तम्मा, श्रीमती (खम्मम)
लक्ष्मीबाई, श्रीमती (मेडक)
ललित सेन, श्री (मन्डी)
लास्कर, श्री नि० रं० (करीमगंज)
लिमये, श्री मधु (मुंघेर)
लुत्फुल, हक श्री (जंगीपुर)
लोबो प्रभु, श्री (उदीपी)

व

वंश नाराय सिंह, श्री (मिर्ज़ापुर)
वर्मा, श्री प्रेम चन्द (हमीरपुर)
वर्मा, श्री बालगोविन्द (खेरी)
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (बलरामपुर)
विजयराजे श्रीमती (छतरा)
विद्यार्थी, श्री राम स्वरूप (करौलबाग)
विश्वनाथन, श्री (वंडीवाश)
विश्वनाथम्, श्री तेन्नेटि (विशाखापत्तनम)
विश्वम्भरन, श्री (त्रिवेन्द्रम)
वीरभद्र सिंह, श्री (महासू)
वीरप्पा, श्री रामचन्द्र (बीदर)
वेंकटसुब्बया, श्री पे० (अनन्दयाल)
वेंकटस्वामी, श्री (सिद्धिपेट)
व्यास, श्री रमेशचन्द्र (भीलवाड़ा)

श

शंकरानन्द, श्री बी० (चिकोडी)
शम्भू नाथ, श्री (सैदपुर)
शर्मा, श्री अ० त्रि० (भंजनगर)
शर्मा, श्री दी० चं० (गुरदासपुर)
शर्मा, श्री ना० स्व० (डुमरियागंज)
शर्मा, श्री नवल किशोर (दौसा)
शर्मा, श्री माधोराम (करनाल)
शर्मा, श्री यज्ञ दत्त (अमृतसर)
शर्मा, श्री योगेन्द्र (बेगुसराय)
शर्मा, श्री रामावतार (ग्वालियर)
शर्मा, श्री वेणी शंकर (बाँका)
शर्मा, श्री शिव (विदिशा)
शशि भूषण, श्री (धारगोन)
शशिरंजन, श्री (पपरी)
शारदानन्द, श्री (सीतापुर)
शालवाले, श्री राम गोपाल (चाँदनी चौक)
शास्त्री, श्री प्रकाश वीर (हापुड़)
शास्त्री, श्री रघुवीर सिंह (बागपत)

शास्त्री, श्री रामानन्द (बिजनौर)
शास्त्री, श्री रामावतार (पटना)
शास्त्री, श्री विश्वनारायण (लखीमपुर)
शास्त्री, श्री शिव कुमार (अलीगढ़)
शास्त्री, श्री शिवपूजन (विक्रमगंज)
शाह, श्री टी० पी० (कांकर)
शाह, श्री मानवेन्द्र (टिहरी गढ़वाल)
शाह, श्री वीरेन्द्र कुमार (जूनागढ़)
शाह, श्री शान्तिलाल (उत्तर-पश्चिम बम्बई)
शाह, श्रीमती जयाबेन (अमरेली)
शिकरे, श्री (पंजिम)
शिन्दे, श्री अन्नासाहिब (कोपरगाँव)
शिव चंडिका प्रसाद, श्री (जमशेदपुर)
शिव चरण लाल, श्री (फिरोजाबाद)
शिव नारायण, श्री (बस्ती)
शिवप्पा, श्री (हसन)
शिवशंकरन, श्री (श्रीपुरेम्बटूर)
शुक्ल, श्री शं० ना० (रीवा)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (महासमंद)
शेर सिंह, श्री (झज्जर)
श्रीधरन, श्री (बडागरा)

स

संकटा, प्रसाद डा० (मिसरिख)
संजीरूपजी, श्री (दादरा तथा नगर हवेली)
संत बक्स सिंह (फतेहपुर)
संतोषम, डा० म० (तिरुचेंडर)
संबन्धन, श्री, (तिरुत्ताणि)
सईद, श्री प० मु० (लक्कादीव, मिनिकोय, तथा अमीनदीवी द्वीपसमह)
सत्य नारायण सिंह, श्री (वाराणसी)
सप्रे, श्रीमती तारा (बम्बई-पूर्वोत्तर)
सलीम, श्री मु० यू० (नलगोंडा)
सहगल, श्री अ० सिं० (बिलासपुर)
साँधी, श्री न० कु० (जोधपुर)
साम्भली, श्री इसहाक (अमरोहा)
सांधू, राम, श्री (फिल्लौर)
साबू, श्री श्रीगोपाल (सीकर)
सामन्त, श्री सतीश चन्द्र (तामलुक)
साम्बसिवम, श्री (नागपट्टिणम)
साल्वे, श्री न० क० (बेतूल)
सावित्री, श्याम, श्रीमती (आंवला)
साहा, डा० शि० कु० (वीरभूम)
सिंह, श्री जि० ब० (शाहबाद)
सिंह, श्री दि० ना० (मुजफ्फरपुर)
सिंह, श्री दे० वि० (सतना)
सिह, श्री मुद्रिका (औरंगाबाद)
सिंह, श्री राम कृष्ण (फैजाबाद)
सिंह, श्री सत्यनारायण, (दरभंगा)
सिद्द्य्या श्री (चामराजनगर)
सिद्धेश्वर प्रसाब, श्री (नालंदा)
सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी (बाढ़)
सुदर्शनम, श्री म० (नरसारावपेट)
सुन्दर लाल, श्री (सहारनपुर)
सुन्दरलाल, श्री झा० (बस्तर)
सूपकार, श्री श्रद्धाकर (सम्बलपुर)
सुवावेल्, श्री (मयूरम)
सुरेन्द्रपाल सिंह,श्री (बुलन्दशहर)
सूरजभान, श्री (अम्बाला)
सूरसिह, श्री (झाबआ)
सूर्य नारायण, श्री को० (एल्लूरू)
सेक्वीरा, श्री (मारमागोआ)
सेझियान, श्री (कुम्बकोणम)
सेट, श्री अब्राहीम सुलेमान (कोजीकोड)
सेट, श्री तु० म० (कच्छ)
सेठी, श्री प्र० चं० (इन्दौर)
सेतुरामन, श्री नं० (पाँडिचेरी)
सेन, डा० रानेन (बारासाट)
सेन, श्री अ० कु० (कलकत्ता-उत्तर-पश्चिम)
सेन, श्री देवेन (आसनसोल)
सेन, श्री द्वैपायन (कटवा)
सेन, श्री फ० गो० (पूर्णिया)
सैयद अली, श्री (जलगाँव)
सोधी श्री मनोहर लाल (नई दिल्ली)
सोनार, डा० अ० ग० (रामटेक)
सोनावने, श्री (पंढरपुर)
सोमसुन्दरम श्री (थंजावूर)
सोमानी, श्री नन्दकुमार (नागौर)
सोलंको, श्री प्र० नं० (कैरा)
सोलंकी, श्री सोमचन्द (गांधी नगर)
स्नातक, श्री नर देव (हाथरस)
स्वर्ण सिंह, श्री (जालन्धर)

सामिमाथन् श्री (गोबिचे ट्टिपलयम)
स्वेल, श्री (ग्रासम-स्वायत्तशासी)

ह

हजरनवीस, श्री (चिमुर)
हजारिका, श्री जो ना० (डिब्रुगढ़)
हनुमन्तय्या, श्री (बंगलौर)
हरिकृष्ण, श्री (इलाहाबाद)
हाल्दर, श्री कं० (मथुरापुर)
हिम्मतसिंहका, श्री (गोड्डा)
हीरजी भाई, श्री (बाँसबाडा)
हेमराज, श्री (कांगड़ा)

लोक-सभा

LOK SABHA

सोमवार, 22 जुलाई, 1968/31 आषाढ़, 1890 (शक)

Monday, July 22, 1968/ Asadha 31, 1890 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

Mr. Speaker in the chair

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण

MEMBERS SWORN

श्रीमती इला पाल चौधरी (कृष्णनगर–पश्चिमी बंगाल)

श्री धरनीधर बसुमतारी (कोकराझार–आसाम)

निधन सम्बन्धी उल्लेख

OBITUARY REFERENCES

अध्यक्ष महोदय : मुझे अपने तीन मित्रों अर्थात् सर्वश्री माली मरियप्पा, ए० नेसामानी और हरिश्चन्द्र माथुर के दुःखद निधन के बारे में सभा को सूचित करना है।

श्री माली मरियपा मैसूर के मधुगिरी निर्वाचन क्षेत्र से वर्तमान लोक-सभा के सदस्य थे, वे वर्ष 1965–67 के दौरान तीसरी लोक-सभा के भी सदस्य थे।

श्री मरियप्पा आवास समिति तथा अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के सदस्य थे और उन्होंने कुछ प्रवर समितियों में भी कार्य किया था। वे सभा की तथा समितियों की कार्यवाहियों में सक्रिय भाग लेते थे। उनका 25 मई, 1968 को बंगलौर में 56 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

श्री ए० नेसामनी मद्रास राज्य के नागरकोयल निर्वाचन क्षेत्र से वर्तमान लोक सभा के सदस्य थे। वे वर्ष 1952–57 और वर्ष 1962–67 के दौरान पहली और तीसरी लोक-सभा के सदस्य थे। उन्होंने याचिका समिति में भी कार्य किया। उनका 1 जून, 1968 को 73 वर्ष की आयु में नैय्यूर में निधन हो गया।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर 1948 और 1957–67 वर्षों के दौरान भारतीय संविधान सभा और दूसरी तथा तीसरी लोक-सभा के सदस्य थे। वह एक सक्रिय सदस्य, प्रबल वक्ता तथा एक सुलझे हुए संसद्-विज्ञ थे। वह सभा की कार्यवाहियों में सक्रिय भाग लेते थे और उन्होंने विशेषाधिकार समिति तथा सरकारी उपक्रमों (सम्बन्धी) समिति के सदस्य के रूप में बड़ा

1740 (Ai) LS—1.

उपयोगी योगदान दिया। उनका 12 जून, 1968 को बंगलौर में 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

हम इन मित्रों के निधन पर गहन शोक प्रकट करते हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि शोक सन्तप्त परिवारों को संवेदनायें भेजने में सभा मेरे साथ होगी।

प्रधान मंत्री, अणु शक्ति मंत्री योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी): एक बार पुनः मैं इस दुःखद कर्त्तव्य का पालन कर रही हूं कि अपने दिवंगत सहयोगियों की याद में श्रद्धांजलि समर्पित करूं। वे सब कांग्रेस दल के सदस्य थे लेकिन मैं सोचती हूं कि माननीय सदस्य मेरी इस बात से सहमत होंगे कि वे दलगत हितों से ऊपर थे।

जैसा आपने कहा कि श्री माली मरियप्पा एक निष्ठावान सदस्य थे जिन्होंने मैसूर में, स्वतन्त्रता संग्राम में बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया, वह अनेक राष्ट्रीय, सांस्कृतिक, सामाजिक और शैक्षिक संस्थाओं से भी सम्बन्धित थे, वह मैसूर राज्य की विधान सभा के भी सदस्य थे और उन्होंने सदन को अपना दीर्घ अनुभव तथा संसद्-कार्य का ज्ञान प्रदान किया।

श्री नेसामनी एक वरिष्ठ और अनभवी सहयोगी थे और उन्होंने इस सभा की सेवा एक दशाब्दि तक की। हमने उनकी बुद्धिमत्ता तथा ज्ञान के मूल्य को समझा और उनके शान्त तथा विनीत स्वभाव की सराहना की।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर जिनकी बंगलौर में अकस्मात मृत्यु हुई सदन के सम्मान प्राप्त, योग्य और अनुभवी सदस्य थे।

वाद-विवाद में उनका भाग लेना बड़ा रचनात्मक होता था। विषय के गहन अध्ययन के बाद वे वाद-विवाद में भाग लेते थे, वे ऐसे सृजनात्मक और अच्छे सुझाव देते थे जो स्वीकार करने योग्य होते थे। संसदीय और संवैधानिक कार्यों सम्बन्धी उनका गहन ज्ञान हम सब के लिए उपयोगी था और जिस किसी भी चर्चा में उन्होंने भाग लिया उसको गरिमा प्रदान की। उनको प्रशासनिक मामलों सम्बन्धी ज्ञान भी था और इससे उनके भाषणों को विशेष महत्व प्राप्त हुआ।

हमने इन तीन सदस्यों को खो दिया। मैं उनके परिवारों को सहानुभूति देने में आपके साथ शामिल होती हूं।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम): इन दिवंत तीन सदस्यों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रधान मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा उसमें मैं भी शामिल होता हूं।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर दूसरी सभा में और इस सभा में भी मेरे सहयोगी रहे। अपने संसद काल में चाहे वे विरोधी दल में थे अथवा कांग्रेस दल में सरकार के एक प्रबल आलोचक के रूप में प्रसिद्ध थे। वह प्रशासनिक सुधार के कार्य में पर्याप्त रुचि ले रहे थे। क्योंकि भूतपूर्व राजस्थान राज्य में वे एक अनुभवी प्रशासनिक अधिकारी थे इसलिए उन्होंने जिन चर्चाओं में भाग लिया उनमें इसका उपयोग किया और उन्होंने इस बात पर बल दिया कि प्रशासन में सुधार होना चाहिये और मितव्ययिता से चलना चाहिये। वह सरकार के एक बहुत बड़े प्रबल आलोचक थे और भले ही वह सत्तारूढ़ दल के सदस्य थे। वह ओम्बुड्समन संस्था को स्थापित करने की मांग के सिलसिले में विरोधी दल में शामिल हो गये थे।

जब वह प्रशासनिक सुधार आयोग के सदस्य बने तो उन्होंने लोकपाल के पक्ष में सिफारिशें करने के सम्बन्ध में अन्य सदस्यों का साथ दिया । लेकिन, दुर्भाग्य की बात है कि लोकपाल का पद अभी अस्तित्व में नहीं आया है । ऐसा अन्य लोगों के साथ भी हुआ है कि उन्होंने अच्छे कार्यों के लिए प्रयत्न किये लेकिन वे कार्य उनके जाते जी पूर्णता को प्राप्त नहीं हुए यद्यपि उन्होंने ऐसे अच्छे सुधारों के लिए प्रयत्न कर अपना कर्तव्य कर दिया है ।

श्री नेसामनी ने तमिलनाड को कन्याकुमारी की वापसी के लिए कार्य किया । वे तमिल भाषा और तमिल लोगों के एक बड़े समर्थक के रूप में जाने जाते थे । वे जनता के एक अच्छे कार्यकर्त्ता थे ।

श्री मरियप्पा भी स्वतन्त्रता के लिए लड़ने वालों में से एक थे । उन्होंने मैसूर राजनीति में बड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया । उन्हें वहाँ अपनी योग्यता और प्रतिभा दिखाने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला ।

हम अपने इन तीन श्रेष्ठ साथियों के निधन पर गहरा शोक प्रकट करते हैं ।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : Mr. Speaker, every time when we meet after recess we have to perform this fuction, which is a very sad part of our duty. Our colleagues who contributed towards making India's destiny in the Parliament have left us and today we are paying our tribute and homage to them in their memory. I had the occasion to see Shri Harish Chandra Mathur and Shri Mati Mariyappa from very near equatés. During his career as a parliamentarian he always did his duties, with great dedication and make an important contribution in the debates specially the death of Shri Harish Chandra Mathur came to us as a blow. Actually he was taken away from this world while doing parliamentary work and performing his duties. He had been to Bangalore to participate in a meeting of the parliamentary committee and there he passed away. He made a place for himself in the Parliament as a fearless politician. As an active Member of the Parliament he set an example besore us by his arguments, facts, constructive view and when there was a need by criticising the Government. He earned a great name as an administrator before entering into politics. Afterward he became a Member of the Parliament and contributed a lot in making legislation for the country and strengthening the foundation of the Parliamentary democracy in the country. The loss caused to the Parliament by his death will not be compensated in the near future.

I associate myself with sentiments expreessed by you and the hon. Members and pay my tribute and homage to the hon. Members who have left us.

श्री मनोहरन (मद्रास उत्तर) : मैं संसद् में अपने दल की ओर से सभा के नेता के उदगारों से अपने को सम्बद्ध करता हूं ।

इन तीन सदस्यों के निधन से जो क्षति हुई है उसको पूरा नहीं किया जा सकता, श्री माथुर ने जो इस सभा के सदस्य थे, प्रजातंत्रात्मक संसदीय परम्परा के विकास में बड़ा योगदान दिया, वह सरकार की कुछ नीतियों के बड़े निडर आलोचक थे, उनमें दृढ़ विश्वास तथा उत्साह था, उनके भाषणों में एक दिशा होती और उनमें उनकी निष्ठा प्रतिबिम्बित होती थी । वे कई समितियों और आयोगों से सम्बद्ध थे गम्भीर विचारों के स्फटिकीकरण में उन्होंने बड़ा योगदान दिया, यह दुर्भाग्य की

वान है कि देश ने एक निर्भीक योद्धा, मंजे हुए संसद् विज्ञ और कुशल राजनीतिज्ञ को खो दिया ।

श्री नेसामनी इस सभा के एक सदस्य थे, वे अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बड़े समर्थक और हिमायती थे, कन्याकुमारी जिले के लोग उनको अपना उद्धारकर्त्ता समझते थे । वे उसे 'राजा नेसामनी' कहकर पुकारते थे। अपनी विश्वासपात्रता, इमानदारी के कारण उन्हें बड़ा सम्मान प्राप्त था। वह बहुत लड़े और आखीरकार उन्होंने कन्याकुमारी के लोगों के स्वप्न को साकार कर दिखाया अर्थात् कन्याकुमारी जिले को तमिलनाड में मिला दिया, इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए उनको राजनीतिक अधिपुरूषों से लड़ना पड़ा था । जो वह चाहते थे उसको उन्होंने कर दिखाया और हमेशा उनकी विजय हुई ।

मृत्यु पर्यन्त उनका उत्साह अमिट था और उनके विचारों में सफलता थी । उनको कोई डिगा नहीं सका । मुझे प्रसन्नता है कि उनके राजनीतिक अधिपुरूषों (स्वामियों) ने इस बात को स्वीकार किया। जब कभी श्री नेसामनी बड़ी बड़ी भयानक शक्तियों से टकराते थे तो वे कहा करते थे कि "बेचारी चिड़िया को चील से टकराने दो ।"

संसद् के एक दूसरे सदस्य जिनका योगदान भी इतना ही महत्वपूर्ण, अब इस संसार से उठ गये हैं ।

मै अपने दल की ओर से अध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूं कि हमारी हार्दिक सहानुभूति तथा संवेदनाओं को उनके शोक सन्तप्त परिवारों को पहुंचायें । ईश्वर इन दिवंगत आत्माओं को शान्ति दे ।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : हर बार जब हम नये सत्र में सम्मिलित होते हैं तो हम देखते हैं कि मृत्यु ने हमारे कुछ साथियों को हम से छीन लिया है । हमारे तीन साथियों के निधन पर जो दुखपूर्ण उदगार यहां व्यक्त किये गये हैं उनके साथ मैं अपने को भी सम्बद्ध करता हूं ।

मैं श्री नेसामनी को सन् 1952 से जानता हूं जबकि पहली संसद् सममेत हुई थी । हम सब उनके चरित्र और उनके कार्यों की सराहना करते हैं ।

श्री मरियप्पा देश के लोक जीवन में प्रमुख स्थान रखते थे, इस सभा को उनका अभाव इतना अधिक खलेगा कि जितना उनके राज्य को भी नहीं ।

जहां तक श्री हरीशचन्द्र माथुर का सम्बन्ध है हमने उनको इस सभा में तथा इससे बाहर भी कार्य करते हुए देखा है और हम सब उनके चरित्र तथा योग्यता की सराहना करते हैं । मैंने उनको पहले संसद् के दिनों में जाना था जबकि वे राज्य सभा के सदस्य थे, यद्यपि वे इस समय इस सभा के सदस्य नहीं थे लेकिन हम जानते हैं जब वे लोक सभा के सदस्य थे उन्होंने कितना मूल्यवान योगदान दिया था । अपने कार्य के लिए उनमें पूर्ण योग्यता विद्यमान थी जो कि सब में नहीं दिखाई देती । वह इस ढंग से बोलते थे जिससे यह स्पष्ट हो जाता था कि उन्होंने अपने विषय में दक्षता प्राप्त कर ली थी । वाद-विवाद में उनके भाग लेने से एक ऐसा तत्व उसमें आ जाता था जिससे संसदीय प्रक्रिया में रुचि जागृत हो जाती थी ।

हमें इन तीन अपने साथियों की बड़ी याद आती रहेगी और मुझे विश्वास है आप इनके शोक सन्तप्त परिवारों को हमारी संवेदनायें और हार्दिक सहानुभूतियां पहुंचा देंगे ।

Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki) : Mr. Speaker, I fully associate myself with the Sentiments expressed over the demise of late Shri Mali Maryappa , Shri Nesamony and Shri Harish Chander Mathur and offer tributes on behalf of my party. I had known Shri Harish Chander Mathur personally we had been together for about ten years. We found that whenever question of Public interest was raised in the House, he gave his opinion quite independents and fearlessly without taking into any Consideration of the Party. The late Mr. Mathue had strong hand in the Constitutions of administrative Commission. He was particularly an able administrator. He will be no more in the House to give advice: But his services to the Country and the Contribution to this house will always inspinre us.

With these words I again pay tributes on behalf of my Party, wishing peace for the three departed souls.

श्री पी० राममूर्ति (मदुरै) : सदन में हमारे तीन अमूल्य साथियों के निधन पर जो भाव व्यक्त किए गए हैं, मैं अपने दल और अपने आपको इससे सम्बद्ध करते हुए श्री नेसामणि, जिनको मैं भली भांति जानता हूं, के कुछ विशिष्ट गुणों का उल्लेख करता हूं वे उन नेताओं की पीढ़ी से सम्बन्ध रखते हैं जो इस देश में दुर्भाग्यवश चल बसे हैं और फिर कभी नहीं आयेंगे। वे इस क्षेत्र के नाडार जाति के थे जो पद दलित थी । उस क्षेत्र की हिन्दु जाति नाडार जाति के साथ ऐसा व्यवहार करती थी जैसे कि देश के अन्य भागों में हरिजनों के साथ व्यवहार किया जाता था । श्री नेसामणि की प्रसिद्धि और जो प्यार और स्नेह उनको नागरकोइल क्षेत्र के लोगों से मिला, वह इस वास्तविकता को बताता है कि उन्होंने नाडार जाति की सामाजिक, राजनीतिक और सब तरह के उत्पीड़न के विरुद्ध चालीस वर्ष से अधिक समय तक संघर्ष किया, मैं नहीं जानता कि कितने व्यक्ति इस बात को जानते हैं कि श्री नेसामणि 5,000 रुपये से अधिक महीने की लाभप्रद वकालत कर रहे थे । परन्तु उनकी मृत्यु बहुत गरीबी में हुई। उन्होंने अपनी समस्त आय उस उद्देश्य में लगा दी जो उनको प्रिय थे यथा इस जाति को शिक्षा, आर्थिक और सामाजिक रूप से उन्नत करना था, संभवतः इस सदन में कोई भी ऐसा सदस्य न होगा जो नेसामणि की भांति नामजदगी पत्र भरकर बिना किसी से वोट मांगे और एक भी सभा बुलाये बिना निर्वाचन क्षेत्र में चला जाये । यह श्री नेसामणि की एक विशिष्टता थी। संभवत : वही एक मात्र ऐसे सदस्य थे जिन्होंने 1952, 1962 और बाद में 1967 में केवल नामजदगी पत्र भरा और अपने निर्वाचन क्षेत्र से चले गये। वे वहां वोट मांगने कभी नहीं गये। उनका कहना था कि अगर जनता मुझ से प्यार रखती है और समझती है कि मुझे उनकी सेवा करनी चाहिए तब वे मुझे निर्वाचित करेंगे, यह एक कारण था । अतएव चुनाव में जो इतना धन व्यय किया जाता है उसका प्रश्न उनके लिए नहीं उठता था । उस जाति के द्वारा यह प्यार उनको अर्पित किया गया था, दुर्भाग्यवश अपने वृद्ध अवस्था में वे बहुत बीमार थे। मैं जानता हूं कि वे इसस दन के वाद-विवाद में भाग लेने में असमर्थ थे, निश्चय ही जनता और सभा को उनके निधन से बहुत क्षति उठानी पड़ी है ।

यद्यपि मैं दूसरे लोगो को अधिक नहीं जानता और मेरा उनसे कोई व्यक्तिगत सम्बन्ध नहीं था फिर भी उनके निधन से इस सभा कों क्षति उठानी पड़ी है । इस सभा में जो भाव व्यक्त किए गए हैं उसमें मेरा दल अपने आपको सम्बद्ध करता है ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : हमारे तीन माननीय साथियों के निधन पर जो भाव व्यक्त किए गए हैं मैं और मेरी पार्टी उसमें शामिल होती है । मुझे श्री हरीश चन्द्र माथुर के साथ कार्य करने का अवसर मिला जो कि 1952 में पहली बार राज्य सभा में आये थे और फिर बाद में लोक सभा की विभिन्न समितियों में भी कार्य किया जिनमें सार्वजनिक प्रतिष्ठान की समिति भी शामिल

है । जब वे विरोधी दल में थे तो वे स्वभावतः सरकार के आलोचक थे । यद्यपि बाद में वे कांग्रेस दल में शामिल हो गए, फिर भी मेरे विचार में उन्होंने अपने विचारों को नहीं दबाया । वह आलोचना करने में बड़े खरे थे और उनके विचार बड़े स्वतन्त्र थे ।

मेरा अपना एक अनुभव है । जब मैंने पहली बार उच्च स्तर पर हो रही भ्रष्टाचार का प्रश्न उठाया तो श्री माथुर ने इस पर बड़ी दिलचस्पी दिखाई, और कांग्रेस दल में होते हुए भी उन्होंने कहा कि इन सब मामलों की जांच उच्चस्तरीय जांच आयोग द्वारा कराई जाय । दूसरे कई बातों में उनकी सेवाएं महान रही हैं । यह वास्तव में दुख का विषय है कि देश के इस संकटकाल में हमने महत्वपूर्ण व्यक्ति खो दिया है । यह संसद और देश के लिए एक बहुत बड़ी हानि है ।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : Mr. Speaker, I along with my friends pay glowing tributes to the three departed Colleagues namely Shri Harish Chandra Mathur, Shri Nasamony and Shri Maryappa. They had their own contributions to the independence struggle of the country.

The Co-operation which Shri Harish Chandra Mathur gave during the Administrative Service of Rajasthan and his contribution to the Praja Parishad movement there will become an example in the history of the country and not to say only in the history of Rajasthan. Shri Harish Chandra gave unique contribution both in the Lok Sabha and Rajya Sabha. In this loss we are feeling as if an able thinker and Philosopher has left us Like some Congress members Shri Mathur had a place in the Congress Party who took decision regarding question of the country above Party level. The services which he rendered in the Administrative Reforms Commission will be regarded a great Co-opration. Shri Mathur was making great effort to encourage the News Societies in his last days. He was also a Chairman of Hindustan Samachar Samiti.

इसके पश्चात् सदस्य थोड़े समय के लिए मौन खड़े हो गये ।

The Members then stood in Silence for a short while

ओरल कैंसर की प्रारम्भिक अवस्था के अध्ययन के बारे में भारत-डेन्मार्क परियोजना

+

*1. **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री अम्ब झियान :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "औरल कैंसर" की प्रारम्भिक अवस्थाओं का अध्ययन आयोजित करने के लिये भारत और डेन्मार्क के बीच एक करार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इस सम्बन्ध में डेन्मार्क सरकार कितनी धनराशि व्यय करेगी; और

(घ) संयुक्त परियोजना किस स्थान पर स्थापित की जायेगी ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) मुंह के कैंसर (ओरल कैंसर) की प्रारम्भिक अवस्थाओं के लगभग 500 मरीजों के परीक्षण के द्वारा कैंसर के कारणों को स्पष्ट करने, प्रारम्भ में ही निदान की सम्भाव्यता बढ़ाने तथा सूचना सामग्री प्रस्तुत करने के लिये 5 वर्ष तक अध्ययन किया जायेगा ।

(ग) पांच वर्ष की अवधि में 4.70 लाख रुपया खर्च किया जाएगा ।

(घ) मेडिकल कालेज, त्रिवेन्द्रम ।

श्री चेंगलराया नायडू : सरकार ने जब यह योजना मेडिकल कालेज त्रिवेन्द्रम में स्थापित की––जहां कि विघ्नकारियां गतिविधियां हो रही हैं यहां तक कि इडिक्की परियोजना में रुकावट डाली गयी, तो क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने इन सब बातों को ध्यान में रखा । और अगर यह ऐसे स्थान में स्थापित की गई तो क्या मैं जान सकता हूं कि इस परियोजना का क्या होगा । सरकार ने इस पर विचार किया है कि क्या यह त्रिवेन्द्रम कालेज में बिना रुकावट के कार्य कर सकेगी ?

श्री मोरारजी देसाई : यह परियोजना त्रिवेन्द्रम में इसलिए स्थापित की गई है क्योंकि वहां मुंह के कैंसर की घटनाएं और जगहों के मुकाबले में बहुत अधिक हैं । 1963–64 में डेनिश प्रोफेसर ने यही पता लगाया था इसलिए यह वहां स्थापित किया गया था । मैं नहीं जानता था कि सरकार इसमें रुकावट डालने में उत्सुक है । अगर वह ऐसा करती है तो वह अपना नुकसान करेगी ।

श्री चेंगलराया नायडू : हैदराबाद और वेलोर अस्पताल जैसे स्थान है कि जहां कि कुछ उन्नति हुई है । वेलोर त्रिवेन्द्रम के पास है तब भी वहां मुंह के कैंसर की बहुत घटनाएं हैं । तब सरकार इस संस्था के सुचारु रूप से चलाने को ध्यान में रखते हुए इसे वेलोर मेडिकल कालेज में क्यों नहीं स्थापित करती है ?

श्री नी० श्रीकान्तन नायर : महोदय, यह मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । क्या प्रश्न काल का उपयोग सुझाव देने में लगाना है । माननीय सदस्य ने केरल राज्य के विरुद्ध जो आरोप लगाये हैं मैं उनके प्रति रोष प्रकट करता हूं । प्रश्न काल के समय वे इस तरह की बातें क्यों करते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । मैं माननीय सदस्य को अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा ।

श्री चेंगलराया नायडू : महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यरूप देने के लिए सुझाव है । मैं नहीं जानता कि सरकार इसको मानेगी ।

श्री नी० श्रीकान्तन नायर : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार राज्यों के मामले में भेदभाव बरतेगी और इस प्रकार से संस्थाओं को स्थापना में राज्य की राजनीति और सरकार को ध्यान में रखेगी ?

श्री मोरारजी देसाई : मेरे पूर्व उत्तर में इस बात की गारंटी है कि इस प्रकार का भेद-भाव नहीं होगा ।

श्रीमती इला पाल चौधरी : मैं जान सकती हूं कि क्या विभिन्न राज्यों से कैंसर विशेषज्ञों को इस परियोजना में शामिल होने और अपना ज्ञान देने के लिए कहा जायेगा ?

श्री मोरारजी देसाई : उन्हें अपने ज्ञान का लाभ देने में स्वतंत्रता होगी परन्तु उन सबको इसमें शामिल होने के लिए नहीं कहा जा सकता। बहुत अधिक बिल्लियों में चूहा नहीं मरता। ऐसी दो परियोजनाएं अहमदाबाद और दूसरी जगह कार्य कर रही हैं।

Shri Onkar Lal Berwa : I want to know the place, the number of hospitals which were opened and how much foreign exchage will be incurred on it. How far we will give our Co-operetion. Will the experts be called from then ?

Shri Morarji Desai : The Danish Government will give the foreign exchange.

Shri Onkar Lal Berwa : How much foreign Exchange will be incurred ?

Shri Morarji Desai : I do not know But it will be less than 4 lakhs and 70 thousand and the rest of the expenditure will be in rupees. The foreign exchange expenditure will be met by Danish Government.

श्री श्रद्धाकर सूपकार : क्या मैं जान सकता हूं कि यह कब तक शुरू हो जाएगा और कब तक पूरा हो जाएगा ?

श्री मोरारजी देसाई : पांच वर्षों की अवधि के दौरान वे करीब 500 रोगी देख सकेंगे।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : वे इसे कब शुरू करेंगे ?

श्री मोरारजी देसाई : जितनी जल्दी वे इसे शुरू करने में समर्थ हो जाएंगे।

श्री गणेश घोष : जहां तक मैं समझता हूं उप प्रधान मंत्री ने कहा है कि त्रिवेन्द्रम में मुंह के कैंसर की घटनाएं सबसे अधिक पाई गई हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि कितने वर्ष के अनुसंधान के बाद यह पाया गया और दूसरा क्या कोई कारण पाया गया कि केरल में मुंह के कैंसर की घटनाएं सबसे अधिक क्यो हैं ?

श्री मोरारजी देसाई : यह अनुसंधान ही बताएगा। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। 1963-64 में विश्व स्वास्थ्य संस्था ने एक प्रोफेसर जे० जे० पिनवर्क भेजा था जिसने इस क्षेत्र में अध्ययन किया था। उन्होने त्रिवेन्द्रम के बारे में यही कहा था।

श्री शिवाजीराव श० देशमुख : माननीय उपप्रधान मंत्री कृपया यह बताएंगे कि क्या स्वरयुक्त प्रदर्शन, उपद्रव, और जलूस इस मुंह के कैंसर की जड़ है ?

श्री मोरारजी देसाई : चूंकि मैं कैंसर विशेषज्ञ नहीं हूं अतः मैं यह नहीं कह सकता।

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : चूंकि प्रश्न संख्या 4 भी प्रश्न संख्या 2, 3 के समान विषय पर है, मैं प्रार्थना करूंगा कि यह भी उसी के साथ उठाया जाय।

कोरबा में कोयले पर आधारित उर्वरक कारखाना

+

2. **श्री मणिभाई जे० पटेल :** **श्री श० ना० मती :**
श्री लखन लाल गुप्ता : **श्री गं० चं० दीक्षित :**

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम को कोरबा में कोयले पर आधारित उर्वरक कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

कोयले पर आधारित उर्वरक कारखाना

+

*4. **श्री वि० कु० मोडक :** **श्री नम्बियार :**
श्री राममूर्ति : **श्री अब्राहम :**

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री 15 अप्रैल, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 1215 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के उर्वरक निगम के निदेशकों के बोर्ड की उपसमिति ने कोयले पर आधारित उर्वरक कारखाने की योजना तथा विकास डिवीजन द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन की छानबीन कर ली है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो छानबीन कब तक पूरी हो जाने की सम्भावना है और विलम्ब क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज-कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) से (ग) उर्वरक निगम के निदेशकों के बोर्ड की एक उपसमिति ने, कोरबा स्थित कोयले पर आधारित एक संयंत्र के बारे में, तकनीकी- आर्थिक संभावना रिपोर्ट का अध्ययन किया है। समिति ने कुछ तरमीमों का सुझाव दिया है। तदनुसार एक अनुपूरक रिपोर्ट तैयार की जा रही है। यह आशा है कि निगम के निदेशों का बोर्ड अनुपूरक रिपोर्ट के साथ मुख्य रिपोर्ट पर शीघ्र ही विचार करेगा ।

Shri Manibhai J. Patel : Will the hon. Minister of Petroleum and Chemicals be pleased to State the percentage of profits as a result of this new Coal based system as compared with that of neptha and ammonia fertilizer factories ; and how much saving is thus expected? He may also State how much percentage of production has been attained by those countries where such factories have come into having as again the neptha and ammonia fartilizer factories ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : जब तक पक्की गणना नहीं की जाये तब तक यह हिसाब देना सरल नहीं है। ये परियोजनाएं अभी भी जांचाधीन हैं। परन्तु मोटे तौर पर मैं कहूंगा कि कि उसी प्रकार के संयंत्र को लगाने तथा उसी प्रकार के उर्वरक का उत्पादन करने के लिए कोयला आधार वाले संयंत्र की स्थापना में नैफ्था-आधार वाले संयंत्र की अपेक्षा 10 करोड़ रुपये अधिक लगेंगे। दूसरे जहां तक इस विशिष्ट यंत्र का सम्बन्ध है ऐसा लगता है कि इसमें दूसरे संयंत्र की 18% की अपेक्षा 12 प्रतिशत ही अन्तरिम धन राशि लगेगी। ये सम्मानित आंकड़े हैं परन्तु यदि बाद में मैं अधिक पक्के आंकड़े प्रस्तुत करूं तो इन पर मैं बाध्य न हूंगा।

Shri Manibhai J. Patel : Will the hon. Minister be pleased to state the percentage of production attained in those countries where the coal based fertilizer has been used? When such

big factories are being established and such a huge amount will be invested. The one should at least have some estimate as to how much increase in production will be have after spending so much?

श्री अशोक मेहता : उर्वरक-उत्पादन के आधार का इससे कोई सम्बन्ध नहीं कि कृषि-उत्पादन में कितनी वृद्धि होगी । कृषि उत्पादन में तो उर्वरक-उत्पादन के आधार का विचार किये बिना भी उतनी ही वृद्धि होगी ।

अध्यक्ष महोदय : श्री लखनलाल गुप्ता । अनुपस्थित । श्री श० ना० माहती ।

Shri Manibhai J.Patel : The hon. Minister should state the percentage of profit or saving which has been achieved and in how many years' in those Countries where such factories have been set up to ....?

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले ही दूसरे माननीय सदस्य को पुकार चुका हूं ।

श्री श० ना० माहती : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार दुरगापुर उर्वरक संयंत्र को कोयला आधार वाले संयंत्र के रूप में चलाने की बात सोच रही है ?

श्री अशोक मेहता : कोरबा को कोयला आधार वाला ही होना है ।

श्री वि० कु० मोडक : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या विश्व-बैंक ने भारत को कोयला आधार वाले उर्वरक संयंत्रों के क्षेत्र में आगे न बढ़ने की सलाह दी है; यदि हां; तो क्या यह विलम्ब विश्व बैंक के दबाव के कारण है ?

श्री अशोक मेहता : विश्व बैंक ने न तो कोई ऐसी सलाह ही दी है तथा न हम किसी की इस प्रकार की सलाह का अनुसरण ही करते है ।

श्री नम्बियार : इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि अमोनिया के आयात के कारण हमारी बहुत सारी विदेशी मुद्रा बाहर जा रही है और इस कारण भी कि हमने नैफ्था का निर्यात आरम्भ कर दिया है हमारे देश में कच्चे माल हेतु पर्याप्त कोयला है और इस कारण भी कि सिन्दरी उवर्रक कारखाने की विकास शाखा ने ऐसी तकनीकी जानकारी उपलब्ध की है जिससे कि कोयला आधार वाले उर्वरक कारखाने के लिए देश में किसी प्रकार के माल का आयात किये बिना ही कोई भी संयंत्र स्थापित किया जा सकता है । तो क्या यह आवश्यक अथवा उचित नहीं है कि भारत अमोनिया के आयात द्वारा अमरीका पर अश्रित रहने के स्थान पर अपने ही ज्ञान और भारतीय कच्चे माल का उपयोग करे ? क्या यह सरकार की नीति नहीं कि इस प्रकार की निर्यातां को समाप्त किया जाये तथा अपनी ही जानकारी तथा कच्चे माल का उपयोग किया जाये ?

श्री अशोक मेहता : प्रथम तो यह बात है कि आजकल अमोनिया का आयात नहीं किया जा रहा है । मैं यह बात बार-बार स्पष्ट कर चुका हूं कि आयात किये गये अमोनिया से बहुत थोड़ा उर्वरक उत्पन्न होगा । परन्तु इस बारे में निर्णय धीरे धीरे किया जायेगा ।

जहाँ तक नैफ्था का सम्बन्ध है सो नैफ्था का निर्यात इस लिये किया जा रहा है क्योंकि उर्वरक संयंत्र स्थापित होते जा रहे हैं । सरकार क्षेत्र में हमारे 5 उर्वरक संयंत्र निर्माणधीन हैं तथा 3 अन्य के बारे में भी निर्णय ले लिया गया है । इस बारे में आगे कार्यवाही कर रहे हैं । इन सब के लिये भारी मात्रा में नैफ्था की आवश्यकता पड़ेगी और कुछ समयोपरान्त हमें नैफ्था की कमी पडेगी ।

परन्तु हम भी अपने खाद्यान्न का विशाखन करना चाहते हैं तथा पहले भी कई बार यह स्पष्ट कर चुका हूं कि कोयला आधार वाले उर्वरक का विकास करने में हमारी बड़ी रूचि है। और यही कारण है कि इस विशिष्ट कोरबा परियोजना जो कि वर्ष 1964—65 में सोची गई थी जिसे वर्ष 1965 में छोड़ दिया गया था, हम पुनः आरम्भ करना चाहते हैं। परन्तु हमें इसके तकनीकी और आर्थिक पहलुओं पर ध्यान से विचार करना है। हमें यह भी देखना है कि क्या हमें बिजली, कोयला, भूमि, पानी तथा अन्य सुविधायें भी उपलब्ध हैं। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार से बात-चीत चल रही है। ज्यों ही निगम कोई स्थायी निष्कर्ष निकालेगा, सरकार भी इस सम्बन्ध कुछ करने का निर्णय करेगी। परन्तु मैं सभा को विश्वास दिला सकता हूं कि कोयला आधार उर्वरकों में सरकार की बड़ी रूचि है।

Shri Abdul Gani Dar : In a reply to supplementary question the hon. Minister replied that he does not need anybody's advice. I want to know from hon. Minister whether he is as much perfect as the almighty that he does not need anybody's advice.

Shri Asoka Mahta : I had said that the world Bank never gave any advicet Neither I said that we did not Consider their advice nor that we don't need it, but it is the business of the Government to decide as to what is to be done in veiw of the prevailing circumstances.

श्री जी० एस० रेड्डी : क्या कोयागुडम का कोयला-आधार उर्वरक संयंत्र सरकार के विचाराधीन है?

श्री अशोक मेहता : रामगुडम के बारे में एक प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है, परन्तु कोयागुडम के बारे में नहीं।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : सर एडमण्ड बर्क ने एक बार कहा था : आदेश और उसके पालन के बीच की अवधि में समुद्र बह जाते हैं और महीनों गुजर जाते हैं। इस देश में, किसी परियोजना के तैयार होने और उसके चालू होने में महीनों बीत जाते हैं। क्या मैं मंत्री महोदय से पूछ सकता हूं कि ऐसी समयावधि को कम करने तथा परियोजना को शीघ्र कार्यान्वित करने के बारे में वह क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

श्री अशोक मेहता : केवल सरकारी क्षेत्र में ही पाँच परियोजनाएं निर्माणधीन हैं। तीन अन्य के बारे में भी निर्णय कर लिया गया है। इन सब के लिये 391 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी।

श्री नाथपाई : उन्होंने बर्क वाली बात को बिल्कुल ही छोड़ दी है।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : ऐसी समयावधि को क्यों नही घटाया जाता?

श्री अशोक मेहता : जब हम कोई संयंत्र आरम्भ करते हैं तो हमें यह भी देखना पड़ता है कि इसके लिये कितना धन चाहिये। 391 करोड़ रुपये तो पहले ही स्वीकृत हो चुके हैं। और फिर आगे के लिये भी मैं मामला आयोजना आयोग तथा वित्त मंत्री को भेज रहा हूं जिस पर 320 करोड़ रुपये की लागत आयेगी।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला।

श्री हेम बरुआ : यह उत्तर नहीं है। उन्होंने बर्क की बात छोड़ दी है।

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी : वह विचारने और कार्यान्विति करने के मध्य की समयावधि क्यों नहीं घटाते ।

श्री अशोक मेहता : मैंने स्पष्ट किया है कि जहाँ तक आठ परियोजनाओं का सम्बन्ध है, वे या तो निर्माणाधीन हैं या उन पर निर्णय लिया जा चुका है । जहाँ अगली परियोजनाओं का सम्बन्ध है उनके अध्ययन पर निश्चय ही मुझे अधिक समय देना है क्योंकि उनके लिये धन स्रोत अभी ढूंढे जाने हैं । मेरी समझ में नहीं आता कि बिना पैसे की उपलब्धि हुए मैं कैसे कह दूं कि उपलब्धि "हाँ यह हो जायेगा" । यह एक अप्रत्य बात होगी **(व्यवधान)**

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : कोयला-आधार वाले संयंत्रों पर निर्णय लेने से पूर्व क्या सरकार ने सिन्दरी के तकनीक और वहाँ की कठिनाईयों के कारणों पर विचार किया ? सरकार ने यह भी पहले ही क्यों निर्णय कर लिया कि सिन्दरी से कारूक हटा कर दूसरे उर्वरक संयंत्रों में खपाये जायें क्योंकि सिन्दरी आर्थिक दृष्टि से नहीं चल सकता? मैं यह जानना चाहती हूं कि सिन्दरी किन कारणों से आर्थिक दृष्टि से ठीक नहीं चल रहा तथा क्या अन्य स्थानों पर यह कोयला आधार संयंत्र तथा अन्य संयंत्र आर्थिक दृष्टि से कैसे ठीक चल सकते हैं ?

श्री अशोक मेहता : सिन्दरी के बारे में तो मुझे सूचना चाहिये । जहाँ तक दूसरे भाग का सम्बन्ध है, इन मामलों पर योजना और विकास प्रभाग ने विचार किया है जोकि माननीय सदस्या जानती हैं कि वह सिन्दरी में है तथा इस सम्बन्ध पूर्णतय सक्षम हैं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कुछ क्षण पूर्व ही मंत्री महोदय ने कहा था कि यह उनका सम्भावित अनुमान है कि कोयले पर आधारित उर्वरक संयंत्र पर अमोनिया वाले संयंत्र से 10 करोड़ रुपये अधिक लागत आयेगी । क्या मैं उनसे जान सकता हूं कि क्या इस प्रश्न पर विचार करने वाली समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि यह अनुमान बिल्कुल इसके विपरीत होगा क्योंकि जो नैफ्था यहाँ देश में उत्पन्न हो रहा है वह स्तर का नहीं है तथा इस सम्बन्ध में अपने जल-कोयला सम्बन्धी संसाधनों का उपयोग करना ही सस्ता होगा ।

श्री अशोक मेहता : भारत उर्वरक निगम ने अपना प्रतिवेदन पूरा नहीं किया है । अभी तक हमारे पास कोई प्रतिवेदन नहीं आया है ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : मुझे प्रसन्नता है कि सरकार ने कोरबा संयंत्र का कार्य फिर आरम्भ कर दिया है जिसे पहले 5 करोड़ रुपया लगाकर छोड़ दिया गया था तथा सरकार राम गुडा और कोयागुडम में कोयला आधार वाली और अधिक परियोजनायें आरम्भ करने में बड़ी रूचि ले रही है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इन कोयला-आधार वाली परियोजनाओं, जिनके लिये भारतीय कच्चा माल तथा डाक-तार विभाग मौजद है जोकि इससे सम्बंधित तकनीकी जानकारी रखता है, पर पुनः विचार करेगी बजाये इसके कि वह बाहर से आयात किये गये कच्चे माल के आधार पर इन योजनाओं पर विचार करे ?

श्री अशोक मेहता : उर्वरक उद्योग के विकास के लिये हम इन सब पहलुओं पर विचार करते हैं ।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : मंत्री महोदय ने कहा कि वर्ष 1970–71 तक नैफ्था की कमी हो जायेगी और कि यही कारण है कि इसकी सम्भावना की जाँच करने के बाद छोड़े गये कोरबा संयंत्र के कार्य को पुनः आरम्भ किया जा रहा है । क्या मैं जान सकता हूं कि इस सम्बन्ध में अन्तिम

स्वीकृति दिये जाने में क्या बाधा है ? क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि इस बारे में अपनी स्वीकृति देने में केवल इस लिये हिचक रही है क्योंकि इसकी गैर सरकारी क्षेत्र में स्थापित होने की सम्भावना है चाहे यह विलम्ब राष्ट्रीय हितों के विपरीत ही क्यों न हो ?

श्री अशोक मेहता : भारतीय उर्वरक निगम ने अपनी जाँच अभी पूरी नहीं की है । बोर्ड को केवल पहला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था। जब बोर्ड ने उस पर विचार किया तो पाया कि इस सम्बन्ध में और भी अध्ययन होना चाहिये । दूसरा प्रतिवेदन आना अभी शेष है । जब तक वह प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो जाता तब तक सरकार इस विशिष्ट परियोजना के बारे में कोई दृष्टिकोण नहीं बना सकती । दूसरे, मैं स्पष्ट कर चुका हूं कि 5 संयंत्र निर्माणाधीन हैं तथा 3 पर निर्णय लिया जा चुका है । इन पर 390 करोड़ रुपये की बात आती है । जब तक हमें यह नहीं पता लग जाता कि उर्वरक उद्योग पर हमें और कितना धन लगाना है हमारे लिये सीधे ही वस्तुस्थिति स्पष्ट करना सम्भव नहीं है ?

Shri Maharaj Singh Bharati : Preiviously a coal based plant was decided to be set up at Korba itself and we had spent more than Rs. 1 core for it, then this project was dropped. Now once again it is being considered to set up a coal based plant there. I want to know reason, why the project was dropped after spending more than Rs. 1 crore and how those circumstances have now changed that it is being revsired even the Government do not have full information so far ? What is the guarantee that it will not be postponed once again spending another crore of rupees ?

श्री अशोक मेहता : वर्ष 1963-64 या इसके समीप उर्वरक उद्योग में एक तकनीकी क्रान्ति आई थी तथा उस समय यह अनुभव किया गया था कि नये तकनीक द्वारा हम पुराने तकनीकि की अपेक्षा अधिक सस्ते में उर्वरक का उत्पादन कर सकेंगें । पहले जिस संयंत्र के बारे में सोचा गया था वह आकार में छोटा था । अब जिस के बारे में सोचा जा रहा है वह पहले से तीन गुणा बड़ा है । इतना बड़ा संयंत्र हमें अधिक मात्रा के उत्पादन से लाभ पहुंचायेगा । दूसरे, अब हमारे पास एक बहुत बड़ा उर्वरक सम्बन्धी कार्यक्रम है । जैसा कि मैंने बारबार कहा है हम आवश्यक सामग्री का विशाखन करना चाहते हैं । यही कारण है कि जो वर्ष 1963-64 में सम्भव न हो सका वह कदाचित वर्ष 1968-69 अथवा 1969-70 में सम्भव हो जाए । मैंने कहा है कि मामला अभी विचाराधीन है । भारतीय खाद्य निगम का प्रतिवेदन अभी तक सरकार के पास नहीं आया है । सरकार अभी कोई निश्चित दृष्टिकोण नहीं बना सकती । मैं तो बस यही कहूंगा कि कोरबा में उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के हम बड़े इच्छुक हैं और हम कोयला-आधार के अन्य संयंत्र भी स्थापित करना चाहेंगे ।

Shrimati Lakshamikanthamma : It was being considered since long to set up a fertilizer plant at Kothagudam, then, why is it being transferred to Ramgundem ?

श्री अशोक मेहता : इसके लिये पानी की सप्लाई तथा परिवहन की सुविधाओं आदि सम्बन्धी विभिन्न कारण थे ।

श्री स० कुन्डू : यह वास्तव में उत्साहवर्द्धक बात है जो कि मंत्री महोदय ने कही है कि वह कोयला-आधार वाले उर्वरक संयत्रों पर अधिक जोर डालेंगे । परन्तु मैं यह अनुभव करता हूं कि यह एक लूनपार्श्वता की नीति है कि पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय उर्वरक संयंत्रों की स्थापना की नीति का अनुसरण नहो करता । मंत्री महोदय के कथनानुसार 8 उर्वरक परियोजनायें शीघ्र ही प्रकाश में आने वाली हैं ।

क्या मंत्री महोदय कोई ऐसी नीति बनायेंगे तथा यह कहेंगे कि विभिन्न राज्यों में उद्योगों का विशाखन किया जायेगा तथा इस संदर्भ में सर्वप्रथम क्षेत्रीय असंतुलन ठीक किया जायेगा तथा उन स्थानों को वरियता दी जायेगी जहां कोयले की पर्याप्त सप्लाई तथा बिजली भी उपलब्ध है ?

श्री अशोक मेहता : यदि आप स्थिति का अध्ययन करें तो पता लगेगा कि एक बिहार में है, एक बंगाल में, एक असम में, एक मद्रास में, एक केरल में, एक महाराष्ट्र में तथा इसी प्रकार सब जगह एक एक है । इसलिये मैं नहीं जानता कि इससे अधिक माननीय सदस्य क्या चाहते हैं । किसी भी स्थान का चुनाव करने से पूर्व बिजली, पानी, कच्चा माल, मांग आदि पर विचार करना होता है ।

फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड

*3. **श्री विश्वम्भरन्** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड की 1967 अधिष्ठापित क्षमता कितनी थी;

(ख) उस कम्पनी में 1967 में कुल कितना उर्वरक तैयार किया गया ;

(ग) 1967 में उत्पादन और बिक्री से वास्तव में कितना लाभ अथवा हानि हुई ;

(घ) तकनीकी जानकारी बेच कर इस कम्पनी को 1967 में कुल कितनी आय हुई ; और

(ङ) इस कम्पनी के "फेडो" एकक को 1967 में कुल कितनी आय हुई ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) 1967-68 में फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड की निम्न अधिष्ठापित क्षमता थी :

	मीटरी टन
अमोनियम सल्फेट . . .	198,000
अमोनियम फासफेट . . .	132,000
सुपर फासफेट . . .	44,000

(ख) 1967-68 में निम्न उत्पादन हुआ :

	मीटरी टन
अमोनियम सल्फेट	77,698
अमोनियम फासफेट	53882
सुपर फासफेट . .	42,195

(ग), (घ) और (ङ) सूचना प्राप्त की जा रही है और सदन के पटल पर रखी जायेगी ।

श्री पी० विश्वम्भरन : देश में स्थापित उर्वरक कारखानों में फैक्ट एक कारखाना है इसमें व्यापारिक उत्पादन 1947 में शुरू हो गया था परन्तु 21 वर्ष के कार्य के बावजूद भी इस कारखाने का उत्पादन प्रति वर्ष कम होता गया है । मंत्री महोदय के दिये हुए आंकड़ो के अनुसार 1967 में उर्वरकों का उत्पादन निर्धारित लक्ष्य से 70 और 60 प्रतिशत था । वास्तव में फैक्ट में उर्वरकों के अलावा

बाकी हर चीज का उत्पादन होता था जैसे कला, कत्थककली, इतिहास, दस्तकारी आदि। इन सब को ध्यान में रखते हुए क्या मैं माननीय मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या सरकार इस कारखाने के कार्य को देखने के लिए जांच समिति नियुक्त करेगी ताकि इसका उत्पादन और कार्यकुशलता बढ़े ?

श्री रघुरामैया : यह दुर्भाग्य की बात है और इससे इन्कार नहीं किया जा सकता कि इन वर्षों में उत्पादन क्षमता के स्तर तक नहीं रहा परन्तु इसके अनेक कारण हैं, जैसे बिजली फेल हो जाना, वोल्टता का कम होना, सल्फर का प्र..: कम होना आदि कई कारण थे। सरकार इस पर जांच के लिए उत्सुक है इस के लिए एक समिति नियुक्त की गई और उस समिति ने कुछ सुझाव भी दिये हैं। हम इसको लागू कर रहे हैं।

श्री पी० विश्वम्भरन : गत वर्ष बिजली की कमी नहीं थी, तो भी मंत्री महोदय कहते हैं कि उत्पादन के कम होने का बिजली की कमी एक कारण थी। प्रबन्ध निदेशक और उच्च अधिकारियों ने उत्पादन की कमी का एक अलग कारण ढूंढा है। वे एक ज्योतिषि से मिले और उस ज्योतिषि ने यह सुझाव दिया कि भगवान नाराज हैं, अतएव गत फरवरी को 7 पुजारी वहाँ आये और सात दिनों तक शिवजी और साँपों को खुश करने के लिए पूजा की। मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार उत्पादन में कमी होने के इस कारण का अनुमोदन करेगी और क्या इस कार्य का सरकार समर्थन करेगी। क्या पदाधिकारियों को वहां से हटाकर इन पुजारियों को स्थायी तौर पर वहां नियुक्त कर दिया जायेगा ?

श्री रघुरामैया : हम अभी इतने निराश नहीं हुए हैं कि ज्योतिषियों के पास इस बात के लिए जायें।

एक आरोप लगाया गया था कि कुछ पूजा कराई गई थी। हमने इसकी जाँच करवाई और हमें सरकारी रूप से कहा गया कि किसी ऐसे उद्देश्य के लिए पूजा नहीं करवाई गई।

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता): जहां तक बिजली का सम्बन्ध है, यह सच है कि बिजली की सप्लाई में कोई खराबी नहीं आई थी। परन्तु बिजली की सप्लाई में रुकावट आई थी। और रासायनिक कारखाने में बिजली की सप्लाई में बार-बार रुकावट पड़े तो उत्पादन का होना मुश्किल हो जाता है। फैक्ट और रेअर अर्थ फैक्टरी में इस प्रकार के रुकावट के विस्तृत सांख्यिकीय आंकड़े वहां उपलब्ध हैं।

Shri Prem Chand Verma : The honourable Minister has just stated that no puja was performed there. I want to tell them what the astrologer and Minister do not know and want to ask whether it is correct or not.

I want to know from the honourable Minister whether it is correct or not that there is so much mismanagement in the Fertilizers and Chemicals Limited Travancore that there is an overhead expenditure form 46·7 percent to 56·7 percent on the items manufactured in the factory.

Whether it is correct or not that Fertilizer worth Rupees two lakhs was found less in Trichoor Central Depot. It was found during checking of stocks. Whether the Honourable Minister also know that Fertilizer worth Rs. four lakhs and one lakh was found less in Paulghat Central Depot and kojhacheri Central Depot.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य सूचना दे रहे हैं। वह कोई प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। अब उन्हें प्रश्न पूछना चाहिए ।

Shri Prem Chand Verma : I am asking question. It was found 53 thousand less in quilon and 7 thousand less in Caphhenganoor. Besides this cash money was also found less.

I want to know whether the reason of the short production is not due to the inefficiency of officers and whether it is also not true that the staff was appointed without any advertisement and competition. If the staff has been appointed without advertisement, the member of such may be intimated ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य उस पर न बोलें। मैं इस प्रश्न पर और अधिक नहीं कहने दूंगा। अगर माननीय मंत्री को कुछ कहना है तो वे कह सकते हैं।

श्री रघुरामैया : जहां तक अधिकारियों की अकुशलता का सम्बन्ध है, मैं इसका खण्डन करता हूं। जहां तक हमें मालूम है हमारे पास कई कुशल अधिकारी हैं। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि कमी होने के और कई कारण हैं ।

मैं अपने माननीय मित्र का बड़ा आभारी हूं जिन्होंने कि कमी आदि के बारे में सूचना दी है। हमें अभी तक इसके बारे में जानकारी नहीं थी परन्तु हम निश्चय ही इसको देखेंगे।

श्री क० लकप्पा : हमने कई बार कम्पनी के प्रबन्ध निदेशक, जो कि कम्पनी में कुव्यवस्था और कम उत्पादन के लिये जिम्मेवार हैं, के लेन-देन और प्रशासन के विरुद्ध आरोप और अभियोगों को प्रस्तुत किया है। यह मेरे सहयोगी श्री ए० श्रीधरन द्वारा तथ्यों और आंकड़ों सहित प्रस्तुत किया गया है । प्रबन्ध निदेशक के विरुद्ध 11 अभियोग लगाये गये हैं, जो कि इन सब घृणित कार्यवाहियों के लिये उत्तरदायी हैं, ये अभियोग उसके चरित्र और रंगीली रातें जो कि वह बिताया करता था और इस कम्पनी के धन को दिल्ली में होने वाले कत्थकली नाच को दान देकर अपव्यय करने के विरुद्ध लगाये गये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि मंत्रालय इस अधिकारी का लिहाज क्यों कर रही है। इन मामलों की जांच करके स्थिति को ठीक कर देना चाहिए। मैं मंत्री महोदय से सदन में यह स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि सरकार इस मामले को देखेगी और उस अधिकारी को पदच्युत कर देगी ।

श्री रघुरामैया : मैंने पहले ही उस अधिकारी के विरुद्ध लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। अगर कोई विशिष्ट आरोप है तो माननीय सदस्य हमें बतायें और हम पूरी तरह से मामले की सच्चाई की जांच करेंगे। परन्तु सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध इस प्रकार आरोप लगाना अनुचित है।

श्री ए० श्रीधरन : माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है कि हमें विशिष्ट आरोपों को सामने लाना चाहिए। मैं यहां एक आरोप कह रहा हूं। यह संस्था फिजूलखर्ची के लिए बदनाम है, एक उदाहरण लीजिए—जब अंकटाड सम्मेलन दिल्ली में हो रहा था तो इस संस्था द्वारा अंकटाड प्रतिनिधियों को एक कॉकटेल पार्टी दी गई थी जिसके लिए 12 अधिकारी और उनकी पत्नियों को त्रिवेन्द्रम तथा एर्नाकुलम से दिल्ली विमान द्वारा लाया गया ताकि अंकटाड प्रतिनिधियों के सामने हमारी प्रौढ़ सुन्दर महिलाओं का प्रदर्शन किया जाये ।

श्री हेम बरुआ : केरल की प्रौढ़ सुन्दरियां दिल्ली की महिलाओं से अधिक सुन्दर हैं।

श्री ए० श्रीधरन : इस प्रकार का अपव्यय सरकार के ध्यान में लाया गया है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या कम्पनी के कार्यों पर जांच की जाएगी ताकि यह पता लगे कि इस संस्था द्वारा मनोरंजन, विज्ञापन और संरक्षण में कितना व्यय किया गया है। इस देश में उर्वरक की कमी है और इस प्रकार के विज्ञापन की इतनी आवश्यकता नहीं है। क्या सरकार कम्पनी के मनोरंजन व्यय और विज्ञापन व्यय के लेखा पर जांच करेगी ?

श्री रघुरामैया : जहां भी जांच कराने की आवश्यकता हुई वहां सरकार ऐसा करने से नहीं हिचकिचाई। परन्तु हमारे पास ऐसी सूचना नहीं है जिसके आधार पर इस प्रकार की जांच न्यायोचित ठहराई जाय।

श्री क० लकप्पा : वह उस अधिकारी का लिहाज कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

श्री रघुरामैया : इस विशेष अभियोग के बारे में . . .

कुछ माननीय सदस्य : हम यहां और अभी सूचना दे रहे हैं।

श्री रघुरामैया : माननीय सदस्य मुझे उत्तर भी नहीं देने देंगे।

इस कॉकटेल पार्टी के बारे में लगाए गए हुए विशिष्ट आरोप के बारे में किसी ने पत्र लिखा था और हमने जांच की। अधिकारियों ने उन सब अभियोगों को अस्वीकार कर दिया। इन परिस्थितियों में हम और अधिक क्या कर सकते हैं। (**व्यवधान**)

श्री ए० श्रीधरन : केन्द्रीय जांच विभाग से जांच करवाइये।

अध्यक्ष महोदय : एक समय में एक सदस्य ही बोलें। अब श्री दी० चं० शर्मा की बारी है।

श्री अब्दुल गनी दार : एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल में कोई औचित्य का प्रश्न नहीं है।

श्री दी० चं० शर्मा : माननीय मंत्री और राज्य मंत्री के उत्तर से मैं यह निष्कर्ष निकालता हूं कि यह उर्वरक कारखाना ठीक हालत में नहीं है और केन्द्रीय सरकार इसको सामान्य स्थिति में ला सकने में असमर्थ रही है। मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इस उर्वरक कारखाने का विकल्प सोच रही है। यह कारखाना हमारे केरल के मित्रों को बहुत प्रिय है और निकट भविष्य में टूटने वाला है। हमारी सरकार उन योजनाओं को जिनके द्वारा संस्था को सफल और लाभदायक बनाया जा सकता है, को कार्यान्विवत करने में बहुत सुस्त रही है।

श्री अशोक मेहता : जहां तक इस विशेष कारखाने का सम्बन्ध है इसका चार बार विस्तार किया गया है और एक नये कारखाने को पूरे उत्पादन करने में समय लगेगा। हमने हाल ही में एक उच्च सक्षम तकनीकी समिति को इसकी जांच करने को नियुक्त किया और तकनीकी समिति का प्रतिवेदन उपलब्ध है।

इस कम्पनी के भारत सरकार, केरल सरकार, मद्रास सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार और मैसूर सरकार भी हिस्सेदार हैं और कइयों को संचालक बोर्ड में प्रतिनिधित्व मिला हुआ है।

1740 (Ai) LS—2.

इसमें निजी हिस्सेदार हैं और संचालक बोर्ड यह देखता है कि काम सुचारू रूप से चल रहा है। 1966-67 में कम्पनी को 43.46 लाख रुपये का फायदा हुआ है जैसा कि मैंने कहा है कि इस तकनीकी कार्य की जांच करने के लिए हमने तकनीकी समिति को नियुक्त किया है ।

अगर प्रबन्ध कार्य में कोई त्रुटि है और माननीय सदस्य मुझे बतायें कि क्या विशिष्ट अभियोग है तो मैं आवश्यकता होने पर इसके जांच के लिए आयोग नियुक्त करूंगा ।

श्री रंगा : मुझे प्रसन्नता है कि मंत्री महोदय ने अरोपों और शिकायतों की जांच के लिए आश्वासन दिया है । अभी श्री ए० श्रीधरन ने मंनोरंजन और एक दो बातों का जिक्र किया है, परन्तु इसका उत्तर मिला कि सम्बन्धित अधिकारी से इसके बारे में पूछा गया और उसने इन्कार कर दिया । यह एक गलत ढंग है । मैं जान सकता हूं कि क्या मंत्री महोदय देखेंगे कि आरोपों और शिकायतों की ठीक ढंग से विभागीय जांच की जा रही है । उनको अतिरिक्त शिकायतें भी मिली हैं । क्या इन आरोपों की सत्यता की जांच की जाएगी ।

श्री रघुरामैया : मानदीय सदस्यों ने जो चिन्ता व्यक्त की है और उससे हम भी प्रभावित है, अतः हम इस मामले की छानबीन करेंगे ।

प्रश्नों के लिखित उत्त

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

सोने के तस्कर व्यापार को रोकना

*5. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 जून, 1968 के "इकानामिक टाइम्स" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया कि सोने के तस्कर व्यापार को रोकने के लिये सरकार द्वारा किये गये सभी उपाय असफल सिद्ध हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो सोने तथा अन्य वस्तुओं के तस्कर व्यापार--विशेष रूप से नैपाल तथा गौआ होकर होने वाले तस्कर व्यापार--को रोकने के लिये और क्या कारगर कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) वर्ष 1967-68 में तस्कर व्यापार के कारण सरकार को राजस्व की अनुमानतः कितनी हानि हुई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): (क) और (ख) उक्त समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है । तस्कर आयात-निर्यात की समस्या की ओर सरकार का ध्यान निरन्तर लगा हुआ है । हाल ही में किये गये तथा किये जाने के लिए प्रस्तावित उपायों में गुप्त सूचना इकट्ठी करने के लिए सुदढ़ व्यवस्था, तटीय क्षेत्रों की अधिक कारगर गश्त लगाना, तीव्रगामी समुद्री जलयानों की व्यवस्था तथा नेपाल के साथ हमारी स्थल सीमा पर पड़ताल चौकियों की संख्या में वृद्धि करना भी शामिल है । सीमा शुल्क कानून में उपयुक्त संशोधन करने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है ।

(ग) कोई विश्वसनीय अनुमान उपलब्ध नहीं है ।

नर्मदा जल विवाद

*6. श्रीमती तारा सप्रे : श्री बी० चं० शर्मा :
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : श्री प्र० न० सोलंकी :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नर्मदा जल विवाद से सम्बन्धित राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ उनकी और कोई मुलाकातें हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस समस्या का कोई हल निकल आया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी नहीं।

(ख) अभी तक कोई मान्य समाधान नहीं निकला है ।

अहमदाबाद के आस पास गैस क्षेत्र

*7. **श्री योगेन्द्र शर्मा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय के विशेषज्ञों ने यह अनुमान लगाया है कि अहमदाबाद के आस पास तीन ऐसे गैस क्षेत्र हैं, जिनसे गैस नहीं निकाली गई है और जो प्रस्तावित टाटा फर्टिलाइजर्स काम्पलेक्स की तरल अमोनिया की सम्पूर्ण आवश्यकता को पूरा कर सकते हैं; और

(ख) टाटा फर्टिलाइजर्स काम्पलेक्स के लिये अहमदाबाद गैस क्षेत्रों से गैस निकालने पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होगी और तरल अमोनिया का आयात करने के लिये कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होगी ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता): (क) जी नहीं। परन्तु प्राप्त होने वली गैस की मात्रा और टाटा फर्टिलाइजर्स काम्पलेक्स को इसकी सप्लाई के आर्थिक रूप का अध्ययन हो रहा है ।

(ख) उपर्युक्त अध्ययन पूर्ण होने से पूर्व अपेक्षित तुलना देना सम्भव नहीं है ।

Central aid to States

***8. Shri Prakash Vir Shastri : Shri B.N. Shastri :**
Shri Ramavatar Sharma : Shri C. K. Chakrapani :
Shri P. Gopalan : Shri K. Haldar :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether there are any proposals under consideration to effect changes in the pattern of assistance being given by the Centre to the States;

(b) if so, the guidelines laid down in this regard ; and

(c) how far the State Governments have agreed to it ?

The Deputy Minister in the Ministry of Finance (Shri Jagannath Pahadia) : (a) Yes, sir.

(b) and (c). The principles which should govern the distribution of Central assistance to States and the patterns of assistance for Plan schemes during the new Fourth Five year Plan are currently under consideration of the National Development Council. who have set up a Committee of the Chief Minister of the States under the Chairmanship of the Deputy Chairman, Planning Commission, to examine the matter and make recommendations.

त्रिवेन्द्रम में टिटेनियम डाइग्राक्साइड संयंत्र

*9. **श्री ग्रविचन** : क्या **पेट्रोलियम ग्रौर रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटेन की पावर गैस कारपोरेशन द्वारा केरल के त्रिवेन्द्रम में टिटेनियम डाइग्राक्साइड का एक संयंत्र लगाया जायेगा;

(ख) यदि हां, तो सहयोग करार की मुख्य शर्तें क्या हैं, परियोजना का ब्यौरा ग्रौर इसकी उत्पादन क्षमता क्या है ग्रौर इस पर कितनी लागत ग्रायेगी तथा उसमें विदेशी मुद्रा का ग्रंश कितना होगा; ग्रौर

(ग) संयंत्र को लगाने के लिये ग्रब तक क्या कार्यवाही की गई है ग्रौर इसके कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम ग्रौर रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री ग्रशोक मेहता) : (क) से (ग): प्रश्न ग्रौद्योगिक विकास ग्रौर समवाय कार्य मंत्री को सम्बोधित किया जा सकता है जो कि इस विषय से सम्बन्धित हैं ।

एडवान्स इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड, बम्बई

*10. **श्री मुहम्मद इस्माइल :** **श्री सत्य नारायण सिंह :**
श्री गणेश घोष : **श्री ग्रनिरुधन :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रवर्तन निदेशालय ने एडवान्स इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, बम्बई द्वारा विदेशी मुद्रा नियमों का उल्लंघन किये जाने के बारे में उस कम्पनी के विरुद्ध जांच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; ग्रौर

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) जी हां ।

(ख) ग्रौर (ग). प्रवर्तन निदेशालय, ने जांच-पड़ताल के ग्राधार पर, एडवान्स इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड के एक निदेशक को तथा एक ग्रन्य व्यक्ति को विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमों के प्राथमिक रूप से लगने वाले उल्लंघनों के लिए 'कारण बताग्रो' नोटिस जारी किये थे । उन व्यक्तियों से नोटिसों के जवाब प्राप्त हो गये हैं । मामले में न्यायनिर्णय की कार्यवाही चल रही है ।

ग्रंशों में जीवन बीमा निगम का पूंजी विनियोजन

*11. **श्री वेणी शंकर शर्मा :** **श्री उमाकान्त :**
श्री ग्रब्दुल गनी दार : **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री जार्ज फरनेन्डीज :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के जीवन बीमा निगम ने ग्रब तक ग्रंशों में कितनी पूंजी लगाई है;

(ख) निगम के पास किन-किन समवायों के ग्रंश हैं;

(ग) निगम के पास किन-किन समवायों के 5 लाख और 10 लाख से अधिक के अंश हैं तथा इस पूंजी के लगाये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) देहाती क्षेत्रों में पूंजी लगाने में निगम का क्या योगदान है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया): (क) जीवन बीमा निगम द्वारा कम्पनियों के हिस्सों में 1-9-1956 से 31-3-1968 तक लगायी गयी शुद्ध रकम 116.35 करोड़ रुपये है ।

(ख) और (ग) जिन कम्पनियों में निगम ने पूंजी लगाई है उनके नाम बताना लोक हित में नहीं होगा ।

(घ) जीवन बीमा निगम की देहाती क्षेत्र में लगी हुई जो पूंजी दिसम्बर 1957 के अन्त में 3.96 करोड़ रुपया थी वह मार्च 1968 के अन्त तक बढ़ कर 66.13 करोड़ रुपया हो गई है ।

एक भारतीय परामर्शदातृ इंजीनियरी फर्म द्वारा क्यूबा में अलोह-धातु शोधक कारखाने की स्थापना

*12. **डा० रानेन सेन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्यूबा में एक अलोह-धातु शोधक कारखाना स्थापित करने के लिये परमर्शदातृ इंजीनियरों की एक भारतीय फर्म को ठेका मिला है; और

(ख) यदि हां, तो इससे भारत को कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होगी और क्यूबा की इस परियोजना में कितने भारतीय उत्पादों की आवश्यकता होगी ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं । ठेका केवल रूपांकन (डिजाइन) और इंजीनियरी सम्बन्धी सेवाओं की व्यवस्था करने के लिये मिला है, निर्माण-कार्य के लिये नहीं ।

(ख) इस ठेके से भारत को जो विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी उसका ठीक ठीक अनुमान इस समय नहीं लगाया जा सकता । इस ठेके के अन्तर्गत भारत से या विदेशों से किन्हीं उपकरणों या सामग्री के भेजे जाने की व्यवस्था नहीं है ।

मिठापुर में टाटा उर्वरक परियोजना

*13. **श्री दामानी** :
श्री प्र० ना० सोलंकी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री सीताराम केसरी :
श्री स० कुन्डू :
श्री श्रीचन्द गोयल :
श्री धीरेन्द्रनाथ देव :
श्री न० कु० सांघी :
श्री रा० रा० सिंह देव :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने मिठापुर, गुजारत में प्रस्तावित टाटा उर्वरक परियोजना की जांच पूरी कर ली है तथा क्या इस मामले में अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो देरी होने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्री (श्री अशोक मेहता) : (क) से (ग) योजना आयोग ने प्रस्ताव की जांच पूरी कर ली है, लेकिन परियोजना के बारे में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया । मामला अभी भी विचाराधीन है ।

Inquiry Committee Re. Fire in Ganga Near Barauni

***14. Shri Mrityunjay Prasad :**
Shri Shiva Chandra Jha :

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether the Inquiry Committee appointed to inquire into the fire that had broken out tn the Ganges due to oil wastes and to suggest ways to prevent contamination of water in the Ganges by surplus oil wastes of Barauni refinery has since completed the inquiry ;

(b) if so, the findings thereof and the suggestions made by the said Committee and the names of the persons held responsible for the fire ;

(c) the action taken on their suggestions; and

(d) Whether Government propose to lay on the Tabel a copy of the Report of the Committee ?

The Minister of Petroleum and Chemicals and Social Welfare (Shri Asoka Mehta): (a) No, Sir.

(b) & (c) Do not arise.

(d) Yes Sir.

Commercial Area on Curzon Road, New Delhi

***15. Shri Bal Raj Madhok:**
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Sharda Nand :
Shri N. S. Sharma :
Shri Atal Bihari Vajpyaee :

Will the Minister of **Works Housing and Supply** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that certain areas on Curzon Road, New Delh have been changed from residential to commercial areas consequent to which Government have received a very high lease fee;

(b) Whether in regard to the water and drainage facilities required after this change, New Delhi Municipal committee and the Lt. Governor have sent proposals to the effect that the Central Government should bear the expenditure on these facilities ;

(c) Whether it is also a fact that the Government have refused to bear its full expenditure ; and

(d) if so, the resons therefor ?

The Minister of Works, Housing and Supply (Shri Jaganath Rao) : (a) The Master Plan of Delhi provides for the redevelopment of certain residential areas on Curzon Road as commercial . Lessees in these areas will have to change the use of their premises from residential to commercial before April,1976. Before such changes are permitted by Government. the lessees will be required to pay additonal premium and ground rent at rates as may be decided upon . So far, change of use has been sanctioned only in one case.

(b) and (c) A proposal was received from the New Delhi Municipal Committee suggesting that Government should bear the entire cost of augmenting the civic services in this and other areas to be redeveloped Government have not accepted this proposal but are prepared to bear the expenditure of augmentation on the basis of formula adopted on 1938.

(d) As redevelopment of these areas will benefit the New Delhi Municipal Committee by way of increased house tax. service, charges etc. the cost of augmentation of services should be born by them and not Government .

बिहार में गया और पटना जिलों के खंडों में पानी की कमी

*17. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार राज्य के गया जिले तथा पटना जिले के अकबर सराय हिल्सा और इस्लामपुर खण्डों में पानी की अत्यधिक कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इन क्षेत्रों में कुएं तथा तालाब सूख गये हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन क्षेत्रों में राहत कार्य आरम्भ कर दिये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) से (घ) सूचना राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है तथा यथा शीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली स्थित सरकारी अस्पतालों के प्रसूति कक्ष

*18. **श्री य० अ० प्रसाद :**
श्री न० कु० सांघी :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्थित सरकारी अस्पतालों के प्रसूति कक्षों में विद्यमान शोचनीय दशा के बारे में 28 मई, 1968 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में छपे समाचारों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि गर्मियों के दिनों में अनेक रोगियों को भूमि पर बिस्तर दिए जाते हैं तथा वहां पर नर्सें कम देखभाल करती हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) जी हां। यह समाचार सरकार के ध्यान में आया है।

(ख) तत्काल उपचार योग्य मामलों की अधिकता तथा पलंगों की कमी के कारण अक्सर रोगियों को जमीन पर बिस्तर दे दिये जाते हैं किन्तु उपचर्या सेवा में कोई कमी नहीं रखी जाती।

(ग) अस्पताली सेवाओं में वृद्धि करने का मामला सरकार के विचाराधीन है।

भारत में विदेशी पूंजी निवेश

*19. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1968 को भारत में कुल कितनी विदेशी पूंजी व्यापार में लगी हुई थी ; तथा प्रत्येक देश की कितनी पूंजी लगी हुई थी; और

(ख) भारत में और अधिक गैर-सरकारी विदेशी पूंजी के निवेश को प्रोत्साहन देने के लिये क्या और उपाय करने का सरकार का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) भारत में व्यापार में लगी वास्तविक विदेशी पूंजी के सम्बन्ध में सब से हाल की जो सूचना उपलब्ध है वह मार्च, 1965 के अन्त तक की है। लोक-सभा की मेज पर एक विवरण रख दिया गया है जिसमें मार्च 1965 के अंत में प्रत्येक देश की लगी हुई वास्तविक विदेशी पूंजी का देशवार ब्यौरा और उसके बाद भारत सरकार द्वारा दी गयी स्वीकृतियां का ब्यौरा दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1335 68]**

(ख) सरकार ने कुछ चुने हुए क्षेत्रों में विदेशी पूंजी लगाये जाने के महत्व और उसकी वांछनीयता का हमेशा ध्यान रखा है। देश में पूंजी लगाने के लिये वातावरण में सुधार करने के उद्देश्य से सरकार ने समय-समय पर राजस्व और मुद्रा सम्बन्धी विभिन्न उपाय किये हैं। आशा है कि इन उपायों से, जो विदेशी निवेशकों पर भी समान रूप से लागू होंगे, उन्हें भारत में पूंजी लगाने के लिये पर्याप्त प्रोत्साहन मिलेगा। सरकार एक विदेशी निवेश बोर्ड (फारेन इन्वेस्टमेण्ट बोर्ड) स्थापित करने के प्रश्न पर भी विचार कर रही है जिससे देश में विदेशी पूंजी लगाने के प्रस्तावों की मंजूरी देने की प्रणालियों को सरल बनाया जा सकेगा और इस काम में होने वाली देर को भी कम से कम किया जा सकेगा।

ऋणों का लौटाया जाना

*20. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** :
श्री रा० बरुआ :
श्रीमती सुशीला रोहतगी :
श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :
श्री चिंतामणि पाणिग्रही :

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत द्वारा ऋणों के लौटाये जाने की समस्या पर विचार करने के लिये मई, 1968 में भारत सहायता सार्थ संघ (एड इंडिया कंसर्शियम) की बैठक हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) भारतीय अर्थ-व्यवस्था सम्बन्धी हाल की बातों की समीक्षा करने के लिए तथा 1968–69 के लिये भारत की विदेशी सहायता सम्बन्धी आवश्यकताओं के बारे में विचार करने के लिये 23 और 24 मई, 1968 को भारत सहायता संघ की बैठक हुई थी। संघ के सदस्यों ने 1967–68 में बहुत अच्छी फसल होने पर सन्तोष व्यक्त किया और इस बात को नोट किया कि अर्थ-व्यवस्था का विकास दूसरे क्षेत्रों में भी फिर शुरू हो रहा है। वे बैंक के इस निष्कर्ष के सम्बन्ध में उससे सहमत थे कि भारत को

संघ के सदस्यों से, जिनमें अन्तर्राज्यीय विकास संघ भी शामिल है 100 करोड़ डालर की गैर-आयोजना सहायता की आवश्यकता है। सदस्यों ने इस रकम में से, ऋण-परिशोध सम्बन्धी सहायता के रूप में 10 करोड़ डालर की व्यवस्था करना और अगले दो वर्षों के लिये ऋण-परिशोध सम्बन्धी सहायता के रूप में इतनी ही राशि देने के सम्बन्ध में सहानुभूतिपूर्वक विचार करना भी स्वीकार किया है पर कुछ सदस्य देशों के लिए ऐसा करने के लिए संसदीय स्वीकृति की आवश्यकता होगी।

केरल में परियोजनाओं का विकास

*21. **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री अ० क० गोपालन :
श्री विश्वनाथ मेनन :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केरल में कल्लड़, कुट्टियादी तथा पझास्सी परियोजनाओं के निर्माण कार्य के हेतु प्रत्येक के लिए अलग अलग 50,000 रुपये मांगे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन राशियों की अनुमति दे दी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) मई, 1968 में केरल सरकार से एक प्रार्थनापत्र प्राप्त हुआ था जिसमें 1968–69 के दौरान पांच परियोजनाओं के लिए 2.25 करोड़ रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता के लिए कहा गया था, जिसमें कल्लाडा, कुट्टियाडी और पझास्सी परियोजनाओं में से प्रत्येक के लिये 50 लाख रुपये शामिल हैं।

(ख) और (ग) मामला विचाराधीन है।

वित्त मंत्री की बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत

*22. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैंकिंग विधि (संशोधन) विधेयक, 1968 के व्यावहारिक पहलुओं के बारे में पिछले महीने वित्त मंत्री की भारतीय बैंक संगठन के प्रतिनिधियों के साथ दिल्ली में बातचीत हुई थी;

(ख) यदि हां, तो बैंक वालों ने उनके सामने क्या क्या कठिनाइयां रखीं तथा उन्होंने क्या क्या आश्वासन मांगे हैं; और

(ग) क्या इस बातचीत का परिणाम दोनों पक्षों के अनुकूल रहा था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): (क) उप-प्रधान मंत्री ने 8 जून, 1968 को भारतीय बैंकों के कुछ नये नियुक्त अध्यक्षों से तथा सलाहकार बोर्डों के अध्यक्षों और विदेशी बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से नयी दिल्ली में बात-चीत की है।

(ख) बातचीत वाणिज्यिक बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण रखने के विभिन्न पहलुओं और इस सम्बन्ध में सरकारी नीति को लागू करने के लिए बैंकों द्वारा की गयी या की जाने वाली कार्रवाई के सम्बन्ध में हुई बैंकों ने कोई विशेष आश्वासन नहीं मांगा।

(ग) बात-चीत लाभकारी रही।

जाली भारतीय मुद्रा का तस्कर व्यापार

*23. **श्री अजमल खां :**
श्री मीठा लाल मीना :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान 10 जून, 1968 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में "चीन-में-बने जाली भारतीय नोट पाये गये" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि भारत में चीन से चोरी छिपे जाली भारतीय मुद्रा लाये जाने के पश्चात् उसे तोड़ फोड़ की कार्यवाहियों के लिये समाज विरोधी तथा राष्ट्र विरोधी शक्तियों में बांटा जाता है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस आरोप का समर्थन करने वाला कोई निश्चयात्मक प्रमाण नहीं है।

सोने का मूल्य

*24. **श्री रा० कृ० अमीन** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांस में हाल के दंगों के कारण सोने के मूल्य बहुत अधिक बढ़ गये हैं;

(ख) क्या फ्रांस में सोने के मूल्य की वृद्धि का भारतीय बाजार पर कोई प्रभाव पड़ा है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पंत) : (क) हाल के दंगों और विनिमय-नियंत्रण के लागू किये जाने के कारण फ्रांस के सोना बाजार के दुनियां के दूसरे सोना बाजारों से अलग हो जाने के परिणामस्वरूप पेरिस में सोने की कीमत बहुत बढ़ गयी और 11 जून 1968 को यह कीमत प्रति औंस 45.96 डालर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गयी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

कोचीन कस्टम्स हाउस

*25. **श्री नायनार :** क्या **वित्त** मंत्री 22 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7998 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेष पुलिस संस्थान ने असिस्टेंट कलैक्टर आफ कस्टम्स, कोचीन, जिसे 20,000 रु० के मूल्य की विचित्र वस्तुएं और दस्तकारी की वस्तुएं सामान के रूप में निर्यात करने की अनुमति दी गई थी, के मामले में इस बीच जांच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो उपपत्तियों का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो जांच कब तक पूरी होने की संभावना है और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): (क) जी नहीं, विशेष पुलिस विभाग द्वारा इस मामले की जांच अभी भी जारी है।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) जांच का कार्य देश के बहुत से भागों में किया जा रहा है और इस मामले में बहुत से कागजों और गवाहों की जांच की जानी है। फिर भी जांच-कार्य को यथासंभव शीघ्र पूरा करने की कोशिश की जा रही है।

जाली भारतीय मुद्रा

*26. **श्री समर गुह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न मूल्यों की जाली भारतीय मुद्रा बड़ी मात्रा में बाँगाँव क्षेत्र, कैनिंग क्षेत्र तथा पश्चिम बंगाल और आसाम के भारत-पाकिस्तान सीमा क्षेत्र और बिहार-नेपाल सीमा के निकट पकड़ी गई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस जाली भारतीय मुद्रा को चीन ने इस लिए परिचालित किया है ताकि भारत के मुद्रा बाजार में गम्भीर समस्यायें उत्पन्न हो जायें; और

(घ) यदि हाँ, तो चीन की इस शरारत-पूर्ण हरकत का मुकाबला करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल और असम के भारत-पाकिस्तान सीमा क्षेत्रों में और बिहार नेपाल सीमा के पास जून 1967 से जून 1968 तक की अवधि में पकड़े गये जाली नोटों का विवरण सभा की मेज पर रख दिया गय है। **(पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1336/68)**

(ग) और (घ) अब तक ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला जिससे यह पता चलता हो कि ये नोट चीन द्वारा चलाये गये थे।

दिल्ली के अस्पतालों में अवैतनिक डाक्टर

*27. **श्री वेदव्रत बरुआ :**
श्री लोबो प्रभु :
श्री प्रेम चन्द वर्मा :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी के कुछ प्रमुख डाक्टरों को जो इस समय बिना वेतन के काम कर रहे हैं दिल्ली के अस्पतालों से अपना सेवाकाल समाप्त करने के नोटिस दिए गए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन कुछ समय से इर्विन अस्पताल में अवैतनिक डाक्टरों की प्रथा को समाप्त करने के प्रश्न पर विचार कर रहा था और वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि इस प्रथा को समाप्त ही कर दिया जाय। अतः कुछ अवैतनिक डाक्टरों को इस आशय के नोटिस दिए गए थे कि उनकी सेवाओं की अब और आगे आवश्यकता नहीं है। अतः सभी अवैतनिक डाक्टरों ने 26 मई, 1968 से ड्यूटी पर नहीं आने का निश्चय कर लिया।

छोटी कार का निर्माण

*28. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस तथ्य के बावजूद कि आम जनता को यह बताया गया है कि यह परियोजना आरम्भ की जाने की सम्भावना है और इस सम्बन्ध में वर्ष 1968 के अन्त तक निर्णय किये जाने की संभावना है कि वह स्वयं सरकारी या गैर-सरकारी क्षेत्र में छोटी कारों का निर्माण आरम्भ करने के पक्ष में नहीं हैं;

(ख) क्या 27 जून, 1968 के "इंडियन एक्सप्रैस" के बम्बई संस्करण में प्रकाशित इस आशय के समाचार में कोई सचाई है कि "बहुचर्चित छोटी कार निर्माण परियोजना की बात पर उन्होंने कड़ी फटकार दी थी"; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा कब तक अन्तिम निर्णय किये जाने की संभावना है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) से (ग) सरकार मामले पर विचार कर रही है और अन्तिम निर्णय लेने में अभी कुछ समय और लगेगा।

लेखा बाह्य धन

*29. **श्री हेम राज** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निश्चत अनुमान लगा लिया है कि बाजार में कितना लेखा बाह्य धन चल रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इस प्रयोजन के लिये किसी संगठन के गठन करने का है !

(ग) क्या लेखा बाह्य धन का पता लगाने के लिये कोई विशेष अभियान आरम्भ करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): (क) जी नहीं। ऐसा करना सम्भव नहीं है ।

(ख) भाग (क) के उत्तर के कारण यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तथा (घ) लेखा बाह्य धन का पता लगाने तथा बाहर निकालने के लिये सरकार ने पहले से ही अनेक उपाय किये हैं। इस समस्या की ओर सरकार का ध्यान बराबर लगा हुआ है । आमदनी को विवरणी में नहीं दिखाने तथा धन को कम करके दिखाने पर लगने वाले दण्ड, वित्त

अधिनियम 1968 के अधीन बहुत बढ़ा दिये गये हैं । जाँच पड़ताल तथा गुप सूचना कार्य के लिये और भी अधिकारी तैनात किये जा रहे हैं और सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, प्रवर्तन तथा निदेशलय तथा राज्य सरकारों के बिक्रीकर विभाग जैसे संबंधित विभागों के साथ घनिष्ठ सम्पर्क रखा जाता है ।

कलकत्ता इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई कारपोरेशन

*30. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कलकत्ता इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई कारपोरेशन लिमिटेड को अपने हाथ में लेने का है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने भारतीय नागरिकों और गैर भारतीय नागरिकों के शेयरों के अनुपात का पता लगाया है; और

(ग) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड कलकत्ता इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई कारपोरेशन को चलाने के लिये अपनी इच्छा तथा तत्परता व्यक्त की है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव): (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) से (ग). कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन लि० इंगलैण्ड में अंग्रेजी कम्पनी अधिनियम के अधीन पंजीकृत है और इस का रजिस्टर्ड दफ्तर लण्डन में है । 1946 में भारतीय बिजली अधिनियम, 1910 के अधीन कलकत्ते को बिजली सप्लाई करने के लिये कम्पनी के नाम इकट्ठा एक ही लाइसेंस जारी किया गया जिसके अनुसार कम्पनी को खरीदने के अधिकार का उपभोग अब 1–1–1970 को किया जा सकता है । भारतीय बिजली अधिनियम के अधीन, पश्चिम बंगाल राज्य बिजलो बोर्ड को 30–6–68 तक पश्चिम बंगाल सरकार को 18 महीने का नोटिस देना है । और उस के बाद कारपोरेशन को एक साल का नोटिस देना है कि वह खरीदने के अपने, अधिकार का उपयोग करना चाहता हैं । उपक्रम के खरीदने के लिये मुआवजे के रूप में एक बड़ी रकम देनी पड़ेगीं और उस का बड़ा भाग विदेशी मुद्रा के रूप में होगा । राज्य सरकार के पत्र के उत्तर में केन्द्रीय सरकार ने यह सलाह दीं थी कि यदि पश्चिम बंगाल सरकार कलकत्ता बिजलो सप्लाई कारपोरेशन के काम से संतुष्ट है तो वह उन क्षेत्रों में बिजली विस्तार के लिये जो पर्याप्त बिजली प्रदाय प्रणालियों से सेवित नहीं हैं, बिजली का उपयोग करने की आम नीति का पालन करें। पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड ने राज्य सरकार से 46.5 करोड़ रुपये की माँग की है ताकि वह कारपोरेशन को अपने हाथ में ले सके और मुआवजे की रकम तथा चालन व्यय को पूरा कर सके । लाइसेंस प्राप्त कारपोरेशन ने अपनी लाईसेंस की शर्तों में परिवर्तन स्वीकार कर लिया है ताकि खरीदने के अधिकार के उपयोग की अगली तारीख पहली जनवरी, 1990 बदले के पहली जनवरी, 1980 को हो । वर्तमान शर्तों के अनुसरा यह तारीख 1–1–1990 है ।

(ख) मुख्य कम्पनी के एजेण्ट कलकत्ता इलेक्ट्रिक सप्लाई कारपोरेशन ने सूचित किया है कि वह अपने भागीदारों की वैयक्तिक नागरिकता से परिचित नहीं है । उन्होंने यह भी सूचित किया है कि कलकत्ता दफ्तर के प्रेफरेंस शेयर और साधारण शेयर की संख्या क्रमश: 1026 और 3854 है और

उन की कीमत क्रमश: 48970 पौंड तथा 1716918 पौंड है। लंदन दफ्तर के प्रेफरेंस शेयर तथा साधारण शेयरधारियों की संख्या क्रमश: 1065 और 2653 है और उन की कीमत क्रमश: 1410830 पौंड और 2615728 पौंड हैं।

फिल्म उद्योग से संबंधित व्यक्तियों पर करों की बकाया राशि

1. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1968 को फिल्म उद्योग से संबधित निम्नलिखित व्यक्तियों पर करों की कितनी कितनी राशि बकाया थी :

श्री शशोधर मुखर्जी (फिल्मालय)
श्री सुबोध मुकर्जी
श्री जोय मुकर्जी
श्री राज कपूर
श्री शशि कपूर
श्री शमी कपूर
श्री पृथ्वी राज कपूर
श्री जे० ओम प्रकाश (फिल्मयुग)
निर्माता वी० शाँतारम
श्रीमती सुल्ताना करदार
निर्माता ए० आर० करदार
कुमारी आशा पारिख
कुमारी वहीदा रहमान
श्री महमूद, अभिनेता
फिल्म अभिनेत्री सायरा बानू
श्री राजेन्द्र कुमार, अभिनेता
अभिनेता धर्मेन्द्र
कुमारी माला सिन्हा
श्री ओ० पी० रलहन
श्रीमती वियन्ती माला
फिल्म अभिनेत्री कुमारी साधना
निर्माता नासिर हुसेन

(ख) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन के विरूद्ध कार्यवाही की गई हैं तथा प्रत्येक मामले में क्या-क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन पर मुकदमे चलाये गये हैं तथा उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क से (ग). आवश्यक सूचना सम्बन्धित आयकर आयुक्तों से इकट्ठी की जा रहीं है तथा प्राप्त होते ही सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

डिगवाडीह् और सिन्द्री के बीच गंधक के तेजाब (सलफ्यूरिक एसिड) का टपकना

2. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 7 मई, 1968 को एक टैंकर से साकृत गंधक का तेजाब टपका गया था और डिगवाडीह् में सिन्दरी तक 6 मील लम्बी सड़क पर भारी मात्रा में फैल गया था;

(ख) उससे कितने व्यक्ति जले तथा सरकारी और निजी सम्पत्ति को कितनी हानि हुई;

(ग) क्या यह भी सच है कि टैंकर का अचानक टपकना आरम्भ होने के बाद राज्य के सुपर-फास्फैट कारखाने ने उस तेजाब के लेने से इंकार कर दिया और उसे झरिया के बाजार में बेचने के प्रयत्न किये गये ;

(घ) क्या सिन्दरी उर्वरक कारखाने के प्रबन्धकों के विरूद्ध जीवन और सम्पत्ति को खतरे डालने का मामला दर्ज किया गया है;

(ड०) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मत्रालय में राज्य मत्री (श्री रघुरामैया) : (क) से (च) तक. राज्य सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही हैं और यथा समय सदन के पटल पर रक्खी जायेगी ।

श्री कान्ती लाल मोरारजी देसाई की ओर कर की बकाया राशि

3. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1968 को श्री कान्ती लाल मोरारजी देसाई की ओर कर की कितनी राशि बकाया थी ; और

(ख) पिछले 10 वर्षों में उन पर कितना जुर्माना किया गया तथा किस किस वर्ष में ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 31 मार्च 1968 को श्री कान्तिलाल मोरारजी देसाई की तरफ कर की कोई रकम बकाया नहीं थी ।

(ख) पिछले 10 वर्षों में उन पर किसी प्रकार का दण्ड नहीं लगाया गया है ।

Loan to Andhra Pradesh Government for Nagarjuna Sagar Project

*4. **Shri Deorao Patil :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Government have accorded their approval for giving a loan to the Andhra Pradesh Government for meeting the expenditure this year on Nagarjuna Sagar Project ;

(b) if so, the items on which the amount of loan would be utilised and the amount of the loan given ; and

(c) the amount demanded by the Andhra Pradesh Government ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) Government have agreed to advance loan to the extent of Rs. 14 crores to the Andhra Pradesh Government for expenditure on the Nagarjun Sagar Project during the current year.

(b) The amounts will be utilifised for the construction of the dam and the Right and Left Bank Canals. So far an amount of Rs. 5.25 crores has been released.

(c) Rs. 16 crores.

Entrusting Family Planning Clinics with care of Children

5. **Shri Deorao Patil :** Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether Government propose to entrust Family Planning Clinics with the work of looking after the health of children ; and

(b) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar): (a) The Government are considering a proposal to provide immunisation and nutrition facilities to pre-school children through Family Welfare Planning Centres and Maternity & Child Health Centres which provide Family Planning services.

(b) Does not arise.

चिकित्सा छात्रों के लिये परिवार नियोजन कार्य

6. **श्री देवराव पाटिल :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मेडिकल कालेजों के डीनों तथा प्रिंसीपलों द्वारा गत वर्ष सिफारिश की गई योजना स्वीकार कर ली है कि चिकित्सा छात्र स्नातक बनने के बाद तथा अपनी 'इन्टरशिप' की अवधि में एक वर्ष के लिए उनको परिवार नियोजन सेवा करनी पड़ेगी ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : (क) और (ख). अगस्त, 1967 में हुए मेडिकल कालेजों के डीनों और प्रिंसीपलों के सम्मेलन में पास किए गए अन्य प्रस्तावों में से एक प्रस्ताव यह स्वीकारा गया था कि 'इन्टर्नशिप' कार्यक्रम के अन्तर्गत एक साल के लिए देहाती केन्द्रों में प्रसूति, बाल स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के कार्य को अनिवार्य कर दिया जाए और यदि आवश्यक हो तो 'इन्टर्नशिप' की पूरी अवधि में छः महीने या एक साल की वृद्धि कर दी जाए। इस प्रस्ताव को, अन्य प्रस्तावों के साथ, भारतीय चिकित्सा परिषद्, विश्वविद्यालयों, राज्य सरकारों आदि को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दिया गया था । यह विषय अब भी विचाराधीन है ।

चोरी छिपे लाई गई मुद्रा का पकड़ा जाना

7. **श्री द० ब० राजू :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमा शुल्क अधिकारियों ने जनवरी से 30 जून, 1968 के दौरान चोरी छिपे लाई गई कितने मूल्य की मुद्रा पकड़ी ; और

(ख) इसमें से कितनी मुद्रा के बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है अथवा जिसके लिये किसी ने दावा नहीं किया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 1 जनवरी से 30 जून, 1968 के बीच सीमा-शुल्क तथा उत्पादन-शुल्क प्राधिकारियों ने लगभग 7.7 लाख रुपये की चोरी छिपे देश में लाई गई मुद्रा पकड़ी ।

(ख) 6.9 लाख रुपये की मुद्रा ऐसी है जिसका किसी ने दावा नहीं किया है तथा जिसका निपटारा नहीं किया गया है ।

परिवार नियोजन के लिए जड़ी-बूटियां

8. श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ज़ोरहाट स्थित क्षेत्रीय अनुसन्धान प्रयोगशाला ने आसाम में पाई जाने वाली कुछ जड़ी-बूटियों से खाई जाने वाली गर्भ निरोधक दवाइयाँ बनाने का हाल में एक तरीका निकाला है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में किये गये अनुसन्धान कार्य के क्या परिणाम निकले हैं तथा उपर्युक्त दवाइयों का यदि कोई प्रयोग किया गया है तो उससे क्या लाभ हुआ है ; और

(ग) संतति निग्रह के इस तरीके को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० चन्द्रशेखर): (क), (ख) और (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार राज्य सरकार ने अपने स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक को परिवार नियोजन के लिए स्वदेशी जड़ी-बूटियों में अनुसन्धान कार्यक्रम के लिए एक ठोस प्रस्ताव बनाने के लिए कहा है । यह प्रस्ताव, जब बनजाएगा, भारत सरकार और भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् की स्वीकृति के लिए पेश किया जाएगा ।

पंजाब के भटिंडा जिले के एक गांव में नसबन्दी आपरेशन

9. श्री मद्दी सुदर्शनम : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24–5–1968 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि पंजाब के भटिंडा जिले में एक 22 वर्षीय अविवाहित नवयुवक का नसबन्दी आपरेशन कर दिया गया, हालाँकि उसने यह कह कर विरोध किया कि वह विवाहित नहीं है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका पूरा ब्योरा क्या है तथा सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० चन्द्रशेखर) : (क) जी हाँ ।

(ख) राज्य सरकार से सूचना भेजने के लिए अनुरोध किया गया है जो प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

1740(Ai)LS—3.

राज्यों में विद्युत्-जनन तथा उसकी खपत

10. **श्री श्रीनिवास मिश्र** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में, राज्य-वार कुल कितनी मात्रा में बिजली पैदा की जा रही है ;

(ख) इन में से कितनी बिजली पानी से पैदा की जा रही है ;

(ग) उद्योगों में कितनी बिजली की खपत हो रही है ;

(घ) उपभोक्ताओं को कम से कम तथा अधिक से अधिक किस प्रति यूनिट मूल्य पर बिजली दी जा रही है ; और

(ङ) चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि के लिए कितनी बिजली उपलब्ध करने का विचार किया जा रहा है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) देश में 1966-67 के दौरान कुल 3,64,110 लाख यूनिट बिजली उत्पन्न हुई जिसका ब्यौरा नीचे दिया जाता है :—

क्रम सं०	राज्य का नाम	1966-67 के दौरान उत्पन्न बिजली—लाख यूनिटों में (अस्थायी)
1	आन्ध्र प्रदेश	16010
2	असम	1400
3	बिहार	4240
4	गुजरात	24950
5	जम्मू व काश्मीर	1110
6	केरल	10830
7	मध्य प्रदेश	14340
8	मद्रास	39400
9	महाराष्ट्र	63400
10	मैसूर	25240
11	नागालैंड	10
12	उड़ीसा	6520
13	पंजाब व हरियाणा	38120
14	राजस्थान	1600
15	उत्तर प्रदेश	33090
16	पश्चिम बंगाल	38280
17	दामोदर घाटी निगम	41340
18	संघीय प्रदेश	
	(क) दिल्ली	3990
	(ख) अन्य	240
	योग—अखिल भारत	3,64,110

(ख) 3,64,110 लाख यूनिटों में 1,67,850 यूनिट बिजली पन-बिजली घरों से उत्पन्न हुई ।

(ग) 1966–67 के दौरान कुल 2,89,810 लाख यूनिट बिजली की खपत हुई । इसमें से 2,01,880 (70 प्रतिशत) यूनिट उद्योगों द्वारा खपाए गए ।

(घ) विभिन्न श्रेणी के खपतकर्त्ताओं को दी जा रही प्रति यूनिट बिजली की न्यूनतम व अधिकतम दरें नीचे बताई जाती हैं :—

औसतन दर (प्रति यूनिट)

श्रेणी	न्यूनतम	अधिकतम
1. घरों के लिये रोशनी (30 यूनिट/मास)	26.00 (मैसूर)	44.00 (राजस्थान)
2. घरेलू पावर तथा थोड़ी मात्रा की पावर (100 यूनिट/मास)	9.00 (मैसूर)	33.76 उत्तर प्रदेश (पूर्वी क्षेत्र)
3. इकट्ठा घरेलू भार (130 यूनिट/मास)	7.54 (मैसूर)	27.70 (गुजरात)
4. वाणिज्य रोशनी (200 यूनिट/मास)	28.00 (मध्य प्रदेश)	46.00 (राजस्थान)
5. वाणिज्य पावर तथा थोड़ी मात्रा की पावर (400 यूनिट/मास)	10.00 (मैसूर)	26.40 उत्तर प्रदेश गंगा, सारदा और मातातिला ग्रिड
6. इकट्ठा वाणिज्य भार (600 यूनिट/मास)	16.00 (पश्चिम बंगाल)	44.17 (आन्ध्र प्रदेश)
7. कृषि 10 अश्व शक्ति 15 प्रतिशत भार अनुपात (817 यूनिट/मास)	8.00 (केरल)	17.34 (बिहार)
8. लघु उद्योग 10 किलोवाट 20 प्रतिशत भार अनुपात पर (1460 यूनिट/मास)	7.67 जम्मू तथा काश्मीर 10.00 (मैसूर)	22.50 उत्तर प्रदेश (पूर्वी क्षेत्र)
9. मध्यम उद्योग 50 किलोवाट 30 प्रतिशत भार अनुपात (10,950 यूनिट/मास)	6.45 जम्मू तथा काश्मीर 9.20 (पंजाब)	22.50 उत्तर प्रदेश (पूर्वी क्षेत्र)
10. बड़े उद्योग I 250 किलोवाट 40 प्रतिशत भार अनुपात पर (73,000 यूनिट/मास)	4.34 जम्मू तथा काश्मीर 7.03 (मैसूर)	16.99 मद्रास नगर (ताप)

श्रेणी	न्यूनतम	अधिकतम
11. बड़े उद्योग II 1000 किलोवाट 50 प्रतिशत भार अनुपात पर (365,000 यूनिट/मास)	3.97 जम्मू व काश्मीर 5.96 (मैसूर)	15.44 मद्रास शहर (ताप)
12. भारी उद्योग 6,000 किलोवाट 60 प्रतिशत भार अनुपात पर (21,90,000 यूनिट/मास)	4.90 (मैसूर)	13.78 मद्रास शहर (ताप)

(ङ) चौथी पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

विदेशों से ऋण सम्बन्धी समझौते

11. **श्री श्रीनिवास मिश्र :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1-4-1968 के पश्चात सरकार ने विदेशों से कितने ऋण सम्बन्धी समझौते किये हैं ;

(ख) इन समझौतों के परिणामस्वरूप कितनी राशि वास्तव में प्राप्त हुई है ; और

(ग) उनकी शर्तों का विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) पहली अप्रैल, 1968 से 30 जून 1968 तक सरकार ने जिन विदेशी ऋणों के सम्बन्ध में करारों पर हस्ताक्षर किये हैं, उनका ब्यौरेवार विवरण सभा की मेज पर रखा गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1337/68]** ब्रिटेन में 13.6 करोड़ रुपये के ऋण में से अब तक 10.753 करोड़ रुपये की रकम निकाली गई है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त

12. **श्री सिद्दया :** क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त ने अगस्त, 1967 से जुलाई, 1968 की अवधि के दौरान किन्हीं राज्यों का या संघ राज्य क्षेत्रों का दौरा किया था ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) हां।

(ख) मास	राज्य/संघ शासित क्षेत्र जहाँ वह गये
अगस्त, 1967	पश्चिमी बंगाल आसाम
सितम्बर, 1967	आसाम नागालैण्ड पश्चिमी बंगाल हिमाचल प्रदेश पंजाब चण्डीगढ़ बिहार

मास	राज्य । संघ शासित क्षेत्र जहां वह गये
अक्टूबर 1967	पश्चिमी बंगाल हिमाचल प्रदेश
दिसम्बर, 1967	पश्चिमी बंगाल नागालैण्ड आसाम
जनवरी, 1968	बिहार पश्चिमी बंगाल मनीपुर त्रिपुरा
फरवरी, 1968	उड़ीसा पश्चिमी बंगाल
मार्च, 1968	पश्चिमी बंगाल बिहार
मई, 1968	हिमाचल प्रदेश
जून, 1968	बिहार पश्चिमी बंगाल जम्मू और कश्मीर
जुलाई 1968 (20-7-1968 तक) ।	पश्चिमी बंगाल हिमाचल प्रदेश

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त

13. **श्री सिद्दया :** क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के वर्तमान आयुक्त को केवल छै मास के लिये नियुक्त किया गया था ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या वह अवधि समाप्त हो गई है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह): (क) और (ख). अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के वर्तमान आयुक्त को आरम्भ में 1 जुलाई, 1967 से एक वर्ष की अवधि के लिये नियुक्त किया गया था । उनकी अवधि और दो वर्ष लिए बढ़ा दी गई है ।

अन्डमान और निकोबार द्वीप समूह में अनुसूचित जातियां

14. **श्री सिद्दया :** क्या **समाज कल्याण** मंत्री हय बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूहों में अनुसूचित जातियां हैं ; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या उनकी जनसंख्या के बारे में कोई जनगणना करने का विचार है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता

15. श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, अप्रैल, मई और जून, 1968 के अन्त में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बारह महीनों की औसत क्या थी ;

(ख) क्या बारह महीनों की औसत 215 अंक की सीमा से बढ़ गई है और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते की दरों में पुनरीक्षण आवश्यक है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) मार्च, अप्रैल और मई 1968 में से प्रत्येक मास के अन्त में अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1949–100) का 12 महीनों का औसत नीचे दिया गया है :—

	12-महीनों का औसत
मार्च 1968	213.17
अप्रैल 1968	214.17
मई 1968	214.67

जून 1968 के आंकड़े अभी तक प्रकाशित नहीं हुए हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) सवाल ही नहीं उठता ।

वेतनमानों के पुनरीक्षण पर रोक

16. श्री अम्बचेजियान :
श्री अजमल खान :
श्री रा० की० अमीन :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री धीरेश्वर कलिता :
श्री ईश्वर रेड्डी :
श्री मीठालाल मीना :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री म० ला० सोंधी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपय करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतनमानों के पुनरीक्षण पर लगी रोक को एक वर्ष के लिए बढ़ाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि सरकारी कर्मचारी इस निर्णय के विरुद्ध और न्यूनतम वेतन नियत करने की उनकी मांग, जीवन निर्वाह व्यय की वृद्धि को निष्प्रभावी करने और महंगाई भत्ते को वेतन में शामिल करने के प्रश्न पर आन्दोलन करने की योजना बना रहे हैं ;

(ग) यदि हां, तो इस निर्णय के कड़े विरोध को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार अपने पहले वेतनमानों के पुनरीक्षण पर रोक के निर्णय पर पुनः विचार करने का विचार कर रही है और उनकी शेष मांगों से निपटने के लिए कार्यवाही करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि वेतनमानों के पुनरीक्षण पर लगी रोक की अवधि बढ़ा दिए जाने के निर्णय के विरुद्ध कर्मचारी आन्दोलन करने की योजना बना रहे हैं फिर भी सरकार ने समाचार पत्रों में प्रकाशित ऐसी रिपोर्टें देखी हैं जिनसे पता चला है कि महंगाई भत्ते को वेतन में शामिल करने तथा आवश्यकता पर आधारित न्यूनतम वेतन सम्बन्धी दो मामलों को पंच-निर्णय के सुपुर्द करने की अपनी मांग के सम्बन्ध में कर्मचारी आन्दोलनात्मक रुख अपनाने पर विचार कर रहे हैं ।

(ग) तथा (घ). चूंकि वेतनमानों के पुनरीक्षण पर लगाई गई रोक की अवधि ध्यानपूर्वक विचार कर लेने के बाद तथा किफायत के उपाय के तौर पर, और एक वर्ष के लिए बढ़ा दी गई है, अतः सरकार इस निर्णय पर पुनर्विचार करने का इरादा नहीं रखती । फिर भी आज कल राष्ट्रीय तथा विभागीय दोनों स्तरों पर कार्य करने वाली संयुक्त परामर्शदात्री संस्था की योजना के माध्यम से सरकार केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर प्रभाव डालने वाले सेवा विषयक मामलों की निरन्तर समीक्षा करती रहती है ।

पाकिस्तानी विशेषज्ञों का फरक्का बांध जाना

17. **श्री अम्बचेजियान :** **श्री न० कु० सांघी :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त : **श्री रामावतार शर्मा :**
श्री चेंगलराया नायडू : **श्री शिव कुमार शास्त्री :**
श्री नि० रं० लास्कर : **डा० सूर्य प्रकाश पुरी :**
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : **श्री ईश्वर रेड्डी :**
श्री श्रीधरन : **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :**

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने फरक्का बांध स्थल पर विशेषज्ञ भेजने की निमन्त्रण स्वीकार कर लिया था और पाकिस्तान के विशेषज्ञ फरक्का बांध स्थल पर गये थे;

(ख) दोनों देशों के उन प्रतिनिधियों को जिन्होंने इस मामले पर विचार-विमर्श किया, क्या शक्तियां प्राप्त थीं और उनकी पद-स्थिति क्या थी ;

(ग) पाकिस्तानी विशेषज्ञ भारतीय रवैये से कहां तक संतुष्ट थे;

(घ) क्या पाकिस्तान ने भी भारतीय विशेषज्ञों को गंगा-कबाडक क्षेत्र में आने का निमन्त्रण दिया था ;

(ङ) यदि नहीं, तो एक तरफा वचन पूरा करने का क्या कारण है; और

(च) क्या पाकिस्तान ने फरक्का बांध के सम्बन्ध में समझौते के प्रश्न को अन्तर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण को सौपने का सुझाव दिया है और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धश्वर प्रसाद) : (क) पाकिस्तान सरकार की प्रार्थना पर भारत सरकार ने पाकिस्तानी विशेषज्ञ द्वारा फ क्का बराज परियोजना स्थल का दौरा करना मान लिया । यह दौरा 21 और 22 जून, 1968 को किया गया ।

(ख) पांच विशेषज्ञों के इस पाकिस्तानी दल के नेता पाकिस्तान सरकार के मुख्य अभियन्त्रण सलाहकार थे । जिस भारतीय दल ने इस निरीक्षण में पाकिस्तानी दल का साथ दिया उस का नेतृत्व आयुक्त, गंगा बेसिन व पदेन संयुक्त सचिव, सिंचाई व बिजली मंत्रालय द्वारा किया गया ।

(ग) फरक्का बराज स्थल के निरीक्षण से पाकिस्तानी शिष्ट मण्डल में उत्पन्न प्रतिक्रिया के बारे में भारतीय दल को कुछ न बताया गया ।

(घ) जी, हां ।

(ङ) प्रश्न कहीं उठता ।

(च) हाल ही में हुई विशेषज्ञों की बैठक में हुए विचार विमर्श के दौरान पाकिस्तानी शिष्टमण्डल ने सुझाव दिया कि दोनों सरकारों द्वारा विश्व बैंक जैसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की सहायता ली जाए, परन्तु भारतीय शिष्ट मण्डल ने इसको नमाना और दोनों देशों के विशेषज्ञों के बीच तकनीकी तौर पर बातचीत को जारी रखने का प्रस्ताव रखा।

विदेशी ऋण की राशि का उपयोग न किया जाना

18. श्री अम्बचेजियान :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हस्ताक्षरित करारों के अन्तर्गत विभिन्न देशों ने 1,246 करोड़ रुपये के ऋणों का जो प्रस्ताव किया था, सरकार उस राशि का उपयोग नहीं कर सकी है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं,

(ग) उन देशों के नाम क्या हैं जिन से मिलने वाले ऋणों की राशि का उपयोग नहीं कया गया है, और

(घ) शेष ऋण का उपयोग करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) और (ख). प्रश्न के भाग (क) में बतायी गयी 1,246 करोड़ रुपये की रकम, विदेशी सहायता के सम्बन्ध में 31 दिसम्बर, 1967 तक किये गये ऋण-करारों के कुल मूल्य (7516.57 करोड़ रुपये) और उपकरणों और सामान के लिये दिये गये आर्डरों के मूल्य के (6270.54 करोड़ रुपये) अन्तर की द्योतक है। ऋण के इस्तेमाल के सम्बन्ध में दो बातों को ध्यान में रख कर विचार किया जा सकता है; (i) ऋण के बदले दिये जाने वाले आर्डर और (ii) ऋण में से ली गयी रकम।

(i) **आर्डर देना** :–ऋण, चाहे वे प्रायोजना ऋण हो या गैर प्रायोजना ऋण उनका इस्तेमाल ऋण-करार के अन्तर्गत मंगायी जा सकने वाली वस्तुओं (प्रायोजना ऋणों के सम्बन्ध में संयंत्र और मशीने, और गैर प्रायोजना ऋणों के मामले में कच्चा माल, सहायक पुर्जे, मध्यवती उत्पाद और फालतु पुर्जे आदि) के आयात द्वारा किया जाता है। ऋण करार पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद उस ऋण के बदले में आर्डर देना कई बातों पर निर्भर रहता है जिन में बहुत सी प्रक्रिया सम्बन्धी हैं, जैसे ऋण के प्रभावी होने के सम्बन्ध में पूर्व-निर्धारित शर्तों का पूरा होना, विदेशी मुद्रा का उपयोग करने वालों के लिये रकमे निर्धारित करना, आयात लाइसेंस या अधिकार-पत्र देना, टेंडर मांगना जिसमें प्रस्ताव भेजने के लिये पर्याप्त समय दिया गया हो टेन्डर स्वीकार करना, जहां अलग अलग करारों के लिये विदेशी ऋण दाताओं की स्वीकृति लेने की शर्त हो, वहाँ ऐसी स्वीकृति लेना, माल सप्लाई करने से सम्बद्ध या प्रायोजना सम्बन्धी करार करना और साख-पत्र जारी करना आदि-आदि। लेकिन कुछ दूसरे कारण भी हैं जिन से सोच समझ कर निर्धारित की गयी समय सूची का पता चलता है। उदाहरणार्थ एक प्रायोजना के सम्बन्ध में, जिस के पूरा किये जाने में तीन से चार वर्ष तक समय लगना है, आर्डर देने की प्रणाली दोरों में बंटी होगी। ये दौर, आयात की जाने वाली वस्तुओं के पहुंचने के समय और आर्डर देने तथा वस्तुओं के पहुंचने के बीच के सामान्य समय पर आधारित होते हैं। इस के अतिरिक्त, निर्माण कार्य की अवधि में जब यह पता चले कि कुछ वस्तुएं जिन्हें पहले बाहर से मंगवाया जाना था अब देश के अन्दर ही तैयार की जा रही है तो संभव है उनके आयात के लिये उस ऋण के बदले आर्डर न दिये जायें और इस प्रकार उतनी हद तक कर्जदारी कम की जा सकती है। जितनी रकम के ऋण करारों पर हस्ताक्षर किये गये है और जितनी रकम के लिये आर्डर दिये गये हैं इन दोनों रकमों के बीच का अन्तर अधिक होने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि पूर्वी यरोप के कुछ देशों ने ऐसी प्रायोजनाओं के लिये ऋण दिये हैं जिन्हें चौथी पंचवर्षीय आयोजना के संदर्भ में अन्तिम रूप दिया जाना है। इस का यह लाभ है कि इस से उपलब्ध होने वाली सहायता का पहले से संकेत मिल जाता है और इस प्रकार प्रायोजनाओं के सम्बन्ध में विचार करने में सुविधा होती है पर जब तक प्रायोजनाओं को अन्तिम रूप नहीं दिया जाता, रकम का आँवटन नहीं किया जाता, आर्डर देने के लिए कार्रवाई पुरी नहीं की जाती और वास्तव में आर्डर दे नहीं दिये जाते तब तक अंकशास्त्र अनुसार आर्डर देने की दृष्टि से रकमें अप्रयुक्त ही दिखायी जाती हैं।

31 दिसम्बर, 1967 को जिस 1246 करोड़ रुपये की रकम के सम्बन्ध में आर्डर नहीं दिये गये थे उस में से 857 करोड़ रुपया उन ऋणों का है जिन पर 1966 और 1967 में हस्ताक्षर किये गये थे। 857 करोड़ रुपये की रकम में सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ द्वारा चौथी पंचवर्षीय आयोजना की उन प्रायोजनाओं के लिये दिया गया 236 करोड़ रुपया भी शामिल है जिन्हें अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ii) **निकाली गयी रकमें :** ऋण का पूरी तरह से इस्तेमाल तभी होता है जब ऋण के बदले में सामान का आयात कर लिया जाता है और उस के लिये रकम की अदायगी कर दी जाती है और अदायगी की रकम उस ऋण से ले ली जाती है । कुछ मामलों में, आयातों के पूरा हो जाने के बाद भी, वारंटी की अवधि आदि को ध्यान में रखते हुए सम्भव है रकम की अदायगी दौरों में करनी पड़े। ऐसी स्थिति में पूरी निकासी के रूप में ऋण के इस्तेमाल में और अधिक विलम्ब हो जाता है । जहाँ गैर प्रायोजना सम्बन्धी वस्तुओं की सपुर्दगियाँ सामान्यतः 9 से 12 महीनों की अवधि में की जाती हैं वहाँ प्रायोजना सम्बन्धी वस्तुओं के बारे में सुपुर्दगियों में तीन वर्ष या इससे भी अधिक समय लग जाता है। 31 दिसम्बर, 1967 तक जिस 6270.54 करोड़ रुपये की रकम के आर्डर दिये गये थे, उस में से उस तारीख तक 6520.99 करोड़ रुपया निकाला जा चुका था।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है जिसमें 31 दिसम्बर, 1967 तक देशों / संस्थाओं के अनुसार किये गये करारों की रकमों, दिये गये आर्डरों का मूल्य और वितरित रकमों का व्यौरा दिया गया है **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1338/68]**

(घ) ऋणों के बदले में और आर्डर प्रायोजना के निर्माण कार्यक्रम और तत्सम्बन्धी वस्तुओं के आयात की आवश्यकता के अनुसार दिये जायेंगे। प्रत्येक ऋण की अलग अलग बँधता अवधि होती है और उसे ध्यान में रखते हुए आर्डर देने तक रकम निकालने की गति निर्धारित की जाती है। जहाँ तक चौथी आयोजना का प्रायोजनाओं के लिये निर्धारित की जाने वाली रकमों का सम्बन्ध है यह काम चौथी पंचवर्षीय आयोजना को अन्तिम रूप देने के साथ साथ पूरा किया जायेगा।

आदिमजाति जनसंख्या को ऋण सुविधाएं देने के लिये दी गई राशि

19. श्री मणिभाई जे० पटेल : **श्री गं० च० दीक्षित :**
श्री लखन लाल गुप्ता : **श्री अ० सि० सहगल :**

क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश की आदिम जाति जनसंख्या को ऋण सुविधायें देने के लिये जो राशि दी गयी थी वह एक लाख रुपये थी, दो लाख रुपये नहीं जैसा कि गत सत्र में संसद में बयान दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिये शेष एक लाख रुपया कब तक दिया जायेगा।

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) और (ख). इस परियोजना, जो मार्गदर्शी प्रकार की है, का अभिप्राय गैर-उत्पादक कार्यों, जैसे कि त्यौहार, विवाह और मृत्यु के लिये उधार के विस्तार एवं वसूली की शक्यता की गवेषणा करना था। यह प्रयोग दो खडों तक सीमीत था, तथा अभिप्राय यह था कि परियोजना की प्रगति के अनुसार समय-समय पर राशियां मंजूर की जायें जो कुल मिलाकर एक लाख रुपये तक हों। पहले दो वर्षों के दौरान अलग-अलग लाभ पाने वाले व्यक्तियों से वसूली पूरे वेग से अभी तक आरम्भ नहीं हुई है और इस कारण इसके प्रभावी होने की पड़ताल कठिन रही है । अतः यह प्रयोग अभी पूरा नहीं हुआ है; वसूली सम्बन्धी पहलू भी जोरदार है और इसका होना अभी शेष है। प्रयोग का यह पहलू साफ होते ही राज्य सरकारों को और राशियां नियोजित की जायेंगी।

सब्जीमंडी का आजादपुर, दिल्ली में ले जाया जाना

20. श्री काशीनाथ पाण्डेय :
श्री वें० कृ० दास चौधरी :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फल तथा सब्जी मण्डी आजादपुर में ले जाई गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि फल व्यापारियों को किराये तथा अन्य करों के रूप में 42 लाख रुपये की राशि देनी है; और

(ग) यदि हां, तो उनसे दुकानें अलाट करने से पहले पूरा किराया वसूल करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह सच है कि फल तथा सब्जी के व्यापारियों ने कई सालों तक मार्केट में बैठने का कोई किराया नहीं दिया ।

(ग) इस मामले पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ।

नर्मदा नदी पर नवगांव बांध

21. श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री लखन लाल गुप्त :
श्री अ० सिं० सहगल :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया कि नर्मदा नदी पर बनाये जाने वाले नवगाव बांध का स्थल, जिसका प्रस्ताव गुजरात सरकार ने किया था, भूकम्प पट्टी में स्थित है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) सरकार का ध्यान अहमदाबाद के "वैस्टर्ण टाइम्ज़" में छपी रिपोर्ट की ओर आकर्षित किया गया है ।

(ख) रिपोर्ट में डा० के० आर० रामानाथन द्वारा किये जा रहे कुछ अध्ययनों के बारे में लिखा है ।

रिपोर्ट में यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या नर्मदा घाटी में नौगांव समेत कुछ ऐसे स्थल हैं जो कोयना से शुरू होने वाले भूकम्प क्षेत्र में आते है ।

नौगांव बांध दक्कन ट्रैप की चट्टानों पर स्थित है जिनको 1962 की भारतीय सर्वेक्षण रिपोर्ट 1893 के अनुसार '0' क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया गया है । फिर भी गुजरात

सरकार बांध का अभिकल्प इस प्रकार से बनाने की सोच रही है कि वह 0.05 जी० गहना भूकम्प को बरदास्त कर सके। यह गहनता क्षेत्र ii और iii के बीच स्थित बान्धों के लिये निर्धारित गहनता के बराबर है।

गुजरात सरकार केन्द्रीय जल तथा विद्युत् अनुसंधान केन्द्र, पूना तथा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की सलाह से बांध स्थल पर भूकम्प सम्बन्धी बातों को देखने के लिये आवश्यक औजार लगाने के बारे में भी सोच रही है।

फर्टिलाइजर एण्ड कमिकल्ज (त्रावनकोर) लिमिटेड

22. **श्री विश्वम्भरन : क्या पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फर्टीलाइजर एण्ड कैमिकल्ज (त्रावनकोर) लिमिटेड में नियुक्तियों के सम्बन्ध में नियम क्या हैं ;

(ख) इस कारखाने में वर्ष 1965 से 1968 के दौरान नियुक्त किये गये उन अधिकारियों के नाम क्या हैं जिनके वेतन और भत्ते 1000 रु० से अधिक हैं ; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल सरकार की सेवा से निवृत्ति प्राप्त करने के पश्चात् इस कारखाने में नियुक्त किये गये व्यक्तियों के नाम क्या हैं और उन में से प्रत्येक अधिकारी इस कारखाने में कितना वेतन प्राप्त कर रहा है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रखी जायेगी।

परिवार तथा बाल कल्याण परियोजनाएं

23. **श्री विश्वम्भरन : क्या समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी समेकित बाल कल्याण प्रदर्शन परियोजनाओं को परिवार तथा बाल कल्याण परियोजनाओं में बदल दिया गया है ;

(ख) क्या समेकित बाल कल्याण प्रदर्शन परियोजनाओं के अन्तर्गत किये जाने वाले सभी कार्य परिवार तथा बाल कल्याण परियोजनाओं के अन्तर्गत अबाध रूप से जारी हैं ; और

(ग) क्या सरकार को पता है कि केरल राज्य में अधियान्नूर में समेकित बाल कल्याण प्रदर्शन परियोजनाओं के अन्तर्गत आयोजित बालबाड़ियों ने तब से कार्य बन्द कर दिया है जब से कि इस परियोजना को परिवार तथा बाल कल्याण परियोजना में परिवर्तित किया गया है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्यमंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह): (क) वर्तमान 17 समेकित बाल कल्याण प्रदर्शन परियोजनाओं में से 13 को परिवार तथा बाल कल्याण परियोजनाओं में बदल दिया है।

(ख) समेकित बाल कल्याण प्रदर्शन परियोजनाओं की कुछ गतिविधियां परिवार तथा बाल कल्यान परियोजनाओं के अन्तर्गत न आ पाने के कारण राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड से निवेदन किया गया है कि उन गतिविधियों को परिवार तथा बाल कल्याण परियोजनाओं के बाहर जारी रखा जाय।

(ग) सरकार को ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई कि केरल में अधियान्नूर में समेकित बाल कल्याण प्रदर्शन परियोजनाओं के अन्तर्गत संगठित बालबाड़ियां परियोजनाओं के परिवर्तित होने के पश्चात् नहीं चल रही हैं ।

मैसर्स साहू जैन की ओर आय-कर की बकाया राशि

24. श्री वि० कु० मोडक : **श्री सत्य नारायण सिंह :**
श्री नायनार : **श्री नम्बियार :**

क्या **वित्त** मंत्री 22 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8002 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेसर्स साहू जैन की ओर आयकर की 136.67 लाख रुपये की बकाया राशि को वसूल करने से सम्बन्धित कुछ मामलों के बारे में अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष जो कानूनी कार्यवाही चल रही है उसके सम्बन्ध में क्या इस बीच कोई जानकारी एकत्र की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां । मेसर्स साहू जैन से जिस आयकर की बकाया वसूल होनी है उसकी उगाही से सम्बन्धित कुछ मामलों में अपीलीय प्राधिकारियों के सम्मुख चल रही अपीलों की कार्यवाही कुछ मामलों में अब पूरी हो चुकी है ।

(ख) कुछ मामलों में अपीलीय प्राधिकारियों के फैसले के कारण और आय-कर विभाग द्वारा उगाही स्थगित करने की मंजरी देने के कारण, वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :—

(i) 23-11-1967 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 1543 के उत्तर में दिये गये आश्वासन की पूर्ति में सदन की मेज पर रखे गये विवरण-पत्र में उल्लिखित 290 लाख रुपये की बकाया मांग में से 83.91 लाख रुपये की रकम या तो वसूल हो चुकी है अथवा अपील में कम कर दी गयी है ।

(ii) 206.12 लाख रुपये की शेष मांग के वसूल नहीं होने के मुख्य कारण इस प्रकार हैं :—

(1) 33.27 लाख रुपये की वसूली (जयपुर उद्योग लिमिटेड के मामले में) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थगित कर दी गयी है ।

(2) 3.70 लाख रुपये (भारत निधि लिमिटेड) के बारे में रिट दायर की गयी है जिस पर उच्च न्यायालय में विचार हो रहा है ।

(3) (समूह के विभिन्न मामलों में) 169.15 लाख रुपये के कर की मांग के बारे में विवाद उठाया गया है और दायर की गई अपीलों के फैसले होने तक आयकर विभाग ने वसूली स्थगित कर दी है ।

(ग) यह सवाल नहीं उठता ।

लोक सभा (1967 का तीसरा सत्र)

वित्त मंत्रालय

(राजस्व तथा बीमा विभाग)

सं०	तारीख तथा संदर्भ	विषय	दिया गया आश्वासन	कब और कैसे पूरा किया गया	विशेष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	श्री कामेश्वर सिंह तथा श्री ए० श्रीधरन द्वारा 23 नवम्बर, 1967 को पूछा गया अतारांकित प्रश्न संख्या 1543.	जिसमें पूछा गया था कि : (क) क्या मेसर्स साहू जैन की तरफ कर की बकाया रकमें वसूल की जा चुकी है; (ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और	(क) से (ग) सूचना बाद मे देने का आश्वासन दिया गया।	. . . . . को पूरा किया गया। (क) जी, नहीं, 290 लाख रुपये की कर की बकाया रकम की अपील किए जाने पर, 58.90 लाख रुपये से कम कर दिया गया, जिससे बकाया रकम 231.10 लाख रुपये रह गई है। नवम्बर 1967 तक इस रकम में से 2.66 लाख रुपये को वसूली हुई थी। (ख) 228.44 लाख रुपये की बकाया रकम के वसूल नहीं होने के मुख्य कारण ये थे : (i) (जयपुर उद्योग लिमिटेड के मामले में) 33.27 लाख रुपये की रकम की वसूली सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थगित कर दी गई है। (ii) समूहों के विभिन्न मामलों में 63.72 लाख रुपये के कर की मांग के बारे में विवाद उठाया गया है और दायर की गई अपीलों के फैसले होने तक आय कर विभाग ने वसूली स्थगित कर दी है। (iii) (भारत निधि लिमिटेड) के मामले में 3.70 लाख रुपये के बारे मे	

(ग) बकाया रकमें वसूल करने करने के सम्बन्ध में क्या कार्य-वाही की गई है ?

रिट दायर की गई है जिस परर उच्च न्यायालय में विचार हो रहा है।

(iv) (अशोक मार्केटिंग कम्पनी लिमिटेड के मामले में) 7 लाख रुपये की रकम के सम्बन्ध में अपीलें दायर की गई हैं जो विचाराधीन हैं।

(v) 20.75 लाख रुपये की वसूली का कार्य जारी है ।

(ग) (i) (भारत कोलियरीस लिमिटेड के मामले में) आदेश दिया गया है कि 3.75 लाख रुपये की रकम जनवरी, 1968 से मार्च, 1968 तक तीन बराबर किश्तों में अदा कर दी जाए।

(ii) रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड से सम्बन्धित 16 लाख रुपये की मांग की वसूली पहली अपील आदि का फैसला होने तक स्थगित कर दी गई थी, अब उसकी तत्काल अदायगी किए जाने के आदेश दे दिए गए हैं ।

(iii) एलबियन प्लाइवुड लिमिटेड के मामले में एक लाख रुपये की बकाया मांग के सम्बन्ध में दण्ड लगाया गया है और कर-वसूली अधिकारी को शीघ्र वसूल करने के लिए फिर से कहा गया है ।

बिहार के आदिवासियों में असंतोष

25. **श्री वि० कु० मोडक :** **श्री सत्य नारायण सिंह :**
श्री भगवान दास : **श्री चक्रपाणि :**

क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान बिहार के आदिवासियों में बढ़ रहे असन्तोष की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) आदिवासियों की शिकायतों को दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) हां ।

(ख) और (ग) साम्प्रदायिक और पार्थक्यवादी तत्व उस क्षेत्र में कुछ समय से सक्रिय हो रहे हैं । हिंसा और अराष्ट्रीय प्रवृत्तियों को दबाने के लिए कदम उठाये गए हैं । सामाजिक-आर्थिक विकास उपायों, विशेषतया आदिवासी विकास खंडों, जिन पर राज्य में पहले की राजनीति अस्थिरता के कारण प्रतिकूल असर पड़ा था, को पुनरुज्जीवित करने के अब प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

विलास की वस्तुओं का तस्कर व्यापार

26. **श्री सु० कु० तापड़िया :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विलास की वस्तुओं, जिनमें चीन से भारत आने वाली वस्तुएं भी सम्मिलित हैं, के बड़े पैमाने पर तस्कर व्यापार को रोकने के लिये, यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो वह क्या है ;

(ख) क्या इस बात का कोई अनुमान लगाया गया है कि पिछले वर्ष इस प्रकार कितना तस्कर व्यापार हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो उस वर्ष अनुमानतः नेपाल से भारत कितने मूल्य का माल चोरी छिपे आया ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) भारत भर के सीमा-शुल्क अधिकारियों को विदेश में बनी विलास की सामग्रियों, और चीन में निर्मित वस्तुओं की चोरी छिपे लाये जाने के विरुद्ध सतर्क रहने का आदेश दे दिया गया है । इस प्रकार चोरी छिपे लाई गई वस्तुओं के विरुद्ध आरम्भ किये गये अभियान में ये निरोधक उपाय भी शामिल हैं : विश्वसनीय मुखबिरों तथा अन्य विशिष्ट जरियों द्वारा गुप्त सूचना प्राप्त करना, समुद्री किनारों तथा सीमान्त क्षेत्रों के सरलता से पार किये जा सकने योग्य स्थलों में सक्रियता से गश्त लगाना, महत्व-पूर्ण स्थानों पर चौकियां स्थापित करना, बाजारों पर कड़ी नजर रखना, संदिग्ध व्यक्तियों की गति-विधियों पर सतर्कतापूर्वक निगरानी रखना, तथा ऐसी दुकानों तथा भवनों पर आकस्मिक छापे मारना जहां इस प्रकार की वस्तुओं के छिपाये जाने का सन्देश हो ।

(ख) विदेशी वस्तुओं को भारत में चोरी छिपे लाने के परिमाण का सही सही अनुमान लगाना कठिन है ।

(ग) 1967 में तीसरे देश का बना/से आया लगभग 3,84,504 रुपये मूल्य का ऐसा माल सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा पकड़ा गया था जिसके बारे में संदेह था कि वह नेपाल से चोरी छिपे आयात किया गया था। किन्तु नेपाल से 1967 में इस प्रकार चोरी छिपे लाये गये सामान का निश्चित रूप से मूल्य बताना सम्भव नहीं है।

ब्रिटेन से सहायता

27. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बैंक आफ इंगलैंड द्वारा ऋण देने में कमी की घोषणा और तत्पश्चात् ब्रिटेन में आयात पर रोक से भारत की विकास परियोजनाओं पर जिनमें गैर-सरकारी क्षेत्र की परियोजनायें भी हैं, भारत के ब्रिटेन के साथ व्यापार पर और भारत और ब्रिटेन के अन्य संयुक्त उपक्रमों के लिये ब्रिटेन की सहायता पर होने वाले प्रभाव का कोई अनुमान लगाया है ; और

(ख) इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) पौंड के अवमूल्यन के समय ब्रिटेन के बैंकों से यह कहा गया था कि वे अग्रिमों की रकमों को तत्कालीन स्तर तक ही सीमित रखें। लेकिन निर्यात के लिए दिये जाने वाले ऋणों की सीमा के सम्बन्ध में छूट दे दी गयी थी। बैंक आफ इंगलैंड ने 24 मई, 1968 को ऋण में कमी करने की नयी नीति की जो घोषणा की थी, उसके अनुसार बैंकों द्वारा दिये जाने वाले अग्रिमों की सीमा को बढ़ा कर नवम्बर, 1967 के स्तर का 104 प्रतिशत कर दिया गया है, किन्तु निर्यात के लिए दिये जाने वाले ऋण पर भी यह सीमा लागू कर दी गयी। बैंकों से यह भी कहा गया है कि वे निर्यात के लिए दिये जाने वाले ऋणों को प्राथमिकता दें और निर्यात में वृद्धि करने तथा आयात कम करने के लिये आवश्यक निवेश और उत्पादन के लिए ऋण दें।

बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों में कमी करने की नीति मुख्यतः उपभोक्ता-व्यय और आयात के लिये दिये जाने वाले ऋणों पर लागू होगी। ऋणों में कमी करने की नीति के परिणामस्वरूप उपभोक्ता-व्यय और आयात में जितनी कमी होगी, भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं, खासकर उपभोक्ता वस्तुओं और संग्रह के लिये आवश्यक सामान के आयात पर उतना ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। आशा है कि भारत को ब्रिटेन सरकार से मिलने वाली आर्थिक सहायता पर इन ऋण-प्रतिबन्धों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी ओर इन प्रतिबन्धों से, ब्रिटेन को अपनी शोधन सन्तुलन सम्बन्धी स्थिति सुधारने में जितनी सहायता मिलेगी, विकास-ऋण देने की उसकी क्षमता में उतनी ही वृद्धि होगी। ब्रिटेन के पास ऋण-देने के लिए कम साधन उपलब्ध होने से ब्रिटेन से भारत को मिलने वाली गैर-सरकारी अल्प-कालीन पूंजी में भी सम्भवतः कमी हो जायगी। उत्पादक प्रायोजनाओं और संयुक्त उद्योगों में, सामान्यतः दीर्घकालीन लाभ की दृष्टि से विचार करके निवेश किये जाते हैं और ऋण की उपलब्धि तथा ब्याज के सम्बन्ध में होने वाले अल्पकालीन परिवर्तनों का निवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ब्रिटेन में किये जाने वाले आयातों पर कोई प्रत्यक्ष प्रतिबन्ध नहीं लगाये गये हैं।

1740(Ai)LS—4.

वाशिंगटन में भारत सहायता सार्थ-संघ की बैठक

28. श्री सु० कु० तापड़िया :
डा० रानेन सेन :
श्री नायनार :
श्री पी० राममूर्ति :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री रमानी :
श्री गणेश घोष :
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री बलराज मधोक :
श्री ओंकार सिंह :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री न० स्व० शर्मा :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री नारायण रेड्डी :
श्री बीरेन्द्रकुमार शाह :
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री न० कु० सांघी :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री अंबचेजियान :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1968 के चौथे सप्ताह में भारत के विकास के लिये सहायता देने में रुचि रखने वाली सरकारों और संस्थाओं के सार्थ संघ की एक द्विदिवसीय बैठक वाशिंगटन में हुई थी ;

(ख) वर्ष 1968–69 में विकास परियोजनाओं के लिये सार्थ संघ के सदस्यों ने कितनी-कितनी सहायता देने का वचन दिया है अथवा कितनी सहायता प्राप्त होने की संभावना है ; और

(ग) वर्ष 1968–69 की योजना के लिये सरकार ने उक्त सार्थ संघ से कितनी सहायता मांगी है तथा सार्थ संघ द्वारा दी जाने वाली सहायता वास्तविक मांग से कितनी कम रहेगी ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) कुछ सदस्यों ने, गैर-प्रायोजना सहायता और ऋण-परिशोध-सम्बन्धी राहत के लिये कुल 2973.3 लाख डालर का अंशदान देने का संकेत किया है जिसका उल्लेख सभा पटल पर रखे गये विवरण में किया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 1339/68]**. अन्य सदस्यों से इस सम्बन्ध में सूचना मिलनी बाकी है।

(ग) 1968–69 की आयोजना मुख्यत: शीघ्र ही प्राप्त होनेवाली सहायता के उपयोग पर निर्भर रहेगी। इस समय यह बताना संभव नहीं है कि 1968-69 की आयोजना के कार्यक्रमों के लिये आवश्यक कुल विदेशी साधनों को पूरा करने के लिए यदि उपलब्ध सहायता कम हो तो वह कितनी कम हो सकती है।

सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र में उर्वरक परियोजनायें

29. **श्री योगेन्द्र शर्मा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1971–72 तक विदेशी सहयोग से (एक) सरकारी और (दो) गैर-सरकारी क्षेत्रों में कितनी तथा कौन-कौन सी उर्वरक परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं; और

(ख) उनके सहयोग की शर्तें क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और ख)

परियोजना का नाम	विदेशी सहयोगी का नाम	सहयोग की शर्तें
सरकारी क्षेत्र		
मद्रास	ऐमको इण्डिया इनकारपोरेटिड यू० एस० ए०	आवश्यक विदेशी मुद्रा का प्रबन्ध विदेशी सहयोगी द्वारा किया जावेगा—आंशिक रूप में इक्वटी द्वारा और आंशिक रूप में बैंकों से ऋण द्वारा।
गैर सरकारी क्षेत्र		
कानपुर	मैसर्स आई० सी० आई० लन्दन; इन्टरनेशनल फाइनेंस कारपोरेशन	विदेशी मुद्रा का प्रबन्ध बड़ी हद तक आई० सी० आई० (लन्दन) और आई० एफ० सी० वाशिंगटन द्वारा किया गया है। थोड़ी मात्रा जापान से मिलने वाले सप्लायर्स ऋण से भी पूरी होगी।
मिर्जापुर	केसर ग्रुप, यू० एस० ए०	विदेशी सहयोग का प्रस्ताव अभी तय होना है।
गोवा	मैसर्स आर्मर एण्ड कम्पनी, इन्टरनेशनल फाइनेंस कारपोरेशन	आवश्यक विदेशी मुद्रा का प्रबन्ध मैसर्स आर्मर एण्ड कम्पनी और आई० एफ० सी० वाशिंगटन द्वारा किया जावेगा।
विशाखापटनम विस्तार	इन्टरनेशनल एण्ड मिनरल्स एण्ड कैमीकल्स कारपोरेशन; चैवरौन कैमीकल्स कम्पनी	विदेशी सहयोग का प्रस्ताव अभी तय होना है।
महाराष्ट्र में लगने वाली धरमसी मोरारजी कैमीकल्स कम्पनी की परियोजना	अभी तय होना है	विदेशी सहयोग का प्रस्ताव अभी तय होना है।

मंत्रियों को विदेशी मुद्रा

30. **श्री योगेन्द्र शर्मा :**

श्री के० सूर्यनारायण :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई और जून, 1968 में कितने मंत्री विदेशों को गये ;

(ख) प्रत्येक मंत्री को कितनी मुद्रा मंजूर की गई थी;

(ग) क्या किसी मंत्री को विदेश जाने के हेतु विदेशी मुद्रा देने से इन्कार किया गया था; और

(घ) यदि हाँ, तो उन मंत्रियों के क्या नाम हैं और उन्होंने कितनी विदेशी मुद्रा की माँग की थी ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) मई, और जून, 1958 के दौरान केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् के 8 सदस्य विदेश गये थे ।

(ख) प्रत्येक मंत्री के व्यक्तिगत प्रासंगिक खर्च के लिए दी गयी विदेशी मुद्रा का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

	रुपये
1. श्रीमती इन्दिरा गाँधी	378
2. श्री दिनेश सिंह	378
3. श्री भागवत झा आजाद	425
4. डाक्टर डी० एरिंग	394
5. डाक्टर के० एल० राव	315
6. श्री सत्य नारायण सिंह	483
7. श्री वी० सी० शुक्ल	393.76
8. श्री त्रिगुण सेन	378

(ग) जी, नहीं

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

बरौनी उर्वरक कारखाना

31. **श्री योगेन्द्र शर्मा** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरौनी उर्वरक कारखाना जिसे देसी नेफ्था पर आधारित किया जाना था प्रतिसंभरण भंडार (फीडस्टाक) के रूप में विदेशों से नेफ्था का आयात करेगा; और

(ख) क्या बरौनी कारखाने का लो सल्फर हैवी स्टाक को सिन्द्री में बायलरों को गरम करने के लिये राज-सहायता प्राप्त दरों पर प्रयोग में लाया जायेगा यद्यपि बरौनी उर्वरक कारखाने के लिये प्रतिसंभरण भंडार के रूप में अमोनिया तैयार करने के लिये उसका प्रयोग किया जा सकता है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, नहीं ।

Agra Canal Dispute

*32. **Shri Prakash Vir Shastri** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(*a*) whether the dispute that had arisen sometime back between the Governments of Uttar Pradesh and Haryana about the water of the canal from Okhla to Agra, has been fully settled ;

(*b*) if so, the details thereof ; and

(c) whether both the State Governments have expressed their willingness on certain definite grounds so as to avoid the recurrence of such incidents in future ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheswhwar Prasad) : (a) to (c). Attendtion is invited to the Statement made by me in the House on the 8th May, 1968. The necessary payments have been made by Haryana to U.P.

केन्द्रीय आवास बोर्ड

33. **श्री अविचन** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय आवास बोर्ड बनाने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य मख्य बातें क्या हैं; और

(ग) बोर्ड के कब तक गठित हो जाने की आशा है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इक़बाल सिंह) : (क) अभी तक नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

कोचीन पत्तन के पास अम्बलामेद् स्थान पर फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल्ज, त्रावनकोर का नया नाइट्रोजन संयंत्र

34. **श्री अविचन** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोचीन पत्तन के पास अम्बलामेद स्थान पर फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल, त्रावनकोर लिमिटेड का नया नाइट्रोजन संयंत्र उर्वरक स्थापित करेने में प्रत्येक एकक के सबन्ध में इस बीच क्या प्रगति हुई है, इस के कब तक पूरा होने की संभावना है और परियोजना निश्चित तिथि से कितनी पीछे हैं;

(ख) इस परियोजना पर अब तक कुल कितना व्यय किया गया है और उस की कुल अनुमानित लागत क्या है तथा उस में विदेशी मुद्रा का अंश क्या है ;

(ग) परियोजना की विशेष बातें क्या हैं तथा प्रत्येक एकक की उत्पादन क्षमता क्या है; और

(घ) क्या यह सच है कि यह पूर्ण रूप से स्वदेशी कच्चे माल पर आधारित होगी और यदि नहीं तो इस संयंत्र के लिये यदि कोई कच्चा माल आयात करना पड़ेगा तो उस का स्वरूप तथा उसकी मात्रा क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) अमोनिया संयंत्र की सभी मुख्य डिजायनें (Major designs) पूर्ण हो चुकी हैं। नेफ्था स्टोरेज टैंक का स्टोरेज टैंक का निर्माण प्रगति पर है। प्रिलिंग टाव का निर्माण कार्य हो रहा है। यूरिया सिंथेटिक संयंत्र पर कम्प्रेसर और पम्प बे (Bay) बिल्डिंग का कार्य हो रहा है। पावर जनरेशन संयन्त्र के लिये बायलर सतह पूर्ण हो गई है। संयन्त्र की इमारत और चिमनी के लिये नींव निर्माण पर कार्य हो रहा है। कूलिंग टावर के लिए आर० सी० सी० कार्य और उनके पम्प घरों पर ईंटों की चिनाई (brick work) का काम हो रहा है। रेलवे साइडिंग के सम्बन्ध में

शंटिंग नेक (shunting neek) के लिये भूमि सम्बन्धी कार्य (earth work) हो रहा है । एक अस्थाई पुल बनाकर ट्रैक पूरा किया जा चुका है । परियोजना में उत्पादन अक्तूबर 1969 से आरम्भ हो जायेगा । दो माह के देर हो जाने का पूर्वानुमान है ।

(ख) मई 1968 तक किया गया कुल खर्च	8.16 करोड़ रुपये
परियोजना की कुल लागत	45.60 करोड़ रुपये
विदेशी मुद्रा की लागत	16.18 करोड़ रुपये

(ग) परियोजना प्रतिवर्ष 330,000 मीटरी टन यूनिया का उत्पादन करेगी । संयन्त्र की उत्पादन क्षमता निम्न है :—

अमोनिया	600 मीटरी टन प्रति दिन
यूरिया	1000 मीटरी टन प्रति दिन

(घ) कच्चा माल स्वदेशी होगा ।

उर्वरक कार्यक्रम का पुनरीक्षण

35. श्री अविचम :
श्री योगेन्द्र शर्मा :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की मन्द प्रगति को देखते हुए सरकार ने हाल ही में उर्वरक कार्यक्रम का पुनरीक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या गैर-सरकारी क्षेत्र में उर्वरक उत्पादन क्षमता के लिये लाइसेंस देने तथा सरकारी क्षेत्र पर अधिक बल देने के बारे में सरकारी नीति में कोई आमूल परिवर्तन करने का विचार है;

(ग) यदि हाँ, तो इस सम्बंध में नीति में ठीक ठीक क्या परिवर्तन किये जा रहे हैं; और

(घ) ऐसे गैर-सरकारी उर्वरक उपक्रम कौन से हैं जिन में मन्द प्रगति का सरकार को पता चला है और प्रत्येक मामले में किस हद तक प्रगति धीमी हुई है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) :
(क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

(घ) गैर-सरकारी क्षेत्र अर्थात् कानपुर, कोटा, मंगलौर, गोआ, गुजरात कारखाने का विस्तार हल्दिया, गाजियाबाद, विशाखापत्तनम् का विस्तार, मिर्जापुर और महाराष्ट्र में स्थापना के लिए अनुमोदित 10 परियोजनाओं में से कोटा, कानपुर और गुजरात कारखाने के विस्तार का निर्माण कार्य शुरू हुआ है । हल्दिया और गाजियाबाद में स्थापित किये जाने वाले कारखानों के लिए जिन पार्टियों को आशय-पत्र दिये गये थे, उन्होंने अपने प्रस्ताव वापिस ले लिए हैं । हल्दिया परियोजना के बारे में पार्टी (मैसर्स फिल्पस पैट्रोलियम कम्पनी) ने निम्न कारणों से अपना प्रस्ताव वापिस ले लिया है :—

(i) अमरीका में मुद्रा—मार्कीट में तंगी;

(ii) विश्व भर में उनके डालर के निवेश में प्रतियोगिता; और

(iii) पाउण्ड के अवमूल्यन से उत्पन्न अनिश्चयताएं। जहाँ तक गाजियाबाद परियोजना के प्रस्ताव को वापिस लेने का सम्बन्ध है (मैसर्स रोहम एण्ड हास ने मोदी इण्डस्ट्रीज के सहयोग से) पार्टी को धन-सम्बन्धी कुछ कठिनाइयाँ पेश हुईं; विशेषकर, अमरीकी सरकार के वाणिज्य विभाग के नये नियमन और उत्पादन शुरू होने के बाद सम्भावित मूल्यह्रास।

अन्य पार्टियों के शीघ्र ही अपनी अर्थ-व्यवस्था को अन्तिम रूप देने की आशा है।

समुद्र द्वारा केरल के समुद्र-तट का कटाव

36. **श्री प्रविचन :** **श्री अ० कु० गोपालन :**
श्रीमती सुशीला गोपालन : **श्री चक्रपाणि :**
श्री प० गोपालन :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के कई भागों में समुद्र तट में इस वर्ष कटाव हुआ है;

(ख) यदि हां, तो यह कटाव किन-किन स्थानों पर हुआ है।

(ग) इससे कितनी क्षति हुई है; और

(घ) उस राज्य में समुद्र से कटाव की समस्या के स्थायी समाधान के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) त्रिवेन्द्रम, क्वीलोन, अलेप्पी और एर्नाकुलम के जिलों मे कटाव बहुत अधिक हुआ है। केरल के समुद्र तट पर सब से अधिक प्रभावित स्थल कोवलम, पूवर, पानाथुरा, इडावा, परावूर, थोट्टापल्ली, पुन्नापारा तथा कोचीन के निकट विभिन्न स्थल हैं।

(ग) केरल में समुद्र कटाव से हुई हानि का ब्यौरा अभी तक राज्य सरकार द्वारा सूचित नहीं किया गया है। केवल यह बता दिया गया है कि कटाव से विभिन्न स्थानों पर काफी हानि हुई है।

(घ) दो अमरीकन विशेषज्ञों ने केरल में समुद्र कटाव की समस्या का अध्ययन किया है और इसको हल करने के लिये कुछ सुझाव दिए हैं।

राज्य सरकार ने अब तक लगभग 7.8 करोड़ रुपये की लागत पर अधिक नाजुक स्थलों की सुरक्षा के लिए 41 मील लम्बे तट पर समद्र दीवारें तथा ठोकरें निर्माण करने जैसे समद्र कटाव रोधी उपाय किए हैं।

राज्य सरकार ने विशेषज्ञों की सिफारिश के अनुसार आवश्यक आंकड़े इकट्ठे करना आरम्भ कर दिया है ताकि भावी स्कीमों को वैज्ञानिक आधार पर बनाया जा सके।

वैज्ञानिक तथा समन्वित ढंग से कार्यक्रम को आरम्भ करने, मार्गदर्शन करने तथा कार्यान्वित करने के लिए एक तट कटाव बोर्ड भी स्थापित कर दिया गया है। ताकि अधिकतम सफलता प्राप्त की जा सके।

खम्भात की खाड़ी में तेल की खोज

37. श्री मुहम्मद इस्माइल : श्री रमानी :
श्री एस्थोस : श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :
श्री रा० कृ० सिंह : श्री काशीनाथ पाण्डेय :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खम्भात की खाड़ी में तेल की खोज के लिए अमरीकी तेल फर्म के साथ बातचीत पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते का ब्यौरा क्या है तथा जिस फर्म के साथ समझौता किया गया है उसका नाम क्या है;

(ग) क्या खम्भात की खाड़ी में तेल की खोज के लिए किसी अन्य देश से कोई अन्य प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं और उनके प्रस्ताव की शर्तें क्या हैं तथा इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) खम्भात की खाड़ी में तेल की खोज करने के लिये एक जापानी फर्म से विशेषज्ञों की सुविधा सहित तट से दूर खुदाई के उपकरण (offshore drilling equipment) बेचने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । इसके अतिरिक्त रूस ने खाड़ी के कुछ भागों में खोज के कार्य में प्राविधिक मदद देने का वायदा किया है ।

उर्वरकों की खरीद

38. श्री मुहम्मद इस्माइल : श्री भगवान दास :
श्री पी० राममूर्ति : श्री रमानी :

क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री 22 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8006 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उर्वरक निर्माताओं से उर्वरकों की खरीद के लिये बातचीत पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो उन उर्वरक फर्मों के क्या नाम हैं तथा करार का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिये कि करार में दिये गये मूल्य विश्व के टैंडर मूल्यों से कम हैं, सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

नई दिल्ली के एक निवासी द्वारा विदेशी मुद्रा का उल्लंघन

39. **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मई, 1968 में विदेशी मुद्रा सम्बन्धी विनियमों का कथित उल्लंघन करने के लिये जिसमें कई लाख रुपये अन्तर्ग्रस्त हैं, साउथ एक्सटेंशन, नई दिल्ली के एक निवासी को गिरफ्तार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम के उल्लंघन के एक मामले में जांच-पड़ताल करते समय राजस्व गुप्त चर्चा निदेशालय के अधिकारियों द्वारा 5 मई, 1968 को साउथ एक्सटेन्शन, नई दिल्ली में रहने वाले एक व्यक्ति के निवास स्थान की तलाशी ली गई थी, जिसमें दोषारोपणीय कागजों के अलावा कुल 82,000 रुपये के मूल्य के करेंसी नोट, यात्री चेक आदि के रूप में विदेशी मुद्रा, 97,015 रुपये की भारतीय मुद्रा के नोट, और कुल 10,500 रुपये मूल्य की कुछ अन्य वस्तुएं पकड़ी गयीं जिनके बारे में चोरी छिपे भारत में लाये जाने का संदेह था। इन वस्तुओं में टेलीविजन सेट, सिगरेट लाइटर, टेप-रिकार्डर आदि शामिल हैं। कोई गिरफ्तारियां नहीं की गयीं।

(ग) प्रवर्तन निदेशालय और सीमाशुल्क एवं आयकर प्राधिकारियों द्वारा जांच-पड़ताल की जा रही है।

पूर्व भारत में सिंचाई परियोजनाओं के सम्बन्ध में भारत-पाकिस्तान बैठक

40. **श्री वेणी शंकर शर्मा :**
श्री य० अ० प्रसाद :
श्री श्रधाकर सूपकार :
श्री वेदव्रत बरुआ :
श्री धीरेन्द्र नाथ देव :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री वि० ना० शास्त्री :
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री जगल मंडल :
श्री श्रीधरन :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी नदियों पर फरक्का बांध तथा अन्य भारतीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एक 14 सदस्यीय पाकिस्तानी दल ने मई, 1968 में दिल्ली में वार्ता की थी;

(ख) यदि हां, तो उस के साथ क्या क्या वार्ता हुई थी; और

(ग) उस का क्या परिणाम निकला है

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) दस सदस्यों के एक पाकिस्तानी दल ने दिल्ली में मई, 1968 में भारतीय दल से बातचीत की । वह दोनों देशों के जल संसाधनों के विशेषज्ञों की पांचवी बैठक थी ।

(ख और (ग) यह बातचीत पिछली बैठकों में हुई बातचीत के सिलसिले में थी जो दोनों देशों के जल-संसाधन विशेषज्ञों के बीच पूर्वी नदियों पर प्रस्तावित विशेष परियोजनाओं के बारे में हुई थी । इन परियोजनाओं के बारे में और आंकड़ों का आदान प्रदान हुआ किन्तु पाकिस्तान दल ने इस बातचीत की सीमा से बाहर के विषयों पर भी विचार विनिमय करना चाहा । भारतीय दल ने बातचीत इन खास परियोजनाओं के तकनीकी पहलुओं तक सीमित रखी । बातचीत के दौरान पाकिस्तानी दल ने यह विचार प्रकट किया कि तकनीकी स्तर पर बातचीत जारी रखने से कोई लाभ नहीं होगा और दोनों सरकारों के बीच अब बातचीत होनी चाहिए जिस में यदि आवश्यक हो तकनीकी सलाहकारों की राय ली जा सकती है । उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि दोनों सरकारों को विश्व बैंक के समान किसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की सहायता लेनी चाहिए । भारतीय दल इस राय से सहमत नहीं हुआ । उन्होंने बताया कि अभी भी पदमा पर आधारित पाकिस्तान की सिंचाई योजनाओं के सम्बन्ध में दी गई जानकारी में बहुत कमी है और इन आंकड़ों के बिना सरकारी स्तर पर बैठक का कोई लाभ नहीं होगा । उन्होंने किसी बाहरी संस्था को भी विचार विमर्श के अन्दर लाने के सुझाव को नहीं माना और बताया कि जल संसाधन विकास के क्षेत्र में भारतीय व पाकिस्तानी इंजीनियर पूरी तरह समर्थ हैं, इसलिए भारतीय दल ने सुझाव दिया कि दोनों देशों में विशेषज्ञों के बीच तकनीकी बातचीत चलती रहे और इन परियोजनाओं के तकनीकी पहलुओं का अध्ययन किया जाए ।

भारत पाकिस्तानी विशेषज्ञों द्वारा फरक्का बराज स्थल के निरीक्षण के लिए सहमत हो गया और यह निरीक्षण 21 और 22 जून, 1968 को हो गया ।

पाकिस्तान सरकार ने भी सिद्धान्त रूप से भारतीय विशेषज्ञों द्वारा गंगा-कोबाडक परियोजना क्षेत्रों के निरीक्षण के प्रस्ताव को मान लिया है । निरीक्षण की तारीख दोनों पक्षों की सुविधा के अनुसार तय की जाएगी ।

अमरीकी आर्थिक सहायता

41. श्री बेणी शंकर शर्मा :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष अमरीका से कितनी आर्थिक सहायता मिलने की सम्भावना है;

(ख) इस सम्बन्ध में क्या प्रयत्न किये गये हैं; और

(ग) उन का क्या परिणाम निकला है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) भारत सहायता संघ को, जिसका संयुक्त राज्य अमेरिका भी एक सदस्य है, विश्व बैंक द्वारा भारत की विदेशी सहायता सम्बन्धी आवश्यकताओं की जानकारी दे दी गयी है । जहां तक संयुक्त राज्य अमेरिका के अंशदान

का सम्बन्ध है, अमेरिका के वित्त वर्ष 1969 के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका का विदेशी सहायता विधेयक और विदेशी सहायता विनियोग विधेयक (फारेन असिसटेन्स एण्ड फारेन एड एप्रोप्रियेशन विल्स) संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस के विचाराधीन है और जब तक इन वैधानिक प्रस्तावों के परिणामों का पता नहीं चल जाता तब तक 1968-69 के दौरान भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता के परिमाण और सम्भावनाओं का निर्धारण नहीं किया जा सकता ।

आसाम में दूसरा सरकारी तेल शोधक कारखाना

42. श्री बेणी शंकर शर्मा : **श्री बुलेश्वर मीना :**
श्री डी० चं० शर्मा :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोहाटी में एक सरकारी तेल शोधक कारखाने की स्थापना के पश्चात तेल के नये चार क्षेत्रों का पता लगाने के परिणामस्वरूप इस राज्य में दूसरा सरकारी तेल शोधक कारखाना लगाने के लिये आसाम के लोग आन्दोलन कर रहे हैं;

(ख) क्या उनकी इस मांग पर विचार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) आसाम में सरकारी क्षेत्र में एक अन्य शोधनशाला की स्थापना के लिए सरकार के पास आसाम के विभिन्न स्थानों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ख) जी हां ।

(ग) सरकार का अभी आसाम में दूसरी शोधनशाला की स्थापना का विचार नहीं है ।

अन्तर्राज्य नदी जल विवाद अधिनियम का संशोधन

43. श्री क० लकप्पा :
श्री रवि राय :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राज्य जल विवाद अधिनियम को सर्वोच्च न्यायालय की अनुसन्धान शाखा को उसमें संशोधन करने की सम्भावनाओं का अध्ययन करने के लिए, ताकि वह अन्य देशों के इसी प्रकार के अधिनियमों के तदनुरूप हो जाये भेजा गया था;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकाला; और

(ग) मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) यह मामला भारतीय विधि संस्थान को निर्दिष्ट किया गया है ।

(ख) और (ग) यह मामला विधि संस्थान के विचाराधीन है । इसी बीच एक बिल लोक सभा के चालू अधिवेशन में रखा जा रहा है जिस में तीन सदस्यों के एक न्यायाधिकरण का प्रबन्ध किया गया है ।

Distribution of Kerosene Oil in Gorakhpur

44. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6662 on the 8th April, 1968 and state :

(*a*) whether the required information regarding firms engaged in the distribution of oil in Gorakhpur, U.P. has since been collected ;

(*b*) if so, the details thereof ; and

(*c*) if not, the reasons for delay ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghu Ramaiah) : (*a*) Yes, Sir.

(*b*) A statement is laid on the Table of the House. (Placed in Library. See. No. LT-1340/68).

(*c*) Does not arise.

Distribution of Kerosene Oil

45. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6663 on the 8th April, 1968 and state ;

(*a*) whether the required information regarding stock of oil available with M/s Radhakrishan Bimalkumar local agent of I.O.C. has since been collected ;

(*b*) if so, the details thereof ; and

(*c*) if not, the reasons for the delay ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghuramaiah) : (*a*) Yes, Sir.

(*b*) A statement is laid on the Table of the House. (Placed in Library. See] No. LT-1341/68).

(*c*) Does not arise.

Tax-Payers

46. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3258 on the 7th December, 1967 and state the reasons for not keeping and giving information regarding tax-payers State-wise, Union Territory-wise, class-wise and constituency-wise ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : Break-up of assessees State-wise and Union Territory-wise is available but was not given as it had not been asked for. Community-wise break-up is not available even from the files. Information class-wise and constituency-wise was not given because such information is not maintained nor is it required for administrative purposes. To give such information from files will involve a considerable amount of labour and time.

Construction of Newaizpur Hospital in Gorakhpur District, U.P.

47. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that Rs. 50,000 had been sanctioned for setting up Newaizpur Hospital in Gorakhpur district of Uttar Pradesh before the proclamation of Emergency ;

(*b*) whether it is also a fact that the construction work of the aforesaid hospital had been postponed after the proclamation of Emergency ;

(c) if so, whether the amount sanctioned for the construction of the aforesaid Hospital would be made available for this purpose even after the termination of the emergency on the 10th January, 1968 ; and

(d) if so, when its construction work would be started ?

The Deputy Minister for Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) to (a). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

भारतीय तेल निगम के कर्मचारियों का निलम्बन

48. **डा० रानेन सेन :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय तेल निगम के पूर्वी क्षेत्र के कर्मचारी संघ के कुछ पद-धारियों को मई, 1968 के प्रथम सप्ताह से निलम्बित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके निलम्बन के कारण कर्मचारियों में असंतोष फैला है; और

(ग) उस क्षेत्र में भारतीय तेल निगम के कार्य में सामान्यता लाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां । 16 अप्रैल, 1968 से कदाचार के कारण दस कर्मचारियों को निलम्बित किया गया था ।

(ख) जी नहीं । कर्मचारियों के बीच कोई असन्तोष नहीं फैला है किन्तु निलम्बित व्यक्ति जांच समिति के सामने उपस्थित होने में पुनरावृत असफल रहे हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली के अस्पतालों में बहिरंग रोगी

49. **डा० रानेन सेन :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के अस्पतालों के बहिरंग रोगी विभागों में बहुत अधिक रोगी आते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या रोगियों की संख्या में वृद्धि के अनुकूल कर्मचारियों तथा स्थान में पर्याप्त वृद्धि की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) स्टाफ में वृद्धि करने के लिये समय-समय पर मंजूरियां दी जाती रही हैं । स्टाफ की स्थिति के सम्बन्ध में विस्तृत सूचना 22 अप्रैल, 1968 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 8079 के

उत्तर से सम्बन्धित आश्वासन की पूर्ति में दिये गये विवरण में दी जा चुकी है । इर्विन तथा विलिंगडन अस्पतालों में वहिरंग रोगी विभागों का निर्माण किया जा चुका है ।

कोयना बांध

50. **श्री एस० आर० दमानी :**
श्री अगाड़ी :
श्री कृ० मा० कौशिक :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि हाल में आये भूकम्पों के पश्चात् कोयना बांध में दरारें आ जाने के कारण हुंगंद तालुक में कृष्णा नदी के किनारों के साथ बसे गांवों के लोगों में आतंक फैल गया है और वे गांवों को छोड़ कर जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार को पूरा भरोसा है कि बांध को कोई नुक्सान होने की सम्भावना नहीं है; और

(ग) उस क्षेत्र में लोगों को पुन: विश्वास दिलाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) तालुका विकास बोर्ड हुनगन्द के प्रधान की मार्फत इस बारे में अर्जियां मिली थी कि कृष्णा नदी के दोनों किनारों के गांवों में कोयना बांध की दुर्घटना के डर से आतंक फैला हुआ है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) कोयना क्षेत्र में भूकम्प की सम्भाविता को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने हिफाजती तौर पर एक संकटकालीन स्कीम बनाई है । यह स्कीम इस लिए बनाई गई ताकि भयंकर भूकम्प के कारण कोयना बांध के टूट जाने के फलस्वरूप, जिसकी बहुत कम सम्भावना है, बाढ़ पूर्व सूचना दी जा सके । इससे चालू वर्षा ऋतु में बांध की सुरक्षा के बारेमें जनता में कुछ गलतफहमी हो गई महाराष्ट्र सरकार ने एक प्रैस नोट जारी करके स्पष्ट किया है कि दिसम्बर, 1967 का भूकम्प कोयना बांध में जल संचय के द्वारा नहीं हुआ था बल्कि वैवर्तनिक कारणों से हुआ था और कोयना बांध को निकट भविष्य में कोई खतरा नहीं है । महाराष्ट्र के सिंचाई व बिजली मंत्री ने भी प्रैस में विज्ञप्तियां जारी की हैं । यह विज्ञप्तियां इस लिए जारी की गई हैं कि संकटकालीन योजना तैयार किये जाने के कारण जनता में बांध की सुरक्षा के बारे में जो गलतफहमी पैदा हो गई है वे दूर हो जाएं ।

Percentage of Useful Products Extracted from Crude Oil

51. **Shri Mrityunjay Prasad :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the percentage of useful products such as diesel, petroleum, kerosene, wax, liquid petroleum gas, coke etc. obtained from the crude oil after refining it at Barauni, Gauhati and Gujarat refineries and the percentage which went waste in the form of oil wastes in each of these refineries for the quarter from the 1st January, 1968 to the 31st March, 1968 ; and

(b) the details of research being conducted for reducing the ratio of oil wastes and for preparing other by-products from the oil wastes ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghuramaiah) : (a) The percentage of useful products, own fuel, losses etc. at Gauhati, Barauni and Gujarat refineries during the quarter 1-1-1968 to 31-3-68 are as follows :—

	Gauhati %	Barauni %	Gujarat %
(1) Useful products	90·59	87·42	90·50
(2) Refinery fuel	6·07	8·53	6·86
(3) *Losses*			
(*a*) Flare	2·45	3·26	0·89
(*b*) Process, storage, handling losses	0·89	0·79	1·12
(4) Slops	—	—	0·63

(a) The refineries are regularly examining various methods to augment the production of refined products. The steps recently taken include start of construction of Liquid Petroleum Gas plant at Gauhati, which would help to reduce the flare losses considerably, and development of market for Barauni Heavy Fuel oil so as to utilise maximum quantity of coking fuel oil produced at that refinery ; this, in turn, would enable consumption of a greater quantity of refinery gas as fuel.

Percentage of Useful Products extracted from Crude Oil

52. **Shri Mrityunjay Prasad :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that less than 96 per cent of the useful products have been extracted from the crude oil in Gujarat refinery ;

(b) the percentage of such procurement in Barauni and Gauhati refineries, separately ; and

(c) the measures being adopted or proposed to be adopted to augment this procurement ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghuramaiah) : (a) No, Sir.

(b) 87·42% in Barauni refinery and 90·59% in gauhati refinery during the first quarter of 1968.

(c) The refineries are regularly examining the various methods to augment the production of finished products. The steps that have been taken include the setting up of Liquid Petroleum Gas plant at Gauhati refinery to reduce flare losses, and development of market for Low Sulphur Heavy Stock produced at Barauni refinery so as to dispose of maximum quantity of coking fuel oil.

Smuggling of Chinese Goods

53. **Shri Mrityunjay Prasad :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the reports that smugglers bring Chinese products such as fountain pens, watches, transistors, cigarette lighters and sugar in large quantity and sell them in Bihar, West Bengal and Uttar Pradesh ; and

(b) If so, how far these reports are correct and the efforts made or proposed to be made to check this smuggling ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b). Yes, Sir. Government is aware that Chinese products such as fountain pens, watches, transistors and cigarette lighters are being smuggled into India. As regards sugar, seizures have been made in Bihar but it is difficult to say if it is of Chinese origin. Suitable steps have been taken to check this smuggling.

Declaration of Kudumbi Caste as Backward Class

54. **Shri Onkar Singh :**
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Sharda Nand :
Shri N. S. Sharma :
Shri Atal Bihari Vajpayee :

Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether Government have received any memorandum from the people of Kudumbi Caste, Kerala State demanding that they be declared as a backward class ; and

(b) if so, the action taken by Government thereon ?

Minister of State in the Department of Social Welfare (Shrimati Phulrenu Guha) : (a) Yes.

(b) The Joint Committee on the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Bill, 1967, is at present seized of the matter.

द्वितीय संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन के होस्टल में दरारें

55. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :**
श्री ओं० प्र० त्यागी :
श्री क० लकप्पा :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि द्वितीय संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन होस्टल के नये बने भवन में दरारें आ गई हैं ;

(ख) यदि हां, क्या भवन में दरारें आने के कारण जानने के लिये एक जांच अदालत बिठायी गई है और ठेकेदार के विरुद्ध क्या कदम उठाये जा रहे हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि यह भवन सरकारी कर्मचारियों को रिहायशी स्थान के तौर पर दिया गया है ; और

(घ) सरकार ने उनकी सुरक्षा के लिये और दरारों की मरम्मत के लिये क्या उपाय किये हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इक़बाल सिंह) : (क) और (ख). आर० सी० सी० के कार्य तथा ईटों की चिनाई के जोड़ पर कुछ मामूली दरारें दिखाई दी हैं । ये केवल मात्र सतही दरारें हैं तथा इससे संरचना के स्थायित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता । भवन के त्रुटिपूर्ण प्लास्तर (डिफैक्टिव प्लास्टरिंग) की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं । मामले की जांच के लिए मुख्य तकनीकी परीक्षक के पास भेज दिया गया है ।

(ग) जी हां ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बरौनी तेलशोधक कारखाने में लो सल्फर हैवी स्टाक के भण्डार

56. **श्री गा० श० मिश्र** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बरौनी तेलशोधक कारखाने तथा देश के अन्य तेलशोधक कारखानों में लो सल्फर हैवी स्टाक के उत्पादन की दर क्या है और उपलब्ध स्टाक कितने हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि बरौनी तेलशोधक कारखाने में उपलब्ध इस उपोत्पाद को प्रयोग में लाने के अपने मूल निर्णय को सरकार ने बदल दिया है ;

(ग) यदि हां, तो उन परिस्थितियों का ब्यौरा क्या है, जिनके कारण सरकार को ऐसा निर्णय करने के लिये बाध्य होना पड़ा ; और

(घ) सरकार देश में उपलब्ध इस उपोत्पाद के स्थान पर प्रयोग की जाने वाली वस्तु किस प्रकार प्राप्त करेगी और देश में प्रति टन उर्वरक के उत्पादन पर इसका क्या प्रभाव होगा और उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) उत्पादन की दर लो सल्फर हैवी स्टाक केवल बरौनी और गुजरात के तेलशोधक कारखानों में तैयार किया जाता है। 1967 के दौरान वास्तविक उत्पादन निम्न प्रकार था :—

बरौनी तेलशोधक कारखाना . . .	118,193 मीटर टन
गुजरात तेलशोधक कारखाना . . .	324,263 मीटरी टन

30-6-68 को स्टाक की स्थिति

बरौनी तेलशोधक कारखाना . . .	10,972 मीटरी टन
गुजरात तेलशोधक कारखाना . . .	20,531 मीटरी टन

(ख) और (ग) : जी नहीं, ऐसा कोई भी निर्णय नहीं था जिसको बदला गया हो।

(घ) प्रत्येक मामले में गुणदोष के आधार पर उर्वरकों के उत्पादन के लिये सरकार देश में उपलब्ध सभी प्रकार के कच्चे माल, जिसमें लो सल्फर हैवी स्टाक नेफ्ता, प्राकृतिक गैस तथा कोयला भी शामिल हैं, पर विचार करेगी। इन कच्चे मालों के इस्तेमाल से लागत पर ठीक प्रभाव किसी परियोजना के आकार, उत्पादन मिश्र तथा अन्य ब्यौरों पर निर्भर करेगा जिसमें कच्चे मालों की कीमतें भी शामिल हैं। इसलिये, इस बारे में कोई सामान्य विवरण नहीं दिया जा सकता।

निषिद्ध वस्तुओं का पकड़ा जाना

57. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 16 मई, 1968 को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग द्वारा दमन में 50 लाख रुपये की निषिद्ध वस्तुएं पकड़ी गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो पकड़ी गई निषिद्ध वस्तुएं किस प्रकार की हैं ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारियां की गई हैं ;

(घ) क्या कोई ऐसे सुरागों का पता लगा है कि इस में अन्तर्राष्ट्रीय तस्कर व्यापारियों का हाथ है ; और

(ङ) तस्कर व्यापार को रोकने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों द्वारा 16 और 17 मई 1968 को दमन में विशाल पैमाने पर छापे मारे जाने के कारण कुल मिलाकर लगभग 31,72,850 रुपये के मूल्य की अवैध वस्तुएं पकड़ी गयीं।

(ख) नाइलन और धातु का बना सूत, सोना और सोने की गिन्नियां, कपड़े, सिगरेट, मशीनी लाइटर और चकमक पत्थर, ताश, सेफ्टी रेजर की ब्लेडें, कलाई घड़ियां और दीवाल घड़ियां, घड़ियों के फीते, रेडियो, ट्रांजिस्टर तथा टेप-रिकार्डर, मोटर साइकलें, खिलौने, दालचीनी, लौंग, सौन्दर्य-प्रसाधन, हवाई-बन्दूकें और कारतूस, चांदी, अफीम, भारतीय मुद्रा और विलास की विविध वस्तुएं।

(ग) अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गयी है।

(घ) अब तक की गयी जांच-पड़ताल से अन्तर्राष्ट्रीय तस्करों के किसी गिरोह के ग्रस्त होने का पता नहीं चलता।

(ङ) बन्दरगाहों पर सीमाशुल्क की सामान्य संगठन-व्यवस्था के अलावा विशेष गुप्त-सूचना दल स्थापित किये गये हैं और समुद्र-तट पर नियमित गश्त लगाने के लिये चलते-फिरते दस्ते नियुक्त किये गये हैं।

सुगमता से पार करने योग्य स्थानों तथा सड़कों पर संदिग्ध यात्रियों एवं गाड़ियों की पड़ताल करने के लिये चौकियां स्थापित की गयी हैं। चोरी-छिपे लाये गये माल का पता लगाने और चोरी-छिपे आयात-निर्यात करने में लगे व्यक्तियों को पकड़ने के लिये विशाल पैमाने पर अचानक छापे भी मारे जाते हैं।

तपेदिक उन्मूलन के लिये तीन सूत्री योजना

58. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ**: क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में तपेदिक को प्रभावी ढंग से रोकने और उसका उन्मूलन करने के उद्देश्य से नई दिल्ली स्थित भारतीय तपेदिक उन्मूलन संस्थान में एक तीन सूत्री योजना पर हाल में चर्चा हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) देश से इस रोग का उन्मूलन करने के लिये सरकार का क्या कार्यावाही करने का विचार है ; और

(घ) इससे कितनी सफलता मिलने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सम्पूर्ण देश में क्षयरोग के आतंक को दूर करने के लिए सरकार ने पहले ही एक विशेष कार्यक्रम चलाया है और प्रतिवर्ष इसका विस्तार किया जा रहा है। इस योजना की मुख्य मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

1. जिला क्षयरोग क्लिनिकों की देख-रेख में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा ग्राम औषधालयों के माध्य से ग्रामीणों को नैदानिक तथा उपचार सुविधाएं सुलभ करने के लिये जिला क्षयरोग कार्यक्रम तैयार किया गया है। संक्रमित रोगियों के निदान पर अधिक बल दिया जाता है ताकि रोग के संक्रमण को घटाया जा सके।

2. प्रत्येक जिले में क्षय क्लिनिकों को स्थापना करना। देश में काम कर रहे 500 क्षयरोग क्लिनिकों में से 167 क्लिनिकों का जिला क्षयरोग केन्द्रों के रूप में उन्नयन कर दिया गया है और वे जिला क्षयरोग कार्यक्रम को चला रहे हैं।

3. क्षयरोग सेवाओं को सामान्य सेवाओं के साथ समेकित किया जा रहा है ताकि रोगियों का पता लगाया जा सके। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में और औषधालयों में सूक्ष्मदर्शी परीक्षण द्वारा निदान किया जा सके।

4. प्रमुख राज्यों के मुख्यालयों में 15 क्षयरोग प्रशिक्षण तथा प्रदर्शन केन्द्र काम कर रहे हैं। इन केन्द्रों का काम अपने-अपने क्षेत्र में जिला क्षयरोग प्रदर्शन कार्यक्रम को चलाना तथा राज्यों के क्षय रोग कार्यक्रम के लिये अपेक्षित बेसिक कार्यकर्त्ताओं को प्रशिक्षित करना है। जिला क्षयरोग क्लिनिकों के लिए तथा उपयुक्त क्षयरोग नियंत्रण संबंधी विकास एवं मूल्यांकन विधियों के लिए प्रमुख कार्मिकों को राष्ट्रीय क्षयरोग संस्थान बंगलौर में प्रशिक्षित किया जाता है। अब तक चलाये गये 16 पाठ्यक्रमों में लगभग 1500 ऐसे कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

5. यह बात सिद्ध हो चुकी है कि आधुनिक क्षयरोग निरोधी औषधियों के द्वारा गृहोपचार भी उतना ही प्रभावकारी होता है जितना कि उन्हीं औषधियों से किसी आरोग्य शाला में। अतः घरेलू उपचार पर बल दिया जा रहा है। इस हेतु क्षयरोगी निरोधी औषधियां क्षयरोग क्लिनिकों को चाहे वे सरकारी हों अथवा स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित हों, निःशुल्क दी जा रही हैं।

6. संक्रमित, वस्तुतः बीमार तथा गम्भीर रोगियों जिनको विभिन्न संस्थानों में शल्य चिकित्सा कराने की आवश्यकता पड़ती है। उनके लिए पृथक्करण पलंगों तथा उपचार पलंगों की व्यवस्था भी की गई है। देश में ऐसे पलंगों की कुल संख्या लगभग 35,000 है तथा 5,000 और पलंगों की व्यवस्था करने का विचार है।

7. राज्य क्षयरोग प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्रों को महामारी विज्ञान सम्बन्धी अनुसंधान कार्य के लिए तथा उनके अपने-अपने क्षेत्रों में आबादी के चुने हुए वर्गों में रोगियों का पता लगाने संबधी सुविधाए जुटाने के लिए सचल एक्सरे एककों की व्यवस्था की जाती है? सम्पूर्ण देश में ऐसे 36 एकक पहले से ही चल रहे हैं।

8. डाइरेक्ट बी० सी० जी० टीका कार्यक्रम भी शुरू कर दिया गया है। स्कूली बच्चों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने के लिए तथा प्रसूती अस्पतालों एवं शिशु कल्याण केन्द्रों में नवजात शिशुओं को टीका लगाने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं ताकि कनिष्ठ आयु वर्ग को क्षयरोग के आक्रमण से बचाया जा सके। इस समय सारे देश

में 216 बी०सी०जी० दल काम कर रहे हैं। अब तक कुल 24.4 करोड़ व्यक्तियों का ट्यूबरक्युलिन परीक्षण किया जा चुका है और लगभग 11 करोड़ व्यक्तियों को टीके लगाये जा चुके हैं। इस अभियान के स्वरूप को "घर-घर" जाकर टीके लगाने के कार्यक्रम में बदल दिया गया है और बी० सी० जी० दलों को धीरे धीरे जिला क्षयरोग केन्द्रों में समेकित किया जा रहा है।

(घ) आशा की जाती है कि इन उपायों के फलस्वरूप इस रोग की व्यापकता तथा घटनाओं में समय के साथ-साथ कमी होती जायेगी।

प्रधान मंत्री के लिये निवास स्थान

59. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री के लिये स्थायी निवास स्थान उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में अभी भी कुछ प्रस्ताव विचाराधीन हैं ;

(ख) इस मामले को अन्तिम रूप देने में कितना समय लगेगा ;

(ग) क्या यह भी सच है कि प्रधान मन्त्री अपने वर्तमान निवास स्थान को बदलना नहीं चाहतीं ;

(घ) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि प्रधान मन्त्री के वर्तमान निवास स्थान में कुछ परिवर्तन किये जायेंगे तथा कुछ और निर्माण कार्य किया जायेगा ; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर कितना व्यय होने का अनुमान है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इक़बाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) इस प्रश्न पर सावधाननितापूर्वक विचार की आवश्यकता है तथा इसका निर्णय करने में समय लगेगा।

(ग), से (ङ) : प्रधान मंत्री के निवास स्थान के लिए अभी तक किसी उपयुक्त वैकल्पिक वास को निश्चित नहीं किया गया है। प्रधान मंत्री के वर्तमान निवास स्थान 1, सफ़दरजंग रोड में उपलब्ध स्थान तथा सुविधायें अत्यंत अपर्याप्त पाई जा रही हैं। कार्यालय तथा निवास स्थान में कुछ आवश्यक परिवर्तन तथा परिवर्धन किये जा रहे हैं। इन पर 38,620 रुपये व्यय होने का अनुमान है।

आल इंडिया मेडिकल साइंसेज इन्स्टीट्यूट के स्नातकोत्तर छात्रों को छात्रवृत्तियां

60. **श्री य० अ० प्रसाद :**
श्रीमती सुशीला गोपालन :
श्री वेदव्रत बरुआ :
श्री न० कु० सांघी :
श्री एस्थोस :
श्री प० गोपालन :
श्री गणेश घोष :
श्री अनिरुद्धन :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री वि० ना० शास्त्री :
श्री चक्रपाणि :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आल इंडिया मैडिकल साइन्सेज इन्स्टीटयूट के स्नातकोत्तर छात्र अपनी छात्रवृत्ति बढ़ाने के लिए सरकार से अनुरोध करते रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई निर्णय कर लिया है ; और

(ग) उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) दिल्ली के अस्पतालों में काम करने वाले स्नातकोत्तर छात्रों को दिया जा रहा मानदेय 1 जनवरी, 1968 से 250 रुपया प्रति मास से बढ़ा कर 300 रु० प्रति मास कर दिया गया है ।

मितव्ययिता के उपाय

61. **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में प्रशासन में मितव्ययिता करने के लिये सरकार द्वारा क्या क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ख) इन कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप चालू वर्ष में कितने धन की बचत होने की सम्भावना है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) प्रशासन में किफायत करने के लिए चालू वर्ष में अभी तक कोई विशिष्ट नये उपाय नहीं किये गये हैं । लेकिन इससे पहले किये गये उपायों को चालू रखा गया है ।

(ख) वेतनमानों में वद्धि के निमित्त संशोधन पर रोक, कुछ प्रकार के मामलों में प्रतिनियुक्ति भत्ते की मंजूरी पर प्रतिबन्ध, यात्रा भत्तों की दरों में घटौती, टेलीफोन व्यय पर रोक, कर्मचारी निरीक्षण अध्ययनों को विशेष व्यापक बनाने जैसे किफायत सम्बन्धी कई चालू उपायों का संचयी प्रभाव विभिन्न बातों पर निर्भर करेगा तथा उसका सूक्षमता पूर्वक मूल्यांकन करना कठिन होगा । लेकिन, इन उपायों के कारण प्रशासनिक व्यय में वृद्धि को निम्नस्तर पर बनाये रखना संभव हो सका है । वार्षिक वृद्धि की 5 प्रतिशत की स्वीकार्य दर के मुकाबले चालू वर्ष में सामान्य प्रशासन पर व्यय की वृद्धि की दर केवल 4 प्रतिशत रहने की आशा है ।

स्टेट बैंक आफ सिक्किम

68. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूनाइटेड कर्मशियल बैंक को स्टेट बैंक आफ सिक्किम की स्थापना में धन लगाने की अनुमति दे दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित नये बैंक में साझेदारी का स्वरूप तथा उसकी शर्त क्या हैं ; और

(ग) इस उद्यम से सिक्कम को अधिक लाभ होने की सम्भावना है, अथवा भारत को ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) यूनाइटेड कमर्शियल बैंक के पास स्टेट बैंक आफ सिक्किम का एक करोड़ रुपये की शेयर-पूंजी में से 20 प्रतिशत से कम शेयर नहीं होंगे और उस बैंक के निदेशकों में से एक निदेशक यूनाइटेड कमर्शियल बैंक द्वारा नामजद किया जायगा । स्टेट बैंक आफ सिक्किम द्वारा की जानेवाली प्रबन्ध-निदेशक की नियुक्ति के लिये दस वर्ष तक यूनाइटेड कमर्शियल बैंक की सम्मति आवश्यक होगी, किन्तु पहली नियुक्ति यूनाइटेड कमर्शियल बैंक की सलाह से सिक्किम सरकार द्वारा की जायेगी । बैंक का बोर्ड, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक की सिफारिश पर, प्रबन्ध निदेशक के वेतन और भत्तों का निर्धारण करेगा ।

(ग) स्टेट बैंक आफ सिक्किम की स्थापना से दोनों देशों के बीच होने वाले वाणिज्यक और व्यापारिक लेनदेनों में सुविधाएं प्राप्त होंगी और दोनो देशों को लाभ होगा ।

राष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान केन्द्र, कलकत्ता

63. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कैंसर अनुसन्धान केन्द्र, कलकत्ता में कुप्रबन्ध होने के सम्बन्ध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि केन्द्र के वर्तमान निदेशक सेवा निवृत्त व्यक्ति ही नहीं हैं, अपितु वह उपयुक्त अर्हता प्राप्त भी नहीं हैं ; और

(ग) क्या केन्द्र के कार्य संचालन के बारे में कोई जांच करने का सरकार का विचार है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां,

(ख) यह अधिकारी वार्धक्य निवर्त्तित हैं और उन्हें उनके प्रशासनिक अनुभव के आधार पर अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया है ।

(ग) "जांच" शब्द का विशेष रूढ़ार्थ होता है वैसे, शिकायतों पर विचार किया जा रहा है और समुचित कार्यवाही की जा रही है ।

साहू–जैन उद्योग-समूह को दी गई विदेशी मुद्रा

64. **श्री ज्योतिर्मय बसु** :
श्री अ० कु० गोपालन :
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री उमा नाथ :

क्या **वित्त** मंत्री 22 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8003 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच यह जानकारी एकत्र कर ली है कि गत पांच वर्षों में साहू-जैन ग्रुप की विभिन्न फर्मों को कुल कितनी विदेशी मुद्रा दी गई है और उन्होंने कितनी विदेशी मुद्रा कमाई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सूचना अंशतः ही एकत्रित की जा सकी है ।

(ख) भारत के रिजर्व बैंक द्वारा 1963 से 1967 तक के वर्षों में साहू-जैन समूह की कम्पनियों और फर्मों को व्यापार सम्बन्धी यात्राओं सम्मेलनों के निमित्त दी गयी विदेशी मुद्रा के आंकड़े नीचे दिये गये हैं :—

	रु०	पौण्ड	डालर
1963	26,590	..	..
1964	23,950	..	5,165
1965	8,750	367	8,515
1966	18,190	1,202	6,300
1967	1120	2,181	10,150

लेकिन रिजर्व बैंक ने कहा है कि साहु-जैन कम्पनी समूह द्वारा उपार्जित विदेशी मुद्रा के बारे में सूचना देना संभव नहीं है क्योंकि बैंक प्रत्येक पार्टी के अलग-अलग आंकड़े नहीं रखता और इस कम्पनी समूह द्वारा किये गये निर्यातों पर अर्जित लाभों के बारे में अपने रिकार्ड से सूचना इकट्ठी करना उसके लिये संभव नहीं होगा ।

वाणिज्य मंत्रालय एवं औद्यागिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय से भी उनके द्वारा साहू-जैन कम्पनी समूह को जारी किये गये आयात लाइसेंसों के आंकड़े देने के लिए कहा गया था । वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि वास्तव में किये गये निर्यातों के अथवा जारी किये गये आयात लाइसेंसों के ब्यौरे उनके द्वारा फर्मवार अलग-अलग संकलित नहीं किये जाते । इसलिये आवश्यक सूचना देना उनके लिए संभव नहीं हो सकता । लेकिन उन्होंने बतलाया है कि मुख्य नियंत्रक, आयात तथा निर्यात, नई दिल्ली के कार्यालय द्वारा जारी किये गये आयात लाइसेंसों के ब्यौरे "औद्योगिक लाइसेंसों तथा आयात और निर्यात लाइसेंसों का साप्ताहिक बुलेटिन" में प्रकाशित किये जाते हैं, जिसकी एक प्रतिलिपि संसद के पुस्तकालय को भेजी जाती है। लेकिन औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मंत्रालय से मांगी गयी सूचना की प्रतीक्षा है और उसे प्राप्त होते ही सदन की मेज पर रख दिया जायेगा ।

एयर इण्डिया के अधिकारी के निवास स्थान पर छापा

65. श्री ज्योतिर्मय बसु : **श्री विश्वनाथ मेनन :**
श्री पी० राममूर्ति : **श्री उमानाथ :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 18-5-1968 को नई दिल्ली में, सीमा शुल्क प्रवर्तन कर्मचारियों ने एयर इण्डिया के एक वरिष्ठ अधिकारी के घर पर छापा मारा और कुछ दस्तावेज और पत्र जब्त किये ;

(ख) यदि हां, तो जब्त किये गये दस्तावेजों और पत्रों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने मामले की जांच की है ; और

(घ) यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम निकला है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) (क) और (ख): 18 मई 1968 को दिल्ली के केन्द्रीय उत्पादन शुल्क समाहर्ता-कार्यलय के निरोधक कर्मचारियों ने नई दिल्ली में एयर इण्डिया के एक अधिकारी के दफतर तथा निवास-स्थान की तलाशी ली और तीन फाइलें पकड़ी जिनमें एयर इण्डिया के नई दिल्ली तथा पैरिस स्थित कार्यालयों के बीच परस्पर विनिमय हुए टेलेक्स संदेश, और पत्र-व्यवहार एवं सम्बन्धित अधिकारी के कुछ निजी कागज थे ।

(ग) और (घ) : मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है ।

श्री हरिदास मूंदड़ा की ओर कर की बकाया राशि

66. **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री प० गोपालन :
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री उमानाथ :

क्या **वित्त** मंत्री 22 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8005 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता के श्री हरिदास मूंदड़ा की ओर वर्ष 1941-42 से 1962-63 की केन्द्रीय कर की 312.64 लाख रुपये की राशियों को वसूल करने के काम में इस बीच हुई प्रगति और इस बारे में बकाया राशियों के वसूल करने में इतना विलम्ब होने के बारे में जानकारी एकत्र कर ली गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो जानकारी कब तक एकत्र हो जायेगी और विलम्ब के कारण क्या हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां ।

प्रश्न संख्या 8005 के उत्तर में दिये गये आश्वासन को कार्यान्वित करते समय इसकी सूचना संसद को दे दी गई है ।

(ख) सवाल ही पैदा नहीं होता ।

कारखानों से उत्पादन-शुल्क कर्मचारियों को हटाया जाना

67. **श्री नायनार :**
श्री भगवानदास :
श्री नम्बियार :
श्री अब्राहम :
श्री उमानाथ :
श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वयं उत्पादन शुल्क निर्धारित करने की नई योजना लागू किये जाने के परिणामस्वरूप केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग के बहुत से कर्मचारियों की छंटनी की जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें अन्य विभागों में किस प्रकार नियुक्त करने का सरकार का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) (क) और (ख) : नई योजना को लागू करने के लिये प्रशासनिक व्यवस्था तथा कर्मचारियों सम्बन्धी आवश्यकता के ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं। इसलिए, अभी न तो यह बताना संभव है कि नई योजना के कारण केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग के बहुत सारे कर्मचारियों की छंटनी कर दी जायेगी, और न उनको अन्य विभागों में खपाने के प्रस्तावों पर विचार करना संभव है।

चलचित्रों में कार्य करने वाले लोगों से आयकर की बकाया राशि

68. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिनेमा कलाकारों तथा सिनेमा तारिकाओं ने सरकार को आयकर की बहुत बड़ी राशि देनी है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक व्यक्ति की ओर आयकर की कितनी राशि बकाया है ; और

(ग) इस राशि को वसूल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) कुछ मामलों में फिल्म अभिनेताओं तथा अभिनेत्रियों से आयकर की रकमें वसूल होनी बाकी हैं।

(ख) और (ग). सरकार के पास यह सूचना तत्काल उपलब्ध नहीं है। सूचना एकत्रित करने में पर्याप्त समय तथा श्रम लगेगा जो प्राप्त परिणामों के अनुरूप नहीं होगा।

अविवाहित व्यक्तियों का बध्यीकरण

69. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले छः महीनो में देश में बहुत सी अविवाहित लड़कियों तथा लड़कों का बन्ध्यीकरण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० श्री० चन्द्रशेखर) : (क) **और** (ख). राज्यों से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायगी।

नागार्जुन सागर में जवाहर नहर

70. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागार्जुन सागर परियोजना की जवाहर नहर को पूरा करने के लिये आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार को कोई ऋण दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कितना?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) और (ख). सारी परियोजना पर व्यय करने के लिये ही ऋण स्वीकार किये जाते हैं। राज्य सरकार को इस उद्देश्य के लिये चालू वर्ष के दौरान अभी तक 5.25 करोड़ रुपये का ऋण दिया जा चुका है।

भारतीय तेल निगम को ढोलों का सम्भरण

71. **श्री समर गुह :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री 19 फरवरी, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 1048 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्ज हिन्द गालवैनाइजिंग एण्ड इंजिनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा सरकारी विभागों/ उपक्रमों के साथ व्यवहार करन में कदाचार किये जाने पर उसके विरुद्ध कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं, जब कि यह पता लग गया था कि उसने 27 जुलाई, 1967 को सभा -पटल पर रखी गई "संभरणकर्ताओं के लिये मानकीकृत संहिता" के अनुसार भारतीय तेल निगम को "कौल्ड रोल्ड" ढोलों की बजाय "हाट रोल्ड "ढोलों का सम्भरण किया था;

(ख) इस मामले को मध्यस्थ निर्णय के लिये सौंपने के सम्बन्ध में हिन्द गालवैनाइजिंग एंड इंजिनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड की प्रार्थना को स्वीकार किये जाने के क्या कारण हैं, जबकि यह प्रकट हो गया था कि उसने क्रयादेश के निबन्धनों और शर्तों के अनुसार ढोलों का संभरण नहीं किया था, अपितु इसके प्रतिकूल उसने भारतीय तेल निगम को भिन्न प्रकार के ढोल सप्लाई करने के सम्बन्ध में बिल भेजा, जो उसने सप्लाई नहीं किये थे, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय तेल निगम को भारी हानि हुई; और

(ग) क्या उसके विरुद्ध उच्च न्यायालय से इस बीच डिगरी प्राप्त कर ली गई है?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) हिन्द गालवैनाइजिंग एण्ड इन्जिनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड द्वारा "हाट रोल्ड" इस्पात के ढोलों की सप्लाई के बारे में आपत्ति नहीं थी किन्तु प्रश्न उनके द्वारा लिए गये मूल्य से सम्बन्धित था। भारतीय तल निगम द्वारा अदायगी बन्द करने के बाद, निर्माता ने सप्लाई करार की शर्तों की व्याख्या पर विवाद उत्पन्न कर दिया।

(ख) भारतीय तेल निगम और हिन्द गालवनाइजिंग एण्ड इंजिनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड के करार के अनुसार उक्त पार्टियों के बीच उत्पन्न होने वाले किसी प्रकार के विवाद को मध्यस्थ के पास भेजा जाना था। इस मामले में भारतीय तेल निगम द्वारा अदायगी को बन्द करने की कार्यवाही से उत्पन्न विवाद को, उक्त दोनों पार्टियों के करार की शर्तों के अनुसार, मध्यस्थ के पास भेजा गया था।

(ग) अभी नहीं।

भारतीय तेल निगम के लिये ढोल

72. **श्री समर गुह :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री 19 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1047 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) एक मीट्रीक टन "हाट-रोल्ड" चादरों में से 40 ढोल न बनाये जा सकने के क्या कारण हैं, जबकि निर्माताओं द्वारा दो मीट्रीक टन "हाट-रौल्ड" चादरों मे से औसतन 60 "**बौडिज**" और 80 "**ऐंडज**" किये जाते है ; और

(ख) क्या भारतीय तेल निगम का विचार अपने संभरणकर्ताओं को एक टन "हाट रोल्ड" चादरों में से 40 ढोल देने और इसके अनुसार ही पिछली कमी को पूरा करने के लिये कहने का है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख) : "स्टाप वेस्टेज" (Stop wastage) का विचार करते हुए बम्बई और कलकत्ते के सभी ढोल एक मीटरी टन "हाट-रोल्ड" चादर से 38 ढोल देने की पेशकश करते हैं।

भारतीय तेल निगम के लिये ढोल

73. **श्री समर गुह :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री 19 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1047 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "हिन्द गालवैनाइजिंग" के द्वारा 1,11,838 बाकी ढोल सप्लाई न किये जाने के मामले में भारतीय तेल निगम ने उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की है; और

(ख) हिन्द गालवेनाइजिंग द्वारा शेष ढोल न दिये जाने के कारण भारतीय तेल निगम ने अपनी आवश्यकता पूरी करने के लिये अन्य निर्माताओं से जो ढोल खरीदे थे, उनके मूल्यों तथा हिन्द गालवैनाइजिंग के ढोलों के मूल्य के अन्तर को क्या भारतीय तेल निगम ने हिन्द गालवेनाइजिंग की ओर बकाया दिखाया है और उससे वह राशि वसूल कर ली है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) मैसर्स हिन्द गालवेनाइजिंग ने शेष 1,11,838 ढोलों की सप्लाई आरम्भ कर दी है। अब भारतीय तेल निगम उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है।

(ख) मध्यस्थ पंचाट (Arbitrators award) के बाद जो कि मैसर्स हिन्द गालबैनाइजिंग ने स्वीकार कर लिया है, दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के विरुद्ध दावे (claims भी छोड़ दिये हैं। हिन्द गालवैनाइजिंग और इंजोनियर्स कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड इस बात पर सहमत हो गये हैं कि भारतीय तेल निगम ने जो भुगतान रोक लिये थे उस पर वे ब्याज नहीं मांगेंगे और भारतीय तेल निगम इस बात पर सहमत हो गया है कि इस बीच जो ढोल सप्लाई नहीं किये गये उसकी क्षतिपूर्ति के लिए दावा नहीं किया जायेगा।

भारतीय तेल निगम

74. **श्री समर गुह :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री 10 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1046 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम को कलकत्ता के सभी लाइसेंस प्राप्त / पंजीकृत ढोल निर्माताओं के नामों की जानकारी थी ;

(ख) यदि हां, तो ढोलों की अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिये उन सब के साथ व्यवहार न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सप्लायर्ज कारपोरेशन को मनमाने ढंग से क्रयादेश देना जिस के परिणामस्वरूप भारतीय तेल निगम को भारी हानि हुई, इस निगम का गलत काम था; और

(घ) भारतीय तेल निगम ने किन कारणों से सप्लायर्ज कारपोरेशन को क्रयादेश दिये थे ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) क्रयादेश देने के बारे में भारतीय तेल निगम लाइसेन्स-प्राप्त पंजीकृत ढोल निर्माताओं का रिकार्ड नहीं रखता है। सार्वजनिक टेण्डरों के आधार पर क्रयादेशों को अन्तिम रूप दिया जाता है।

(ख) भारतीय तेल निगम सार्वजनिक टेण्डर मंगवाता है और केवल टेण्डर भेजने वाली पार्टियों के साथ पत्र-व्यवहार (या बातचीत) करता है।

(ग) जी नहीं।

(घ) भारतीय तेल निगम के सार्वजनिक टेण्डर के बारे में केवल मैसर्स सप्लायर्स कारपोरेशन ने उत्तर दिया था और अतः उनके साथ बातचीत करने के बाद उन्हें क्रयादेश दिये गये थे।

नगरीय विकास कार्यक्रम

75. **श्री स० चं० सामन्त :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69 में नगरीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत पूरी की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में भावी कार्यक्रम यदि कोई है, तो उस का ब्यौरा क्या है ;

(ख) नगरीय विकास के लिये विभिन्न राज्यों को चालू वर्ष में कितनी वित्तीय सहायता अथवा ऋण दिया गया है अथवा दिया जा रहा है और नई दिल्ली तथा दिल्ली के लिये कितनी धन राशि रखी गई है; और

(ग) इस कार्यक्रम से विभिन्न राज्यों में किन-किन लोगों को फायदा पहुंचने की सम्भावना है और किस प्रकार ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ग). सभा पटल पर रखें गये परिशिष्ठ में अंकित शहरों तथा कस्बों की विकास योजनायें केन्द्रीय सहायता से तैयार की जा रही हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1242/08]** भावी कार्यक्रम स्रोतों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

मास्टर प्लानों में भूमि उपयोगी को निर्धारित करके, पर्याप्त शैक्षिक, चिकित्सा और मनोरन्जन सुविधायें जुटाकर, गंदगी तथा अनियोजित विकास रोककर और जल प्रदाय, सिवरेज एवं नाली जैसी म्युनिसिपल सेवाओं का अधिकतम और मितव्ययी तरीकों से शहरी क्षेत्रों के सुनियोजित विकास की व्यवस्था की जाती है।

(ख) मास्टर प्लानों को तैयार करने के लिये चालू वर्ष में राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता अनुदान के रूप में 90 लाख रुपये नियत किये हैं।

दिल्ली का मास्टर प्लान सितम्बर 1962 में प्रकाशित किया गया था। क्षेत्रीय विकास सम्बन्धी योजनायें तैयार करने का काम नगर एवं ग्राम आयोजन संगठन द्वारा किया जा रहा है। यह संगठन स्वास्थ्य, परिवार नियोजन एवं नगर विकास मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है।

कर प्रणाली का सरलीकरण

76. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसानी से कर निर्धारण करने तथा करदाताओं को परेशानी से बचाने के लिये आय-कर कानून के सरलीकरण की दिशा में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) यह सरलीकरण कार्यक्रम कब तक लागू किये जाने की संभावना है और आय-कर विभाग तथा करदाताओं को क्या लाभ पहुंचेगा ; और

(ग) इस दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गई है और उसका कोई परिणाम निकला है तो वह क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). कर ढांचे को सरल बनाने के लिये पिछले कुछ वर्षों में की गई प्रगति का विवरण-पत्र 6 जुलाई, 1967 को सभा की बैठक के लिये रखे गये तारांकित प्रश्न पर सं० 964 के उत्तर में सभा की मेज पर रखा गया था। इस दिशा में उसके बाद की प्रगति का एक अन्य विवरण-पत्र 16 नवम्बर, 1967 को सभा की बैठक के लिये रखे गये तारांकित प्रश्न सं० 102 के उत्तर में सभा पटल पर रखा गया था। आयकर के क्षेत्र में उसके बाद की गई प्रगति का एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रखा जाता है **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1343/68]**

कर ढांचे को युक्तिसंगत तथा सरल बनाने के लिये श्री एस० भूतलिंगम द्वारा अपनी अंतिम रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का सरकार अभी अध्ययन कर रही है। इस संबंध में इन सिफारिशों पर आयकर-आयुक्तों, वाणिज्य मंडलों तथा अन्य सरकारी संस्थाओं के अभिमत भी मांगे गये हैं। आयकर कानून, कार्यविधि तथा प्रशासन सम्बन्धी व्यवस्था को सरल तथा युक्तिसंगत बनाने के उपायों पर प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट की भी सरकार को प्रतीक्षा है।

सरकार का विचार है कि इन रिपोर्टों का ध्यानपूर्वक अध्ययन हो जाने पर आय कर कानून तथा कार्यविधियों को और भी अधिक सरल तथा युक्ति संगत बनाने के लिये कानून बनाया जाये।

सरलीकृत आयकर कानून तथा कार्यविधि से कर निर्धारण की कार्यवाही शीघ्रता से पूरी होगी तथा करदाताओं को अपनी खुशी से तथा अपने आप कर कानूनों का पालन करने में भी सुविधा रहेगी।

हिमाचल प्रदेश की नदियों द्वारा उत्पादित बिजली पर स्वामित्व की मांग

77. **श्री हेम राज** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री 22 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7944 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश की सरकार की इस मांग पर कोई अन्तिम निर्णय किया है कि हिमाचल प्रदेश की

नदियों से उत्पादित बिजली पर स्वामित्व का एक अंश तथा लाभ उठाने वाले राज्यों द्वारा वसूल किये गये खुशहाली कर में से एक अंश हिमाचल प्रदेश सरकार को भी दिया जाये?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : यह मामला अभी विचाराधीन है।

सोनिया गांधी का आपरेशन

78. **श्री मधु लिमये** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री की पुत्रवधु का दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में 1968 के पहले पखवाड़े में आपरेशन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो आपरेशन कब हुआ था तथा किस अस्पताल में हुआ था;

(ग) क्या इस अवसर पर विशेष उपकरण खरीदे गये थे / लाये गये थे तथा शल्य चिकित्सा कक्ष / अस्पताल अनुभाग में एक से अधिक बार रोगाणुनाशी दवाइयां छिड़की गयीं थीं; और

(घ) क्या डा० लोहिया के मामले में ऐसी सावधानी रखी गयी थी तथा क्या अन्य रोगियों के मामले में ऐसी सावधानी रखी जाती है / रखी जायेगी तथा रखी गई थी?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां।

(ख) 10 मार्च, 1968 को विलिंग्डन अस्पताल, नई दिल्ली में।

(ग) आपरेशन के लिये कोई विशेष उपकरण नहीं खरीदे गये और ना ही बाहर से लाये गये। रोगाणुनाशन तथा जीवाणुहनन संबंधी सामान्य पूर्वोपाय बरते गए।

(घ) अस्पताल के नित्य कर्म के रूप में शल्य चिकित्सा के सभी रोगियों के मामले में ऐसी सावधानी बरती जाती है इस मामले में भी वैसी ही सावधानी बरती गयी।

यूनेस्को को विदेशी मुद्रा का नियतन

79. **श्री मधु लिमये** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में यूनेस्को ने 1966 में छः वातानुकूलकों (एयरकन्डीशनर) के लिये विदेशी मुद्रा प्राप्त की थी;

(ख) क्या यह सच है कि 1967 के प्रारम्भ में उस विदेशी मुद्रा नियतन में से युनेस्कों ने केवल चार मशीनों के लिये भुगतान किया था;

(ग) क्या यह सच है कि शेष दो मशीनों के लिये मैसर्स जी०ई० न्युयार्क और मैसर्स जीना एण्ड कम्पनी, क्लीयरिंग एजेंट, बम्बई को भुगतान की राशि यूनेस्को के प्रशासनिक अधिकारी श्री दीवान द्वारा भारत में यूनेस्को के भूतपूर्व डिप्टी चीफ श्री डनिघम के निजि खाते में से भेजी गई थी;

(घ) क्या ये दो वातानुकूलक श्री डनिघम द्वारा नवम्बर 1966 में बेचे गये थे और श्री दीवान ने श्री डनिघम के खाते में भुगतान का एक भाग जमा कर दिया, उसे विदेशी मुद्रा में बदला और अप्रैल, 1967 में न्युजीलैंड में श्री डनिघम को भेज दिया ;

(ङ) क्या यह सच है कि बाहर भेजी गई इस राशि को श्री दीवान ने श्री डनिघम द्वारा बचाई गई राशि प्रमाणित किया था, और

(च) यदि हां, तो श्री दीवान के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) सरकार अपने साधनों में से संयुक्त राष्ट्र की उन एजेंसियों को कोई विदेशी मुद्रा नहीं देती, जिनकी भारत में रही मुद्रा-पूंजी बदली जा सकती है ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) से (च) : इस मामले में पूछताछ की जा रही है ।

पूर्वी कोसी नहर परियोजना

80. **श्री मधु लिमये** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोसी परियोजना के अन्तर्गत सम्पूर्ण पूर्वी नहर प्रणाली पूरी कर ली गई है और क्या सिंचित क्षेत्र/उत्पादन के लक्ष्य पूरे कर लिये गये हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो पूर्वी नहर की क्षमता के उपयोग में धीमी प्रगति होने के क्या कारण हैं ;

(ग) पश्चिमी नहर प्रणाली कब पूरी होगी ;

(घ) इस पूर्वी नहर प्रणाली पर अगले पांच वर्षों में अनुमानतः कुल कितनी राशि व्यय की जायेगी और उस के लिये कितनी केन्द्रीय सहायता दी जायेगी ;

(ङ) क्या उत्तर बिहार की गरीबी को ध्यान में रखते हुए परियोजना को युद्ध स्तर पर पूरा किया जायेगा ; और

(च) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) पूर्वी कोसी नहर प्रणाली लगभग पूरी हो चुकी है । कुछ एक नालियों तथा अतिरिक्त संरचनाओं का अभी निर्माण किया जाना है । 1967-68 के दौरान 5.676 लाख हैक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई के लक्ष्य के प्रति लगभग 1.62 लाख हैक्टर भूमि की सिंचाई हुई । 1968-69 के दौरान 2.23 लाख हैक्टर भूमि की सिंचाई करने का प्रस्ताव है । सिंचित क्षेत्र में उपज बढ़ गई है ।

(ख) क्षेत्र का पूर्ण विकास धीरे धीरे ही किया जा सकता है । पानी को प्रयोग में लाने की प्रगति ऐसी दूसरी परियोजनाओं में हुई प्रगति के मुकाबले में धीमी नहीं है । उत्पन्न सिंचाई शक्यता को शीघ्रतम उपयोग में लाने के लिए किसानों को जो कि अभी तक पुराने तरीकों का अनुसरण करते थे, सिंचाई के नये तरीकों के बारे में प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा । इसके अतिरिक्त यह क्षेत्र बहुत रेतीला है और इस लिये पानी पर शुल्क को बहुत धीरे धीरे बढ़ाया जायेगा । राज्य सरकार उत्पन्न शक्यता को अधिकतम प्रयोग में लाने के लिए किसानों को प्रशिक्षण देने का पूरा प्रयत्न कर रही है ।

(ग) पश्चिमी नहर प्रणाली के निर्माण कार्य आरम्भ होने से 6 साल में पूर्ण होने की संभावना है। निर्माण कार्य अभी आरम्भ नहीं हुआ है क्योंकि नेपाल सरकार से नेपाल क्षेत्र में नहर के रेखांकन की स्वीकृति नहीं आई है।

(घ) अनुमित लागत 20 करोड़ रुपये है। स्कीम की कार्यान्विति के लिए केन्द्रीय सरकार राज्य की योजना में निर्धारित राशि तक शत प्रतिशत निर्धारित सहायता देगी।

(ङ) राज्य सरकार इस परियोजना का शीघ्र अति शीघ्र निर्माण आरम्भ करने तथा उस को पूर्ण करने के लिए उत्सुक है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

मैसर्स बैंकर ग्रे एन्ड कम्पनी

81. **श्री मधु लिमये** : क्या **वित्त** मंत्री 3 नवम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 316 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कम बीजक बनाने के मामले में, जिस से विदेशी मुद्रा की हानि हुई थी, दिये गये न्याय-निर्णय के विरुद्ध मैसर्स बैंकर ग्रे एन्ड कम्पनी द्वारा दायर की गई अपील पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा सीमा शुल्क बोर्ड ने अपना निर्णय दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी क्रियान्विति का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या समवाय कार्य विभाग ने इस कम्पनी द्वारा किये गये कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन के प्रश्न पर विचार किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस के क्या परिणाम निकले हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सीमाशुल्क समाहर्ता तथा निरीक्षण निदेशक (सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क) द्वारा दिये गये आदेश संख्या 81 के खिलाफ मैसर्स बैंकर ग्रे एन्ड कम्पनी (1930) लिमिटेड द्वारा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा सीमा-शुल्क बोर्ड के सामने दायर की गई अपील का फैसला हो गया है।

(ख) फर्म पर लगाया गया 20 लाख रुपये का दण्ड कम कर के 10 लाख रुपये कर दिया गया है।

(ग) और (घ) : समवाय कार्य विभाग द्वारा मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।

लेखा वाह्य धन / विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघनों / तस्करी का पता लगाने के लिये छापे मारा जाना

82. **श्री मधु लिमये** : क्या **वित्त** मंत्री 10 नवम्बर, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1124 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1966 की तुलना में वर्ष 1967 में लेखा वाह्य धन/विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघनों तस्करी का पता लगाने के लिये डाले जाने वाले छापों की संख्या बढ़ गई है ;

(ख) यदि हां, तो उन का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) छापों की संख्या में वृद्धि के क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) : वर्ष 1966 और 1967 में लेखा बाह्य धन का पता लगाने के लिये आयकर अधिकारियों द्वारा और विदेशी-मुद्रा-विनियम का उल्लंघन करने वाले मामलों का पता लगाने के लिये प्रवर्तन निदेशालय द्वारा ली गई तलाशियों की संख्या नीचे ी गई है :—

	आयकर अधिकारियों द्वारा	प्रवर्तन निदेशालय द्वारा
1966 . ; .	221	885
1967 . . .	143	1085

इससे पता चलेगा 1966 के मुकाबले 1967 में, आयकर अधिकारियों द्वारा ली गई तलाशियों की संख्या कम है, और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा ली गई तलाशियों की अधिक है।

चोरी-छिपे किये गये आयात-निर्यात के मामलों का पता लगाने के लिये, सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा ली गई तलाशियों के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा की मेज़ पर रख दी जायेगी।

(ग) प्रवर्तन निदेशालय को प्राप्त सूचना रिपोर्टों की और उसके द्वारा इकट्ठी की गई गुप्त सूचनाओं की संख्या 1966 की अपेक्षा 1967 में अधिक थी। वर्ष 1967 में प्रवर्त न निदेशालय द्वारा ली गई तलाशियों की संख्या में वृद्धि के लिये इसके अतिरिक्त और कोई विशिष्ट कारण नहीं दिया जा सकता। यह स्वाभाविक ही है कि ऐसे कार्यों में वर्ष प्रति वर्ष में कुछ तो अन्तर होगा ही।

अन्तर्राज्यिक नदी जल विवाद

84. श्री कं० हाल्दर :
श्री श्रीचरन :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री 22 अप्रैल, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 1354 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों के बीच विद्यमान नदी जल विवादों को हल करने के लिये सरकार द्वारा तब से क्या अग्रेतर प्रयत्न किये गये हैं ;

(ख) क्या मध्यस्थता के बिना उनके विवाद हल होने की कोई सम्भावना है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : क्योंकि कृष्णा और गोदावरी नदियों से सम्बद्ध विवादों का फैसला बातचीत द्वारा नहीं हो सका, इसलिये इन झगड़ों को अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के अधीन न्यायाधिकरण को सौंपने के लिये पग उठाए जा रहे हैं।

राज्यों का सिंचाई परियोजना के लिये धन का नियतन

85. श्री स० कुन्डू : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के बजट में सिंचाई के लिये इस वर्ष नियत की गई 25 करोड़ रुपये की राशि भारत के किन-किन परियोजनाओं के लिये नियत की गई है; और

1740(Ai)LS—6.

(ख) इस राशि का नियतन करने में यदि किसी मानदंड से काम लिया गया है, तो वह क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) निम्नलिखित परियोजनाओं को 25 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता आवंटित की गई है :

राज्य का नाम	परियोजना का नाम	1968–69 के दौरान आवंटित अतिरिक्त सहायता
		करोड़ रुपयों में
आन्ध्र प्रदेश	नागार्जुनसागर	5.50
बिहार	गंडक	6.00
	सोन उच्च स्तर नहर	0.70
हरियाणा	ब्यास यूनिट–II (पोंग बाँध–सिंचाई व बिजली)	0.11
उड़ीसा	महानदी डेल्टा	2.00
पंजाब	ब्यास यूनिट–II (पोंग बाँध–सिंचाई व बिजली)	0.77
राजस्थान	राजस्थान नहर (चरण–I)	35.0
	ब्यास यूनिट–II (पोंग बाँध–सिंचाई व बिजली)	2.72
उत्तर प्रदेश	गंडक	2.00
पश्चिमी बंगाल	कंसवती	1.30
	योग	25.00

(ख) जिस मुख्य सिद्धांत (कसौटी) का पालन किया गया वह था उन बड़ी सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति में तेजी लाना जो कि निर्माण की प्रौढ़ावस्था में हैं ताकि आगामी 3–4 वर्षों के दौरान काफी लाभ प्राप्त किया जा सके।

पेट्रोलियम उत्पादों के लिये तट-दूर खुदाई

86. **श्री स० कुन्डू** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पैट्रोलियम उत्पादों के लिए तट-दूर खुदाई के लिये जापान के साथ अन्तर्राष्ट्रीय करार किया है;

(ख) क्या उड़ीसा के तटों पर तट-दूर खुदाई करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उड़ीसा को सूखे के सम्बन्ध में सहायता

87. **श्री स० कुन्डू :**
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :
श्री अ० दीपा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा को सूखे के सम्बन्ध में सहायता के लिए अब तक कितनी धनराशि किन-किन मदों के अन्तर्गत दी गई है;

(ख) क्या केन्द्रीय अध्ययन दल ने, जिसने जून, 1968 के पहले सप्ताह में उड़ीसा का दौरा किया था, केन्द्रीय सरकार को प्रतिवेदन दे दिया है; और

(ग) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गयी है?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) मुफ्त आर्थिक सहायता तथा राहत सम्बन्धी कार्यों आदि जैसे सहायता के कामों पर खर्च किये जाने के लिए, उड़ीसा की सरकार को चालू वर्ष में, अब तक, 1.50 करोड़ रुपये की रकम दी गयी है।

(ख) जी, हां।

(ग) दल की रिपोर्ट का सारांश सभा पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1343/68**] रिपोर्ट की एक प्रति राज्य सरकार को भेज दी गयी है और उनको सूचना दे दी गई है कि सहायता सम्बन्धी खर्च में केन्द्र का अंशदान, दल की सिफारिशों के आधार पर होगा।

आयकर की बकाया राशि

89. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी :**
श्री कृ० दे० त्रिपाठी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर दाताओं द्वारा किये गये अग्रिम भुगतानों तथा अन्य भुगतानों को शामिल करने के पश्चात् 30 जून, 1968 को आय कर की कितनी कुल राशि बकाया थी;

(ख) कितनी राशि वसूल करने योग्य समझी जाती है; और

(ग) ऐसी राशि को वसूल करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

नीमच (मध्य प्रदेश) में एलक्लायड का कारखाना

90. **श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नीमच (मध्य प्रदेश) में एलक्लायड का कारखाना कब पूरा हो जायेगा तथा उसमें उत्पादन कब आरम्भ हो जायेगा;

(ख) अधिष्ठापित क्षमता के अनुसार उसमें अनुमानतः कितना तथा कितने मूल्य का उत्पादन होगा; और

(ग) कारखाने में कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) कारखाना स्थापित करने के लिए संशोधित अनुमानों के ब्यौरे सरकार के विचाराधीन हैं। इस स्थिति में यह बताना संभव नहीं है कि कारखाना कब पूरा होगा अथवा उसमें कितना तथा कितने मूल्य का उत्पादन होगा अथवा उसमें कितने व्यक्तियों को रोजगार मिल सकेगा। यह अवश्य है कि इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने की पूरी कोशिश की जा रही है।

विश्व बैंक से ऋण

91. **श्री एस्थोस** : **श्री उमानाथ** :
श्री अ० कु० गोपालन : **श्री रमानी** :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने संकेत दिया है कि भविष्य में विश्व बैंक से ऋण केवल गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के लिये ही उपलब्ध होगा; और

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में बैंक ने कितना ऋण देने का वचन दिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) विश्व बैंक ने भारत सरकार को ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है कि बैंक भविष्य में केवल गैर-सरकारी क्षेत्र को ही ऋण देगा। पर 1966 से, भारत के सम्बन्ध में, विश्व बैंक ने गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को, स्वयं कड़ी शर्तों पर ऋण दिये हैं, जब कि सरकारी क्षेत्र को इसने राष्ट्रीय विकास संघ की मारफत ऋण दिये हैं जो विश्व बैंक से सम्बद्ध ऐसी संस्था है जो उदार शर्तों पर ऋण देती है। इस वर्ष के लिए विश्व बैंक ने सरकारी या गैर-सरकारी, किसी भी क्षेत्र को, अभी तक कोई रकम देने का वचन नहीं दिया है।

कोयम्बतूर में मिट्टी के तेल की कमी

92. **श्री एस्थोस : श्री इब्राहिम :**
श्री नम्बियार : श्री रमानी :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या हाल के महीनों में कोयम्बतूर नगर में मिट्टी के तेल की कमी की ओर केन्द्रीय सरकार का ध्यान दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण और

(ग) कोयम्बतूर नगर को मिट्टी के तेल की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध हो इसके लिये केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघरामैया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग), प्रश्न नहीं उठना।

जीवन बीमा निगम का पूंजी विनियोजन

93. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम ने विभिन्न कम्पनियों से एक लाख से अधिक रुपये के अंश खरीदने पर क्या गारण्टी ली है;

(ख) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम के बड़े बड़े अधिकारियों के निकट सम्बन्धी कम्पनियों के अंश खरीदने तथा जीवन बीमा निगम की ओर से कारोबार करने के लिए एजेंटों के रूप में काम करते हैं; और

(ग) इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) कम्पनियों के शेयर खरीदने के सम्बन्ध म जीवन बीमा निगम किसी प्रकार की किसी से गारण्टी नहीं लेता। पूंजी-बाजारों में ऐसा कोई रिवाज नहीं है।

(ख) केवल मान्यता प्राप्त वायदा बाजारों के रजिस्टर्ड सदस्यों के मार्फत ही सभी लेन-देन किए जाते हैं। जीवन बीमा निगम के उच्च अधिकारियों के कुछ नजदीकी रिश्तेदारों के एसे वायदा बाजारों के रजिस्टर्ड सदस्य होने का निगम को पता नहीं है। निगम के केन्द्रीय कार्यालय के पूंजी निवेश विभाग का ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जिसके रिश्तेदार वायदा बाजारों के रजिस्टर्ड सदस्य हों।

(ग) यह सवाल ही नहीं उठता।

सोडा बाइकारबोनेट के उत्पादन के लिये दिया गया लाइसेंस

94. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री 22 अप्रैल, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 1369 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस बीच म हाल ही में मैसूर में एक बहुत छोटे कारखाने "कटों में" सैंकड़ों टन सोडा बाइकार्बोनेट बनाने के लिये लाइसेंस दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि मैसूर के औषधियां बेचने वालों ने सरकार को शिकायत की है कि कारखाने ने छोटे पैकेट न बनाकर सोडा बाइकार्बोनेट थोक में चोर बाजार में बेच दिया है; और

(ग) उस कारखाने के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघरामैया): (क) भारत सरकार ने मैसूर में सोडा बाइकार्बोनेट के उत्पादन के लिए कोई लाइसेंस जारी नहीं किया है ।

(ख) केन्द्रीय सरकार के पास कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पंजाब नेशनल बैंक

95. **श्री अब्दुल गनी दार :** क्या **वित्त** मंत्री 11 मार्च, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 557 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब नेशनल बैंक के उच्चतम अधिकारियों ने जो अनियमिततायें की हैं उनके बारे में की जा रही जाँच इस बीच पूरी हो गयी है;

(ख) यदि हाँ, तो जाँच प्रतिवेदन का ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ग) यदि नहीं, तो देरी के क्या कारण हैं और इसके कब तक पूरे होने की सम्भावना है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हाँ ।

(ख) केन्द्रीय जाँच कार्यालय (सेण्ट्रल ब्यूरो आफ इन्वेस्टिगेशन) द्वारा की गयी जाँच के आधार पर 17 जून, 1968 को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 120-ख और धारा 400 के अन्तर्गत पंजाब नेशनल बैंक के दो भूतपूर्व अधिकारियों तथा स्टाक और शेयर के तीन दलालों पर दिल्ली के प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट की अदालत में मुकदमा दायर कर दिया गया है ।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

सोवियत रूस से ऋणों की राशि का लौटाया जाना

96. **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार सोवियत रूस के ऋणों के लौटाये जाने की व्यवस्था में समुचित परिवर्तन किए जाने के लिये प्रयत्न कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार को इस सम्बन्ध में कितनी सफलता मिली है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि 1967–68 में भारत द्वारा रूस के ऋण के भुगतान की राशि भारत को प्राप्त रूसी सहायता की राशि से अधिक थी और यदि हाँ, तो कितनी अधिक थी;

(घ) क्या 1968–69 में भुगतान की स्थिति वैसी ही रहेगी, और

(ङ) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). सोवियत समाजवादी जनतंत्र संघ के मामले में व्यापार और अदायगियों के सम्बन्ध में सन्तुलित व्यवस्था है जिसके अनुसार आयात के लिए की जाने वाली अदायगियों सहित समस्त अदायगियाँ तथा ऋण सम्बन्धी अदायगियाँ निर्यात और अदृश्य मदों से होने वाली कुल आय से संतुलित हो जाती है। समय-समय पर दोनों सरकारें इन प्रबन्धों से पैदा होने वाले प्रश्नों पर विचार-विमर्श करती रहती हैं। चाहे वे प्रश्न आयात से सम्बन्धित हो या निर्यात से या ऋण सम्बन्धी वापसियों से। इस प्रकार के विचार-विमर्श का स्वरूप ही ऐसा है कि यह विचार-विमर्श लगातार चलता रहता है जिसमें समय-समय पर बदलने वाली परिस्थितियों का भी ध्यान रखा जाता है।

(ग) 1967–68 के दौरान सोवियत ऋणों से वास्तव में 47.14 करोड़ रुपये की निकासियाँ की गयीं जब कि ऋण का 58.31 करोड़ रुपया वापिस किया गया (जिसमें 9.36 करोड़ रुपये की ब्याज की अदायगी शामिल है)।

(घ) जी नहीं। अनुमान है कि 1968–69 में सोवियत ऋणों से की जाने वाली निकासियाँ ऋण सम्बन्धी वापसियों से अधिक होंगी।

(ङ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग व आयल इंडिया लिमिटेड का पुनर्गठन

97. श्री देवेन सेन :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इंडिया लिमिटेड का पुनर्गठन करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो पुनर्गठन किस प्रकार किया जायेगा और इसे कार्य रूप कब दिया जायेगा ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख). आयल इंडिया लिमिटेड के पुनर्गठन के बारे में अनुमान समिति (एस्टीमेट्स कमेटी) की कई सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं; किन्तु तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के सम्बन्ध में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के बारे में रूसी विशेषज्ञ दल का प्रतिवेदन

98. श्री देवेन सेन : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्री महोदय का विचार तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के बारे में रूसी विशेषज्ञ दल का हाल का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया):
(क) जी नहीं।

(ख) रूसी विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट भूमि तथा तट से दूर क्षेत्रों में तेल के उत्पादन से सम्बन्धित तकनीकी पहलुओं पर, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के निजी मार्ग दर्शन के लिये थी।

"थ्रोम्बोसिस" रोग के इलाज के लिये सर्प विष

99. **श्री देवेन सेन** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान सर्प विष से निकाले गये प्रोटीन से थ्रोम्बोसिस के नये उपचार के बारे में समाचार पत्रों में प्रकाशित एक समाचार की ओर दिलाया गया है जो कोरोनरी थ्रोम्बोसिस में भी सहायक सिद्ध हो सकता है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार ब्रिटेन की तरह इस मामले में प्रयोग करने करने का है?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति):
(क) जी नहीं।

(ख) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

Accommodation for Government Employees in Delhi

100. **Shri Kanwar Lal Gupta :** Will the Minister of **works, Housing and Supply** be pleased to state :

(*a*) the total number of Government employees in Delhi at present and the number of employees out of them who have been allotted Government quarters ; and

(*b*) the number of quarters to be constructed for them during the next three years and the number of quarters to be constructed for class III and class IV employees, separately ?

The Deputy Minister in the Ministry of works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (*a*) According to the statistical data available in the Directorate of Estates the total demand, as on 1st May, 1968, from Government servants working in eligible offices in Delhi New Delhi is 1,00,099 as against 39,822 residential units in the general pool.

(*b*) The programme for the construction of quarters, in any particular year depends upon the availability of funds. Subject to the availability of funds it is proposed to sanction construction of about 2,000 residential units every year.

The planning for future construction is done keeping in view the percentage of satisfaction in various types. While the planning is being done for construction of some quarters of type V and above, Government have mainly been concentrating on construction of accommodation in the lower types. The construction is planned on the basis of pay ranges and entitlement as provided in the Allotment Rules and not on the basis of mployees working against class III and class IV posts. Class III and class IV employees are generally entitled to allotment of types III, II and I.

Electric Fans in class IV Quarters

101. Shri Kanwar Lal Gupta : Will the Minister of **works Housing and Supply** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that electric fans have not been provided in the quarters meant for class IV employees, particularly in the quarters constructed in Aram Bagh and Panchkuin Road areas, New Delhi ; and

(*b*) if so, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh): (*a*) and (*b*) In most of the type I general pool quarters meant for class IV employees, including the quarters in Block 80 at Chitra Gupta Road (Aram Bagh) and the newly constructed quarters at Panchkuin Road, ceiling fans at the rate of one ceiling fan per house have been installed. Excepting the old quarters in Block 85 in Panchkuin Road, ceiling fans are not being provided in the remaining quarters.

The quarters in Block 85, Panchkuin Road, have not been electrified as these are to be demolished in connection with the re-development of the area.

हरिजनों तथा ग्रादिवासियों संबंधी मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन का निर्णय

102. **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री टी० पी० शाह :

क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में हाल ही में हुई मुख्य मन्त्रियों की बैठक में हरिजनों तथा ग्रादिवासियों के साथ न्यायोचित व्यवहार करने के लिये कोई कार्यक्रम तैयार किया गया था; ग्रौर

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्रीमती फुलरेणु गुह) : (क) ग्रौर (ख). 1 मई, 1968 में हुए मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन में कानून ग्रौर व्यवस्था बनाए रखने से सम्बन्धित तथा ग्रनुसूचित जातियों ग्रौर ग्रनुसूचित ग्रादिम जातियों की विकास-नीति समस्याग्रों पर विमर्ष हुग्रा । यह सहमति हुई कि प्रशासन का सारा ज़ोर समाज के कमज़ोर ग्रंगों की तरफ हो । इस बात पर भी ज़ोर दिया गया कि :

(1) विकास गतिविधियों में ग्रनुसूचित जातियों का उचित भाग हो ।

(2) सेवाग्रों में ग्रनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व को प्रचलित करने के प्रयास बढ़ाए जायें । गृह मन्त्रालय ने इस प्रश्न की जाँच के लिए एक उच्च ग्रधिकार वाली समिति नियुक्त की है जिसके गृह-मन्त्री ग्रध्यक्ष हैं । राज्य सरकारें भी ऐसी समितियाँ नियुक्त कर सकती हैं ।

(3) ग्रधिशेष ग्रौर ग्रवशिष्ट भूमि पर भूमिहीन ग्रनुसूचित जातियों को बसाने के लिए विशष कदम उठाए जायें ।

(4) राज्यों में हरिजन कल्याण विभागों को उनके योग्य महत्व दिया जाए ।

(5) मुख्य मन्त्रियों के साथ ग्रनुसूचित जातियों ग्रौर ग्रनुसूचित ग्रादिम जातियों के ग्रायक्त की समय समय पर बैठकें हों ताकि ग्रायुक्त द्वारा की गई सिफारिशों पर शीघ्रता से ग्रनुयमन कार्यवाही हो सके ।

उर्वरक के उत्पादन की सम्भावनायें

103. **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री टी॰ पी॰ शाह :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी सहयोग से उर्वरक के उत्पादन के लिये परियोजनायें स्थापित करने के लिये बातचीत असफल होने के कारण उर्वरक के उत्पादन में वृद्धि की सम्भावनायें कम हो गई हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो असफल हो गये प्रस्तावों का तथा ऐसे प्रस्तावों का जिनके बारे में बातचीत अभी चल रही है ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या वैकल्पिक उपाय करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख) जी नहीं। उर्वरक परियोजनाओं की, जो पार्टियों के अपने प्रस्ताव वापिस लेने के कारण प्रगति न कर सकीं, कुल क्षमता 302,000 मीटरी टन नाइट्रोजन थी। उक्त क्षमता मैसर्स फिल्पस पैट्रोलियम कम्पनी द्वारा हल्दिया में स्थापित किये जाने वाले उर्वरक कारखाने की 142,000 मीटरी टन क्षमता और मोदी इण्डस्ट्रीज के सहयोग से मैसर्स रोहम एण्ड हास द्वारा गाजियाबाद में स्थापित किये जाने वाले उर्वरक कारखाने की 160,000 मीटरी टन क्षमता से सम्बन्धित है।

जिन पार्टियों को गोआ, मंगलौर, मिर्ज़ापुर, विशाखापत्तनम के विस्तार और महाराष्ट्र में उर्वरक कारखानों की स्थापना के लिए आशय-पत्र/लाइसेन्स जारी किये गये थे, उनसे शीघ्र ही बातचीत पूरी हो जाने की आशा है।

(ग) हल्दिया में एक उर्वरक कारखाने की स्थापना के बारे में बातचीत जारी है।

हरिजनों द्वारा कूड़े को सिरों पर उठाना

104. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को इस आशय की हिदायतें जारी कर दी हैं कि गाँधी जन्म शताब्दी से देश में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे हरिजनों को अपने सिरों पर कूड़ा न उठाना पड़े;

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिये राज्य सरकारों को कोई अनुदान देने का सरकार का विचार है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्रीमती फुलरेणु गुह) : (क) नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सिर पर मल उठाने की प्रथा को मिटाने के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को सहायक अनुदान देने हेतु भारत सरकार की पहले से ही एक परियोजना है।

मद्य-निषेध लागू करने वाले राज्यों को प्रतिकर

105. **श्री धीरेश्वर कलिता :**
श्री विभूति मिश्र :

क्या **समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने यह माँग की है कि उन्हें मद्य-निषेध लागू करने के कारण होने वाली पूरी हानि की पूर्ति केन्द्र द्वारा की जानी चाहिए; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) और (ख) कुछ समय से राज्य सरकारों सिवाय राजस्थान सरकार से कोई ऐसा संचार प्राप्त नहीं हुआ जिसमें ऐसे क्षेत्रों में जहाँ मद्य निषेध नहीं है मद्य निषेध लागू करने से हो जाने वाली आबकारी राजस्व की हानि की शत प्रतिशत पूर्ति की माँग की गई हो। इससे पहले मद्य निषेध अध्ययन दल (टेक चन्द समिति) की सिफारिशों पर टिप्पणी भेजते हुए उन राज्यों, जहाँ मद्य निषेध नहीं है ने शत प्रतिशत क्षति-पूर्ति का निवेदन किया था। तो भी, राज्य सरकारों को सूचित किया गया था कि राज्य द्वारा हो सकने वाली हानि की पूर्ति के लिए भारत सरकार 50 प्रतिशत अंशदान देने को तैयार थी। राजस्थान सरकार तथा अखिल भारतीय मद्य निषेध परिषद् को भी जवाब देते हुए कुछ समय पूर्व यही स्थिति फिर बता दी गई है।

बाल कल्याण समिति

106. **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या **समाज कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में बाल कल्याण की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए गठित की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) सरकार ने उन पर क्या निर्णय किये हैं ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

उर्वरकों के लिये विक्रय कार्यक्रम का न होना

107. **श्री क० लकप्पा** : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विक्रय सम्बन्धी कार्यक्रम न होने के कारण कई उर्वरक कारखानों को अपने उत्पाद बेचने में गम्भीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है; और

(ख) यदि हाँ, तो इन उर्वरक कारखानों को अपनी बिक्री में वृद्धि करने में सहायता देने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) यह स्पष्ट नहीं है कि संसद् सदस्य महोदय का विक्रय कार्यक्रम से क्या आशय है । उर्वरक कारखाने अपने कार्यक्रम को स्वयं बनाते हैं और अपने उत्पादों को बेचते हैं । बेमौसम में स्टाक के अस्थायी संचय की अपेक्षा कोई गम्भीर समस्या पेश नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली में बाढ़ नियंत्रण

108. **श्री क० लकप्पा** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आगामी वर्षा ऋतु में दिल्ली में बाढ़ नियन्त्रण के लिये कोई उपाय किये हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी हाँ।

(ख) ढासा बाँध को उसके प्रति स्रोत में पत्थर लगा कर पक्का कर दिया गया है तथा उसे ऊंचा और चौड़ा भी कर दिया गया है । ढासा आऊट फाल चैनल की क्षमता को 450 क्यूसेक से बढ़ा कर 1500 क्यूसेक कर दिया गया है । नजफगढ़ झील में से 15′ × 4′ का एक पायलाट सेक्शन भी खोद दिया गया है ।

नजफगढ़ नाले की क्षमता झटीका से छावला की पहुंच में 900 क्यूसेक से बढ़ा कर 1850 क्यूसेक, छावला से कक्रौलातक की पहुंच में 450 क्यूसेक से बढ़ा कर 1850 क्यूसेक और कक्रौला से यमुना तक जहाँ यह नाला गिरता है, की पहुंच में 3000 क्यूसेक कर दी गई है । शहरी क्षेत्र में भी पिचिंग कार्य कर दिया गया है ।

कंझावला ब्लाक के नाँगलोई रेलयार्ड में रेल पुल का पुनरूपण किया गया है । रेल पुल के प्रति अनुस्रोत में करारी सुलेमान नाले की क्षमता बढ़ा दी गई है । नाँगलोई व अन्य सम्पर्क नालों से गाद भी निकाल दिया गया है ।

अलिपुर ब्लाक में बवाना एस्केप का पुनरूपण कर दिया गया है जिसकी क्षमता आउट फाल पहुंच में 341 क्यूसेक के प्रति 715 क्यूसेक कर दी गई है । नाला नं० 6 का पुनरूपण किया गया है जिसकी क्षमता 14000 फुट की लम्बाई में 191 क्यूसेक से बढ़ा कर 375 क्यूसेक कर दी गई है ।

मुगल बन्ध को चौड़ा किया जा रहा है जिसके ऊपरी भाग की चौड़ाई 50 फुट होगी । बाएं उपान्त बंध और शाहदरा बाँध का पहले की तरह रख-रखाव किया जा रहा है । बाएं उपान्त बंध पर स्पर नं० 12 से यमुना बाजार तक पिचिंग का काम प्रगति पर है ।

यमुना और साहिबी नदियों से सम्बद्ध बाढ़ पूर्व सूचनाएं केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग द्वारा जारी की जा रही हैं ।

परिवार नियोजन का नया तरीका

109. **श्री क० लकप्पा** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार परिवार नियोजन का एक नया तरीका लागू करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या "प्रतिरोधात्मक दृष्टि" के आधार पर कोई प्रयोग किये गये हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० श्री० चन्द्र शेखर): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) प्रतिरोधात्मक अध्ययन अभी किये जा रहे हैं।

Removal of Khokhas near Bus Stand, Shahdra (Delhi)

110. **Shri Nihal Singh** : Willl the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that 10 persons had been running shops in wooden shed (khokhas) since 1947 near Shahdra Bus stand, Delhi and they paid tax to the Municipal Corporation from 1957 to 1967 but they have now been evacuated from there ;

(*b*) whether it is also a fact that 12 shops have been constructed in that area and the fomer Assistant Commissioner of Shahdra had assured the aforesaid persons that those shops would be allotted to them but out of those shops, 6 shops have already been allotted to some outsiders ;

(*c*) whether it is further a fact that the aforesaid persons submitted applications to the Governor of Delhi and also to the Mayor of Delhi Municipal Corporation but no action has been taken ; and

(*d*) if so, the action taken by the Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (*a*) to (*d*). Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Employees of Kalawati Saran Hospital, New Delhi

111. **Shri Nihal Singh** : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(*a*) whether it is a fact that orders for terminating the services of about 60 employees who were engaged in sanitation work in Kalawati Saran Hospital, New Delhi have been issued ;

(*b*) if so, the names of the hospitals where the aforesaid employees have been given alternative appoinments and the number of those out of them who are still unemployed ; and

(*c*) the reasons for not employing them somewhere else ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development(Shri B.S. Murthy): (*a*) Out of 60 temporary Class IV employees of the Kalawati Saran Children's Hospital who were found surplus to its requirements the management of the institution has retrenched 39 employees so far.

(*b*) and (*c*) Efforts are being made to find alternative employment for the retrenched persons in other institutions. One of them has already been employed in the Safdarjang Hospital, New Delhi.

Vacancies equal to the number of retrenched employees are not immediately available.

Payment of Income Tax by certain companies

112. Shri Nihal Singh : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(*a*) the amount of Income-tax paid to Government by M/s J and K Electronics, Kanpur and M/s Telerad, Bombay during the last five years separately ;

(*b*) the amount of Income-tax still to be recoverd from them ; and

(*c*) the action taken by Government for recovering the arrears of Income-tax?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (*a*) to (c) The required information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as it is received.

"Birla Group of Industries"

113. Shri Nihal Singh : Will the Minister of **Finance** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 682 on the 18th March, 1968 and state :

(*a*) the number of years for which the excise duty arrears were outstanding against 11 Companies of the Birla Group of Industries in Maharashtra and Gujarat and the amount of excise duty due from each of those companies separately ; and

(*b*) the details regarding those two comapanies against whom excise duty arrears are outstanding and the action taken for recovering the outstanding amount ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (*a*) and (*b*) In reply to Starred Question No. 682 there was no mention that arrears were outstanding againrt 11 Companies for a number of years. Out of 11 Companies referred to in the reply, demands were raised and duties collected from 2 Companies as per details given below :

S. No.	Name of Company	Amount of duty collected.	Period to which the short levy relates.
		Rs.	
1.	M/s. Shri Digvijay Woollen Mills, Jamnagar.	2585.00	April, '66 to September '67.
2.	M/s. Vallabh Textiles Mills Ltd., Kalwa, Thana.	10.88	1967

There are now no demands outstanding against the 11 Companies. However, there is a dispute in respect of duty amounting to Rs. 1907/- against M/s. Vallabh Textiles Ltd., Bombay and the question of issuing a demand will be decided when the dispute is adjudicated.

तस्करी

116. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि प्रति वर्ष रेल, सड़क, विमान तथा समुद्र के मार्ग से लगभग एक सौ करोड़ रुपये के मूल्य का माल चोरी छिपे भारत में लाया जाता है ;

(ख) क्या सरकार ने बड़े पैमाने पर हो रही इस तस्करी, विशेषतः सोने की तस्करी को कारगार ढंग से रोकने के लिये कोई योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वर्तमान कानून को अधिक कठोर बनाने का है जिससे तस्कर व्यापार करने वाले यह धन्धा करने से डरें ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) सरकार यह जानती है कि जल, थल तथा हवाई मार्गों से माल चोरी छिपे भारत में लाया जाता है । परन्तु तस्कर आयात की वास्तविक माला का ठीक ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, हां ।

भारतीय पटसन की नेपाल को तस्करी

117. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की पश्चिम बंगाल सीमा के पार नेपाल को भारतीय पटसन की बड़ी भारी माला में तस्करी की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है ;

(ख) क्या इस प्रकार चोरी-छिपे ले जाये गये भारतीय पटसन की नेपाल में गांठें बनाई जाती हैं और उसका नेपाली पटसन के रूप में कलकत्ता पत्तन से निर्यात किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) पश्चिम बंगाल की सीमा से होकर नेपाल को कच्ची जूट के तस्कर निर्यात की कुछ रिपोर्टें मिली हैं ।

(ख) रिपोर्टों से पता चलता है कि चोरी छिपे नेपाल ले जाई गई भारतीय जूट को वहां से नेपाली जूट के रूप में कलकत्ता पत्तन के जरिए गांठों में निर्यात किया जाता है ।

(ग) सीमा पर स्थित सभी निरोधक तथा गुप्त सूचना कार्यालयों को सतर्क कर दिया गया है तथा निरोधात्मक व्यवस्था सुदृढ़ कर दी गयी है ।

सीमावर्ती क्षेत्रों में मिलावट वाली औषधियों का व्यापार

118. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों में जहां औषध निरीक्षणालयों का नियन्त्रण सामान्यतः कमजोर है और अपराधी बच कर अन्य राज्यों में चले जाते हैं मिलावट वाली अधिकांशतः लोकप्रिय औषधियों का बड़े पैमाने पर व्यापार चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अपराधियों का पता लगाने का काम केन्द्रीय जांच विभाग को सौंपने का है;

(ग) क्या सरकार का विचार औषध निरीक्षणालयों को, जो अभी राज्य सरकारों के नियंत्रणाधीन हैं, अपने नियन्त्रण में लेने तथा उन्हें सुदृढ़ बनाने का भी है; और

(घ) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं। वैसे, जिन मामलों में आवश्यक समझा जाता है केन्द्रीय जांच विभाग की सहायता ली जाती है।

(ग) जी नहीं।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

स्टेट बैंक आफ इंडिया

119. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामाजिक नियन्त्रण के सिद्धान्तों का स्टेट बैंक आफ इण्डिया में कहां तक परीक्षण किया गया है ;

(ख) क्या स्टेट बैंक ने अन्य अनुसूचित बैंक की अपेक्षा कृषि तथा लघु उद्योगों के लिये अनुपातत: अधिक अग्रिम राशि दी हुई है ;

(ग) स्टेट बैंक की कार्यकारी पूंजी सरकारी तथा गैर-सरकारी निकायों की जमा के अतिरिक्त जमा राशियों से अनुपात क्या है और अन्य अनुसूचित बैंकों की तुलना में यह कैसे है; और

(घ) क्या स्टेट बैंक की कार्यकारी लागत और लाभ अन्य अनुसूचित बैंकों की औसत की तुलना में अधिक है या कम है और इसके तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) उप-प्रधान मन्त्री ने, दिसम्बर, 1967 में संसद् में, अपने वक्तव्य में सामाजिक नियन्त्रण की जिस योजना की घोषणा की थी उसे भारतीय राज्य बैंक समेत सभी वाणिज्यिक बैंक धीरे धीरे क्रियान्वित कर रहे हैं। भारतीय राज्य बैंक के निदेशकों के केन्द्रीय बोर्ड में और उसके अधिकतर स्थानीय बोर्डों में उद्योगपति निदेशकों/सदस्यों का अल्पमत है। भारतीय राज्य बैंक सभी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को अधिक वित्तीय सहायता देने की अपनी नीति पर बराबर अमल कर रहा है और वह इस सम्बन्ध में, राष्ट्रीय ऋण परिषद् द्वारा दिये जाने वाले निर्देशनों को क्रियान्वित करेगा। अन्य व्यवस्थाओं को, खास कर निदेशकों और उनके संस्थानों को ऋण और अग्रिम न देने सम्बन्धी व्यवस्था को बैंकिंग विधि (संशोधन) विधेयक, 1967 के लागू हो जाने के बाद क्रियान्वित किया जाएगा।

(ख) जी, हां।

(ग) गैर-सरकारी क्षेत्रों द्वारा, भारतीय राज्य बैंक और अन्य अनुसूचित बैंकों में जमा की गयी रकमें, मार्च 1967 में, भारतीय राज्य बैंक और अनुसूचित बैंकों की कार्यचालन पूंजी का क्रमश: 73.7 और 84.1 प्रतिशत थी।

(घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे यथासमय सभा की मेज पर रख दिया जायगा।

सरकार को माल सप्लाई करने के लिये टेन्डर देने वाले निर्माताओं के गिरोह का तोड़ा जाना

120. **श्री धीरेन्द्र नाथ देव** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में नई दिल्ली में यह वक्तव्य दिया था कि सरकार को माल सप्लाई करने के लिये टेन्डर देने वाले निर्माताओं के गिरोह को उनके मन्त्रालय ने सफलतापूर्वक तोड़ दिया है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों में उनके मन्त्रालयों का अनुभव क्या है जिसके परिणामस्वरूप मन्त्री महोदय ने ऐसा वक्तव्य दिया ; और

(ग) तथाकथित गिरोह के टूटने के परिणामस्वरूप सरकार को कितनी बचत होने की सम्भावना है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इक़बाल सिंह) : (क) और (ख). जी, हां। पिछले 2 वर्षों में ऐसे कई मामले ध्यान में आए हैं जिनमें पूर्ति और निपटान महानिदेशालय द्वारा कई वस्तुओं, जैसे रोड रोलरों, तार के रस्सों, जस्तीकृत लोहे की पाइपों और पेच के जोड़ों के लिए जारी किए गए टेण्डरों के जवाब में फर्मों द्वारा दिए गए निर्ख बहुत ऊंचे थे। कुछ एक मामलों में टेन्डरदाताओं ने एक गिरोह के समान एक जैसे निर्ख भेजे थे। पूर्ति कर्ताओं से अलग अलग बातचीत की गई जिसके परिणामस्वरूप मूल्यों में पर्याप्त कमी करवा ली गई।

(ग) उक्त बातचीत के परिणामस्वरूप सरकार को लगभग 24 लाख रुपये की बचत हुई है।

स्टेट बैंक आफ इंडिया, नई दिल्ली के साथ धोखाधड़ी

121. **श्री धीरेन्द्र नाथ देव** :
श्री प्र० न० सोलंकी :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक ऐसे व्यक्ति ने, जो अपने आपको राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का प्रतिनिधि बताता था, नई दिल्ली स्थित स्टेट बैंक आफ इण्डिया के साथ 86,500 रुपये की धोखाधड़ी की थी;

(ख) क्या इस बारे में कोई जांच की गई है कि स्टेट बैंक आफ इण्डिया को धोखा देकर इतनी अधिक राशि किन परिस्थितियों में ले ली गई; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) भारतीय राज्य बैंक (स्टेट बैंक आफ इण्डिया) को धोखा देकर उससे 86,500 रुपये की रकम ले जाने की कोशिश की गयी थी, पर वह समय पर विफल कर दी गयी और इससे बैंक को कोई हानि नहीं हुई।

(ख) और (ग). पुलिस अधिकारी मामले की छानबीन कर रहे हैं।

1740 (Ai) LS—7.

Payment of Air Fare by a foreigner in Indian Currency

122. **Shri Ram Avtar Sharma** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state ;

(a) whether it is a fact that a foreigner travelling in a foreign airlines recently paid the air fare in Indian currency and not in foreign currency ;

(b) whether it is also a fact that the said foreigner had also his account in Indian Banks ;

(c) whether it is further a fact that the said foreigner had been taken into custody during his visit to India ; and

(d) if so, the details thereof and the amount of foreign exchange lost by India in this way ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (*a*) Payment of air fare by a foreigner in Indian rupees, is by itself not a violation of foreign exchange regulations if the said foreigner had been residing in India and gainfully employed for more than 180 days continuously or if the rupees had been acquired by converting foreign exchange. In the absence of details regarding the name of the foreigner, the place from and to which the air passage was booked etc., it is not possible to pinpoint the alleged case which the Hon. Member has in mind.

(b) to (d) Do not arise.

वर्ष 1968-69 के लिये राज्यों को केन्द्रीय सहायता

123. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों के लिये 1968-69 के लिये वार्षिक योजना सहायता को 590 करोड़ रुपये से बढ़ा कर 615 करोड़ रुपये कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय योजना सहायता का राज्यवार नियतन क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1345/68**]

दिल्ली के ग्रामों में पीने के जल की सुविधाओं का सर्वेक्षण

125. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के ग्रामों में पीने के जल की सुविधाओं का सर्वेक्षण कराने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो यह सर्वेक्षण कब तक कराये जाने की सम्भावना है; और

(ग) उस पर कितना समय लगने की सम्भावना है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति) : (क) दिल्ली नगर निगम के जल प्रदाय एवं मलोत्सरण उपक्रम का दिल्ली के ग्रामों में पीने के पानी की सुविधाओं का सर्वेक्षण करने का विचार है।

(ख) इस सर्वेक्षण के 1969-70 में शुरू किये जाने की सम्भावना है ।

(ग) सर्वेक्षण पूरा होने तथा एक विस्तृत योजना के तैयार करने में लगभग दो वर्ष लग जायेंगे ।

कपड़ा उद्योग के लिये विकास छूट

126. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपड़ा उद्योग ने सरकार से अनुरोध किया है कि आय-कर निर्धारण हेतु इस उद्योग के साथ "प्राथमिकता उद्योग" का सा व्यवहार किया जाये तथा अधिक विकास छूट दी जाये;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने कपड़ा उद्योग का यह अनुरोध स्वीकार कर लिया है;

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) जी, हाँ । जूट और कपड़ा उद्योगों से इस प्रकार की एक दरख्वास्त आई है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

(घ) राजस्व के मसले का तथा अन्य सभी संबंधित मसलों का तथा इस तथ्य का भी ध्यान रखते हुए कि सन्यन्त्र और मशीनें प्राप्त करने के लिये धन की व्यवस्था करने हेतु इन उद्योगों को ऋण सहायता दी जा रही है, सरकार ने इन प्रार्थनाओं को स्वीकार करना सम्भव नहीं पाया ।

रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली में सरकारी क्वार्टर

127. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली में लगभग 8,000 सरकारी क्वार्टर पिछले दो वर्ष से खाली पड़े हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इसके परिणामस्वरूप सरकार को कितने राजस्व की हानि हो रही है; और

(ग) ये क्वार्टर उन सरकारी कर्मचारियों को जो इनके हकदार हैं आवंटित न करने के क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) से (ग) आर० के० पुरम् के सेक्टर XII में केवल लगभग 400 क्वार्टर आवंटन के लिए शेष रह गये हैं, क्योंकि इन क्वार्टरों में दिल्ली नगर निगम ने गर्मियों के महीनों में पानी सप्लाई करने का आश्वासन देने में अपनी असमर्थता दिखलाई है । आशा की जाती है कि सितम्बर-अक्टूबर, 1968 तक निगम इन क्वार्टरों में पानी की सप्लाई करने की स्थिति में आ जायेगा, इसके बाद क्वार्टरों को सरकारी कर्मचारियों को आवंटित कर दिया जायेगा ।

Memorials to Martyrs

128. Shri Ram Gopal Shalwale : Will the Minister of **Works, Housing and Supply** be pleased to state :

(a) the amount of expenditure likely to be incurred on the memorials proposed to be erected in the memory of Gandhiji, Nehruji and Shastriji ;

(b) the amount of yearly expenditure likely to be on the said memorials ;

(c) whether Government have any proposal under consideration to erect memorials in the memory of great revolutionary leaders like Shyamji Krishna Varma, Netaji Subhash Chandra Bose, Sardar Bhagat Singh, Ram Prasad Bismil, Swami Shradhanand and other martyrs and patriots ; and

(d) if so, the type of those memorials ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh): **(*a*) and (*b*)** :

	Amount incurred	Additional amount likely to be incurred	Approximate cost of annual maintenance
	(Rupees in lakhs)		
1. Rajghat	51·00	43·26	1·31
2. Shanti Vana . . .	10·30	24·39	0·17
3. Vijay Ghat	1·90	0·49	0·10

(c) and (d) Government do not initiate proposals for the erection of statues at public expense. Such proposals have to be sponsored by Municipal bodies, non-Government organisations or individuals who have to bear all expenses in this regard.

Some of the proposals received from private parties for the erection of statues are mentioned below :

1. Shri Subhash Chandra Bose	without any offer of finances.
2. Sardar Bhagat Singh	backed by finances.
3. Swami Shradhanand	backed by finances.

The question of selection of suitable sites for these statues is under consideration.

कृष्णा जल विवाद

129. **श्री ईश्वर रेड्डी :**
श्री के० सूर्यनारायण :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री शिवकुमार शास्त्री :
डा० सूर्यप्रकाश पुरी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृष्णा नदी के जल के वितरण के सम्बन्ध में आंध्र प्रदेश, मैसूर और महाराष्ट्र के बीच विवाद को निपटाने के लिये केन्द्र द्वारा और क्या प्रयत्न किये गये हैं;

(ख) क्या इन प्रयत्नों के कोई परिणाम निकले हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो विवाद का शीघ्र समाधान निकालने के लिये सरकार क्या अग्रेतर कार्यवाही करना चाहती है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) क्योंकि कृष्णा और गोदावरी नदियों से सम्बद्ध विवादों का फैसला बातचीत द्वारा नहीं हो सका, इसलिये इन झगड़ों को अन्तर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के अधीन न्यायाधिकरण को सौंपने के लिये पग उठाए जा रहे हैं।

Scarcity of Drinking Water in North India

130. Shri Raghuvir Singh Shastri : Will the Minister of **Heath, Family Planning and Urban Development be** pleased to state :

(a) whether Government are aware that the people in North India have to face the problem of scarcity of drinking water which takes a serious turn in summer ; and

(b) the details of the schemes proposed to be drawn up by Government on all India basis with a view to supply drinking water to all the citizens in India ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning Urban Development (Shri B. S. Murthy) : (a) During the summer months there are varying degrees of shortages of drinking water in the various regions of North India. The problem becomes more acute in areas where the supply of drinking water is not plentiful.

(b) The National Water Supply and Sanitation Programme of the Government of India has been in operation since 1954. Assistance is given to Urban Water Supply Schemes in the shape of 100% loan and to Rule Water Supply schemes in the shape of 50% grant. The schemes for water supply are drawn up and executed by the State Governmrnts. who should also provide for the necessary funds within their Plan ceilings .

Proper Utilisation of Water Resoures

131. Shri Raghuvir Singh Shastri : Will the Minister for **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the view expressed by expert in the 38th Session of the Central Irrigation and Power Board held at Bangalore that water resource of the country have not been utilised properly ;

(b) If so, the reaction of Government thereto; and

(c) the action Governmrnt propose to take in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwer Prasad): (a) Shri N. G. K. Murti, President, Central Board of Irrigation and Power in his Presidential address, delivered to the Irrigation to the 38th Session of the Central Board of Irrigation and Power at Bangalore, referred to two aspects of water resources utilisation in the country. He pointed out, "We do not know precisely what our water assets are . A preliminary forecast of available annual surface flows was made some 20 years ago by the Central Water and Power Commission. We have not progressed further in making a more accurate assessment of the water resources ". He, therefore, felt that long term planning of water resources for conservation and exploitation would be difficult, it was not attempted to assess it more precisely than before.

Referring to the groundwater resources , he said that only estimate by guess was being made now. He, therefore, felt that long-term planning on the intergrated use of the water resources Indicating priority to be observed in regard to either current problems in the field or to future development was difficult.

With regard to the utilisation of the exploited water resources, he drew attention to losses in the harnessed part of the surface water resources such as evaporation in reservoirs, loss of storage due to siltation in reservoirs, loss in water conductor systems and losses in the field after meeting the consumptive need of crops and discussed the present status and future course of action in reducing them.

(b) Government is aware of these problems.

(c) The problem of avoiding losses in the harnessed part of the water resources is already under detailed study and examination. To control evaporation in reservoirs, a chemical (cetyl-alcohol) is being tried as a surface film on the water. Studies on the use of this chemical are being conducted at a few research stations in the country under the Fundamental and Basic Research programme sponsored by the Govt. of India. The siltation in reservoirs is also under active study. Nine reservoirs in the country are under detailed examination to study the rate of silting that is taking place in them. The date is being examined by a Special Sub-Committee of the Central Board of Irrigation and Power. The loss in water conductor system is being minimized by the provision of lined channels wherever feasible & economical Studies on canal lining and the performance & economics of various types of canal linning is also under detailed examintion by the various research stations. The problem of actual water requirements of crops is under study at a number of Irrigation and Agriculture Research Stations. The problems of water management are being effectively tackled in projects like Kosi & Nagarjunasagar.

An Irrigation Commission is also being set up which will go into the question of assessment and utilization of the water resources of the country in the best possible manner.

Import of Medicines and Drugs

132. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Petroleum and Chamicals** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that various medicines and drugs are imported in India in large quantities ; and

(b) if so, the measures proposed to be adopted to develop medicine and drugs manufacturing industry in the country and make India self-sufficient in this field ?

The Minister of States in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Social Welfare (Shri Raghuramaiah) (a) No. Even though a number of durgs which are not locally available are permitted to be imported, the imports are not in large quantities and in fact the value of these imports in a year has not been more than 10% of the total value of pharmaceutical production in the country.

(b) The following measures have been adopted :

(i) Indigenous manfuacture of drugs from basic stages is encouraged ;

(ii) Large units have been set up in the public sector for the production of antibiotics and sulpha drugs from basic stages ;

(iii) Pharmaceutical industrey has been included in the list of priority industries so that the production does not suffer for want of imported raw materials ; and

(iv) Research laboratories have been set up in the country for discovering new drugs as well as for developing newer and more economic processes of manufacture.

Loss Due to Floods

*133. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the amount of loss sustained as a result of the recent floods in various parts of the country ;

(b) the steps taken to provide assistance to the flood victims ; and

(c) the steps being taken to control floods in future ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwer Prasad) : (a) Reports of occurrence of sevre floods in the States of Assam, Kerala, Manipur, Uttar Pradesh, Rajasthan and West Bengal have been received . Details of the damages have been called for from the State Governments and will be included in the statement on the Flood Situation in the country to be laid before the House on 29th July. 1968.

(b) The States have reported that necessary measure such as evacuation of marooned people, sanction of gratuitous relief, seed loan, cattle loan, house building loan, suspension of land revenue, supply of rations and medical arrangements etc. have been taken in the affected areas.

(c) Measures for mitigating the damage due to floods to the extent possible tecnically and economically have already been iniciated. These include consrtruction of new embankments raising and strengthening of existing embankments, channel improvements, river training works, drainage improvements, construction of storage reservoirs, flood warning and flood forecasting, etc. These works will be continued in the future.

Allotments of the Land to the Birlas for Fertilizer Plant, Goa

134. **Shri Kameshwar Singh :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that for the construction of the Fertilizer plant that is being set up in Goa, the Birlas have asked for land which is much more than their ectual requirement ;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) Whether Government propse to allot as much land to the Birlas as is demanded by them or as much as is necessary for seting up the Plant ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raguramaiah) : (a) to (c). M/s Zuari Agro Chemicals Ltd. who are establishing the fertilizer project at Goa have requested the Goa Administration to acquire 1000 acres of land for the project. The request is under consideration of the Goa Administration.

राजस्थान नहर

135. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार से हाल ही में राजस्थान नहर को शीघ्र पूरा करने के लिए उसे पर्याप्त राशि दिए जाने के लिए अपील की है; और

(ख) यदि हाँ, तो क्या राज्य सरकार के इस अनुरोध पर विचार किया गया है और उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हाँ।

(ख) जी, हाँ। आरम्भ में स्वीकार किये गए 3 करोड़ रुपये के व्यय के अतिरिक्त 1968-69 वर्ष के लिये 3.5 करोड़ रुपयों की एक और राशि अलाट कर दी गई है।

चेचक के प्रकोप में वृद्धि

136. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया**: क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महामारी सम्बन्धी भविष्यवाणी के अनुसार 1968 में देश में चेचक के भयंकर रूप में फूट पड़ने की सम्भावना है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पिछले छः मास में इस रोग के प्रकोप में भारी वृद्धि हुई है;

(ग) क्या देश में बनाये गये चेचक के टीका की मात्रा स्थिति का सामना करने के लिये पर्याप्त नहीं है;

(घ) क्या देश में टीके के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है; और

(ङ) पिछले छः मास में इस रोग के परिणामस्वरूप मृत्यु के कुल कितने मामलों का पता लगा है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) जी हाँ, किन्तु समय पर कार्यवाही करके इसे टाल दिया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) देश में वर्ष में 6 करोड़ खुराकें तैयार हो सकती हैं जबकि हमारे देश की वार्षिक आवश्यकता अनुमानतः 18 करोड़ खुराकों की है। इस कमी को मित्र देशों से मुख्यतः रूस सरकार से प्राप्त उपहार सामग्री द्वारा पूरा किया जा रहा है।

(घ) जी हाँ। देश के चार चुनिन्दा संस्थानों में चेचक की जमी हुई सूखी वैक्सीन के उत्पादन को धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है :

(ङ) अन्तिम उपलब्ध सूचना के अनुसार, जनवरी से जून, 1968 तक के पिछले छः महीनों में चेचक के कारण लगभग 4236 मौतें होने के समाचार मिले हैं।

बिजली का राष्ट्रीय ग्रिड

137. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया**: क्या **सिंचाई और विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने केन्द्र को तथा राज्यों को कहा है कि वे विभिन्न क्षेत्रीय बिजली वितरण व्यवस्थाओं को एक राष्ट्रीय ग्रिड में मिलाने के लिए शीघ्र उपाय करें;

(ख) यदि हाँ, तो इसके अनुपालन में क्या कार्यवाहियाँ की गई हैं; और

(ग) बिजली वितरण व्यवस्था को राष्ट्रीय ग्रिड में कब तक मिलाने का सरकार का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). राष्ट्रीय विकास परिषद् ने मई, 1968 में हुई अपनी गत बैठक में चौथी पंचवर्षीय योजना को तैयार करने

के लिये जिन मुख्य मार्ग-दर्शिकाओं को स्वीकार किया उनमें से एक यह थी कि विभिन्न क्षेत्रीय बिजली प्रणालियों को इस उद्देश्य से आपस में मिला दिया जाए कि योजनावधि में ही अखिल भारतीय ग्रिड स्थापित हो जाए। योजना आयोग ने इस परामर्श को भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के पास भेज दिया है। बिजली से सम्बद्ध चौथी पंचवर्षीय योजना तैयार हो रही है। सरकार चौथी योजना के तैयार हो जाने पर ही यह बता सकती है कि वह कब तक बिजली वितरण प्रणालियों को राष्ट्रीय ग्रिड में मिला देने का विचार रखती है। अखिल भारतीय ग्रिड बनाने के अन्तिम उद्देश्य से बनाई जा रही क्षेत्रीय ग्रिड प्रणालियों में हुई प्रगति 4 मार्च, 1968 को लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 2714 के उत्तर में बताई गई थी। उस प्रगति में केवल यह अन्तर आया है कि तारापुर बिजली घर और कलवा को आपस में मिलाने वाले 220 के० वो० पथ के जुलाई 1968 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है।

हल्दिया और बरौनी पेट्रोलियम रसायन कारखाना समूह

138. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या पेट्रोलियम और रसायन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हल्दिया तथा बरौनी पेट्रो-रसायन उद्योग समूह में क्या क्या वस्तुएं बनाने का प्रस्ताव है ;

(ख) क्या इनमें से प्रत्येक वस्तु को बनाने के लिये कोई लाइसेंस दिये गये हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) से (ग). पैट्रो-रसायन के कार्यकारी दल ने अपनी 1965 की रिपोर्ट में हल्दिया और बरौनी में पैट्रो-रसायन बनाने के लिये निम्नलिखित स्कीमों की सिफारिश की है :—

हल्दिया

वस्तु	वार्षिक क्षमता मीटरी टनों में
(1) इथाईलीन आक्साइड	20,000
(2) इथेनोल	30,000
(3) एल० डी० पौलीथीलीन	50,000
(4) विनाइल एसीटेट	25,000
(5) इ० पी० टी०	20,000
(6) पोलीपरोपीलीन	20,000
(7) बूटाडीन एक्सट्रैक्शन	12,000
(8) एकरीलोनिटाराइल	25,000
(9) इसोब्टीलीन एक्सट्रैक्शन	7,000

बरौनी

वस्तु	वार्षिक क्षमता मीटरी टनों में
(1) बैन्जीज	25,000
(2) ओ एण्ड पी जाइलीन	10,000
(3) साइक्लोहैक्सैन	25,000
(4) कैपरोलेक्टम	20/25,000

चतुर्थ योजना के 1-4-1969 से शुरू होने के प्रस्ताव के सन्दर्भ में इस समय पैट्रो-रसायन का एक अंग कार्यकारी दल इस योजना अवधि में लागू करने के लिये विस्तृत प्रोग्राम बना रहा है।

इन स्थानों में उक्त वस्तुओं के उत्पादन के लिये अभी तक कोई औद्योगिक लाइसेंस नहीं दिया गया।

लाकवा तथा रुद्रसागर से तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के अशोधित तेल की ढुलाई

139. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लाकवा तथा रुद्रसागर से तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के अशोधित तेल की ढुलाई के प्रश्न पर आयल इण्डिया और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के बीच बातचीत होती रही है;

(ख) यदि हाँ, तो उस बातचीत का क्या परिणाम निकला तथा इन दोनों स्थानों के बीच अशोधित तेल को किस प्रकार ढोने का विचार है;

(ग) लाकवा और रुद्रसागर तेल क्षेत्रों से बरौनी तेल शोधक कारखाने को अशोधित तेल का सम्भरण आरम्भ हो जाने पर, हाल्दिया से बरौनी तक निर्मित पाइप लाइन का प्रयोग किस तरीके से किया जायेगा ; और

(घ) हाल्दिया से बरौनी और दुलियाजन से बरौनी तक पाइप लाइन की अशोधित तेल ले जाने की क्षमता कितनी है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हाँ।

(ख) मामला अभी तक विचाराधीन है।

(ग) बरौनी शोधनशाला का सम्भरण आयल इण्डिया की नहरकटिया बरौनी पाइप लाइन द्वारा हो रहा है। हल्दिया बरौनी पाइप लाइन मुख्यता एक उत्पाद परिवहन पाइप लाइन है और बरौनी से कलकत्ता उत्पाद भेजने के लिये इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। आवश्यकता पड़ने पर, कलकत्ता से बरौनी तक अशोधित तेल ले जाने के लिये भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है।

(घ) हल्दिया बरौनी पाइप लाइन की अशोधित तेल के ले जाने की वर्तमान क्षमता 2 मिलियन मीटरी टन प्रतिवर्ष है। आयल इण्डिया पाइप लाइन की वर्तमान नहर कतिया से गौहाटी तक की क्षमता 2.75 मिलियन मीटरी टन और गौहाटी से बरौनी तक 2 मिलियन मीटरी टन प्रतिवर्ष है।

रसायनों का उत्पादन

140. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968–69 तथा चौथी पंच-वर्षीय योजना के लिये देश में पेट्रोल-रसायनों समेत विभिन्न रसायनों के उत्पादन के लिये योजना आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों का व्यौरा क्या है;

(ख) 1968–69 की योजना तथा चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कारखाने खोलने के लिये इनमें से प्रत्येक उत्पाद के लिये जारी किये जा चुके औद्योगिक लाइसेंसों का व्यौरा क्या है और ये लाइसेंस किन-किन व्यक्तियों को तथा कितनी कितनी क्षमता के दिये गये हैं;

(ग) इन उद्योगों में गत तीन वर्षों में कुल कितना उत्पादन हुआ और इन्हीं वर्षों में कितनी कितनी मात्रा में प्रत्येक रसायन के आयात की अनुमति दी गई तथा उस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई;

(घ) इन उद्योगों में स्थापित किये जा रहे कारखानों की प्रगति की स्थिति क्या है, जिनमें अभी उत्पादन आरम्भ नहीं हुआ है;

(ङ) इनमें से प्रत्येक रसायन की वार्षिक आवश्यकता कितनी कितनी है; और

(च) क्या इनमें से कुछ रसायनों का उत्पादन सरकारी क्षेत्र में करने के कोई कारखाने हैं और यदि हां, तो उनकी अधिष्ठापित क्षमता कितनी होगी तथा प्रत्येक कारखाने के नाम क्या हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) 1968-69 के लिये विभिन्न रसायनों के लिये योजना आयोग ने कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये हैं। क्योंकि चौथी पंचवर्षीय योजना अभी तैयार हो रही है इसलिये इस समय कोई लक्ष्य नहीं जिसे बताया जाये ।

(ख) से (च). सूचना इकट्ठी की जा रही है ।

उर्वरकों के मूल्य

141. **श्री हिम्मतसिंहका** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले तीन वर्ष में विश्व में उर्वरक के उत्पादन में काफी वृद्धि हो गई है,

(ख) यदि हां, तो क्या इसके परिणामस्वरूप विभिन्न किस्म के उर्वरकों के मूल्य भी कम हो गये हैं और यदि हां, तो विभिन्न किस्म के उर्वरकों के वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य क्या हैं और ये मूल्य इन तीन वर्षों की अवधि में कितने कम हो गये हैं,

(ग) भारत में विभिन्न किस्म के उर्वरकों के वर्तमान मूल्य उर्वरकों के विश्व मूल्यों की तुलना में कम हैं या अधिक; और

(घ) विदेशों से न्यूनतम मूल्यों पर उर्वरक खरीदने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है और सरकार इन उर्वरकों का कम से कम किन दरों पर आयात कर सकती है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। उर्वरकों के कोई भी मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य नहीं है क्योंकि सामग्री की विशिष्टताओं, वितरण की अवधि, बोरियों में बन्द करने, अदायगी की शर्तों तथा अन्य बातों के आधार पर विविध देशो को विधि मूल्यों पर बिक्री की जाती है ।

(ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। (अनुबन्ध—1) [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०--1346/68**].

(घ) सरकार द्वारा जारी किये गये टेन्डरों का पर्याप्त प्रचार किया जाता है और जहां सम्भव होता है वहां बातचीत की जाती है । निर्माताओं से दीर्घकालीन ठेके करने का भी विचार है । इस विभाग द्वारा खरीदे गए विभिन्न प्रकार के उर्वरकों के मूल्यों का विवरण सभा.

पटल पर रख दिया गया है । (अनुबन्ध —2) [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1346/68]

विदेशी सहायता

142. **श्री रा० रा० सिंह देव :**
श्री देवव्रत बरुआ :
श्री य० अ० प्रसाद :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968–69 और 1969–70 में सरकार को विदेशों से कुल कितनी सहायता मिलने की आशा है; और

(ख) देशवार कितनी कितनी सहायता मिलने की आशा है ?

उप-प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख), 1968-69 और 1969–70 में मिलने वाली विदेशी सहायता की कुल रकम का पता तभी चलेगा जब सम्बद्ध वर्षों के लिए सहायता देने वाले देशों / संस्थाओं के साथ ऋण सम्बन्ध द्विपक्षीय बातचीत समाप्त हो जायगी। फिर भी, भारत सहायता संघ की मई, 1968 की बैठक में कुछ सदस्यों ने 1968-69 में कुल 2973.3 लाख डालर की रकम की सहायता देने का इरादा प्रकट किया है जिसमें ऋण परिशोध सम्बन्धी सहायता की रकम भी शामिल है। देशवार आंकड़ों का विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है [पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—1347/68].

अलियाबेत द्वीप समूह तथा ताप्ती बेसिन के तट से दूर के क्षेत्र में तेल की खोज

143. **श्री वि० ना० शास्त्री** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस उस सहायता को देने में आनाकानी कर रहा है जो उसने अलियाबेत द्वीपसमूह और ताप्ती बेसिन में तट से दूर के उथले पानी में तेल की खोज के लिये तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को देने का प्रस्ताव किया था; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस मामले में क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

जीवन बीमा निगम का कारोबार

144. **श्री रा० कृ० सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के जीवन बीमा निगम ने, उसका राष्ट्रीयकरण किये जाने के बाद, कुल कितना कारोबार किया है;

(ख) निगम को पूंजी किस प्रकार लगायी जाती है अर्थात्--

(1) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कितनी पूंजी लगाई गई है;

(2) निजी क्षेत्र के उपक्रमों में कितनी पूंजी लगाई गई है; और

(3) भवनों के निर्माण पर कितनी पूंजी लगाई गई है और प्रत्येक मामले में लगाई गई कुल पूंजी का कितने प्रतिशत है; और

(ग) इनमें से प्रत्येक स्रोत से ब्याज, लाभांश तथा किराये के रूप में कितना कितना धन प्राप्त होता है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जीवन बीमा निगम द्वारा उसके आरम्भ से लेकर 31 मार्च, 1968 तक किये गये नये जीवन-बीमों की कुल रकम 6780.44 करोड़ रु० है।

(ख) और (ग) जीवन बीमा निगम द्वारा जीवन बीमा कारोबार से सम्बन्ध रखने वाली भारत में लगाई गई पूंजी का, और उससे 1966-1967 में प्राप्त कुल ब्याज, लाभांश और किराये का व्यौरेवार विवरण निम्न लिखित है।

क्षेत्र	लगाई गई पूंजी जैसी वह 31-3-1967 को थी। (करोड़ रु० में)	कुल का प्रतिशत अनुपात	1966-67 में अर्जित लाभांश, और किराया (करोड़ रु० में)
सरकारी क्षेत्र	732.56	69.6	32.69
निजी क्षेत्र	189.19	18.0	12.77
सहकारी क्षेत्र	68.80	6.5	3.44
संयुक्त क्षेत्र . .	7.13	0.7	0.47
गृह सम्पत्तियों को बन्धक रखकर दिया हुआ ऋण	21.02	2.0	1.08
गृह सम्पत्ति . .	33.38	3.2	1.68

नेफा क्षेत्र में तेल की खोज

145. **श्री रा० कृ० सिंह :**
श्री सीताराम केसरी :

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्भाव्य तेल संसाधनों का पता लगाने के लिये नेफा क्षेत्र में कोई भूकम्पीय सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, को उसके परिणामों का व्यौरा क्या है;

(ग) तेल भंडारों की अनुमानित मात्रा कितनी है; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र म एक तेल शोधक कारखाना स्थापित करने का है बशर्ते तेल काफी मात्रा ने मिल जाये ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां ।

(ख) कुछ संरचनाएं व्यधन परीक्षण के लिये चुन ली गई हैं; और एक संरचना में व्यवन कार्य प्रगति पर है ।

(ग) जब तक व्यधन कार्य पूरा नहीं हो जाता यह कहना संभव नहीं कि इस क्षेत्र में कोई तेल भण्डार है या नहीं ।

(घ) नेफा में कोई शोधनशाला की स्थापना का प्रश्न अभी नहीं उठा है ।

अमरीकी सहायता में कटौती

146. **श्री रा० कृ० सिंह :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका सरकार ने भारत को दी जाने वाली सहायता के अपने अंश में कटौती का प्रस्ताव रखा है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ;

(ग) क्या सरकार ने इस कमी को पूरा करने के लिये अन्य साधनों का सहारा लिया है; और

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी. नहीं ।

(ख), (ग) और (घ). ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

इड्डिकी परियोजना

147. **श्री रा० कृ० सिंह :**
श्री राणे :

क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मजदूरों द्वारा दंगा फसाद करने के कारण केरल में इड्डिकी परियोजना में काम बंद करना पड़ा था;

(ख) यदि हां, तो काम बन्द होने की अवधि में कुल कितनी हानि हुई थी; और

(ग) क्या यह सच है कि परियोजना का कार्य रुक गया है और इस के पूरा होने से कितना विलम्ब हो जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) मार्च, अप्रैल और मई 1968 के दौरान मजदूरों में फले अशान्त वातावरण के फलस्वरूप इड्डिका परियोजना पर हो रहे काम को लगभग दो मास की अवधि के लिये बन्द करना पड़ा ।

(ख) कार्य के रुक जाने के परिणामस्वरूप बोर्ड को हुई हानि को अभी आंका नहीं गया है ।

(ग) जबकि कार्य दो महीनों के लिये बन्द हो गया, इस से इद्दि को परियोजना के पूर्ण होने की लक्ष्य तिथि में कोई परिवर्तन होने की संभावना नहीं है ।

बिहार में लू से मृत्यु

148. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछली ग्रीष्म ऋतु में बिहार में लू से कितने व्यक्ति मरे; और

(ख) क्या इन मृत्युओं की परिस्थितियों के बारे में कोई जांच कराई गई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

हरयाणा और पंजाब की सरकारों से बकाया किराये की राशि

149. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब और हरयाणा की सरकारों ने सरकारी भवनों के लिये, जो चंडीगढ़ में उन के पास हैं, चन्दीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को किराये की कितनी धनराशि देनी है; और

(ख) उपरोक्त सरकारों ने अब तक किराये की कितनी राशि का भुगतान किया है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) 1 नवम्बर, 1966 से लेकर 31 मई, 1968 तक की अवधि के लिए कार्यालय भवनों के साथ साथ रिहायशी भवनों के लिए पंजाब तथा हरियाणा से क्रमशः 1,09,75,217 तथा 71,21,466 रुपये ।

(ख) पंजाब तथा हरियाणा के कर्मचारियों की परिलब्धियों के 10 प्रतिशत की दर से 31 मई, 1968 तक उनके दखल में रिहायशी वास के लिए क्रमशः 13,29,806 रुपये तथा 8,92,829 रुपये वसूल किये गये ।

दिल्ली के अस्पतालों को सरकार द्वारा अपने हाथ में लिया जाना

150. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली के अस्पतालों का प्रबन्ध अपने हाथ में लेने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) विशेषज्ञों ने जनता को अच्छी सेवाएं प्रदान करने के लिए दिल्ली के चिकित्सा संस्थानों के कार्य संचालन में ताल-मेल बिठाने की आवश्यकता पर बल दिया है । इस मंत्रालय की

संसदीय अनौपचारिक परामर्श समिति ने अपनी 29 अप्रैल, 1968 को हुई बैठक में यह सिफारिश की थी कि केन्द्रीय सरकार को चाहिए कि वे दिल्ली के सभी अस्पतालों को अपने हाथ में ले ले। यह विषय विचाराधीन है ।

अनुसंधान तथा चिकित्सा विज्ञान स्नातकोत्तर संस्था, चण्डीगढ़ की चयन समिति

151. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसन्धान तथा चिकित्सा विज्ञान स्नातकोत्तर संस्थां, चण्डीगढ़ की चयन समिति द्वारा प्रोफेसरों, एसोसिएट, प्रोफेसरों, सहायक प्रोफेसरों तथा प्राध्यापकों का चयन कब किया गया था; और

(ख) अब तक नियुक्तियां न करने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) लेक्चरारों, सहायक प्राध्यापकों, सह-प्राध्यापकों और प्राध्यापकों के पदों के लिए संस्थान की चयन-समिति द्वारा 30 और 31 जनवरी तथा पहली फरवरी, 1968 का चुनाव किए गए हैं। चयन समिति की सिफारिशों को संस्थान के शासी निकाय ने 23-2-1968 और 27-4-1968 को अनुमोदित किया । तत्पश्चात् नियमों के अनुसार जहां कहीं आवश्यक था केन्द्रीय सरकार की अनुमति प्राप्त करने संस्थान ने चयन किये गये व्यक्तियों को नियुक्ति की पेशकशें जारी कर दी थ । फिर भी किन्हीं मामलों में चुने गये उम्मीदवारों की नियुक्तियां अभी तक नहीं की गई हैं क्योंकि या तो उनकी नियुक्ति की शर्तें तय नहीं हो पाई हैं अथवा उनके वर्तमान नियोक्ताओं ने उनकी प्रतिनियुक्ति की शर्तें अभी तय नहीं की हैं ।

कम्पनियों के विदेशी बैंकों में खाते

152. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या वित्त मंत्री 8 जून, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 1799 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन 393 कम्पनियों तथा उनके निदेशकों के नाम क्या हैं जिन के खाते विदेशों में बताये गये हैं;

(ख) उनमें से कौन कौन सी कम्पनियां आयात तथा निर्यात का धन्धा करती हैं तथा 1967–68 के दौरान उन कम्पनियों के पास न्यूनतम तथा अधिकतम कितनी राशि थी;

(ग) क्या उन कम्पनियों ने उन राशियों के आधार पर आयकर दिया है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इन खातों की विस्तार से जांच करने का है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख) कम्पनियों के नामों की सूची, सभा की मेज पर उस समय रख दी गई थी जब 25 मार्च, 1968 को, 8 जून, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1799 से सम्बन्धित वचन पूरा किया गया था । इन कम्पनियों के निदेशकों के नाम सम्बद्ध राज्य के कम्पनियों के रजिस्ट्रार से मालूम किये जा सकते हैं और जनता को

यह सूचना मिल सकती है । आंकड़े और जानकारी इकटठी करने में जितनी मेहनत लगेगी, परिणाम उसके अनुरूप नहीं होंगे, क्योंकि ये सभी खाते अधिकृत खाते हैं।

(ग) आयकर, वर्ष की आंकी गयी आमदनी पर अदा किया जाता है, बैंक में जमा किसी खास रकम पर नहीं । चूंकि खातों की घोषणा विनिमय नियंत्रण सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए की जाती है, इसलिए कर-सम्बन्धी प्रयोजनों के लिए भी उनकी घोषणा कर दी गयी होगी ।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

(ङ) ये सब खाते नियमित या घोषित खाते हैं और भारतीय रिजर्व बैंक इन की जांच पड़ताल करता है, इस सम्बन्ध में और किसी जांच की आवश्यकता मालूम नहीं होती ।

प्रशुल्क आयोग के स्थान पर राष्ट्रीय आर्थिक आयोग का गठन

153. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्ययन दल की इस सिफारिश पर, कि वर्तमान प्रशुल्क आयोग के स्थान पर राष्ट्रीय आर्थिक आयोग का गठन किया जाये, विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में कब तक विधान संसद् के समक्ष लाया जायेगा तथा क्या देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए इस सिफारिश को कोई प्राथमिकता दी जा रही है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्ययन दल की, राष्ट्रीय आर्थिक आयोग सम्बन्धी रिपोर्ट की जांच प्रशासनिक सुधार आयोग ने स्वयं की थी । सरकार को प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें 20 जुलाई 1968 को ही प्राप्त हुई हैं और अभी तक उनकी जांच नहीं की गई है ।

(ख) और (ग) ये सवाल पैदा ही नहीं होते ।

आसाम में बाढ़

154. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :**
श्री रा० बरुआ :
श्री धीरेश्वर कलिता :
श्री मणिभाई जे० पटेल :
श्री अबनेजियान :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसाम में हाल ही में आई बाढ़ से कितनी क्षति हुई है और कितने लोगों पर बाढ़ का कुप्रभाव पड़ा है;

(ख) आसाम में पिछली तीन पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान बाढ़ से बचाव के उपायों पर कितनी कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) तब से बाढ़ को रोकने में इन उपायों से वस्तुतः क्या लाभ हुआ है;

(घ) क्या कारण है कि इन उपायों के बावजूद आसाम में प्रतिवर्ष इतने बड़े पैमाने पर बाढ़ आती रहती है; और

(ङ) उस राज्य में बाढ़ रोकने के लिये और क्या निवारक उपाय किये जा रहे हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) असम में हाल ही में आई बाढ़ों से हुई क्षति का राज्य सरकार ने केवल प्रारम्भिक अनुमान लगाया है जिसके अनुसार निम्नलिखित क्षति हुई है :—

प्रभावित फसली क्षेत्र	0.8 लाख हैक्टेयर
फसलों को पहुंची अनुमित क्षति	4 करोड़ रुपये
तटबन्धों को पहुंची क्षति	60 लाख रुपये
सड़कों और पुलों को पहुंची क्षति	20 लाख रुपये
प्रभावित व्यक्तियों की संख्या	लगभग 5 लाख
जानी नुकसान	सात

(ख) तीन पंचवर्षीय योजनाओं तथा 1966-67 और 1967–68 के दौरान 26.71 करोड़ रुपये की राशि व्यय की गई ।

(ग) छ: लाख हैक्टेयर भूमि की उपयुक्त रूप से बाढ़ों से सुरक्षा की गई है ।

(घ) तथा (ङ) असम में जो काम अभी तक किये गये हैं वे ये हैं—जल प्लावन को रोकने के लिए तटबन्धों का निर्माण, कटावरोधी कार्य और जल निकास स्कीमें । ये स्कीमें बाढ़ों से प्रभावित हो सकने वाले सभी क्षेत्रों को व्याप्त नहीं करती ।

वर्तमान तटबन्धों को ऊंचा और पक्का करने का प्रस्ताव दिया गया है । बारक बांध का निर्माण, चयनात्मक तलकर्षण इत्यादि जैसे दीर्घकालीन उपायों पर भी विचार किया जा रहा है ।

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम को लागू करना

155. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य अपमिश्रण के निवारण के लिये विधि लागू न करने के कारण खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण 16.90 प्रतिशत से बढ़कर 51.2 प्रतिशत हो गया है;

(ख) नवम्बर, 1966 में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत संशोधित नियम प्रकाशित किये जाने के बाद भी उन्हें अभी तक अन्तिम रूप न दिये जाने के क्या कारण हैं;

(ग) खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण को रोकने के लिये सरकार का क्या ठीक ठीक तथा व्यावहारिक उपाय करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हां ।

(ख) खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1955 को संशोधित करने के लिये नियमों के मसौदों को अन्तिम रूप दे दिया गया है और इन नियमों के संशोधन के लिये औपचारिक अधिसूचना भारतीय गजट में छपने के लिये मुद्रणालय को भेज दी गई है ।

(ग) और (घ) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के उपबन्धों को अधिक कड़ा बना दिया गया है। और राज्य सरकारों से कह दिया गया है कि वे इस अधिनियम का समुचित ढंग से पालन करायें। खाद्यान्नों के अपमिश्रण को रोकने के लिए अन्य क्या कदम उठाए जाएं, इसका निर्णय चौथी योजना के बनाने के पश्चात् किया जायेगा।

विदेशी ऋण में वृद्धि

156. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :**
श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रुपये के अवमूल्यन के कारण 1966–67 में विदेशी ऋण में कितनी वृद्धि हुई;

(ख) तीसरी योजना की अवधि में विदेशी ऋण की कुल कितनी राशि का भुगतान करना था;

(ग) क्या सरकार ने किसी देश अथवा बैंक से अपने विदेशी ऋण की अदायगी की अवधि बढ़ाने की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं जिनसे ऋण की अदायगी की अवधि बढ़ाने की मांग की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 6 जून, 1966 को भारतीय रुपये का अवमूल्यन किये जाने के कारण रुपये के रूप में भारत सरकार की ऋण सम्बन्धी देनदारी में 1360.74 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। विदेशी मुद्रा के रूप में इस देनदारी में कोई वृद्धि नहीं हुई।

(ख) भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से विदेशी मुद्रा में और वस्तुओं के निर्यात के जरिये चुकायी जाने वाली विदेशी ऋण-सम्बन्धी देनदारी तीसरी आयोजना के आरम्भ में अर्थात् 1 अप्रैल, 1962 को (अवमूल्यन पूर्व की दरों पर) 576.71 करोड़ रुपया थी। ऋण-सम्बन्धी देनदारी बढ़कर तीसरी आयोजना की अवधि के अन्त में अर्थात् 31 मार्च, 1966 को (अवमूल्यन-पूर्व की दरों पर) 1926.21 रुपया हो गयी।

(ग) और (घ) भारत सरकार ने विश्व बैंक की मारफत भारत सहायता संघ के सभी सदस्यों से अनुरोध किया था कि वे विकास सहायता के संदर्भ में तथा विकास सहायता के रूप में ऋण परिशोध सम्बन्धी किसी प्रकार की राहत देने के बारे में विचार करें। विदेशी साधनों में वृद्धि करने के उद्देश्य से ऋण परिशोध-सम्बन्धी राहत के प्रश्न पर अन्य देशों से भी बात-चीत की गयी है।

दिल्ली में प्रस्तावित अकबर होटल

157. **श्री सु० कु० तापड़िया** : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दिल्ली में अकबर होटल बनाने के कार्यक्रम को त्याग दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). निधियों की कमी तथा क्योंकि दिल्ली में इस समय स्थिति होटलों में पर्याप्त स्थान उपलब्ध है, अतएव जनपथ होटल के नजदीक के प्लाट पर होटल बनाने का कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया।

नेपाल की सीमा पर से माल का चोरी छिपे लाया जाना

159. **श्री सीताराम केसरी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल से माल के चोरी छिपे लाये ले जाने को रोकने के लिये सीमा पर 16 चौकियां स्थापित करने तथा 4 चलते फिरते दस्ते तैनात करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) नेपाल से आम तौर पर क्या क्या वस्तुएं चोरी छिपे भारत लाई जाती हैं; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) नेपाल की सीमा से माल को तस्कर-आयात-निर्यात को रोकने के लिये अतिरिक्त चौकियां स्थापित करने का तथा चलते फिरते निवारक दस्ते तैनात करने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) भारत में चोरी छिपे लाए जाने वाले माल में सामान्यतः ट्रांजिस्टर रेडियो, फाउन्टेन पेन, कैमरे, घड़ियां, टेरीलीन का कपड़ा, यांत्रिक लाइटर होते हैं।

(ग) सीमा पर और उपभोक्ता-क्षेत्रों में भी गुप्त सूचना संग्रह करने तथा रोक थाम करने की व्यवस्था को और भी सुदृढ़ बनाया जा रहा है।

P. L. 480 Fund

160. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to utilise the amount collected from the sale of foodgrains imported under P.L. 480 for housing purposes; and

(b) if so, the details thereof ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) The amount callected from the sale of foodgrains imported. *Inter alia* under P. L. 480 is exhibited in the capital budget under the heald "State Trading Schemes" and is not directly co-related to any specific expenditure proposal.

(b) Does not arise.

विदेशी ऋण में वृद्धि

161. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी ऋणों तथा उन पर ब्याज आदि का चुकाया जाना राजकोष पर एक बड़ा बोझ बनता जा रहा है;

(ख) पिछले पांच वर्षों में सरकार ने ऋणों आदि के भुगतान पर कितना धन व्यय किया;

(ग) भारत को वर्तमान विदेशी ऋणों को चुकाये जाने पर कितना समय लगेगा;

(घ) क्या निकट भविष्य में विदेशी सहायता समाप्त करने की सरकार की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो इस बारे में क्या प्रयत्न किये गये हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) विदेशी ऋणों के मूल और ब्याज की चुकायी जाने वाली रकमों में पिछले कुछ वर्षों से वृद्धि होती जा रही है।

(ख) भारत सरकार ने पिछले पांच वर्षों में अर्थात 1963–64 से 1967–68 तक विदेशी ऋणों की मूल रकम के रूप में 434 करोड़ रुपये की और ब्याज के रूप में 338 करोड़ रुपये की अदायगी की है।

(ग) मौजूदा ऋणों में से कनाडा के एक ऋण की, जिस पर 8 फरवरी, 1968 को हस्ताक्षर किये गये थे, आखिरी किस्त की वापसी 2018 में की जायगी।

(घ) और (ङ). आर्थिक आयोजन का एक मुख्य उद्देश्य यह रहा है कि विदेशी सहायता पर निर्भर रहने में धीरे-धीरे कमी करके आत्म-निर्भरता प्राप्त की जाय।

जैसा कि "चौथी पंचवर्षीय आयोजना के प्रति दृष्टिकोण" नामक पुस्तिका में बताया गया है, चौथी पंचवर्षीय आयोजना का मुख्य उद्देश्य, ब्याज की अदायगी और ऋणों की वापसी से सम्बन्धित सहायता को छोड़ कर, चौथी आयोजना के अंतिम वर्ष तक विदेशी सहायता के मौजूदा स्तर को घटाकर आधा कर देने का प्रयत्न करके, यथासम्भव शीघ्र गति से आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होना है। इसके लिये आयात घटाने और निर्यात बढ़ाने, दोनों के लिए सम्मिलित प्रयत्न की आवश्यकता है।

गोरखपुर में उर्वरक कारखाना

162. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोरखपुर स्थित उर्वरक कारखाने की कुल वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) इस उर्वरक कारखाने के निर्माण पर अब तक कुल कितनी धनराशि व्यय हुई है; और

(ग) इस उर्वरक कारखाने में पूर्वी उत्तर प्रदेश के कितने व्यक्ति काम करते हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) (क) 1,73,920 मीटरी टन यूरिया।

(ख) मार्च, 1968 के अन्त तक लगभग 32 करोड़ रुपया।

(ग) 1184 नियमित कर्मचारी और दैनिक वेतन पर 226 कर्मचारी।

देवरिया तथा बलिया जिलों में बाढ़

163. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देवरिया और बलिया जिले गंगा, घाघरा, बड़ी गंडक, छोटी गंडक तथा अन्य विभिन्न नदियों से घिरे हुए हैं तथा बाढ़ के कारण इन दोनों जिलों में हमेशा सम्पत्ति, पशुओं और व्यक्तियों तथा मकानों की हानि भी होती है ; और

(ख) यदि हाँ, तो वहाँ पर बाढ़ को रोकने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) और (ख). देवरिया और बलिया के जिलों में गंगा, घाघरा, बड़ी गंडक, छोटी गंडक, राप्ती तथा अन्य छोटी नदियों का एक जाल सा है और इन नदियों के वाहक्षेत्रों में भारी तथा निरन्तर वर्षा के दौरान छोटी नदियों में बाढ़ें आ जाती हैं।

गंगा, घाघरा तथा बड़ी गंडक जैसी मुख्य नदियों में बाढ़ सुरक्षा बंध बना दिए गए हैं। छोटी नदियों पर बड़े पैमाने पर बाढ़ संरक्षण कार्य हाथ में लेने से पहले राज्य सरकार प्रारूप अध्ययन करने के प्रस्ताव पर भी विचार कर रही है।

संसद् भवन की विस्तार इमारत का निर्माण

164. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद् भवन की प्रस्तावित विस्तार इमारत के नक्शे को अन्तिम रूप दे दिया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस विस्तार इमारत के निर्माण पर अनुमानतः कितनी लागत आयेगी ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग). प्रारंभिक रेखांकन के आधार पर लोक सभा सचिवालय ने प्लाट नं 114 नई दिल्ली पर संसद भवन के प्रसार के रूप में संसद सचिवालय के भवन के लिए 157.14 लाख रुपये की अनुमानित राशि की स्वीकृति दे दी है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा अभी रेखांकन का ब्यौरा बनाया जा रहा है। भवन आर० सी० सी० फ्रेम की संरचना होगी। दो मंजिल की संरचना से घिरा हुआ एक सात मंजिल का खंड होगा। सात मंजिल तथा दो मंजिल के दोनों भवनों में सेवा के लिए, जैसे वातानुकूलन संयंत्र, टेलीफ़ोन कक्ष, भंडार गृह आदि, के लिए बेसमेंट की व्यवस्था होगी।

उत्तर प्रदेश में कृषकों को बिजली की सप्लाई

165. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कृषकों की सभी प्रकार की बिजली की माँगों को पूरा करने के उद्देश्य से देहाती क्षेत्रों में बिजली के प्रयोग पर लगे सभी प्रतिबन्धों को हटा दिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो कब ; और

(ग) हाल में बनी इस योजना के अन्तर्गत बिजली के कितने कनेक्शन दिये गये हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) : ग्रामीण क्षेत्रों को बिजली के कनेक्शन देने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले जो कुछ प्रक्रियाएं और आर्थिक शर्तें लगाई थीं उन्हें 7 जून, 1968 से हटा दिया गया है ।

(ग) क्योंकि ये आदेश हाल ही में जारी किये गए हैं इसलिए बिजली के कनेक्शनों की प्रगति पर इन के प्रभाव को इतनी शीघ्र नहीं आँका जा सकता ।

मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश) में उर्वरक कारखाना

166. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिड़ला बन्धुओं द्वारा प्रायोजित अमरीकी सहयोग से गैर सरकारी क्षेत्र में मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश) में एक उर्वरक कारखाने की स्थापना के काम में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या कोई करार किया गया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरमैया) : (क) परियोजना के लिये ऋण लेने के लिये वित्तीय संस्थानों से हो रही बातचीत प्रगति पर है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली में रुधिर विज्ञान संस्था की स्थापना

167. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रुधिर रोगों से सम्बन्धित समस्याओं का अध्ययन करने तथा लाभ-हानि रहित आधार पर जनता को चिकित्सा सेवा प्रदान करने के हेतु एक रुधिर विज्ञान संस्था की स्थापना करने के लिये दिल्ली के एक गैर-सरकारी रक्त बैंक संगठन ने सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है ; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) सरकार को भेजे गये एक संक्षिप्त पत्र में इस संगठन ने बतलाया है कि उनका विचार एक रुधिर विज्ञान संस्था खोलने का है और उन्हें इसके लिए सरकार से सहायता और मार्गदर्शन मिलना चाहिए ।

(ख) इस संगठन से कोई योजना मिल जाने पर ही इस विषय पर विचार किया जायेगा ।

जीवन बीमा निगम में स्वचालित मशीनों का प्रयोग

168. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय श्रम मंत्री की इस अपील के बावजूद कि इस मामले पर नये सिरे से विचार होने तक जीवन बीमा निगम स्वचालित मशीनों का प्रयोग आरम्भ न करे जीवन बीमा निगम में स्वचालित मशीनों का प्रयोग आरम्भ हो गया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). श्रम, नियोजन तथा पुनर्वास मंत्रालय ने, एक परिपत्र द्वारा, यह निवेदन किया था कि जून जुलाई 1968 में आयोजित किये जाने वाले भारतीय श्रम सम्मेलन के विशेष अधिवेशन में स्वचालित संगणक से सम्बन्धित मामलों पर ब्योरेवार चर्चा होने तक, स्वचालित-संगणक व्यवस्था लागू किये जाने के मामले में संगठनों में यथा स्थिति बनायी रखी जाए । यह परिपत्र जीवन बीमा निगम के बम्बई तथा कलकत्ता में संगणक लगाने सम्बन्धी फैसले पर लागू नहीं होगा क्योंकि यह फैसला 1964 में ही कर लिया गया था । संगणकों में से एक पहले ही लगाया जा चुका है तथा दूसरे के बारे में जीवन बीमा निगम ने मशीन देने वालों के साथ एक पक्का करार कर लिया है ।

मैसर्स भारत बैरल एण्ड ड्रम मैनुफैक्चरिंग (प्रा०) लिमिटेड को काली सूची में रखने का आदेश

169. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री 29 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8774 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें लोहा तथा इस्पात मंत्रालय का 18 जुलाई, 1966 का परिपत्र संख्या एस० सी० (ii)–18(71) 163 प्राप्त हो गया था, जिसमें भारत बैरल एण्ड ड्रम मैनुफैक्चरिंग (प्रा०) लिमिटेड को काली सूची में रखने के आदेश को लागू करने से रोका गया था ;

(ख) क्या भारतीय तेल निगम अब भी भारत बैरल कम्पनी को क्रयादेश नहीं देता है यद्यपि उसे काली सूची में रखने वाले आदेश को पंजाब उच्च न्यायालय द्वारा निलंबित या खारिज कर दिया गया है तथा उस न्यायालय ने यह निदेश दिया है कि उन काली सूचियों को, जिसमें उस कम्पनी का नाम रखा गया है, नहीं माना जा सकता ;

(ग) क्या पंजाब उच्च न्यायालय द्वारा जारी किये गये निलम्बन आदेश के होते हुए भी महाराष्ट्र सरकार की विशेष अनुमति प्राप्त करने की याचिका के कारण, जो इस समय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है भारतीय तेल निगम इस कम्पनी को क्रयादेश नहीं दे सकता है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस कम्पनी को भारतीय तेल निगम द्वारा क्रयादेश न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरमैया) : (क) जी हाँ ।

(ख) सरकार को उपलब्ध सूचना के अनुसार, भारतीय तेल निगम ने 7–5–1966 से भारत बैरल्ज़ को कोई क्रयादेश नहीं दिया है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) भारतीय तेल निगम को किसी भण्डार की बिक्री की किसी पेशकश को मंजूर या ना मंजूर करना निगम के निर्णय पर निर्भर है ।

भारतीय तेल निगम के लिये तेल और तारकोल के ढोल

170. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री 29 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8773 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1968–69 में तेल और तारकोल के ढोलों के लिये बताई गई भारतीय तेल निगम की अनुमानित आवश्यकता में उनकी समूचे भारत की पूरी आवश्यकता सम्मिलित है ;

(ख) यदि नहीं, तो समूचे भारत में 1969–70 और 1970–71 में तेल और तारकोल के ढोलों की आवश्यकता कितनी होने का अनुमान है ;

(ग) क्या सार्वजनिक टेंडरों के प्रत्युत्तर में मूल्य विवरण प्राप्त होने के बाद भी भारतीय तेल निगम द्वारा बातचीत की जा रही है ;

(घ) यदि हाँ, तो बातचीत के आधार पर तथा टेंडरों के प्रत्युत्तर में प्राप्त मूल्य विवरणों के आधार पर, पृथक पृथक अब तक उस निगम द्वारा दिये गये क्रयादेशों का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) भुसावल स्थित आयुध कारखाने से यह निगम किस मूल्य पर तेल के ढोल खरीद रहा है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरमैया) : (क) जी हां । परन्तु यदि उक्त वर्ष में लुब्रीकेटिंग आयलज का उत्पादन शुरू हो जाता है तो भारतीय तेल निगम की मद्रास शोधनशाला की आवश्यकताएं इन आँकड़ों से अतिरिक्त होंगी ।

(ख) 1969–70 और 1970–71 में लूब आयल और तारकोल के ढोलों की आवश्यकता का अनमान क्रमशः 25,50,000 और 5,00,000 लगाया गया है ।

(ग) जी हाँ, यदि निगम को सन्तोष हो जाता है कि पार्टियों द्वारा दी गई दरें बहुत अधिक हैं, तो उनसे बातचीत की जाती है ।

(घ) पिछले दो वर्षों में सारे क्रयादेश बातचीत के बाद दिये गये थे ।

(ङ) भारतीय तेल निगम भुसावल स्थित आयुध कारखाने से बातचीत द्वारा तय किये गये मूल्य पर ढोलों को खरीद रहा है जिसको निगम बताना अपने व्यापारिक हितों के विपरीत समझता है ।

मोतिया खान के लोहे और इस्पात के व्यापारियों को भूमि का आवंटन

171. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1963–64 में दिल्ली विकास प्राधिकार ने भूमि के आवंटन के लिये मोतिया खान के लोहे और इस्पात के व्यापारियों से आवेदन पत्र मांगे थे ;

(ख) यदि हां, तो इसके उत्तर में लोहा व्यापारियों संस्था, मोतिया खान ने अपने सदस्यों के नाम भेजे थे और दिल्ली विकास प्राधिकार ने इस संस्था के सदस्यों को व्यक्तिगत

रूप में आवंटन पत्र भेजे थे जिनमें उन्हें सूचित किया गया था कि उन्हें नारायणा प्रक्रम-2 में 18 एकड़ भूमि दी जायेगी तथा उन्हें भूमि के मूल्य का एक निर्दिष्ट अंश जमा कर देना चाहिये;।

(ग) यदि हां, तो उन्होंने किस तरह किस किस तारीख को कितना कितना धन जमा कराया;

(घ) क्या दिल्ली विकास प्राधिकार ने अपने वचन का पालन किया; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) इस संघ के सदस्यों ने भूमि के कुल अधिमूल्य का 50 प्रतिशत 1967 में विभिन्न तिथियों को जमा किया था।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकार ने उक्त प्रत्येक सदस्य को नरैना औद्योगिक योजना चरण-2 में भूमि नियत कर अपना वायदा पूरा तो किया किन्तु ये प्लाट 450 और 250 वर्ग गज तक ही हैं। अधिकांश सदस्यों को 450 वर्गगज के प्लाट दिये जाने है जब कि कुछ ऐसे सदस्यों को जिनके कब्जे में इस समय 50 वर्ग गज तक का क्षेत्र है उन्हें 250 वर्गगज के छोटे प्लाटों का नियतन किया जाना है।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में अनधिकृत बस्तियों का विनियमन

172. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने 1961 से पूर्व बनी अनधिकृत बस्तियों के विनियमन के प्रश्न पर पुनर्विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग) : जी नहीं। मुख्य कार्यकारी पार्षद द्वारा 28-10-1966 को दिया गया नीति विषयक वक्तव्य अभी भी लागू है। वक्तव्य की एक प्रतिलिपि सभा पटल पर रख दी गयी है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1348/68**]

दिल्ली विकास अधिकेरण में अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों के लिये आरक्षण

173. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास अधिकरण में भर्ती के मामले में अनुसूचित जातियों आदिम जातियों के लिये पद आरक्षित है;

(ख) यदि हां, तो उस समय वहां ऐसे अधिकारियों की वर्गवार संख्या कितनी कितनी है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

खम्भात की खाड़ी के बाहर अरब सागर में तेल की खोज

175. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**
श्री नायनार :

क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरब सागर में खम्भात की खाड़ी से बाहर तेल भंडारों की खोज के लिये भारत सरकार तथा अमरीकी फर्म मैसर्स तैन्नकों के बीच समझौते की शर्तें तय हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो उन का ब्यौरा क्या है तथा खोज का कार्य कब आरम्भ होगा ;

(ग) क्या यह अमरीकी फर्म उसी क्षेत्र में तेल की खोज करेगी जिसका वर्ष 1964-65 में रूसी दल ने सर्वेक्षण किया था ; और

(घ) इस सम्बन्ध में रूस वालों द्वारा दिये गये सुझावों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरमैया) : करार का एक मसौदा तैयार किया गया है परन्तु इसे अन्तिम रूप देने के लिये सरकार के निर्णय की प्रतीक्षा है।

(ख) विषय विचाराधीन स्थिति में होने के कारण शर्तों को समय-पूर्व नहीं बताया जा सकता।

(ग) इस फर्म की पेशकश उस क्षेत्र के, जिससे रूसी दल ने 1964 से 1966 के बीच भूकम्पीय सर्वेक्षण किये थे, एक भाग के लिये है।

(घ) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग खम्भात की खाड़ी के कुछ हिस्सों में व्यवधान करने के लिये रूस द्वारा दिये गये सुझावों की कार्यान्विति में कदम उठा रहा है और यह आशा है कि 1969 के प्रारम्भ से कार्य शुरू हो जायेगा।

दिल्ली के अस्पतालों के सम्बन्ध में प्रतिवेदन

176. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**
श्री तेन्नटि विश्वनाथन :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के अस्पतालों में हालात की जांच करने के लिये नियुक्त की गई समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ?

(ख) यदि हां, तो इसकी सिफारिशें क्या हैं ;

(ग) इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(घ) क्या इस समिति ने विलिगडन अस्पताल में स्वर्गीय डा० राम मनोहर लोहिया की मृत्यु के बारे में कोई विशेष टिप्पणी की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति):

(क) जी हां ।

(ख) रिपोर्ट और उसका सारांश संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध है ।

(ग) ये सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं ।

(घ) जी नहीं । यह समिति के निर्देश पदों में नहीं था ।

(ङ) यह प्रश्न नहीं उठता ।

कोयना भूकम्प के बारे में प्रतिवेदन

177. **श्री जार्ज फरनेन्डीज :**
श्री ईश्वर रेड्डी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तथा विदेशी सभी विशेषज्ञों ने जिन्होंने कोयना बान्ध की जांच की है इस बीच अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) क्या यह सच है कि कोयना बांध के भूकम्प के कारणों के तथा बांध को क्षति के बारे में इन प्रतिवेदनों में मतभेद प्रकट किया गया है ;

(ग) क्या सरकार ने कोई निर्णय ले लिया है कि कोयना तथा निकट के क्षेत्रों में कोई बड़ी दुर्घटना होने के कारण बाढ़ आने की स्थिति में क्या कार्यवाही की जानी चाहिये; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) :

(क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) और (घ) : बान्ध को मजबूत करने के लिये अन्तरिम उपाय किये गये हैं । इन में उन स्थानों की भराई जहां दरारें पड़ने की सम्भावना है और प्रभावित खम्बों का सीमित पूर्वपरिक्लन शामिल हैं । बान्ध को मजबूत करने के अन्य उपायों पर विचार किया जा रहा है ।

इस बीच जब तक बान्ध को मजबूत करने के कार्य पूरे नहीं हो जाते तब तक जलाशय में केवल उमड़मार्ग क्रेस्ट तक ही पानी भरा जाएगा ।

Annual Production of Gas in oil wells and oil Refineries

178. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the total annual quantity of gas produced in oil wells and oil refineries in the country at present, the quantity of gas utilized and the quantity of gas which is burnt :

(b) whether it is a fact that 1·2 tons of ammonia can be produced from one ton of gas and that can be sent at distant place through pipelines and fertilizers can be produced therefrom;

(c) if so, the reasons for which gas is being burnt ;

(d) whether 15.000 cubic-feet gas is produced from one ton of crude oil wells and oil refineries which can produce half a ton of ammonia or a number of chemicals, and crude oil, petrol , etc. can be obtained free of cost; and

(e) if so, the reasons for which gas complex is not being utilised ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and social Welfare (Shri Raghu Ramaiah) : (a) to (e). The information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as received.

Scheme to draw out oil and Gas from Naharktiya and Maram oil wells

179. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether any scheme has been finalised to draw out oil gas from Naharkatiya and Moran oil wells and replace it by water and gas to keep up the pressure in these wells so that maximum oil could be drawn from these oil-wells for a long time ;

(b) if so, the quantity of oil and gas propose to be drawn out from these oil wells; and

(c) whether it is a fact that this scheme is not being implemented due to lack of compressors which have not been imported so far ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghu Ramaiah) : (a) Yes. Injection of water and gas is beneficial in maintaining the production rate and increasing recoveries from some of the reservoirs .

(b) A total of about 5-10 million tonnes .

(c) Gas injection on a pilot cale has already been put into operation. Gas compressors, for which orders have already been placed, are required for further extension of this scheme.

Petroleum Coke Aluminium

180. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) the action being taken by Government with a view to produce Petrol Coke aluminium on a large scale and whether it is a fact that 0·45 tone of petrol coke is consumed for producing one ton of aluminium ; and

(b) whether it is also a fact that persons working in private sectors are purchasing coke at cheaper rates from Govt. refineries and selling it at the rate of Rs. 400 per tonne ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and Social Welfare (Shri Raghu Ramaiah) : (a) The feasibility of producing additional raw Petroleum Coke is being studied.

The Study Group set up the Deptt. of Mines and Metals had estimated in the report that 0·45 tonne of Petroleum Coke is required for producing one tonne of aluminium.

(b) No such cases have been reported.

Gauhati Refinery

181. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) wherher it is a fact that Gauhati Refinery does not produce naphtha at all;

(b) if so, whether it is also a fact that petrol and diesel are produced from naphtha oil instead of producing naphtha;

(c) Whether it is also a fact that Gauhati Refinery and other Refineries in the country are producing surplus fuel oil and good fertilizers can be produced from fuel oil.

(d) if so, the action being taken by Government for setting up such a fertilizer factory; and

(e) whether it is further a fact that though fuel oil like naphtha cannot be transported to distant places but it is produced more in quantity with less cost ?

The Minister of State in the Mininstry of Petroleum & Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghu Ramaiah) : (a) Yes. Sir.

(b) Naphtha is converted into motor gasoline. Diesel oil is not produced from naphtha.

(c) & (d) Fertilisers of good quality can be produced from fuel oil so long as the impurities in the latter are within limits. However, the present production of fuel oils by the refineries in the country leaves only a marginal surplus after meeting the existing demand. The investment costs of Fertiliser plants using fuel oil as feedstock are high as compared to naphtha as feedstock.

(e) Regular fuel oil can be easily transported over long distances but carriage of heavy fuel oil requires tank wagons fitted with steam coils. The quantity and cost of fuel oil differs as between the types of crude oil used and the processing schemes employed.

Earnings of Private Sector Refineries

182. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that private sector refineries are earning more money by producing other chemicals than by producing oil in the form of a complex and public sector is producing oil only ;

(b) if so, the reasons therefor ;

(c) whether it is also a fact that in foreign countries, entire cost is recovered by selling by-products of gas etc. of crude oil and petrol and diesel are produced free of cost ; and

(d) if so, the reasons for not adopting similar ways in India by Government ?

The Minister of State in the Ministry of Petroleum and Chemicals and of Social Welfare (Shri Raghuramaiah) : (*a*) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

वित्त आयोग

183. श्री नि० रं० लास्कर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि आसाम सरकार ने राज्य की वित्तीय समस्याओं के बारे में वित्त आयोग को अपने विचार बता दिये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्र ने वित्त आयोग से केन्द्र और राज्य के बीच राजस्व के हिस्से के बारे में अपना अन्तरिम प्रतिवेदन देने के लिये कहा है ;

(ग) यदि हां, तो आयोग द्वारा कब तक प्रतिवेदन दिये जाने की संभावना है ; और

(घ) कितने अन्य राज्यों के बारे में आयोग को अपना अन्तरिम प्रतिवेदन दिये जाने की संभावना है ; और

(घ) कितने अन्य राज्यों के बारे में आयोग को अपना अन्तरिम प्रतिवेदन देने के लिये कहा गया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ). आयोग के गठन से सम्बन्धित, राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार (जो 29 फरवरी, 1968 को लोक-सभा की मेज पर रखा गया था), आयोग को 30 सितम्बर, 1968 तक सभी राज्यों के सम्बन्ध में अन्तरिम रिपोर्ट देनी है, न कि किसी विशेष राज्य या कुछ विशेष राज्यों के सम्बन्ध में ।

Financial Assistance Given to States

184. Shri Ramavatar Shastri : Will the Minister of **Finance** be pleased to state. :

(a) the details regarding the financial assistance given to various State Governments by the Central Government from the 15th August, 1947 to March, 1967 respectively ;

(b) the amount of financial assistance given to the Bihar Government during 1967-68 and 1968-69 (upto the 30th June, 1968) ;

(c) whether Shri Bhola Paswan Shastri, the former Chief Minister of Bihar had brought fourth a proposal for granting financial assistance to Bihar and the meeting of the National Development Council held in Delhi in May, 1968 ;

(d) if so, the details thereof ; and

(e) the reaction of Government thereto ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b). : The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

(c) and (d): At the meeting of the National Development Council held in May, 1968, the Chief Minister of Bihar had made a request for special assistance to Bihar in view of the backward state of its economy and the potentialities for development.

(e) Within the total resources available and on the basis of the principles being followed in the allocation of Central assistance to the States, the maximum possible assistance is being given to Bihar.

Financial Assistance for Major Irrigation Schemes, Bihar

185. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether Bihar Government have demanded special financial assitance from the Central Government for completing Gandak, Kosi and other major irrigation schemes ;

(b) if so, the names of schemes and amount of assistance separately ; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) The answer is in the affirmative.

(b) and (c): The schemes are Gandak, Kosi and Sone High Level Canal. No specific amount had been indicated by the Government of Bihar for the current financial year. However, the Government of India have decided to give, as special assistance, Rs. 6 crores for the Gandak Project and Rs. 70 lakhs for the Sone High Level Canal Project.

Bihar Electricity Board

186. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) Whether the Bihar State Electricity Board is running at a loss ;

(b) if so, the annual loss sustained by it in rupees and the reasons therefor ;

(c) whether the Government of Bihar have requested the Centre for the grant of financial assistance to conduct the work of the Electricity Board successfully ;

(d) if so, the amount of assistance asked for ; and

(e) the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) Yes, Sir.

(b) The annual loss from 1958-59 to 1966-67 was indicated in reply to Lok Sabha Unstarred Question No. 871 on 16th November, 1967. The unaudited accounts for 1967-68 reveal a net operating deficit of Rs. 230 lakhs. This loss has been ascribed by the Electricity Board to increase in operating expenses due to an increase in dearness allowance and upward revision of wages according to the award of the Industrial Tribunal, the payment of Emergency Risks Insurance, an increase in the rate of supply of power by the Damodar Valley Corporation, an increase in the cost of coal and lubricants, and promotional measures to intensify rural electrification to combat drought conditions.

(c) to (e): No request for special financial assistance to the Bihar State Electricity Board has been received from the Government of Bihar.

श्रमरीकी सहायता

187. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका हाल में भारत को 2 करोड़ डालर की सहायता देने के लिये सहमत हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस करार की शर्तें तथा अन्य ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो जनवरी, 1968 से अब तक भारत को अमरीका से कुल कितनी सहायता मिली है तथा उसकी शर्तें क्या हैं और भारत ने कितनी सहायता मांगी थी ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त-मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) संयुक्त राज्य अमेरिका के निर्यात-आयात बैंक ने, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार का अभिकरण है हाल ही में भारत के लिये 200 लाख डालर का ऋण मंजूर किया है ।

(ख) यह ऋण 15 वर्षों की अवधि में चुकाया जाना है जिसमें 3 वर्ष की रियायती अवधि शामिल है। इस ऋण पर 6 प्रतिशत के हिसाब से व्याज लगेगा और 142 प्रतिशत वचन-बद्धता फीस देनी होगी । ऋण का इस्तेमाल पूंजीगत उपकरणों, प्रारम्भिक फालतू पुर्जों और सम्बन्धित सेवाओं के आयात के लिये किया जायगा ।

(ग) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

फरक्का बांध

188. श्री शिव चन्द्र झा : क्या **सिचाई** व **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरक्का बांध सम्बन्धी भारत पाकिस्तान वार्ता में पाकिस्तान ने मांग की है कि उस को गंगा का 49,000 क्यूसेक्स पानी दिया जाय ;

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण थे और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) यदि नहीं, तो भारत पाकिस्तान वार्ता में गंगा का कितना पानी दिये जाने के बारे में इस समय बातचीत चल रही है और यदि वह पानी पाकिस्तान को दिया गया, तो उस का बिहार में सिंचाई कार्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा ;

(घ) क्या इस वार्ता में बिहार को सम्बद्ध किया गया है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). जी, हां। पाकिस्तानी शिष्टमण्डल ने कहा था कि गंगा की मुख्य शाखा पदमा नदी के पानी से सिंचित किये जाने के लिये प्रस्तावित क्षेत्रों के लिये गर्मी के महीनों में 49,000 क्यूसेक पानी चाहिये। भारतीय शिष्टमण्डल ने इन आवश्यकताओं को प्रत्यक्षतया अमान्य समझा । उन्होंने सुझाव दिया कि पाकिस्तान अपनी उक्त मांग की पुष्टि में पूरे पूरे तकनीकी आंकड़े दे और भारतीय विशेषज्ञों को इन क्षेत्रों का निरीक्षण करने की सुविधाएं दी जाएं ।

(घ) और (ङ). जी नहीं। इस बैठक में जिन बातो पर विचार किया गया वे मुख्यता भारत की फरक्का बराज परियोजना और पाकिस्तान की गंगा कोवाडक परियोजना से सम्बन्ध रखती है, अतः उन विशेषज्ञों को इस बातचीत में शामिल किया गया जिन को इन समस्याओ का पूरा ज्ञान था ।

गंडक बांध का नक्शा

189. श्री शिव चन्द्र झा : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 मई, 1968 के इंडियन नेशन में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि बिहार सरकार के नदी घाटी परियोजना विभाग से गंडक बांध का एक 'प्रतिबंधित' सर्वोच्च नक्शा रहस्यमय तरीके से गायब हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह नक्शा पहले कहां था और इसे कब और किन कारणों से बिहार भेजा गया था ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस घटना की केन्द्रीय जांच कराने का है और यदि हां, तो कब ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां।

(ख) यह नक्शा भारत की सर्वेक्षण संस्था के निदेशक ने बिहार सरकार को बिना गल्तियां निकाले प्रूफ की शक्ल में भेजा था जिसको आवश्यक गल्तियां निकालने के बाद अन्तिम छपाई के लिये वापिस किया जाना था। यह नक्शा भारत की सर्वेक्षण संस्था द्वारा सर्वेक्षित गंडक परियोजना स्कीम के एक भाग का है।

(ग) नक्शा कभी भी गुम नहीं हुआ और यह बिहार सरकार के नदी घाटी परियोजना विभाग के पास सुरक्षित पड़ा है। इसलिये जांच का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

इंडिया शूगर्स एंड रिफाइनरीज लिमिटेड हास्पेट

190. **श्री अगाड़ी :** क्या **वित्त** मंत्री 2 मई, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 1589 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडिया शूगर्स एंड रिफाइनरीज लिमिटेड हास्पेट, बेल्लार्थ जिला मैसूर राज्य के विरुद्ध चीनी की अवैध बिक्री के लिये, जिसके अन्तर्गत इसने वैध करो का अपवंचन करके अंशधारियों, कृषकों, और सरकार को धोखा दिया है कोई जांच की गई है ;

(ख) यदि हां, तो जांच का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां।

(ख) जांच पड़ताल चल रही है।

(ग) पूछताछ पूरी हो जाने पर जैसी कार्यवाही जरूरी होगी वैसी अवश्य की जायगी।

नागार्जुन सागर बांध में क्रेस्ट गेट

191. **श्री अगाड़ी :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर सरकार के विरोध के बावजूद आन्ध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर परियोजना में क्रेट गेट लगा दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस विवाद को हल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या मैसूर सरकार ने यह विवाद एक न्यायाधिकरण को सौंपा है ; और

(घ) यदि हां, तो यह मामला किस स्थिति में है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) नागार्जुनसागर बांध पर अभी तक कोई क्रेस्ट गेट नहीं लगाये गये हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मैसूर, महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश की सरकारों ने प्रार्थना की है कि कृष्णा गोदावरी के पानी के विवाद को अन्तर्राज्य जल विवाद अधिनियम, 1956 के अधीन न्यायाधिकरण को सौंप दिया जाए।

(घ) कृष्णा और गोदावरी नदियों से सम्बन्धित विवादों को न्यायाधिकरणों को सौंपने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

मैसूर सरकार को सिंचाई कार्यों के लिये ऋण

192. **श्री अगाड़ी :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर सरकार 1956–57 से अब तक सिंचाई के लिये ऋण तथा/अथवा सहायता के लिये प्रार्थना करती आ रही है;

(ख) यदि हां, तो उस राशि तथा उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है और मैसूर सरकार ने अपने आवेदन पत्र किस वर्ष प्रस्तुत किये थे;

(ग) क्या कोई ऋण स्वीकृत किये गये हैं और उनका उपयोग किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो अब तक वर्ष-वार आंकड़े क्या हैं?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). उपरिकृष्णा परियोजना की कार्यान्विति के लिये 1966–67 के दौरान 3 करोड़ रुपये के आवण्टन के लिये सितम्बर, 1966 में मैसूर के मुख्य मंत्री से एक प्रार्थना प्राप्त हुई थी। संसाधनों के कठिन स्थिति तथा निर्माण की प्रौढ़ावस्था में पहुंची परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिये पहले उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करने के तथ्य को ध्यान में रखते हुए, इस प्रार्थना को स्वीकार न किया गया। भद्रा, तुंगभद्रा और घटाप्रभा जैसी कुछ परियोजनाओं का शीघ्र निर्माण करने के लिये 5 करोड़ रुपये की सहायतार्थ जून, 1968 में मैसूर के मुख्य मंत्री से एक और प्रार्थना प्राप्त हुई है जिस पर विचार किया जा रहा है।

(ग) और (घ). 1967–68 से मैसूर की घटाप्रभा चरण–1 तथा तुंगभद्रा उच्चस्तर नहर परियोजनाओं के लिये निर्धारित केन्द्रीय सहायता दी जा रही है। निम्नलिखित ऋण 1967–68 में दिये गये थे :—

1. घटाप्रभा चरण—2	230 लाख रुपये
2. तुंगभद्रा उच्चस्तर नहर	90 लाख रुपये

कम अथवा अधिक राशि के बीजक बनाने के मामलों का पता लगाने के लिये विदेशों में काम कर रहा एकक

193. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम अथवा अधिक राशि के बीजक बनाने के मामलों का पता लगाने के लिये वित्त मंत्रालय का कोई एकक विदेशों में काम कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस एकक के अधीन ऐसे कितने कार्यालय हैं; और

(ग) जब से इस एकक की स्थापना हुई है तब से अब तक उसने कितने मामलों का पता लगाया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) माल का कम अथवा अधिक रकम का बीजक बनाने का पता लगाने के लिये वित्त मंत्रालय का अभी कोई दल विदेश में काम नहीं कर रहा है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

194. Shri Bhogendra Jha : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the total amount of private bank deposits at present and bank-wise details in respec thereof ; and

(b) the amount invested in foodgrains, cotton, jute, sugar and pulse trade, respectively, out of the total bank deposits, from 1957-58 to 1967-68 and in 1968-69 ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. C. Pant) : (a) The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

(b) A statement is enclosed.

STATEMENT

(Amount in lakhs)

Outstandings as on	Foodgrains (including pulses)	Raw Cotton	Raw Jute	Sugar
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
April 25, 1958	20,37	44,79	10,85	Not separately available.
April 24, 1959	18,72	41,42	4,50	,,
April 29, 1960	25,38	40,94	4,86	,,
April 28, 1961	26,53	49,67	4,04	,,
March 31, 1963	27,45	54,25	5,97	9,55
March 31, 1964	29,26	57,39	6,91	10,61
March 31, 1965	32,12	73,54	10.98	9,97
March 31, 1966	70,20	62,47	8,04	9,75
March 31, 1967	39,55	76,80	9,83	5,32

NOTE : — (*i*) There was no survey in 1962.

(*ii*) Figures in respect of March 1968 and 1968-69 have not yet been compiled.

Adhawara Flood Prevention-Cum-Irrigation Scheme

†195. **Shri Bhogendra Jha :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6678 on the 8th April, 1968 and state :

(a) whether the proposed Adhawara Scheme is a flood-control scheme and not flood control-cum-irrigational scheme ;

(b) whether Government are aware that a large area of land between both the embankments of Khiroi has been devastated since the scheme is meant only for controlling floods and the present measurement of Bhagmati (Dhauns) is being done on the very basis ;

(c) whether it is a fact that it becomes impossible to utilise the river water for irrigation purposes on account of such type of scheme ; and

(d) whether Government propose to convert this scheme into a flood control-cum-irrigational scheme and if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) The proposed Adhawara Scheme is a flood control scheme only.

(b) In an embankment scheme, it is inevitable that area between the embankment and the river is liable to inundation and consequently, not available for cultivation purposes during the flood season.

(c) The area protected by the embankment can be provided with water for the crops wherever possible by providing sluices in the embankments.

(d) The proposal at present is for providing flood protection which is considered to be urgent. The need for irrigation in the area and a scheme for the same are to be investigated separately.

Western Cosi Canal Hydro-Elecrtric Scheme

196. **Shri Bhogendra Jha :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6677 on the 8th April, 1968 and state :

(a) the reasons for not formulating a Western Kosi Canal Hydro-Electric Scheme (of 20 M.G.) on the pattern of Eastern Kosi Canal Scheme ;

(b) whether Government are now contemplating to formulate and to implement the said scheme ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) There is no suitable fall available on this canal for power development purposes.

(b) and (c). Do not arise.

Power Availability in Bihar

†197. **Shri Bhogendra Jha :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the *per capita* availability of power in the whole country and in Bihar State (excluding North Bihar) and in north Bihar, respectively ;

(b) the steps Government propose to take to remove the backwardness of North Bihar in the matter of power availability;

(c) whether it is a fact that constant dislocation is caused due to the absence of power sub-stations at Darbhanga, Champaran and Saharsa ; and

(d) if so, whether steps are being taken to set up sub-stations at those places also

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) All India *per capita* availability of power was 72 kWh during 1967-68 while that for Bihar excluding North Bihar) and North Bihar was 96 kWh and 12 kWh respectively.

(b) the following steps are being taken or proposed to be taken for augmenting power generation, transmission and distribution facilities in the North Bihar :

(1) Installation of two additional generating units of 50 MW each at Barauni Thermal Power Station.

(2) Installation of 4 units of 5 MW each at the Kosi Hydel Power Station.

(3) Construction of 132 kV transmission lines from Barauni to Purnea, from Samastipur to Chapra, from Muzaffarpur to Sagauli and augmentation of capacity in the existing 132 kV transmission line from Barauni to Muzaffarpur.

(4) Construction of a 220 kV link between Pathratu thermal station and Gaya and 132 kV link between Gaya and Mokameh to enable transfer of additional power from South to North Bihar.

(c) and (d). Dislocation in the power supply in North Bihar is being caused due to inadequacy of transmission and distribution facilities. With the completion of the 132 kV transmission lines and the substations at Ramnagar, Sagauli, Battia and Motihari in Champaran District, Birpur and Madhepura in the Saharasa District and Jainagar in Darbhanga District which are now under construction, the power supply condition in North Bihar is expected to improve considerably.

हरिजनों के लिये उच्च-शक्तिप्राप्त संसदीय समिति

198. श्री यमुना प्रसाद मंडल :
श्री प्र० रं० ठाकुर :
श्री सिद्दय्या :

क्या समाज कल्याण मंत्री 29 अप्रैल, 1968 के तारांकित प्रश्न संख्या 1575 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरिजनों के लिये उच्च-शक्तिप्राप्त संसदीय समिति स्थापित करने के प्रस्ताव को इस बीच में अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) से (ग). सरकार कुछ नतीजों पर पहुंची है; यह मामला इस सत्र में सदन के सम्मुख लाने का प्रस्ताव है ।

परिवार नियोजन कार्यक्रम

199. श्री यमुना प्रसाद मंडल : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिक्षकों को आंशिक रूप में परिवार नियोजन का कार्य सौंपा जायेगा;

(ख) यदि हां, तो शिक्षकों की सेवाओं का किस प्रकार उपयोग किया जायेगा; और

(ग) क्या किसी अन्य स्वैच्छिक संगठन से सहयोग देने के लिये कहा जायेगा ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० चन्द्रशेखर) : (क) और (ख). जी हां । परिवार नियोजन कार्यक्रम में प्रौढ़-शिक्षा स्कूलों, ग्राम स्कूलों के अध्यापकों तथा प्रशिक्षण संस्थानों के शिक्षकों को शामिल करने का प्रस्ताव है । इस सम्बन्ध में प्रस्तावों का ब्यौरा सभा पटल पर रख दिया गया है। [**पुतकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 1349/68]

(ग) परिवार नियोजन कार्यक्रम में भागीदारी के लिए स्वयंसेवी संगठनों के लिए पहले ही मान्य योजनाओं और सहायता के स्वरूप के अनुरूप कार्य चल रहा है और अधिकतर लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण से सम्बद्ध स्वयंसेवी संगठन परिवार नियोजन के नियमों और कार्यक्रम के प्रचार में दिलचस्पी ले रहे हैं ।

पश्चिम कोसी नहर का रेखांकन

200. **श्री यमुना प्रसाद मंडल :**
श्री भोगेन्द्र झा :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री 6 मई, 1968 के अतारांकित प्रश्न सं० 9686 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेपाल में पश्चिम कोसी परियोजना का रेखांकन पूरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या नेपाल सरकार ने इस प्रयोजन के लिए भूमि अर्जित करने के लिए अपनी अन्तिम स्वीकृति दे दी है; और

(ग) भारत में पश्चिम कोसी नहर के रेखांकन का कार्य कब पूरा हो जायेगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). हाल ही में किये गये विस्तृत सर्वेक्षण के आधार पर नेपाल में पश्चिमी कोसी नहर के रेखांकन के बारे में प्रस्ताव तैयार कर दिये गये हैं और नेपाल सरकार को भेज दिये गये हैं । उनकी स्वीकृति प्रतीक्षित है । रेखांकन की स्वीकृति के बाद नेपाल सरकार को आवश्यक भूमि भी अर्जित करनी है ।

(ग) क्योंकि भारत में नहर का अन्तिम रेखांकन नेपाल के रेखांकन पर निर्भर है, भारत में रेखांकन का कार्य नेपाल सरकार की स्वीकृति मिलते ही आरम्भ कर दिया जायेगा ।

केरल सरकार द्वारा जीवन बीमा तथा सामान्य बीमा व्यवसाय आरम्भ करने का निर्णय

201. **श्री धीरेन्द्र नाथ देव :**
श्री अजमल खां :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 जून, 1968 को नई दिल्ली में केरल के वित्त मंत्री के उस वक्तव्य की ओर, जो 17 जून के हिन्दुस्तान में प्रकाशित हुआ था, आकर्षित किया गया है कि केरल सरकार ने जीवन बीमा निगम के साथ जीवन बीमा तथा सामान्य बीमा के क्षेत्र में प्रवेश करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में अपनी योजनाओं को अन्तिम रूप देने से पहले राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से परामर्श किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). उपर्युक्त समाचार की ओर सरकार का ध्यान गया है। परन्तु सरकार को केरल सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है और इसलिये कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

गुजरात में परिवार नियोजन सम्बन्धी कार्य

202. **श्री द० रा० परमार** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को चलाने के लिये गुजरात राज्य में किन्हीं संगठनों को पूर्ण अथवा आंशिक अनुदान मंजूर किया है; और

(ख) यदि हां, तो उन संगठनों के नाम क्या हैं, जिन्हें पूर्ण अथवा आंशिक अनुदान मंजूर किये गये हैं और अब तक प्रत्येक संगठन को कितना-कितना अनुदान मंजूर किया गया है और दिया गया है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० श्री चन्द्रशेखर) : (क) जी हां।

(ख) दो विवरण, जिनमें वर्ष 1966–67 और 1967–68 में भारत सरकार द्वारा मंजूर किये गये सहाय्यानुदानों की सूचना दी गई है, सभा पटल पर रख दिये गये हैं। **[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 1350/68]** । इस अवधि में गुजरात राज्य सरकार द्वारा मंजूर किये गये सहाय्यानुदानों की सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

गुजरात में परिवार नियोजन कार्य के लिये संगठनों को अनुदान

203. **श्री द० रा० परमार** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के परिवार नियोजन संगठनों को परिवार नियोजन कार्य करने के लिये किन नियमों तथा विनियमों के अन्तर्गत पूरा अथवा आंशिक अनुदान दिया जा रहा है;

(ख) क्या इन संगठनों पर सरकार का कोई पर्यवेक्षण तथा लेखापरीक्षा सम्बन्धी नियंत्रण है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन संगठनों को अपनी इच्छा के अनुसार अपेक्षित कर्मचारी नियुक्त करने का अधिकार है; और

(ङ) इसके क्या कारण हैं कि केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारें अपने विभागों के द्वारा ये कार्य नहीं कर रही हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० चंद्र-शेखर) : (क) गुजरात सरकार ने कुछ नियम बना रखे हैं जिनके अनुसार सहाय्यानुदान दिये जाते हैं। ये नियम भारत सरकार द्वारा नमूने के तौर पर भेजे गये नियमों पर आधारित हैं।

(ख) और (ग) सहाय्यानुदान सम्बन्धी हिसाब-किताब की जांच चार्टर्ड अकाउंटेंट या सरकारी लेखा परीक्षक से करानी होती है। जांच-पड़ताल राज्य सरकार या भारत सरकार कभी भी कर सकती है और भारत के नियंत्रक और महा-लेखा परीक्षक भी अपनी इच्छानुसार उनका परीक्षण कर सकते हैं।

(घ) स्वैच्छिक संगठनों को सहायता देने का स्वरूप जिसमें कर्मचारियों की नियुक्तियां करने का भी स्वरूप शामिल है, भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है और संगठनों को इसका पालन करना होता है। फिर भी, यदि राज्य सरकार कार्यकुशलता की दृष्टि से आवश्यक समझे, तो इसमें कुछ छूट दी जा सकती है।

(ङ) जहां परिवार नियोजन कार्यक्रम से सम्बन्धित कार्य अधिकतर राज्य सरकारें अपने स्वास्थ्य विभागों द्वारा कर रही हैं, वहां स्वैच्छिक संगठनों और स्थानीय संस्थाओं को भी अपने अपने क्षेत्र में इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देना है। इसलिए उन्हें इस कार्य को करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

Public Provident Fund Scheme

204. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether the Public Provident Fund Scheme has been introduced from the beginning of July this year ;

(b) if so, whether there has been any satisfactory response indicating that the common people want to take full advantage of it : and

(c) whether any further steps are proposed to be taken to make it more popular in future?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai): (a) to (c) The scheme has been introduced from 1st July, 1968. It is therefore rather early to attempf an evaluation of the response to the Scheme. However, judging from preliminary reports regarding the number of accounts opened and amounts received, the response may be considered encouraging. The scheme is being widely advertised in the news-papers and periodicals and also publicised by the fields staff of the National Savings Organisations. Government have no doubt that due course when the advantages of the Scheme are realised, it will attract subscribers from all classes of people.

Floods in Hasanpur Tehsil of District Muradabad, U.P.

205. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) Whether he inspected the area some time back which is flooded every year in Hasanpur Tehsil of District Moradabad in Uttar Pradesh ;

(b) if so, whether Government have formulatesd any schemc to check the floods; and

(c) the time by which the scheme is likely to be implemented ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) Yes, Sir .

(b) and (c) The Government of U. P. had prepared a tentative scheme for an embankment along the left bank of Ganga along the watershed between Mohawa Nadi and the Ganga, starting from Ghaziabad-Moradabad road and joining the upper end of the existing Jibpur bund. Extension of this embankment upto Sherpur, which is about 10 miles upstream of the Garmukhteshwar road bridge, to protect some further additional areas which are getting flooded from the Ganga has now been suggested. Detailed surveys have been recommended to be made for this extension. Model studies are proposed to be carried out at the Roorkee research Station for assessing the effect of the proposed embankment on the upstream and downstream reaches and on the areas lying on the right bank of the Ganga and the adequacy of the road and railway bridges .

The scheme can be taken up for implementation after the detailed surveys are carried out after the monsoon and model tests have been carried out by the Research Station and details reports and estimates are prepared by the State Government.

Shortage of Doctors in U.P. Hospitals

206. Shri Prakash Vir Shastri : Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) the steps being taken in respect of those hospitals in U.P. where doctors could not be Provided ;

(b) whether it is a fact that the shortage is being experienced particularly in the hospitals for women ; and

(c) if so, the measures which are proposed to be taken to remove the shortage of doctors?

Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murty) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of he Sabha .

विदेशी-मुद्रा नियमों के उल्लंघन के मामले

207. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों में विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन के कितने मामले पकड़े गये हैं; और

(ख) दोषी व्यक्तियों को सजा देने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) 1 अप्रैल से 30 जून, 1968 के बीच प्रवर्त्तन निदेशालय ने विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन अधिनियम, 1947 के संदिग्ध उल्लंघन के 490 मामले उक्त अधिनियम के अन्तर्गत जाँच पड़ताल के लिए दर्ज किये ।

(ख) अभी ये मामले जाँच पड़ताल की विभिन्न स्थितियों में हैं । यदि जाँच पड़ताल पूरी होने पर विदेशी मुद्रा विनमय विनयमन अधिनियम, 1947 के उपबन्धों का उल्लंघन पाया जायगा तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ अधिनियम के अधीन आवश्यक कार्यवाही की जायगी ।

परिवार नियोजन कार्यक्रम पर व्यय

208. श्री राम चन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पिछले तीन मास में परिवार नियोजन कार्यक्रम पर राज्य-वार कितना व्यय किया गया है; और

(ख) उसका ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० श्री० चन्द्र-शेखर) : (क) और (ख). राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी

209. श्री रामचन्द्र उलाका : क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन महीनों में हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी ने कुल कितना लाभ कमाया; और

(ख) क्या 1967–68 के लिये निर्धारित लक्ष्य पूर्णत: प्राप्त कर लिया गया है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) अप्रैल से जून, 1968 की अवधि के हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी के कार्य करने के वित्तीय परिणाम केवल तभी जाने जा सकते हैं जब कि इन तीन महीनों के लेखे को जो कि तैयार किये जा रहे हैं, अंतिम रूप दे दिया जाये ।

(ख) जी हाँ। 1967–68 के लिए 180.00 लाख रुपये के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जो कि पूरी तरह से प्राप्त हो गया था ।

खाद्य अपमिश्रण सम्बन्धी मुकदमें

210. श्री रामचन्द्र उलाका : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन महीनों में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में खाद्य पदार्थों में अपमिश्रण के विरूद्ध कितने मुकदमें चलाये गये;

(ख) कितने व्यक्तियों को दंड दिया गया; और

(ग) प्रत्येक मामले में कितना तथा क्या दंड दिया गया ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) से (ग). अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

कैटेलिस्टों का निर्माण

211. **श्री रामचन्द्र उलाका** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री 16 नवम्बर, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 116 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कैटेलिस्टों के निर्माण के लिए जिन कार्यवाहियों के बारे में विचार हो रहा था, उनके बारे में इस बीच अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघरामया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली में साफ-सफाई

212. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली में पिलाँजी गाँव के निकट नहर के पश्चिम में काफी खुली जगह है ;

(ख) क्या यह ऐसा प्रस्ताव है कि कोटला मुबारकपुर के गाँव के रिहाशी क्षेत्रों से पशुदुग्ध-शालाओं को वहाँ से हटा कर इस स्थान पर ले जाया जाय; और

(ग) यदि हाँ, तो कोटला मुबारकपुर में दुग्धशालाओं के विकास कार्य तथा ग्राम सफाई सुधार कार्य में समन्वय स्थापित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग). पशुओं के लिये घोषी कालोनियाँ परिसीमा पर बनाई जा रही हैं जहाँ उन्हें ले जाकर स्थाथी रूप से रखा जायेगा । कोटला मुबारकपुर के लिए एक पुनर्विकास योजना तैयार की जा चुकी है तथा उसे शीघ्र ही दिल्ली नगर निगम के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जायेगा ।

नई दिल्ली में कोटला मुबारकपुर के पार्क की गंदी स्थिति

213. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली के "टाइम्स आफ इंण्डिया" नामक समाचार-पत्र में प्रकाशित समाचार के अनुसार कोटला मुबारकपुर के पार्क में टट्टी की बड़ी दुर्गन्ध आती है और वहाँ बहुत गंदगी रहती है;

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी हाँ।

(ख) इस क्षेत्र का विस्तृत सर्वेक्षण किया गया है और एक पुनर्विकास योजना तैयार की गई है। इसी बीच शौचालयों के अभाव में जो गंदगी फैली हुई है, उसे दूर करने के लिए कुछेक सामुदायिक शौचालय ब्लाकों के लिए जगहों का चयन कर लिया गया है और दो ब्लाकों का तो निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है।

कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली के निवासियों के लिये सुविधाएं

214. **श्री म० ला० सोंधी :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली के निवासियों के लिए पानी की सप्लाई तथा शौचालयों की पर्याप्त व्यवस्था करने में विलम्ब के कारणों की जाँच की गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) जी नहीं।

(ख) क्योंकि कोटला मुबारकपुर में इन सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई थी, अतः यह प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान तथा उड़ीसा के कृषि के प्रयोजनों के लिये बिजली के सम्भरण के लिये राज-सहायता

215. **श्री धुलेश्वर मीना :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान तथा उड़ीसा राज्यों को कृषि प्रयोजनों के लिये बिजली उपलब्ध कराने के लिये 1967–68 में कितनी कितनी राज-सहायता दी गई ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : भारत सरकार ने 1967–68 के दौरान राजस्थान और उड़ीसा की राज्य सरकारों को ग्रामविद्युतन के लिये कोई अनुदान नहीं दिया। राजस्थान और उड़ीसा की राज्य सरकारों को ग्रामविद्युतन स्कीमों के लिये, जिन में पम्पों को ऊर्जित करने की ओर अधिक बल दिया गया है, 1967–68 में क्रमशः 175 लाख और 87 लाख रुपये की केन्द्रीय ऋण सहायता दी गई है।

प्रतिनिधिमंडलों/मंत्रियों आदि द्वारा विदेश यात्रा

216. **श्री प्रेम चन्द वर्मा :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) वर्ष 1967–68 तथा वर्ष 1968–69 में अब तक कितने शिष्टमंडल, मंत्री, अधिकारी अथवा अन्य विशेषज्ञ सरकारी कार्य के लिये विदेशों में गये ;

(ख) इनमें से प्रत्येक ने किन किन देशों का दौरा किया और वे कितने कितने दिन वहां रहे ;

(ग) प्रत्येक दौरे पर कितना धन खर्च किया गया और उसमें विदेशी मुद्रा कितनी खर्च हुई ;

(घ) प्रत्येक दौरे के फलस्वरूप सरकार को क्या वास्तविक लाभ हुआ ; और

(ङ) और (च) यदि कोई करार किये गये तो उनका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) :

(क)
(ख)
(ग)
(घ)
(ङ)
(च)

एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1351/68]

तेल की खोज करने का ईरान का प्रस्ताव

217. **श्री यशपाल सिंह:** क्या पैट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल की खोज करने के ईरान के नये प्रस्ताव के बारे में कोई निर्णय लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, ईरानी अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहा है, इसके परिणामों की प्रतीक्षा की जा रही है।

महात्मा गांधी जन्म शताब्दी पर जारी किये जाने वाले सिक्के

218. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 2 अक्तूबर, 1969 को महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी पर जारी किये जाने वाले प्रस्तावित सिक्कों में किन किन धातुओं का मिश्रण होगा ; और

(ख) नये सिक्के जारी करने पर कितनी लागत आयेगी ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) महात्मा गांधी की जन्म-शताब्दी पर जारी किये जाने वाले सिक्कों में निम्नलिखित धातुएं होंगी :

(1) चांदी का दस रुपये का सिक्का	80 प्रतिशत चांदी और 20 प्रशित तांबा।
(2) निकल का एक रुपये का सिक्का—	शुद्ध निकल।
निकल का पचास पैसे का सिक्का—	शुद्ध निकल।
(3) ऐल्यूमिनियम कांसे का 20 पैसे का सिक्का—	92 प्रतिशत तांबा, 6 प्रतिशत ऐल्यूमिनियम और 2 प्रतिशत निकल।

(ख) अलग अलग मूल्यों के उपर्युक्त सिक्के ठीक-ठीक कितनी-कितनी संख्या में ढाले जायेंगे, इसका निर्णय अभी नहीं किया गया है। इसलिये प्रस्तावित नये सिक्कों की कुल लागत का अनुमान लगाना अभी सम्भव नहीं है।

राजस्थान में औसत जीवनकाल

219. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में औसत जीवन काल बढ़कर 50 वर्ष हो गया है ; और

(ख) राजस्थान में औसत जीवनकाल कितना है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): (क) जी हां।

(ख) औपचारिक प्रक्षेपणों के लिए ऐसा माना गया था कि राजस्थान में औसत जीवन काल जो कि 1961 की जन गणना के अनुसार 46.8 वर्ष था वह बढ़ कर 56.8 वर्ष हो जायेगा।

नंगे तार के कारण दिल्ली विद्युत् संभरण उपक्रम के लाइनमैनों की बिजली के झटके से मृत्यु

220. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तारों के नंगे होने के कारण दिल्ली विद्युत् संभरण उपक्रम के कई लाइनमैनों की पिछले दो महीनों में मृत्यु हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसी घटनाएं न होने देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) एक मई 1968 से 15 जुलाई 1968 तक बिजली की नंगी तार से करन्ट लगने के कारण दो लाइनमैनों के मरने की सूचना मिली है।

(ख) दिल्ली विद्युत संभरण उपक्रम ने सूचित किया है कि केवल समुचित रुप से अधिकृत लाईनमैनों को ही बिजली करंट वाली तारों पर काम करने दिया जाता है और उनके पास ऐसी तारों पर काम करने के लिए सभी आवश्यक औजार होते हैं। उपक्रम ने एक बाहरी एजेन्सी द्वारा जांच कराना स्वीकार कर लिया है। केन्द्रीय जल और विद्युत आयोग के एक सदस्य को जांच के लिए नामित कर दिया गया है।

अत्यधिक आय वाले व्यक्तियों को रोग

221. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में एक डाक्टर द्वारा हाल में किये गये एक सर्वेक्षण से यह पता चला है कि अत्यधिक आय वाले को रक्त चाप, दिल का दौरा और ऐसी ही अन्य बीमारियां अधिक होती हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) कारोनरी हृद रोग के प्रकोप के सम्बन्ध में डा० एस० पदमावती द्वारा दिल्ली में किए गए

सर्वेक्षण से पता चला है कि कारोनरी धमनी रोग अल्प आय वर्ग (33 प्रतिशत) वालों की अपेक्षा उच्चतर आय वर्ग वालों में (5.5 प्रतिशत) बहुत अधिक है। उच्च और अल्प आय वर्ग वालों में इस अन्तर के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं —

(1) उच्च वर्ग वालों की औसत आयु का लम्बा होना ;

(2) चर्बी वाले पदार्थों का अधिक मात्रा में सेवन करना ;

(3) उच्च वर्ग वालों का अधिक समय बैठे बैठे रहना ;

(4) अत्यधिक मानसिक चिन्तन जो कि उच्च वर्गों के व्यक्तियों में ज्यादा परिचालित हो सकता है।

(ख) इस रोग से पीड़ित व्यक्तियों को रोगोत्पादक कारणों से भली भांति परिचित करा देने की आवश्यकता है।

जाली मुद्रा

222. **श्री श्रीधरन :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले तीन महीनों में सरकार ने जाली मुद्रा के कुछ मामले पकड़े हैं;

(ख) क्या अब इस सम्बन्ध में कुछ प्रमुख व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में कितनी राशि की जाली मुद्रा जब्त की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग). जाली मुद्रा बनाने से सम्बन्धित अपराधों की जांच और उनके बारे में मुकदमें चलाने का काम राज्यों की पुलिस करती है। राज्य सरकारों में सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासमय उसे सभा की मेज पर रख दिया जायगा।

राज्यों में सूखा राहत कार्य

223. **श्री के० सूर्यनारायण :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या आंध्र प्रदेश, मैसूर, महाराष्ट्र और मद्रास राज्यों की सरकारों ने सूखा राहत कार्यों के लिये केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है ; और

(ख) यदि हां, तो दो वर्षों से अब तक प्रत्येक राज्य के लिये कितनी-कितनी राशि मंजूर की गई है ?

उप-प्रधानमंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) आंध्र प्रदेश और मैसूर की सरकारों ने चालू वर्ष में सूखा सम्बन्धी सहायता कार्यों पर खर्च करने के लिए भारत सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है।

(ख) इन दो राज्यों को 1966-67 से सूखा सम्बन्धी सहायता कार्यों के लिए जो सहायता दी गयी है वह इस प्रकार है ;—

(करोड़ रुपयों में)

	1966-67	1967-68	1968-69 अब तक
आंध्र प्रदेश	2.50	—	3.00
मैसूर	3.00	—	1.00

Vasectomy Operations of Haryana Prisoners

224. **Shri O.P. Tyagi:** Will the Minister of **Helth, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(*a*) Whether it is a fact that a special remission of 30 days in imprisonment has been announced in Haryana for those prisoners who undergo vasectomy operation;

(b) whether such announcements have been made in other States also ;

(c) if so, the State-wise number of prisoners who have acted according to this announcement ;

(d) whether Government have decided to make the people to undergo vasectomy operatio ch allurements and not on voluntarily basis ; and

(e) if so, the justification for this action ?

The Minister of State in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Dr. S. Chandrasekhar) : (a) Yes.

(b) Yes, according to the information available the concessions of this nature have also been announced by the States of Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Punjab, Rajasthan and the Union Territory of Goa, Daman & Diu.

(c) The information is being collected.

(d) The sterlization operations are performed on a voluntary basis.

(e) Does not arise.

Effect of Unaccounted Money on Prices

225. **Shri O.P. Tyagi :** Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) Whether the unaccounted mony is influencing the present position of **Indian** currency and prices of goods ;

(b) if so, whether Government have investigated into the matter ;

(c) if so, the results there of; and

(d) the steps being taken by Government to put an end to such an influence ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) to) (d) The influence of unaccounted money cannot be isolated from other factors affecting prices. Profits are often not accounted for because they may have arisen from transactions in violation of various controls over prices and foreign exchange transactions and also with a view to evading taxes and duties. Such profits are utilised, besides meeting lavish expenditure on luxurious or ostentatious living, to acquire bullion or commodities or to make 'under-the-counter' payments for acquisition of house property for which the consideration is understated in the sale deed.

The circulation of unaccounted money can be reduced by taking effective measures for checking tax evasion. Towards that end, Government have already taken various measures both legislative and administrative. Searches of premises and seizure of unaccounted cash, bullion or other assets is authorised under the Income-tax Act where there is information that the person concerned has unaccounted income. Capital gains are computed for the purposes of income-tax with reference to the fair market value of a capital asset, where the consideration for the sale has been understated. It has been provided by the Finance Act, 1968. That in computing business profits, no allowance will be made in respect of expenditure for

which payment is made (after a date to be notified and subject to such exceptions as may be prescribed) in an amount exceeding Rs. 2,500, unless the payment is made by a crossed cheque or draft on a bank. The Finance Act, 1968 has also stepped up the penalties leviable for concealment of income and wealth to a minimum of an amount equal to the concealed income or wealth, and a maximum of twice that amount. This will result, virtually, in a confiscation of the concealed income or wealth. For concealment of income, the punishment, on conviction before a court, is rigorous imprisonment for a term which may range from a minimum of six months to a maximum of two years. Administrative measures have been taken for prosecution of tax evaders in cases where sufficient evidence is available for securing conviction. Intelligence wings have been set up to process such cases. Government is also setting up, departmentally a valuation organisation for securing proper valuation of house property and other assets for the purposes of the Income-tax Act, the Wealth-tax Act, the Gift-tax Act and the Estate Duty Act.

उत्पादन शुल्क से आय

226. श्री राणे : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966-67 और 1967-68 में विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों में उत्पादन शुल्क से कितनी आय हुई ;

(ख) वर्ष 1968-69 में विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों में उत्पादन शुल्क से कितनी आय होने का अनुमान है ;

(ग) किन-किन राज्यों तथा संघ राज्यक्षेत्रों को मद्य-निषेध में छूट देने अथवा मद्य-निषेध समाप्त करने के कारण उत्पादन शुल्क से अतिरिक्त आय हो रही है तथा उन्हें कितनी-कितनी अतिरिक्त आय हो रही है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार उन राज्यों को दी जा रही वित्तीय सहायता की राशि में से उतनी कमी करने का है, जितनी राशि इस प्रकार प्राप्त होने वाले राजस्व से उन्हें होती है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) और (ख) सभा पटल पर एक विवरण रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1352/68]**

(ग) हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र मैसूर और उड़ीसा ने अपने मद्यनिषेध कानूनों में विभिन्न मात्राओं में ढील देने की घोषणा की है । प्रत्याशित अतिरिक्त राजस्व के बारे में राज्य सरकारों द्वारा दिये गये अनुमान सभा पटल पर रखे गये विवरण में दिये गये हैं । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1352/68]** ।

(घ) जी नहीं ।

Rates of Food Served in Delhi Restaurants

227. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of Health, Family Planning and Urban Development be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the restaurants in New Delhi have not reduced the rates of food articles served by them despite fall in the price of sugar, vanaspati ghee, food-grains, etc.; and

(b) if so, the steps taken by Government in this regard ?

Deputy Minister in the Ministry of Health, Family Planning and Urban Development (Shri D. S. Murthy) : (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha as early as possible.

Rural Pilot Electric Projects

228. Shri Deorao Patil :
Shri A. S. Saigal :
Shri Manibhai J. Patel :
Shri Lakhan Lal Gupta :

Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether U.S. Aid agency has recommended setting up of five power generation centres in some States on an experimental and test basis to assist in agricultural production and irrigation and has given its final report in this regard ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the States where five village power projects are proposed to be started and the amount likely to be spent thereon ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) to (c). The details of the progress made in pursuance of the agreement between the Government of India and the US Aid Agency have been indicated in replies to Lok Sabha Unstarred Questions No. 463 on 25th May, 1967, No. 4039 on 29th June, 1967, 5641 on 13th July, 1967, and 2795 on 4th March, 1968. Under this agreement investigations have been concluded in respect of organisational and technical feasibility of setting up Pilot Rural Electric Co-operatives in the States of Gujarat, Maharashtra, Mysore, Uttar Pradesh and Andhra Pradesh. The reports of these investigations have been received in respect of the States of Gujarat, Maharashtra and Mysore and are awaited in respect of the States of Andhra Pradesh and Uttar Pradesh. As the three reports received are under consideration and since two reports are yet to be received in respect of Andhra Pradesh and Uttar Pradesh, it is not possible at this stage to give an indication of the cost involved.

बस्तर जिले में आदिवासी क्षेत्र के लिये पेय जल के कुएं

229. श्री अ० सि० सहगल :
श्री गं० च० दीक्षित :

क्या **समाज कल्याण** मंत्री मध्य प्रदेश में बस्तर जिले के आदिवासी क्षत्र के विकास के संबंध में 25 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5139 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पेय जल के 500 कुओं के निर्माण के मामले की पुन: जांच करने और उपरोक्त प्रश्न के उत्तर में बताये गये तथ्य के बावजूद उनके निर्माण की मंजूरी देने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उस क्षेत्र में आदिवासियों के लिये पेय जल उपलब्ध कराने के लिए अन्य क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह): (क) और (ख) स्थिति वही है जो 25 मार्च, 1968, को पहले के प्रश्न संख्या 5139 के उत्तर में बताई गई थी । तो भी आदिवासी विकास खण्ड कार्यक्रम के अन्तर्गत पेय जल कुओं की परियोजना एक अनुमोदित परियोजना है ; बस्तर जिले में आदिवासी विकास खण्डों को दी जाने वाली राशियों का जिले में पेय जल कूप

ोदने के लिए उपयोग किया जा सकता है। भारत सरकार ने मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में 5 वर्षों में 2500 कुएं खोदने के लिए आदिवासी विकास खंडों की राशियों में से 180 लाख रुपये के खर्च का अधिकार दे दिया था।

दर्दनाक तथा लाइलाज बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को आराम की मृत्यु देने के काम को वैध बनाना

230. **श्री ही० ना० मुकर्जी** : क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उचित मामले में तथा दर्दनाक और लाइलाज बीमारियों से पीड़ित रोगियों की सहमति से समुचित सावधानी बर्तते हुए उन्हें आराम की मृत्यु के काम को वैध बनाने के प्रश्न की जांच की है अथवा करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी जांच के क्या परिणाम निकले हैं ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) :

(क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

आय-कर अधिकारियों के परीक्षण कालिज को हटाकर हैदराबाद ले जाया जाना

231. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आय-कर अधिकारियों के प्रशिक्षण कालिज का नागपुर से हैदराबाद को स्थानान्तरण किस तारीख तक किये जाने की संभावना है ;

( ) क्या इस स्थानान्तरण के लिये मंत्रिमंडल सलाहकार समिति की स्वीकृति आवश्यक है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) कालिज स्थपित करने के लिए अधिग्रहीत भवन के निकट कालिज होस्टल बन चुकने पर ही स्थान परिवर्तन हो सकेगा। किस तारीख तक ऐसा हो सकेगा, यह कहना अभी संभव नहीं है।

(ख) तथा (ग). कालिज को नागपुर से हैदराबाद में ले जाने के लिए आन्तरिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी मंजूरी की जरूरत केवल दिल्ली से बाहर काम कर रहे कार्यालयों को दिल्ली लाने के मामले में होती है।

पेट्रोल रसायन परियोजनाएं

232. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुख्य पेट्रोल-रसायन परियोजनाएं सरकारी क्षेत्र में और गौण परियोजनाएं गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थापित की जा रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी नहीं। सरकारी क्षेत्र में मुख्य परियोजनाओं अर्थात नेफ्था क्रैकरज और एरोनैटिक्स एक्सट्रेक्शन यूनिटों के अतिरिक्त डी० एम० टी० तथा बूटाडीन जैसी गौण परियोजनाएं भी चालू होंगी।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पेट्रोल-रसायन उद्योगों के लिये समन्वयी अभिकरण

233. **श्री गार्डिलिंगन गौड़ :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पेट्रोल-रसायन उद्योगों तथा उस पर निर्भर उद्योगों के समेकित बिकास के लिये कोई समन्वयी अभिकरण नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे अभिकरण की स्थापना करने का सरकार का विचार है; और

(ग) यदि नहीं तो इस के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख). जी नहीं। पैट्रोकैमिकल उद्योग और उन पर निर्भर उद्योगों के समैकित विकास के विभिन्न पहलुओं का समन्वय इस समय पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय (रसायन विभाग) करता है। आर्गेनिक कैमिकल्स के लिए स्थापित डेवेलपमेंट कौंसिल भी इस मामले में सरकार को परामर्श देती है। सरकारी क्षेत्र में शीघ्र ही स्थापित होने वाला एक पैट्रोकैमिकल कारपोरेशन भी इस बारे में सरकार को सहायता देगा।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पैट्रोल–रसायन उद्योग के बारे में योजना सम्बन्धी उप दल का प्रतिवेदन

234. **श्री गार्डिलिंगन गौड :** क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना उप दल ने चौथी पंचवर्षीय योजना में पैट्रोल-रसायन उद्योग के विकास के लिये 1964 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया था जिसमें उद्योग को आत्म-निर्भर बनाने के लिये तरीके सुझाये गये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने उक्त प्रतिवेदन स्वीकार नहीं किया था; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) से (ग). योजना उप दल ने अप्रैल 1964 में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, उस में उस समय बनाई गई चौथी योजना के दौरान, देश में पैट्रो-रसायन उद्योग के विकास के लिए सिफारिशें थीं। चौथी पंचवर्षीय योजना की ड्राफ्ट-रूपरेखा में से कुछेक के लिये व्यवस्ता की गई थी। किन्तु इसे अस्थायी माना गया था। क्योंकि अब चौथी पंच वर्षीय योजना बनाई जा रही है, 1964 से हुये परिवर्तनों और वर्तमान परिस्थिति को दृष्टि में रखते हुए इन सिफारिशों पर ध्यानपूर्वक विचार हो रहा है।

राजस्थान में मद्य-निषेध

235. **श्रीमती सुशीला रोहतगी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि राज्य में पूर्णतः मद्य-निषेध लागू किये जाने के कारण होने वाली हानि के बारे में विस्तृत अध्ययन करने के लिये मद्य-निषेध का प्रश्न पांचवें वित्त आयोग को सौंपा जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, हां ।

(ख) भारत सरकार नहीं सोचती कि किसी राज्य में मद्य-निषेध लागू करने का प्रश्न वित्त आयोग को सौंपने का विषय है । तथापि, मद्य-निषेध लागू करने वाली राज्य सरकार को इस बात की छूट है कि वित्त आयोग के सामने रखी जाने वाली अपनी मांगों में सम्बन्धित व्यय को शामिल कर ले । राजस्थान सरकार को इसी अनुसार सूचित कर दिया गया है ।

पोलैंड को रेल डिब्बों के निर्यात पर विश्व बैंक की आपत्ति

236. **श्रीमती सुशीला रोहतगी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत द्वारा पोलैंड को जिन शर्तों पर माल डिब्बों का निर्यात किया जाता है, उन पर विश्व बैंक ने आपत्ति की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

खेती के कार्यों के लिए बिजली के कनेक्शन

237. **श्रीमती सुशीला रोहतगी :** क्या **सिंचाई** तथा **विद्युत्** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड ने कृषि के लिए नए बिजली कनेक्शन लेने वाले किसानो से ली जाने वाली गारंटी की राशि में अत्यधिक कमी की घोषणा की है ;

(ख) क्या इससे सभी प्रकार के बिजली के कनेक्शनों की एकरूपता सुनिश्चित हो जाएगी ; और

(ग) इस योजना की कार्यान्विति के लिए सरकार का विचार कितनी सहायता देने का है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) कृषि पम्पों के लिये नये कनेक्शन देने के सम्बन्ध में न्यूनतम बिजली उपयोग गारण्टी पूंजीगत लागत पर 18 प्रतिशत से घटा कर 12.5 प्रतिशत कर दी गई है ।

(ख) न्यूनतम गारण्टी में कमी से चालू बिजली दरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता ।

(ग) जहां पर कृषकों द्वारा दी गई न्यूनतम गारन्टी 12.5 प्रतिशत से कम थी वहां राज्य सरकार द्वारा पहले से दिया जाने वाला उपदान बन्द कर दिया गया है। जहां इकरारनामे लिखे जा चुके हैं राज्य सरकार उपदान देती रहेगी ।

डाक द्वारा परिवार नियोजन कार्यक्रम

238. श्रीमती सुशीला रोहतगी : क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिये बिहार में डाक कार्यक्रम आरम्भ किया है ;

(ख) यदि हां, तो प्राप्तकर्ताओं की प्रतिक्रिया क्या है ;

(ग) क्या यह क्रमबद्ध कार्यक्रम है ; और

(घ) यदि हां, तो यह डाक पद्धति कितने वर्षों में भारत के सभी राज्यों में लागू हो जायेगी ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० चन्द्रशेखर) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

औषधियों और औषधों के मूल्यों पर नियंत्रण

239. श्री नन्दकुमार सोमानी : क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1963 से विभिन्न औषधियों तथा औषधों के मूल्यों पर नियंत्रण है और यह उद्योग इस नियंत्रण को हटाने के लिये बार बार मांग कर रहा है ; और

(ख) मूल्य निश्चित करने के लिये क्या सिद्धान्त निर्धारित हैं और क्या इस नियंत्रण को हटाने का सरकार का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां ।

(ख) जैसा कि औषध मूल्य (प्रदर्शन तथा नियन्त्रण) आदेश 1966, के, जो औषध (मूल्यों का नियन्त्रण) आदेश, 1963 के स्थान पर लागू किया गया है पैरा 7 से विदित है, 30–6–66 को किसी निर्माता, आयातकर्ता या किसी वितरक की मूल्य-सूची में दर्शायी औषधियों के मूल्यों में सरकार की स्वीकृति के बिना परिवर्तन नहीं किया जा सकता और न ही इस सूची में कुछ जोड़ा जा सकता है जब तक कि किसी नई औषधि के विक्रय-मूल्य की पूर्व अनुमति सरकार से न मिल जाए। सरकार नियन्त्रण हटाने का विचार नहीं रखती है ।

अनिवार्य औषधियों का उत्पादन

240. श्री नन्दकुमार सोमानी : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु अनिवार्य औषधियों के उत्पादन को बढाने हेतु प्रोत्साहन देने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : निम्न तरीके अपनाये गये हैं :--

(1) प्रारम्भिक स्थितियों से औषधियों के देशीय निर्माण को प्रोत्साहन किया जाता है ;

(2) प्रारम्भिक परिस्थितियों से, प्रतिजीवाणु (एण्टीबायोटिक्स) और सल्फा औषधियों के उत्पादन के लिए सरकारी क्षेत्र में बड़े यूनिटों की स्थापना की गई है ;

(3) फारम्यूस्टिकल उद्योग को प्राथमिकता उद्योगों की सूची में शामिल किया गया है ताकि उत्पादन में आयातित कच्चे माल की कमी के कारण हानि न हो ; और

(4) देश में नई औषधियों के आविष्कार और निर्माण के नये तथा कम खर्चीले तरीकों के विकास के लिए गवेषणा प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं ।

"Excise Duty on Bata Shoes

241. Shri Nihal Singh : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that footwear costing up to five rupees were totally exempted from excise duty and that only five percent duty was levied on the footwear costing more than five rupees ;

(b) whether it is also a fact that the Bata Shoe Co. has increased the prices of all kinds of its shoes (big as well as small) to the extent of 20 per cent ; and

(c) if so, the action taken by Government against this Company ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) Yes, Sir. Footwear, the assessable value of which does not exceed Rs. 5·00 per pair are exempted from the excise duty but all other varieties are liable to duty at 10 per cent *ad valorem.*

(b) and (c) It is understood that there has been no increase in price in respect of the exempted category of footwear. There has, however, been a price increase in respect of other categories, details of which are being gathered and a Statement will be laid on the Table of the House.

इदिक्की पन-बिजली परियोजना

242. श्री बाबू राव पटेल : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि इदिक्की पन-बिजली परियोजना के हड़ताल कर रहे मजदूरों ने (नैमितिक श्रमिकों) ने 13 जून, 1968 को मुख्य बिजली लाइन को अस्त-व्यस्त कर दिया था और 70 करोड़ रुपये की कनडियन परियोजना के सारे काम को ठप्प कर दिया था ;

(ख) यदि हां, तो इस हाई टैन्शन (66 किलोवाट) लाइन की, जो इस परियोजना क्षेत्र को बिजली की सप्लाई करती है, तोड़ फोड़ के सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं; और

(ग) क्या यह मामला संगठित राजनैतिक तोड़फोड़ का है और यदि हां, तो इस में किसी राजनैतिक दल का हाथ है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, हां । इदिक्की परियोजना पर हड़ताल करने वाले कर्मकों ने 66 के० वी० और 11 के० वी० बिजली की लाइनों को 13-6-68 को छेड़ा था और इस के फलस्वरूप परियोजना के सारे कार्य कुछ दिनों के लिए बन्द रहे ।

(ख) ऐसी सूचना मिली है कि पुलिस ने मुकदमा दायर कर लिया है। केरल राज्य बिजली बोर्ड को, जिन से यह सूचना मिली है यह पता नहीं है कि तारें छेड़ने के सम्बन्ध में कितने व्यक्ति पकड़े गए हैं।

(ग) हड़ताल केरल राज्य बिजली बोर्ड संघ जो कि पंजीकृत ट्रेड यूनियन है, द्वारा आयोजित की गई थी। इस संघ के राजनैतिक सम्बन्धों के बारे में केरल राज्य को कोई पता नहीं है।

Community Centre in Gandhi Nagar Delhi

243. Shri Ram Gopal Shalwale :
Shri Ram Avtar Sharma :
Shri Shiv Kumar Shashtri :

Will the Minister of **Health, Family Planning and Urban Development** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is no Community Centre in Kailash Nagar—Gandhi Nagar (Delhi) ;

(b) whether some places have been earmarked for Community Centre in the Master Plan for the area ;

(c) whether the residents of these colonies have sent any memorandum to Government for the construction of a Community centre there ; and

(d) if so the details thereof and the action taken by the Government in this regard so far ?

The Deputy Minister of Health, Family Planning and Urban Development (Shri B. S. Murthy): (a) to (d). The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों के लिये सिंचाई और बिजली की सुविधायें

244. श्री सरजू पाण्डेय : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश प्रशासन ने केन्द्र से प्रार्थना की है कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़, देवरिया, जोनपुर, गोरखपुर आदि पूर्वी जिलों के लिये सिंचाई और बिजली की सुविधाएं प्रदान करने के लिए अधिक धन का नियतन किया जाये ;

(ख) यदि हां, तो कितनी सहायता मांगी गई है ; और

(ग) इस प्रयोजन के लिये कितनी राशि का नियतन करने का केन्द्र सरकार का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (ग). राज्य की कुछ बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के लिये, जिनमें उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों को लाभ पहुंचाने वाली कुछ परियोजनाएं भी सम्मिलित हैं, 1968–69 के दौरान 876 लाख रुपये के अतिरिक्त आवण्टन के लिये मार्च, 1968 में उत्तर प्रदेश सरकार से एक प्रार्थना प्राप्त हुई। कुछ बड़ी सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति को तेज करने के लिये 1968–69 के केन्द्रीय बजट में 25 करोड़ रुपये के विशेष प्रबन्ध में से उत्तर प्रदेश की गण्डक परियोजना के लिये विशेष सहायता के रूप में 1968–69 के दौरान 2 करोड़ रुपये की राशि आवण्टित की गई थी।

खम्भात में गहरे समुद्र में तेल की खोज के लिये खुदाई

245. **श्री नारायण रेड्डी:** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खम्भात में गहरे समुद्र में तेल की खोज के लिये खुदाई करने में किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था ; और

(ख) इन कठिनाइयों पर काबू पाने तथा खोज कार्य को तेज करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है अथवा करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख) . गहरे पानी में तेल की खोज के वास्ते खुदाई के लिये चलती फिरती (Mobile) व्यधन विधि की आवश्यकता होती है और सरकार इसे विदेशी पार्टियों से, जिनके पास आवश्यक जानकारी है प्राप्त करने की पेशकश कर रही है।

किसानों को ऋण देना

246. **श्री नारायण रेड्डी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को ऋण देने के मामले में वाणिज्यिक तथा अनुसूचित बैंकों ने इस समय क्या सुविधाएं दी हुई हैं ;

(ख) क्या अल्प कालीन अथवा दीर्घकालीन ऋण प्राप्त करने के लिये जमानत के रूप में कृषि भूमि को बंधक रखना अनिवार्य है ;

(ग) यदि हाँ, तो कृषि भूमि के रेहन के लिये कितनी राशि का टिकट शुल्क (स्टाम्प ड्यूटी) निर्धारित किया गया है ; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस सम्बंध में वाणिज्यिक तथा सहकारी के लिये एक से मार्ग-दर्शी सिद्धात बनाने का है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्तमंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) भारतीय राज्य बैंक और उसके सहायक बैंकों तथा कुछ अन्य वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बनायी गयी योजनाओं के अंतर्गत कृषकों को ये ऋण दिये जाते हैं :

(1) कृषि-सम्बधी मौसमी क्रियाकलापों जैसे उर्वरकों खाद, हानिकर जीवों को नष्ट करने वाली दवाओं, मिलोजुली किस्मों के बीजों आदि की, जिनकी कृषकों को आवश्यकता होती हैं, खरीद तथा उनके द्वारा पैदा की गयी फसलों की बिक्री के वित्त प्रबंध के लिये अल्पावधिक ऋण।

(2) बैल खरीदने, बाँध बनाने, कूओं की मरम्मत करने, खेती के उपकरणों को बदलने, कूंए खोदने, ट्रैक्टर, आयल इंजन, बिजली की मोटरें पम्पिंग सेट आदि खरीदने के लिए मध्यावधिक ऋण, और

(3) जमीन में बड़े-बड़े सुधार करने और खेती, मुर्गीपालन तथा दुग्ध सुधार सम्बन्धी मशीनें खरीदने के लिये दीर्घावधिक ऋण।

(ख) अल्पावधिक ऋणों के लिये आम तौर से कृषि की भूमि को बंधक रखने पर और नहीं दिया जाता। मध्यावधिक ऋणों के लिये आम तौर से बैंक से खरीदी गयी मशीनों को बंधक रखते हैं।

कुछ मामलों में सम्पत्ति को अतिरिक्त जमानत में बंधक रखा जाता है। दीर्घावधिक ऋणों के लिये आम तौर से जमीन को बंधक रखा जाता है।

(ग) देय स्टाम्प शुल्क अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है।

(घ) आशा की जाती है कि राष्ट्रीय ऋण परिषद ऐसी सिफारिश करेगा जो इस सम्बंध में आवश्यक समझी जायं।

Irrigation Scheme in Banda District

247. Shri Jageshwar Yadav : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the time by which the lift irrigation schemes at Augassi Marka and Rajpura Ghats along river Jumna in Banda District will be implemented ;

(b) if the said schemes are not likely to be implemented, the reasons therefor ;

(c) the decision taken by Government on the Payasuni dam ;

(d) the decision taken by Government on the Badhian dam in Banda district ;

(e) the action being taken by Government to accord approval to the scheme regarding greater Gangau dam in District Banda submitted by the district irrigation authorities ; and

(f) the steps proposed to be taken by Government to provide irrigation facilities in Banda District ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigatoin and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) Augassi and Marka are alternate schemes to serve Baberu Tehsil of Banda District. Augassi has been found more economical. Project estimate is under scrutiny. Rajpura Ghat scheme has been taken up under Minor irrigation programme. It is likely to be completed in a year or so.

(b) Does not arise.

(c) Surveys and investigation for Payasuni dam are still in progress. Feasibility of the dam is yet to be established. Concurrence of Madhya Pradesh Government will also be required.

(d) Baghian (not Badhian) dam. Surveys and investigations are in progress. Concurrence of M.P. Government will be required.

(e) Greater Gangau dam is being investigated by M.P. Government.

(f) A number of minor lift irrigation schemes are under contemplation.

Loans Due from States

248. Shri Hukam Chand Kachwai : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of loan in rupees which each of the State Governments owe to the Central Government separately, at present ; and

(b) the extent to which the said loan is likely to be increased within the next five years ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) A statement showing the amounts of loans outstanding against the various State Governments, as on 31st March, 1968, is laid on the Table of the House. (*Placed in Library. See No. LT*-1353/68)

(b) The increase in the States' debt liability in the next 5 years will depend upon the loan assistance which may be provided by the Centre to the States during the period and as such cannot be indicated at this stage.

Smuggling

249. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that special campaign was launched against smugglers in May, 1968 in the Centrally Administrated Area of "Daman" ;

(b) if so, the value of the smuggled goods seized during the above period in terms of rupees ;

(c) the number of persons arrested in this regard and the action taken against them by Government since then ; and

(d) the details regarding the main articles seized and the mames of the countries to which these articles belonged ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b). On 16th and 17th May, 1968 the Customs and Central Excise Officers organised massive raids in Daman and seized contraband goods worth in all about Rs. 31,72,850.

(c) No person has been arrested so far.

(d) During these raids foreign goods such as nylon and metallic yarn, gold and gold sovereigns, fabrics, cigarettes, mechanical lighters and flints, playing cards, safety razor blades, watches and clocks, watch straps, radios, transistors and tape recorders, motor cycle, toys, cinnamon, cloves, cosmetics, airgun and cartridges suspected to have been smuggled form abroad and silver, opium and Indian currency suspected to be meant for illicit export were seized. The names of the countries to which the foreign goods belonged are not known.

British Emblem on Government Buildings

250. **Shri Hukum Chand Kachwai :** Will the Minister of Works, Housing and Supply be pleased to state :

(a) whether it is a fact that emblems of British Crown still exist on some of the Government buildings and pillars in Delhi ;

(b) whether Government have been considering any scheme to replace these emblems of British Crown by our National emblem ;

(c) if so, the time by which the said scheme will be implemented ; and

(d) the number of such buildings and pillars having the emblems of British Crown ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) : (a) Yes.

(b) and (c) Yes, the matter is under consideration of Government.

(d) Two buildings (North and South Blocks) and four pillars.

Government Offices in rented buildings at Delhi

251. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of Works, Housing and Supply be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some offices and subordinate offices of the Central Government in Delhi have been housed in the rented buildings due to lack of Government buildings;

(b) whether it is also a fact that Government have to pay huge sum as rent every year ;

(c) if so, the amount that Government have to pay every year as rent for housing their offices ; and

(d) whether Government have under consideration any scheme to construct Government buildings for their offices during the year 1968-69 so as to reduce Government expenditure ?

The Deputy Minister in the Ministry of Works, Housing and Supply (Shri Iqbal Singh) :

(a) Yes.

(b) to (d). The details are being collected and the information will be laid on the Table of the House.

Spray Plant of 'B' Power Station, Delhi

252. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the spray cooling plant which was purchased long back for cooling the machinery in the 'B' Power House near Rajghat, Delhi is not being] utilised at present ;

(b) if so, the reasons therefor and the time since when the spray plant is not being utilised ;

(c) whether the said plant was imported from abroad ; and

(d) if so, the price thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) and (b). The spray cooling plant was ordered in the year 1942-43 by the then Delhi Central Electric Power Authority Ltd., for the 'A' Station of Rajghat Power House. This plant was ordered for an installed capacity of 17.9 MW of the Rajghat Power Station for an anticipated maximum demand of 10 MW. By 1944-45 when various components of the equipment were being received, the power demand in Delhi had gone up necessitating formulation of proposals for augmentation of the installed generating capacity at the 'A' Station and for the establishment of 'B' Power Station. With the increase in installed capacity it was more economical to go in for cooling towers and hence the scheme of installing the spray cooling plant was dropped by the then Delhi Central Electric Power Authority Ltd. Efforts were made to dispose of this equipment by advertisement through Press and direct negotiations with various organisations. As no offers were forth-coming, the material is being utilised by the Delhi Electric Supply Undertaking and at present material worth about Rs. 60,000 out of the total value of Rs. 1·57 lakhs remains in stock for utilisation.

(c) and (d). Only the portion comprising pumps was imported at a cost of Rs. 71,402.

Eastern Kosi Canal

253. **Shri Gunanand Thakur** : Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) the reasons for not releasing water in the distributories of Rajpur Branch of Eastern Kosi canal so far ;

(b) whether it is a fact that all canals of Saharsa, Supol, Gambaria and Madhepura of the said branch are complete for the last so many years but they are not getting full supply of water even now ; and

(c) if so, when Government propose to release water for these canals which have been dug out and reasons for the delay ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) : (a) Water was released in a portion of the sub distributaries of Rajpur Branch of Eastern Kosi Canal during rabi 1967-68 and summer 1968. Water is also being released upto R.D. 200 of all the four subdistributaries during Kharif 1968 and about forty to fifty thousand acres are likely to be irrigated.

(b) and (c) : The reply is in the negative. A number of structures in all the four sub-branches of Saharsa, Supol, Gambaria and Madhepura are still incomplete. The structures up to 200 R.D. of each of the sub-distributaries are expected to be completed and water released in Kharif 1968. Canals have been dug out, structures are being completed and water courses are being constructed. Water has already been released in part of all the distribution systems. Water is expected to reach up to the tail end by kharif 1969. The original programme was to start irrigation in Rajpur Branch canal in 1968 but water has been released a year earlier.

Western Kosi Canal

254. **Shri Gunanand Thakur.** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state :

(a) when the construction work of Western Kosi Canal would start ;

(b) the main causes of delay in regard to the construction of the said canal and the time by which the causes of delay would be eliminated ;

(c) whether it is a fact that North Bihar would become self-sufficient in foodgrains to a great extent as a result of the construction of the said canal ; and

(d) if so, whether Government propose to construct this canal on warfooting ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad): (a) and (b). Construction will be started after His Majesty's Government of Nepal approves the alignment of the canal in Nepal Territory and the necessary land for this part of the canal is acquired and handed over by His Majesty's Government of Nepal to the Project authorities.

(c) Production of foodgrain in North Bihar will increase to a great extent as a result of construction of the canal.

(d) Subject to availability of funds the State Government are anxious to take up this Project.

डी० डी० टी० फैक्टरी, दिल्ली

255. **श्री शं० ना० माइती :** क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 16 अप्रैल, 1968, को डी० डी० टी० फेक्टरी, दिल्ली में लगी आग के कारणों की जाँच करने के लिये नियुक्त की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उस पर यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो वह क्या है?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : जी हाँ ।

(ख) समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि आग तार जल जाने के कारण सम्भवत: लगी थी । उन्होंने सिफारिश की है कि बहुत सावधानी के रूप में एम० सी० बी० प्लांट में सारे विद्युत् सम्बन्धी

उपकरण प्लांट के बाहर स्थापित किये जाने चाहिएं और एम० सी० बी० प्लांट में उपकरणों का जमाव नहीं होना चाहिए ;

(ग) एम० सी० बी० प्लांट में बहुत विद्युत उपकरण के विन्यास (ले-आउट) में तबदीली की गई है और ज्वाला प्रूफ विद्युत किटिंगज़ (फ्लेम प्रूफ इलक्ट्रीकल किटिंगज़) की जाँच पड़ताल पर अधिक कड़ी सख्ती लागू की गई है। एम० सी० बी० प्लांट के विद्युत मोटरों और स्टार्टरज़ को बिल्डिंग से बाहर लगाया गया है। एम० सी० बी० प्लांट में हवा के आने जाने में सुधार करने के लिए बड़े आकारवाले निकास पंखे लगाये जा रहे हैं।

पाइराइट्स तथा रसायन विकास निगम का मुख्यालय

256. श्री शं० ना० माइती : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाइराइट्स तथा रसायन विकास निगम के मुख्यालय को देहरी ओन सोन से दिल्ली अथवा फरीदाबाद ले जाने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया हैं;

(ख) क्या इस मामले में निर्णय करते समय आर्थिक विकास में प्रादेशिक विषमताओं को समाप्त करने के प्रश्न पर विचार किया गया था और यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले ;

(ग) मुख्यालय को उसी स्थान पर रहने देने के लिए बिहार सरकार से प्राप्त अभ्यावेदन की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) इस समवाय को किस स्थान पर रखने का अतिम रूप से निर्णय किया गया हैं ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) :

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) बिहार सरकार के प्रतिवेदन की मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं :—

(1) कि कम्पनी की वर्तमान परियोजनाओं की निकटता को ध्यान में रखते हुए कम्पनी के मुख्यालय को देहरी-ओन-सोन में रहने दिया जाए ;

(2) कि दूसरे राज्यों में कम्पनी की अन्य परियोजनाओं की रूप रेखा तैयार करने तथा उन्हें कार्यान्वित करने में कुछ वर्ष लगेंगे।

(3) कि बिहार राज्य के चट्टान-फासफेट भण्डारों के समुयोजना को दूसरे राज्यों में पाये जाने वाले वैसे भण्डारों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जाये।

(घ) उपर्युक्त 'क' के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

मैसर्स साराभाई मर्क, बड़ौदा

257. श्री शं० ना० माइती : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री 6 मई, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 9670 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स साराभाई मर्क बड़ौदा द्वारा आयात किये जाने तथा बेचे जाने वाले विटामिन सी का विक्रय मूल्य निर्धारित करते समय कच्चे माल के मूल्य तथा उत्पादन के मूल्य में वृद्धि पर विचार

करने के क्या कारण हैं जबकि उसका उत्पादन भारत के बाहर होता है और उसका उत्पादन मूल्य बहुत समय से स्थिर हैं ; और

(ख) विटामिन सी के विक्रय में अग्रेतर वृद्धि करने के कारण इस सार्थ के स्थान पर अन्य सार्थ लाने के बारे में क्या अंतिम निर्णाय किया गया है ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) मैसर्स साराभाई बड़ौदा द्वारा स्थानीय तौर पर उत्पादित विटामिन 'सी' के विक्रय मूल्य का निर्धारण करने में कच्चे माल के मूल्य और उत्पादन के मूल्य में वृद्धि अंशदायी तथ्य हैं। यह आयातित विटामिन 'सी' के विक्रय मूल्य के निर्धारण का मामला नहीं है।

(ख) विटामिन 'सी' के मूल्य में वृद्धि के बारे में उक्त फर्म का प्रार्थना पत्र, इस आधार पर कि उत्पादन-लागत में वृद्धि हुई है, अभी विचाराधीन है।

राजस्थान नहर

258. **श्री काशीनाथ पाण्डेय :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान नहर पर अब तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है, और

(ख) यह नहर व्यवस्था किस स्थान तक पूरी हो गई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) लगभग 51 करोड़ रुपये।

(ख) राजस्थान फीडर और राजस्थान मुख्य नहर के पहले 53 मील पूर्ण हो चुके हैं। 53 से 82 मील के बीच काम हो रहा है।

नौरंगदेसर, रावतसर, जोरावरपुरा, खोदान और खेतवाली शाखायें पूर्ण हो चुकी हैं। सूरतगढ़ और अनूपगढ़ शाखाए लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। सरदारपुरा, चुली और जेस्सा भट्टी शाखाओं पर और सूरतगढ़ तथा अनूपगढ़ शाखाओं को वितरण प्रणाली पर कार्य हो रहा है। राजस्थान नहर के 48.7 वें मील से निकलने वाली उठान नहर पर भी कार्य आरम्भ कर दिया गया है।

फर्मों से पकड़े गये कागजातों का प्रकाशन के लिए समाचार-पत्रों को दिया जाना

259. **श्री जुगल मंडल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस आशय के कोई अभ्यावेदन अथवा शिकायतें मिली हैं कि प्रवर्तन निदेशालय ने फर्मों से पकड़े गये कागजात प्रकाशन के लिये समाचारपत्रों को दिये थे ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) इस सम्बध में कोई भी अभ्यावेदन अथवा शिकायत नहीं मिली है कि प्रवर्तन निदेशालय जब्त किए गए कागजों को समाचारपत्रों में प्रकाशन के लिए प्रसारित करता हैं। फिर भी एक ऐसी शिकायत मिली है जिसमें अन्य बातों के साथ, यह आरोप भी लगाया गया है कि प्रवर्त्तन निदेशालय द्वारा किसी विशेष कम्पनी से जब्त किए गए कागजों में मिली जानकारी को उस निदेशालय के एक अधिकारी ने पत्रकारों को

प्रकट कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि कुछ अखबारों में यह खबर प्रतिरंजित होकर तथा तोड़-मरोड़ कर छपी

(ख) इस सम्बन्ध में पूछ-ताछ की जा रही है ।

सऊदी अरब से पैट्रोलियम प्रतिनिधिमंडल

260. श्री जुगल मंडल :
श्री बे० कृ० दासचौधरी :

क्या **पैट्रोलियम और रसायन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सऊदी अरब ने एक प्रतिनिधि मंडल पैट्रोलियम तथा रसायन के क्षेत्र में सहयोग की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए भारत भेजा है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख) जी हाँ । भारत सरकार के निमंत्रण पर पैट्रोलियम के श्री इ० एम० अबोरबा की अध्यक्षता में सऊदी अरब के एक त्रि-सदस्य प्रतिनिधि मंडल ने 28-6-1968 से 6-7-1968 के दौरान देश का दौरा किया । उन्होंने कुछेक पैट्रोलियम और पैट्रोकैम परियोजनाओं को देखा और पैट्रोलियम और रसायन मंत्रालय, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पैट्रोलियम तथा कुछ अन्य परियोजनाओं के अधिकारियों से बातचीत की ।

नए नायलन एककों के लिये लाइसेंस देने पर प्रतिबन्ध

261. श्री अर्जुन सिंह भदौरिया : क्या **पैट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नायलन धागा उद्योग को आगे लाइसेंस न देने का निर्णय कर लिया है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हाँ, केवल वर्तमान इकाइयों में विस्तार को छोड़कर ।

(ख) लगभग 11000 टन की क्षमता के लाइसेंस और 5000 टन की अन्य क्षमता के लिये कई प्राइवेट पार्टियों को आशा-पत्र दिये जा चुके हैं । इस समय कैपरोलैक्टम जो कि मुख्य कच्चा पदार्थ है आयात किया जाता है । नायलोन धागा के उत्पादन के लिये कैपरोलैक्टम की नियोजित देशीय क्षमता 1971 तक 15000 मीटरी टन के आसपास है । स्वभावतः नायलोन एककों की लाइसेंस क्षमता कैपरोलैक्टम के सम्भावित देशीय उत्पादन से ही संबद्ध होनी चाहिये ।

मैसूर में ऊपरी कृष्णा परियोजना

262. श्री म० न० नाघनूर : क्या **सिंचाई और विद्युत् मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर में ऊपरी कृष्णा परियोजना का नवीनतम परिव्यय क्या है और उसके द्वारा कितने क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी ; और

1740 (Ai) LS—11.

(ख) इस परियोजना की शीघ्र पूर्ति के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) यह परियोजना 6 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई के लिए 58.2 करोड़ रुपये के लिए स्वीकार की गई थी। लागत के आखिरी अनुमान और सींचने योग्य क्षेत्र सम्बन्धी आंकड़े अभी राज्य सरकार से आने हैं।

(ख) राज्य सरकार पर जोर दिया जाएगा कि चौथी योजना में इस परियोजना के लिए पर्याप्त राशि का प्रबन्ध करें।

मैसूर में मालप्रभा परियोजना

263. श्री मु० न० नाघनूर : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य की मालप्रभा परियोजना की लागत क्या है और परियोजना से कितने क्षेत्रफल की सिंचाई होगी ;

(ख) परियोजना पर अब तक कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ;

(ग) चालू वर्ष में उक्त परियोजना के लिए कितनी राशि दी गई है ; और चौथी पंचवर्षीय योजना में इसके लिए कितनी राशि नियत की गई है; और

(घ) योजना को शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद): (क) मालप्रभा परियोजना की लागत 20 करोड़ रुपये है और इस से 3 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी।

(ख) मार्च, 1968 तक 4.51 करोड़ रुपये।

(ग) 1968–69 में 1.7 करोड़ रुपये। चौथी पंचवर्षीय योजना को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रबन्धित की जाने वाली धन राशियों पर ही प्रगति निर्भर करती है।

नई सब्जी मण्डी (दिल्ली)

264. श्री बे० कु० दासचौधरी: क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री 11 मार्च, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3453 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई सब्जी मंडी का प्रबन्ध एक सहकारी समिति को सौंपने के प्रश्न पर इस बीच निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) इस नई मण्डी में नये लोगों को ज्यादा दुकानें देने के लिए और क्या कार्यवाही की जा रही है ताकि वर्तमान फल व्यापारियों का एकाधिकार खत्म हो जाये ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

... 3 (A) ...

दिल्ली में भूमि के दामों में वृद्धि

265. **श्री काशी नाथ पाण्डेय :** क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय ने दिल्ली में भूमि के दामों में अत्याधिक वृद्धि के रूप में कोई अध्ययन किया है और दिल्ली विकास प्राधिकार को दोषी ठहराया है ; और

(ख) भूमि के दामों को नियंत्रण करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय मे उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति): दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा इस प्रकार के किसी अध्ययन के लिये जाने के बारे में न तो भारत सरकार को जानकारी है और ना ही दिल्ली विकास अधिकरण को ही ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

सब्जी मण्डी (दिल्ली)

266. **श्री काशी नाथ पाण्डेय :** क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फल व्यापारियों की असावधानी के कारण फल तथा सब्जी मण्डी, दिल्ली जल कर पूर्णतया भस्म हो गई थी क्योंकि ये व्यापारी अत्यधिक ज्वलनशील सामग्री तथा कैल्सियम कार्बाईड अपनी दुकानों से सरकारी नियमों के विपरीत जमा करके रखते थे ;

(ख) सरकार को कुल कितनी हानि हुई है तथा उनको दुकानें अलाट करने से पूर्व फल व्यापारियों से इस हानि को वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ग) क्या ऐसा कोई सुझाव मिला है कि नई सब्जी मण्डी आजादपुर में दुकानें अलाट करने से पूर्व प्रत्येक व्यापारी पर अलग-अलग 5,000 रुपये जुर्माना किया जाये ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

दिल्ली के फल व्यापारियों द्वारा कर अपवंचन

267. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :** क्या वित्त मंत्री 19 फरवरी, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1161 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सब्जी मण्डी दिल्ली के फल व्यापारियों के विरुध कर अपवंचन के बारे में जांच पूरी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ।

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जांच-पड़ताल अभी चल रही है ।

(ख) तथा (ग). ये प्रश्न नहीं उठते ।

Gold Smuggling

268. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether it is a fact that smuggling of gold is on increase in the country ; and

(b) if so, the quantity of gold seized by the customs officers in Bombay during the last six months and the details in this regard ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai) : (a) and (b). There is no material before the Government to indicate that smuggling of gold is on the increase. The details of the seizures of smuggled gold in Bombay during the period from 1-1-68 to 30-6-68 are as follows :

(i) Total number of cases detected 65
(ii) Total quantity of gold seized (in Kg.) 1928
(iii) Value of the gold seized at the Rs. 1.6 crores international rate.

Smuggling of Gold and Silver Coins

269. **Shri Nathu Ram Ahirwar.** Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) whether Government are aware that gold and silver coins have been smuggled into the country *via* Nepal during some days past ;

(b) if so, the countries where these coins had been minted and the number of coins made of each metal, siezed separately ; and

(c) whether any arrests have been made in this connection ?

The Deputy Prime Minister and Minister of Finance (Shri Morarji Desai : (a) Government are aware that only silver coins have been smuggled into the country from Nepal in April, 1968.

(b) In all 2615 silver coins minted in Nepal were seized in Uttar Pradesh.

(c) So far no arrests have been made.

Major and Medium Irrigation Projects in Madhya Pradesh

270. **Shri Nathu Ram Ahirwar:** Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state:

(a) the names of major and medium irrigation schemes to be started in Madhya Pradesh which are under consideration of the Central Government.;

(b) when Government propose to take a decision on them; and

(c) the extent to which the cost of each scheme would be shared by the Central Government ?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Sidheshwar Prasad) : (a) The following two Major and eleven Medium Irrigation Schemes are at present under examination in the Central Water and Power Commission:—

Major Schemes:

1. Satiara Stage—I
2. Sukta Irrigation Project

Medium Schemes:

1. Sindh Diversion Weir Scheme.
2. Bagh Right Bank Canal.

3. Kasiyari
4. Gangai Tank
5. Kuarpur Tank
6. Chandora Tank
7. Mayana Tank
8. Johilla
9. Piplia Kumar
10. Paronch
11. Bagoor Nala Tank

(b) A decision will be taken after the technical scrutiny is completed.

(c) Except Satiara the cost of other Irrigation Schemes has to be met entirely by the State Government.

The question of financing Satiara is being considered separately.

Power Project in Madhya Pradesh

271. **Shri Nathu Ram Ahirwar:** Will the Minister of Irrigation and Power be pleased to state:

(a) The electricity projects relating to Madhya Pradesh which are under consideration of the Central Government;

(b) the estimated cost of each project; and

(c) when Government propose to take a decision in regard to these projects?

The Deputy Minister in the Ministry of Irrigation and Power (Shri Siddheshwar Prasad) (a) and (b). The following two power schemes of Madhya Pradesh are under consideration of the Central Government at present:—

Name of the Scheme	Estimated cost in Rs. lakhs
Transmission Scheme	1070.74
Rural Electrification Scheme . . .	24.93

(c) The technical examination of the above Schemes has been completed and a decision in regard to their approval will be taken shortly.

रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली के सेक्टर 9 में पानी की सप्लाई

272. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि रामकृष्णपुरम् नई दिल्ली के सेक्टर 9 के सरकारी क्वार्टरों में दिन में 2 घंटे से अधिक पानी नहीं आता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उस बस्ती के आस पास की सरकारी बस्तियों में पानी की सप्लाई पर्याप्त है ;

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त क्वार्टरों में पानी की सप्लाई कम होने के क्या कारण हैं ; और

(घ) इसके लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है कि इन क्वाटरों में पानी की सप्लाई अन्य सरकारी बस्तियों की तरह हो ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी हां।

(ख) नजदीक की सरकारी बस्तियों में यद्यपि पानी की सप्लाई सीमित है किन्तु उसमें अपेक्षाकृत सुधार है।

(ग) और (घ). सभी सरकारी बस्तियों में पानी की सप्लाई का उत्तरदायित्व स्थानीय निकायों पर है। गर्मियों के मौसम में पानी की सामान्य कमी तथा वर्तमान वितरण पद्धति की स्वाभाविक प्रतिबन्धता के कारण दिल्ली नगर निगम नई विकासित बस्तियों में पानी की अधिक सप्लाई करने में समर्थ नहीं है। आशा की जाती है कि चालू गर्मियों के मौसम के पश्चात् पानी की सप्लाई की स्थिति में कुछ सीमा तक सुधार होगा। तथापि, यह केवल तभी पर्याप्त हो सकती है जबकि निगम का पानी सप्लाई योजना का बढ़ाया जाना पूरा हो जाये तथा वितरण पद्धति का पुनर्गठन हो जाय।

चांदी तथा रेयन रेशे की तस्करी

273. **श्री देवकी नंदन पाटोदिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रतिवर्ष बहुत बड़ी मात्रा में चांदी तथा रेयन का रेशा चोरी छिपे भारत से बाहर ले जाया जाता है ;

(ख) क्या सरकार ने प्रतिवर्ष राजस्व के रूप में होने वाली हानि का कोई अनुमान लगाया है ; और

(ग) इसे समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) निर्यात करने के प्रयत्न के अपराध में सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा, प्रचुर मात्रा में पकड़ी जा रही चांदी से जाहिर है कि चांदी चोरी छिपे देश से बाहर ले जाई जा रही है। ऐसे कोई प्रमाण सामने नहीं आये हैं जिनसे लगे कि रेयन के रेशे चोरी छिपे भारत के बाहर ले जाये जा रहे हैं।

(ख) चांदी तथा रेयन रेशे का निर्यात करने पर शुल्क नहीं लगता, इसलिये राजस्व को कोई हानि नहीं हो सकती।

(ग) देश के बाहर तस्करी निर्यात को रोकने के लिये सरकार द्वारा उठाये गये महत्वपूर्ण कदमों में से कुछ ये हैं :—सूचनाओं को व्यवस्थित ढंग से एकत्रित करना तथा उनके आधार पर काम करते रहना, विश्वसनीय मुखबिरों को तैनात करना तथा तस्कर व्यापारियों की विभिन्न टोलियों पर सतर्क दृष्टि रखना संदिग्ध जलयानों तथा वायुयानों की खाना तलाशी लेना, तटवर्ती जल सीमाओं, समुद्री किनारों तथा भू-सीमाओं के पार कर सकने योग्य भागों की गशत करना, विभागीय न्याय निर्णय के अलावा उपयुक्त मामलों में मुकदमे चलाना, आदि।

कलकत्ता में पौलीबुटाडीन/पौलीसोप्रीन का निर्माण

274. **श्री रा० बरुआ** : क्या **पेट्रोलियम और रसायन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता के मैसर्स गोईका ने किसी विदेशी पार्टी के सहयोग से पौलीबुटाडीन अथवा पौलीसोप्रीन का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव हाल में दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस प्रस्तावित परियोजना पर कितनी विदेशी मुद्रा लगी और इस परियोजना पर कुल कितनी लागत आयेगी;

(घ) इस विदेशी सहयोगकर्त्ता को प्रारम्भिक तकनीकी जानकारी के लिये कितनी राशि देनी पड़ेगी और कितने वर्ष तक;

(ङ) इस विदेशी सहयोगकर्त्ता का विचार इस परियोजना में यदि कोई पूंजी लगाने का है तो कितनी पूंजी लगाने का है और क्या यह विदेशी पार्टी ऋणों के आस्थगित भुगतान के रूप में कोई अन्य वित्तीय सहायता दे रही है और यदि हां, तो क्या और कितनी;

(च) प्रस्तावित इस संयंत्र की प्रस्तावित क्षमता कितनी है; और

(छ) इस परियोजना में सरकार से क्या सुविधायें/सहायता मांगी गई है?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया): (क) से (छ) मैसर्स डंकन ब्रादर्ज से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। यह विचाराधीन है। इस अवस्था में प्रस्ताव के ब्यौरों को बताना ठीक नहीं होगा क्योंकि सबसे अधिक उपयुक्त प्रस्ताव को अन्तिम रूप से चुनने के लिये, इस प्रस्ताव का अन्य प्रस्तावों से तुलनात्मक मूल्यांकन करना है।

आय-कर की बकाया राशियों की वसूली

275. **श्री रा० बरुआ :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने आय-कर की सभी बकाया राशियों को दो वर्ष के भीतर वसूल करने का कुछ कार्यक्रम बनाया है;

(ख) क्या ऐसे उपाय भी निकाले गये हैं जिनसे भविष्य में आय-कर की राशियां बकाया न रहने पायें; और

(ग) यदि हां तो उनका ब्यौरा क्या है और उन्हें किस तरह क्रियान्वित करने का विचार है?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) सरकार आय-कर की वसूल हो सकने योग्य बकाया रकमों को यथासम्भव शीघ्र वसूल करने के लिये उपाय कर रही है। जिन मामलों में आय-कर निर्धारण करना बाकी रहता है, उनको भी साथ ही पूरा करने की कोशिश सरकार कर रही है।

(क) जी, हां।

(ग) बकाया मांग की वसूली के लिये निम्न उपाय निकाले गये हैं :—

(i) आय-कर विभाग वसूली का कार्य राज्य सरकारों से अपने हाथ में ले रहा है।

(ii) विशेष वसूली एककों की स्थापना।

(iii) चालू वर्ष में जारी की गई मांग की वसूली के लिये अधिक आग्रह रखना।

(iv) बकाया मांगों की वसूली पर सूक्ष्म निगरानी रखना।

(v) 1 लाख रुपये से अधिक रकम की वसूली न हो सकने योग्य मांग को बट्टे खाते डालने के लिये तीन तीन आय-कर आयुक्तों की क्षेत्रीय समितियों की स्थापना।

(vi) वसूली कार्य पर विशेष जोर देते हुए कर्तव्यों के अनुसार कार्य विभाजन की योजना में और अधिक सुधार ।

जिन मामलों में आय-कर निर्धारण करना बाकी रहता है, उनको समाप्त करने के लिये नीचे दिये गये उपाय किये गये हैं :—

(i) अधिक आय-कर अधिकारियों और सहायक कर्मचारियों की नियुक्ति ;

(ii) सूक्ष्म निगरानी के लिये अतिरिक्त निरीक्षक सहायक आयकर आयुक्तों की नियुक्ति;

(iii) कम आय वाले मामलों को शीघ्र निपटाने के लिये योजना को अतिरिक्त रूप से उदार बनाना ;

(iv) चालू वर्ष में बकाया रकमों को कम से कम एक तिहाई कम करने के लिये प्रत्येक आयुक्त के कार्यक्षेत्र में कर-निर्धारण के कार्य को निपटाने के लिये योजनाबद्ध तथा क्रमबद्ध कार्यक्रम ।

भारत द्वारा परमाणु अस्त्रों के फैलाव को रोकने सम्बन्धी संधि के विरोध से विदेशी सहायता पर प्रभाव

376. श्री रा० बरुआ : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सहायता कंसोर्शियम के कुछ सदस्य देशों ने परमाणु अस्त्रों के फैलाव को रोकने सम्बन्धी संधि का, जिस पर कुछ देशों द्वारा हाल में हस्ताक्षर किये गये थे, भारत द्वारा विरोध किये जाने के कारण उनके द्वारा वचन दी गयी सहायता के उपलब्ध न होने के बारे में कोई संकेत दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इन देशों के नाम क्या हैं और इस प्रश्न को कैसे हल करने का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता ।

नर्मदा जल विवाद

377. श्री या० शं० मिश्र : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नर्मदा सागर परियोजना के विवाद रहित भाग को साफ करने का काम आरम्भ कर दिया जैसा कि कुछ समय पूर्व मंत्री महोदय द्वारा आयोजित एक बैठक में मध्य प्रदेश के संसद सदस्यों के साथ विचारविमर्श किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) से (घ). मध्य प्रदेश सरकार से पुनासा परियोजना सम्बन्धी रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। प्राप्त होने पर इस की जांच की जाएगी।

मास्को में विश्व विद्युत् सम्मेलन के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल

278. श्री मा० सं० सिंह : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष अगस्त में मास्को में होने वाले विश्व विद्युत् सम्मेलन के प्रस्तावित पूर्ण अधिवेशन के लिए प्रतिनिधि-मंडल चुनने के सम्बन्ध में विश्व विद्युत् सम्मेलन सम्बन्धी भारतीय राष्ट्रीय समिति ने सरकार से क्या सिफारिशें की हैं ;

(ख) इस सम्मेलन में किस विषय पर विचार-विमर्श किया जायेगा और भारतीय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् जैसे सरकारी संगठन की कार्य-प्रणाली से उसका सम्बन्ध किस प्रकार है ;

(ग) क्या यह सच है कि सरकार ने विदेशी मुद्रा की कठिनाई के कारण और इस आधार पर कि विचार-विमर्श के विषय का सम्बन्ध सरकारी अधिकारियों के काम काज से है, एक ऐसा प्रतिनिधि मंडल चुना है जिसके सभी सदस्य केवल सरकारी पदाधिकारी हैं ; और

(घ) ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत न करने के क्या कारण हैं जिन के लिए खर्च की व्यवस्था अपरिवर्ती रुपया भुगतान के अन्तर्गत की जा सकती थी ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) विश्व विद्युत् सम्मेलन के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति के रूप में काम कर रही इंजीनियरी संस्था (भारत) ने अगस्त, 1968 में मास्को में होने वाले विश्व विद्युत् सम्मेलन के लिए लगभग 8 व्यक्तियों का एक भारतीय दल भेजने की सिफारिश की थी।

(ख) सम्मेलन का मुख्य विषय 'विश्वऊर्जा संसाधन एवं उनका मानव जाति के लाभ के लिए प्रयोग' है। यह छः भागों में विभक्त है, नामश: (1) विश्व ऊर्जा संसाधन तथा उनका प्रयोग, (2) ऊर्जा संतुलन, (3) विद्युत् उत्पादन, (4) ऊर्जा का एक स्थल से दूसरे स्थल तक ले जाना, (5) ऊर्जा का प्रयोग, तथा (6) गौण ऊर्जा संसाधन। विद्युत् उद्योग की निम्नलिखित मुख्य समस्याओं पर विचार करने के लिए बैठक के दौरान तीन गोलमेज बैठकें होंगी।

(क) सुपरक्रिटिकल वाष्प स्थितियों वाले विद्युत् यूनिटों की जल स्थितियां तथा उबलते हुए पानी की भट्टियों वाले अणु विद्युत् केन्द्रों की जल स्थिति।

(ख) विद्युत् प्रणालियों में डी० सी० परिषण का कार्य तथा उनका अन्तसंपर्क।

(ग) विकासकारी देशों में बिजली संभरण की समस्याएं।

बिजली का उत्पादन तथा वितरण सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित है। इसलिये विद्युत् विकास के आयोजन तथा समन्वय और अनुसंधान आदि से संबंधित सरकारी संस्थाएं उन विषयों में बहुत अधिक रुचि रखती हैं जिन पर सम्मेलन में बहस होनी है।

(ग) शिष्टमंडल का संगठन अभी तय नहीं हुआ।

(घ) विद्युत् विकास कार्यक्रम के आयोजन तथा समन्वय से सम्बन्धित उन प्रवर विद्युत् इंजीनियरों को भारतीय दल में शामिल करने पर विचार किया जाता है जो कार्य सूची के विषयों से अच्छी प्रकार से वाकिफ होते हैं और उन पर वार्तालाप में भाग ले सकते हैं। शिष्टमण्डल के सदस्यों की संख्या विदेशी मुद्रा की कठिन अवस्था को देख कर ही निर्धारित की जानी है। उन व्यक्तियों को नामित करने का इसलिए प्रश्न नहीं उठता जिन का खर्च सम्परिवर्ती रुपया भुगतान के अन्तर्गत किया जा सके क्योंकि महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय तकनीकी सम्मेलनों में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए दल के सदस्यों को चुनने के लिए यह तरीका नहीं है।

भारतीय उर्वरक निगम द्वारा उर्वरक कारखाने का निर्माण

279. **श्री गा० शं० मिश्र :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम देश में उर्वरक कारखाने का डिजाइन तैयार करके उसे स्थापित तथा चालू कर सकती हैं और उसके लिये आवश्यक तकनीकी तथा विशेषज्ञ जानकारी उपलब्ध करा सकती है ;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने भारतीय उर्वरक निगम की देश में प्रतियोगात्मक वित्तीय सीमाओं के अन्दर संयंत्र स्थापित करने की योग्यता निर्धारित करने के लिए जांच का आदेश दिया है और इस प्रकार स्थापित किये जाने वाले जांच आयोग में विदेशी भी होंगे ; और

(ग) यदि हां, तो उन विदेशियों के नाम क्या हैं, वे किस देश के हैं, उनकी भारत में उर्वरक कार्यक्रमों में रुचि किस प्रकार है तथा ऐसी जांच करने के लिये इन विदेशियों को शामिल करना सरकार ने किन कारणों से उचित समझा ?

पेट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) जी हां।

(ख) कोई जांच आयोग स्थापित नहीं किया गया था किन्तु अक्तूबर, 1967 में दो सरकारी क्षेत्र निगमों के संगठन एवं संरचना आदि का अध्ययन करने के लिए एक अध्ययन दल की स्थापना की गई थी।

(ग) संगठन, संरचना आदि की जांच के लिए नियुक्त दल में टैन्नैसी वैली आथर्टी से चार अमरीकी विशेषज्ञ (अर्थात् मिस्टर डब्लू० एफ० एम्मौन्स, मिस्टर एल०डब्लू० गोप, मिस्टर ई०जे० बैस्ट और आर० डी० ग्रिस्सी) शामिल किये गये थे। उक्त अध्ययन दल भारत में डिजाइन, इंजिनियरिंग, निर्माण और रचना क्षमता के विकास के लिए जो कदम उठाये जा सकते हैं, उन पर ध्यान देगा, जिससे इन मामलों में प्रतियोगिता प्राप्त हो या विदेशी संसाधनों का प्रतिस्थापन हो। इन विशेषज्ञों को शामिल किया गया था क्योंकि टैनैसी वैली आथर्टी को जो अमरीका में एक सरकारी उपक्रम है, उर्वरक क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव है और उनके विशेषज्ञों को उक्त दल में शामिल करना लाभदायक समझा गया था।

अम्लों तथा उनके उपोत्पादों की कीमतों की अधिकतम सीमा

280. **श्री गा० शं० मिश्र :** क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने फिलहाल यह निर्णय किया है कि अम्लों तथा उनके पोत्पादों की कीमतों की अधिकतम सीमा निश्चित नहीं की जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष के दौरान अम्लों तथा उनके उपोत्पादों की मांग और सम्भरण की स्थिति में कितना अन्तर था ; और

(ग) क्या कीमतों की प्रवृत्ति ऊंची बढ़ने की ओर है और यदि हां, तो फिर अधिकतम मूल्य निश्चित न करने के क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम और रसायन तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरमैया) : (क) अम्लों तथा उनके उपोत्पादों की कीमतों पर कोई सांविधिक नियन्त्रण नहीं है और न ही ऐसा करने का प्रस्ताव है ।

(ख) उपभोक्ता सामग्री और दूसरे पदार्थों से विपरीत अम्ल तथा साल्ट्स के उत्पादन को सामान्यता मांग से समंजित किया जाता है बशर्ते कि कच्चा माल उपलब्ध हो । आमतौर से पिछले साल अम्लों और उनके उपोत्पादों की कमी के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई ।

(ग) उत्पादन के वर्तमान मूल्यों को ध्यान में रखते हुए मूल्यों में असामान्य वृद्धि से सम्बन्धित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

महात्मा गांधी की जन्म शताब्दी के अवसर पर जारी किये जाने वाले नोट

281. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गांधी शताब्दी समारोह के अवसर पर कितनी राशि के नोट छापे जायेंगे ; और

(ख) क्या उन नोटों के नमूने तैयार कर लिये गये हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) इस मामले में अभी फैसला नहीं किया गया है ।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने कलाकारों से प्रतियोगिता योजना के अन्तर्गत 31-8-1968 तक नमूने (डिजाइन) मांगे हैं । नमूनों का अन्तिम फैसला प्रतियोगिता के परिणामों के आधार पर किया जायगा ।

सचल अनुर्वरीकरण

282. **श्री क० प्र० सिंह देव:** क्या स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में सचल अनुर्वरीकरण दलों को स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो कितने राज्यों में ऐसे सचल दलों को स्थापित किये जाने की सम्भावना है ;

(ग) इन पर कितना धन व्यय होगा ; और

(घ) क्या ये सचल अनुर्वरीकरण दल अपर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं वाले क्षेत्रों में सामान्य चिकित्सा सेवाएं भी उपलब्ध करेंगे ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० श्री चन्द्र शेखर): (क) और (ख). भारत सरकार ने पहले ही प्रत्येक जिला और मेडिकल कालेज के लिए

एक एक्क के हिसाब से, सचल नसबन्दी एक्क खोलने की स्वीकृति दे दी है। 10 जून, 1968 तक प्राप्त सूचनाओं के अनुसार ऐसे 384 एक्क पहले से ही विभिन्न राज्यों में काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त सचल लूप एकक, जो 5 से 7·5 लाख जनसंख्या के पीछे एक एकक के हिसाब से स्वीकृत किए गए हैं, भी नसबन्दी कार्यक्रम के लिए उपयोग में लाए जाते हैं।

(ग) प्रत्येक एकक का वार्षिक अनुमानित अनावर्ती व्यय 37,500 रुपये और आवर्ती व्यय 35,000 रुपये है।

(घ) सचल नसबन्दी एक्कों में सामान्य औषधियां भी रखी जाएंगी जिससे एक्क के साथ काम करने वाले डाक्टर ग्राम क्षेत्रों में अपने भ्रमणों के दौरान आपात चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कर सकें।

उड़ीसा को योजना तथा तथा गैर-योजना कार्यों के लिए सहायता

283. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में केन्द्र ने उड़ीसा राज्य की योजना तथा गैर-योजना सम्बन्धी कार्यों के लिये कितनी राशि के ऋण/सहायता दी है ;

(ख) इसी अवधि में केन्द्र ने उड़ीसा राज्य को यदि कोई तदर्थ ऋण दिये हैं, तो कितनी राशि के

(ग) सरकार ने किस प्रयोजन के लिये तदर्थ ऋण दिये थे ; और

(घ) उपरोक्त अवधि में उड़ीसा राज्य ने ऋणों पर ब्याज के रूप में केन्द्र को कितनी राशि दी है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया/देखिये संख्या एल० टी० 1354/68**]

(ग) तदर्थ ऋण, राज्य सरकार को उसके द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से अपनी जमा से अधिक निकाली गयी रकम चुका देने/उसे कम करने के लिए दिये गये थे।

श्रीनिवासपुरी, दिल्ली में अपराध

284. **श्री क० प्र० सिंह देव : क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 जून, 1968 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में छपे इस आशय के समाचारों की ओर दिलाया गया है कि श्रीनिवासपुरी, दिल्ली जैसी सरकारी बस्तियों में 'काल गर्ल्स' को तथा अवैध रूप से शराब बनाने के कारखाने चलाने वालों को सरकारी क्वार्टर सबलैट किये जाते हैं जिनसे उस क्षेत्र की शान्ति भंग होती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) 'काल गर्ल्स' तथा अवैध रूप से शराब बनाने के कारखाने चलाने के लिए दिल्ली में श्रीनिवासपुरी जैसी सरकारी बस्तियों में सरकारी वास के सबलैट करने की कोई शिकायत संपदा निदेशालय को प्राप्त नहीं हुई है ?

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली विद्युत् सम्भरण उपक्रम के लाइनमैनों की कार्य की शर्तें

285. श्री क० प्र० सिंह देव: क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विद्युत् सम्भरण उपक्रम के लाइनमैनों की कार्य की शर्तें संतोषजनक नहीं हैं जिसके फलस्वरूप उन्हें अपने जीवन को खतरे में डाल कर कार्य करना पड़ता है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली विद्युत् सम्भरण उपक्रम ने लगभग 300 अप्रशिक्षित व्यक्तियों को मरम्मत कार्य करने की अनुमति दे रखी है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) दिल्ली बिजली सम्भरण उपक्रम ने सूचना दी है कि उन के लाइनमैनों को काम करने के लिये संतोषजनक सुविधाएं प्राप्त हैं जैसे कि ड्यूटी को निभाने के लिये अपेक्षित औजार, वर्दियां, जूते, बरसाती कोट और निकटतम शिकायत केन्द्र से सीढ़ियों को उठा लाने के लिये मजदूरों की सहायता । दिल्ली बिजली सम्भरण उपक्रम ने मान लिया है कि कोई बाहरी संस्था उन दुर्घटनाओं की जांच करे जिन से कि लाइनमैनों की मृत्यु हो गई । केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के एक सदस्य को इसकी जांच करने के लिये मनोनीत कर दिया गया है ।

(ख) से (घ) दिल्ली बिजली संभरण उपक्रम ने सूचना दी है कि उन्होंने मरम्मत के काम में किसी अप्रशिक्षित कर्मक को नहीं लगा रखा है । मजदूरों से जूनियर लाईनमैन ट्रेड टेस्ट के पश्चात् बनाए जाते हैं ।

इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले विमान ईंधन पर उत्पादन शुल्क

286. श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने निगम द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले विमान ईंधन पर गत पांच वर्षों में वर्षवार कितना उत्पादन शुल्क दिया है ;

(ख) क्या इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने इस उत्पादन शुल्क को हटाने की प्रार्थना की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) इण्डियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा पिछले पांच वर्षों में प्रयुक्त विमान ईंधन पर निम्नलिखित उत्पादन शुल्क दिया गया है :—

वर्ष	शुल्क की रकम (लाख रुपयों में)
1963-64	189.50
1964-65	214.47
1965-66	249.09
1966-67	244.87
1967-68	251.20 (अनन्तिम)

(ख) इस मंत्रालय को इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन की ओर से उत्पादन-शुल्क हटाने के संबंध में कोई प्रार्थना नहीं मिली है।

(ग) सवाल ही पैदा नहीं होता।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये आयोग

287. **श्री प्र० रं० ठाकुर :** क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस प्रश्न पर कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की अपनी संस्था होनी चाहिये, 1951 में अच्छी तरह से विचार किया गया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि उसी वर्ष विधि मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में निश्चित राय दी थी ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) आयुक्त की हमेशा अपनी संस्था रही है ; 1950 से उस संस्था की संरचना पर समय समय पर पुनर्विलोकन होता रहा है।

(ख) और (ग) इस अठारह वर्ष पुराने मामले का रिकार्ड तुरन्त प्राप्य नहीं तब भी यह ध्यान रहे कि एक संस्था की संरचना के विषय में सामान्यतया विधि मंत्रालय से परामर्श नहीं किया जाता।

आय के वितरण के बारे में महलनवीस समिति का प्रतिवेदन

288. **श्री प्र० रं० ठाकुर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आय वितरण सम्बन्धी महलनवीस समिति का अन्तिम प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में देरी के क्या कारण हैं ; और

(घ) जनता तथा संसद को इस प्रतिवेदन के कब तक उपलब्ध किये जाने की सम्भावना है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

(ग) समिति को अभी जटिल आंकड़ों के विश्लेषण से सम्बद्ध कुछ मतभेद दूर करने हैं।

(घ) समिति ने सरकार को सूचित किया है कि अगस्त, 1968 के अन्त तक रिपोर्ट के अन्तिम रूप से तैयार हो जाने की आशा है। रिपोर्ट सरकार को प्राप्त होने पर ही संसद और जनता के लिए उपलब्ध की जा सकती है।

भारत में असैनिक अस्पताल और औषधालय

289. **श्री प्र० रं० ठाकुर :** क्या **स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास** मंत्री भारत में असैनिक अस्पतालों तथा डिस्पैंसरियों के सम्बन्ध में 25 अप्रैल, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4999 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो वह कब तक सभा पटल पर रख दी जायेगी ?

स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा नगरीय विकास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ब० सू० मूर्ति) : (क) से (ग) कुछ राज्यों/संघ क्षेत्रों से सूचना मिल गई है जबकि अन्य राज्यों से इसकी प्रतीक्षा की जा रही है । ज्यों ही पूर्ण विवरण मिल जायेगा इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये ट्यूशन फीस

290. **श्री सिद्दय्या :** क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर सरकार ने वर्ष 1968-69 से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्राथमिक शिक्षा स्तर से स्नातकोत्तर श्रेणी स्तर तक फीस न देने की अनुमति दे दी है; और

(ख) क्या भारत सरकार के तत्वावधान में चल रही शिक्षा संस्थाओं में अध्ययन कर रहे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लोगों को भी फीस की यह रियायत देने का सरकार का विचार है ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य-मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार ये रियायतें सरकारी और स्थानीय निकायों के संस्थानों तथा सहायित संस्थानों एवं उन मैसूर विश्वविद्यालयों के सीधे नियंत्रण में आने वाले सब संस्थानों के लिए हैं । भारत सरकार के अधीन संस्थानों में पढ़ने वाले पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों को ये रियायतें देने के प्रश्न पर राज्य सरकार के साथ बात चलाई जा रही है ।

हरिजनों का कल्याण

291. **श्री जे० एस० रेड्डी :** क्या **समाज कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस के लिये सरकार ने कोई नई योजना बनाई है कि भारत के भिन्न-भिन्न भागों में विभिन्न प्रकार से हरिजनों को तंग करने की घटनायें पुनः न हों; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

समाज कल्याण विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती फूलरेणु गुह) : (क) और (ख) मई, 1968 में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में कानून और व्यवस्था की समस्याओं तथा अशक्त अंगों सम्बन्धी घटनाओं पर सामान्यतया विमर्ष हुआ । यह सहमति हुई कि प्रशासन का पूरा जोर समाज के अशक्त अंगों की तरफ हो तथा अशक्त अंगों सम्बन्धी मामलों की छानबीन हो और पूरी सावधानी के साथ त्वरित ढंग से मामले चलाएं जाएं ।

बाढ़ नियंत्रण योजनाएं

292. **श्री जे० एस० रेड्डी :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अनुसार बाढ़ नियन्त्रण योजनाओं को अन्तिम रूप दे दिया है जिससे देश के विभिन्न भागों में अतिरिक्त सिंचाई सुविधायें उपलब्ध करने के लिए जल एकत्र किया जा सके; और

(ख) यदि नहीं, तो इन योजनाओं की कार्यान्विति के मार्ग में धन के अतिरिक्त जो अन्य कठिनाइयां आती हैं, वे क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख) विशेषज्ञ संस्थाओं की सिफारिशों पर राज्य सरकार ने निम्नलिखित बाढ़ नियंत्रण-मय-सिंचाई स्कीमें तैयार की हैं :—

1. मिश्रा समिति द्वारा सिफारिश प्राप्त आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में थम्मिलेरु नदी पर बाढ़ नियंत्रण-मय-सिंचाई स्कीम ।

2. मोतीराम समिति द्वारा सिफारिश प्राप्त साहिबी बाढ़ नियंत्रण-मय-सिंचाई स्कीम ।

केन्द्रीय सिंचाई व बिजली मंत्रालय ने फरवरी, 1968 में थम्मिलेरू बान्ध स्थल का निरीक्षण किया था और इस परियोजना की लागत को कम करने के लिये कुछ सुझाव दिये थे । संशोधित परियोजना रिपोर्ट आन्ध्र प्रदेश सरकार से प्रतीक्षित है ।

राजस्थान सरकार द्वारा तैयार की गई साहिबी स्कीम की केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग द्वारा जांच की जा रही है और हरियाणा सरकार और दिल्ली प्रशासन को भी जो इस स्कीम से लाभ प्राप्त करेंगे और कुछ लागत भी देंगे, यह रिपोर्ट भेज दी गई है ।

गंडक परियोजना के अधिकारियों द्वारा जीपों का दुरुपयोग

293. श्री विभूति मिश्र : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा बिहार सरकार के माध्यम से गंडक परियोजना (चम्पारन-बिहार) पर खर्च की जा रही राशि के एक बड़े अंश का सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन अधिकारियों को दी गई जीपों का प्रयोग व्यक्तिगत कार्य तथा शादी आदि के लिए किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इस दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जब सरकारी गाड़ियां निजी काम के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं तो नियमों के अधीन पैसे ले लिए जाते हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली स्टाक एक्सचेंजों में कुप्रथायें

294. श्री कृ० के० त्रिपाठी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार तथा दिल्ली स्टाक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड को कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध उन के साथ व्यापार करने वालों के साथ व्यवहार करने के बारे में शिकायतें

प्राप्त हुई हैं तथा उसके परिणामस्वरूप सिक्योरिटीज़ कांट्रेक्ट (रेगूलेशन) एक्ट, 1956 की धारा 6 के अन्तर्गत जांच कराई गई थी ;

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धित व्यक्तियों के नाम क्या हैं; और

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) से (ग) जी, हां। निवेशकों द्वारा खरीदे गये शेयरों को उनके सुपुर्द न किये जाने के बारे में और/या निवेशकों द्वारा बेचे गये शेयरों का मूल्य प्रदान किये जाने के बारे में सरकार को और दिल्ली शेयर बाजार संघ लिमिटेड (दिल्ली स्टाक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड) को कुछ शिकायतें मिली थीं। इसके बाद सरकार ने 1965 में प्रतिभूति करार (विनियमन) अधिनियम, 1956 [सिक्योरिटीज़ कांट्रेक्ट (रेगूलेशन) एक्ट, 1956] की धारा 6, उप-धारा (3) के खण्ड (ख) के अन्तर्गत चार सदस्यों के मामलों में जांच का आदेश दिया था जिनमें दो व्यक्ति तथा दो सदस्यों की एक साझेदारी फ़र्म शामिल थी, लेकिन स्थिति में परिवर्तन हो जाने के कारण जांच नहीं की गयी थी ।

एकाधिपत्य पूंजी द्वारा नियंत्रित श्रेष्ठि चत्वर

295. **श्री कृ० दे० त्रिपाठी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि भारत में श्रेष्ठि चत्वर अधिकतर ऐसे लोगों के नियंत्रण में होते हैं जो इन श्रेष्ठि चत्वरों में कार्यसंचालन में प्रत्यक्ष रूप से रुचि नहीं लेते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि बाह्य रुचि अधिकांशतः उन लोगों द्वारा ली जाती है जिन का सम्बन्ध एकाधिपत्य पूंजी से होता है; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) से (ग) प्रश्न के भाग (क) और (ख) में निर्दिष्ट स्थितियों की सम्भावना को रोकने के लिये और शेयर बाजारों (स्टाक एक्सचेंजों) में समुचित लेनदेन किये जाने को सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने उनके क्रियाकलाप में और अधिक सुधार करने के अपने कार्यक्रम के अंग के रूप में कुछ शेयर बाजारों को मान्यता देने के लिये कुछ शर्तें निर्धारित की हैं। इनमें ये शर्तें शामिल हैं :

(1) प्रबन्धक बोर्ड में पदेन सदस्य के रूप में किसी ऐसे स्वतंत्र, पूर्णकालिक और बाजार के प्रभाव से मुक्त कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति जिसे शेयर बाजारों का रोजमर्रा का प्रशासन चलाने का अधिकार हो, उसकी नियुक्ति, उसकी नियुक्ति की शर्तों और उसे हटाने के लिये सरकार की पूर्व-स्वीकृति आवश्यक होगी; और

(2) प्रबन्धक बोर्ड का सदस्य होने के लिये निष्क्रिय सदस्य अर्थात् ऐसे सदस्य अपात्र होंगे जिनकी शेयर बाजार में जमानत न हो और जो शेयर बाजार में कारबार न कर रहे हों।

1740(Ai)LS—12.

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर रूसी शस्त्रास्त्र की सप्लाई किया जाना

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur) : I rise on a point of Order,

श्री सु० कु० तापड़िया (पाली) : हमने स्थगन प्रस्तावों की सूचना दे रखी है। हम प्रधान मंत्री को अभी वक्तव्य देने की अनुमति नहीं दे सकते ।

Shri Atal Bihari Vajpayee: There are directions under which you can take the Calling Attention Notice first. Both Calling Attention Notice and Adjournment Motion are on the same subject. The Prime Minister can speak during the discussion on the adjournment motion. There is no need of giving the time to Prime Minister just now.

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में नियम पूर्णतया स्पष्ट हैं । आप उन पर ध्यान दें ।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया (जालोर) : मैं वैदेशिक-कार्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं तथा अनुरोध करता हूं कि वह इस विषय पर एक वक्तव्य दें :

> "रूस द्वारा पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर शस्त्रास्त्र तथा घातक हथियार सप्लाई किये जाने के समाचार तथा इसके परिणामस्वरूप भारत की सुरक्षा को खतरा ।"

प्रधान मंत्री, अणुशक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : मैंने रूस द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई के बारे में अपनी तथा सरकार की चिन्ता पहले ही खुले आम व्यक्त कर दी है । हमने रूस सरकार को अपनी भावनाओं तथा प्रतिक्रियाओं के बारे में भी सूचित कर दिया है ।

सभा को इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिये कि इस समय अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध बहुत ही अस्थिर स्थिति में हैं । पुराने विरोधी ब्लाकों के बीच जो भीषण मतभेद थे वे कम होते जा रहे हैं यद्यपि वे अभी तक समाप्त नहीं हुए हैं । प्रत्येक राष्ट्र चाहे वह किसी भी ब्लाक का सदस्य है अथवा नहीं अपनी नीतियों को व्यक्तिगत रूप देने की चेष्टा कर रहा है । संयुक्त राज्य अमरीका तथा सोवियत संघ आपस में सीधे टक्कर के भय को कम करने के बारे में सजग हैं और प्रत्यक्षतः अपनी नीतियों का बदल रही परिस्थितियों के अनुसार पुनर्निर्माण कर रहे हैं । इन परिस्थितियों में अपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता तथा एकता को दृढ़ता से बनाए रखते हुए सभी के साथ मित्रता तथा शान्ति की हमारी नीति, प्रत्येक मामले को उसके गुणों के आधार पर देखने की गुट-निरपेक्षता की नीति समर्थनशील है ।

तीन सप्ताह पूर्व हमें यह संकेत मिला था कि रूस सरकार पाकिस्तान को कुछ सैनिक सामान देने का इरादा रखती है। मैंने चेयरमैन कोसीजिन को एक पत्र लिखा जिसमें इस बारे में अपनी चिन्ता व्यक्त की तथा इससे उत्पन्न होने वाले सम्भाविक परिणामों तथा खतरों के बारे में भी बताया था ।

हमने रूस सरकार को यह स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान द्वारा अपनी सैनिक शक्ति के बढ़ाये जाने के बारे में कोई युक्तियुक्त औचित्य नहीं है । हमने यह भी बताया था कि पाकिस्तान को सैनिक गुट का सदस्य होने के नाते 1954 और 1965 के बीच उपहार के रूप में बड़ी मात्रा में हथियार और उपकरण मिले थे जो कि हमारे विरुद्ध ही प्रयोग में लाये गये थे ।

रूस सरकार का ध्यान इस ओर भी दिलाया गया था कि पाकिस्तान को न केवल अपने साथियों से बल्कि चीन से भी बड़ी संख्या में हथियार मिल रहे हैं। इससे पाकिस्तान भारत के प्रति अपने आक्रामक रवैये को बढ़ा देगा।

हमने रूस को यह भी बता दिया था कि पाकिस्तान को वास्तव में किसी बाहरी खतरे का सामना नहीं है। गत 20 वर्षों में पाकिस्तान ने भारत पर तीन बार आक्रमण किया है। पाकिस्तान हथियारों को भारत के विरुद्ध प्रयोग करने के लिये ही जमा कर रहा है। हमने यह भी बताया है कि हमने पाकिस्तान को युद्ध न करने सम्बन्धी संधि करने की कई बार पेशकश की है जिसे पाकिस्तान ने बार बार रद्द कर दिया है। संयुक्त राज्य अमरीका पाकिस्तान को उसके द्वारा दिये गये हथियारों को हमारे विरुद्ध प्रयोग करने से नहीं रोक सका था।

इन परिस्थितियों में इस उप-महाद्वीप में तनाव बढ़ेगा और देश की प्रतिरक्षा तथा सुरक्षा के बारे में हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ेगी। हाल ही में पाकिस्तान के नेताओं द्वारा की गई घोषणा से इस बात की पुष्टि होती है कि हथियार मिलने से पाकिस्तान का रवैया अधिक हठधर्मी वाला हो जायेगा। हम रूस के उद्देश्यों अथवा उनकी सद्भावना को चुनौती नहीं देते परन्तु हमें विश्वास है कि इस घटना से इस उप-महाद्वीप में शान्ति तथा स्थिरता को बढ़ावा नहीं मिल सकता।

रूस ने हमें आश्वासन दिया है कि वह ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे हमारी मित्रता कमजोर हो अथवा उसको धक्का लगे। उन्होंने हमें सूचित किया है कि उन्होंने पाकिस्तान को यह बात बता दी है कि वे भारत को किये गये सभी वचनों को पूरा करेंगे।

भारत और रूस के सम्बन्ध बहुत व्यापक हैं और अनेक क्षेत्रों में फैले हुए हैं। अतः इस नई घटना पर समूचे सम्बन्धों को ध्यान में रख कर ही विचार किया जाना चाहिए।

हमें यह पता नहीं कि रूस ने पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने के बारे में समझौते को अन्तिम रूप दे दिया है और न ही हमें यह पता है कि पाकिस्तान को कितनी संख्या में हथियार दिये जायेंगे तथा उनका स्वरूप क्या होगा और उनकी शर्तें क्या होंगी।

जैसा कि मैंने पहले कहा हम इस घटना को चिन्ताजनक दृष्टि से देखते हैं। इस बात में मुझे कोई सन्देह नहीं कि इस स्थिति पर संसद तथा राष्ट्र की प्रतिक्रिया शान्ति तथा स्वाभिमान वाली होगी। सदा की तरह हम प्रतिरक्षा तथा सुरक्षा को प्राथमिकता देते रहेंगे।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : प्रधान मंत्री के वक्तव्य में इस मामले विशेष की कई महत्वपूर्ण बातों की उपेक्षा की गई है। रूस ने भारत की उपेक्षा की है और वह देश, जिसको हम अपना सबसे अच्छा मित्र समझते थे, भारत के शत्रु को हथियार दे रहा है। सरकार की तुष्टिकरण की नीति असफल हुई है।

भारत द्वारा विरोध पत्र भेजे जाने के बावजूद 'रेडियो पीस एण्ड प्रोग्रेस' ने अनेक भारतीय नेताओं की जून में भी आलोचना की है। 1955 में भी रूस द्वारा प्रकाशित विश्व के नक्शों के बारे में रूस को विरोध पत्र भेजे गये थे। परन्तु रूस ने 1967 में पुनः उन्हीं नक्शों को ज्यूं का त्यूं प्रकाशित कर दिया है।

यह कहा गया है कि पाकिस्तान को सप्लाई होने वाले हथियारों सम्बन्धी ब्यौरे के बारे में सरकार को कुछ पता नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या हमारा आसूचना विभाग इतना

ही कमजोर है ? मैं प्रधान मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि क्या तुष्टिकरण की नीति को बन्द कर दिया जायेगा, क्या सरकार अधिक यथार्थवादी नीति अपनायेगी—ईमानदारी वाली गुटनिरपेक्षता की नीति—क्या सरकार रूस को स्पष्ट शब्दों में यह बतायेगी कि वह स्थानीय मामलों में रूस के हस्तक्षेप को सहन नहीं करेगी ; क्या भारत के हितों के विरोधी सभी करारों को रद्द कर दिया जायेगा; क्या सरकार निर्बाध व्यापार करारों के आधार पर व्यापार करारों पर विचार करने को तैयार है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : हमारी नीति कभी भी तुष्टिकरण की नहीं रही। ऐसा लगता है कि उनकी शिकायत यह है कि हम अपनी घोषित नीति का अनुसरण नहीं कर रहे। मैं यह बता देना चाहती हूं कि हम एक नीति विशेष का अनुसरण करते रहे हैं और इससे हमारे देश के हितों को लाभ हुआ है. रूस से हमारी मित्रता से हमें सुरक्षा परिषद अथवा अन्य कई मामलों में लाभ पहुंचा है। प्रत्येक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के साथ अपनी मित्रता बनाने का प्रयत्न कर रहा है। हम भी ऐसा ही कर रहे हैं। मेरे तथा उप-प्रधान मंत्री के हाल ही के विदेशों के दौरों से यह बात स्पष्ट है।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण–दिल्ली) : प्रधान मंत्री को प्रश्नों का स्पष्ट रूप से उत्तर देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : इस में सन्देह नहीं कि यह एक महत्वपूर्ण विषय है। हमें सभा में शान्ति बनाये रखनी चाहिए।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : आपके मुख्य प्रश्न का उत्तर दे दिया गया है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : भारत-रूस संयुक्त विज्ञप्ति में यह कहा गया है कि रूस दोनों ओर से भारत-पाकिस्तान सम्बन्धों को सुधारने के लिए किये गये प्रयत्नों की प्रशंसा करता है। इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है क्योंकि रूस ने भारत तथा पाकिस्तान को बराबर की स्थिति में कर दिया है। रूस पहले यह कहता रहा है कि पाकिस्तान निरन्तर हमारी सीमाओं पर शान्ति भंग करता रहा है और तनाव बढ़ाता रहा है। रूस के प्रधान मंत्री ने भारत के प्रधान मंत्री को जो पत्र लिखा है उसमें गंगा जल विवाद को सिंधु जल विवाद की लाइनों पर हल करने को कहा गया है। क्या इससे यह पता लगता है कि रूस की नीति में परिवर्तन हो गया है ? क्या सरकार भारत के राष्ट्रपति की हाल ही की यात्रा के सम्बन्ध में जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति में इन शब्दों के महत्व के बारे में बतायेगी।

श्रीमती इन्दिरा गांधी: प्रधान मंत्री कोसीजिन ने कोई विशेष सुझाव नहीं दिया है। उन्होंने केवल यह कहा है कि इस समस्या को इस प्रकार हल किया जाना चाहिए जो दोनों पक्षों को स्वीकार हो। तीसरे पक्ष द्वारा मध्यस्थता कराने का कोई सुझाव नहीं दिया गया है। जहां तक ताशकंद घोषणा की क्रियान्विति का सम्बन्ध है जैसा कि मैंने कहा रूस उन देशों से मित्रता करना चाहता है जिनसे उसकी मित्रता पहले नहीं थी। हमने रूस को स्पष्ट कर दिया है कि ताशकंद घोषणा के सम्बन्ध में हमने अनेक मामलों में एकपक्षीय कार्यवाही ही की है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : रूस ने पहली बार संयुक्त विज्ञप्ति में यह कहा है कि भारत और पाकिस्तान दोनों शान्ति बनाने के प्रयत्न कर रहे हैं। यह रूस द्वारा पहले की गई घोषणाओं के विरुद्ध है। मैं चाहती हूं कि प्रधान मंत्री स्पष्ट रूप से इस बारे में उत्तर दें।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : ताशकन्द घोषणा के बारे में रूस ने अभी भी टिप्पणी नहीं की ।

श्री स० कुन्दू (बालासोर) : 1965 से लेकर अब तक भारत के प्रति रूस के रवैये में परिवर्तन हुआ है । मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार ने पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई के बारे में समय समय पर राष्ट्र के क्रोध तथा उत्सुकता के बारे में सूचित न करके समूचे राष्ट्र को भ्रम में रखा है और स्वयं भी जानबूझ कर धोखा खाती रही है ।

सरकार से यह आशा की जाती थी कि वह हमारी आक्रोशपूर्ण भावनाओं को मास्को तक पहुंचाती । परन्तु दुख इस बात का है कि सरकार ने इतना भी नही किया । यदि सरकार वास्तव में हमारी क्षोमपूर्ण अनुभूतियां को रूसी नेताओं को बताना चाहती है तो वह श्री नाथ पाई का संकल्प स्वीकार क्यों नहीं कर लेती ? क्या रूस की भारत सम्बन्धी नीति 1965 के बाद से परिवर्तित नहीं होती जा रही है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : यह संकल्प पास करके हम सभा की राय को हम औपचारिक रूप देना नहीं चाहते । वर्ष 1954 में भी हमने ऐसा नहीं किया था। परन्तु यह कहना कि हमने इस बात का विरोध भी नहीं किया, गलत है । हमने रूस से स्पष्ट शब्दों में विरोध प्रकट किया था । दूसरे ऐसा करने से कोई लाभ होगा, ऐसा प्रतीत नहीं होता है । तीसरे कोई भी सहायता लेने या देने वाला देश यह नहीं बताता कि वह क्या दे अथवा ले रहा है । यदि किसी प्रकार हमें यह इस बारे में ज्ञात भी हो जाता है तो सभा में उसका ब्यौरा दिया भी नहीं जा सकता ।

श्री स० कुण्डू : यदि प्रधान मंत्री को यह पता नहीं है कि सहायता किस मात्रा में मिल रही है तो वह कैसे कह सकती हैं कि भारत की सुरक्षा को इससे खतरा नहीं बढ़ेगा ।

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री ने बता दिया है कि यह सभा में नहीं बताया जा सकता कि पाकिस्तान क्या क्या खरीदेगा । इसी प्रकार यह नहीं बताया जा सकता कि हमने क्या क्या प्राप्त किया है ।

Shri Hardayal Devgun (East Delhi): Sir, the Prime Minister has admitted that Pakistan attacked India with the weapons which she got during the period from 1954 to 1965. It means that with the help of these weapons received from Moscow—Pakistan will again attack us in near future. Is it not a dreadful situation? Why the President's visit to Moscow was not cancelled in view of this development? Why had our President not Conveyed our strong feelings to the Soviet leaders? I would also like to know whether the correspondence on this subject made between U.S.S.R. and India will be published?

Shrimati Indira Gandhi: I am not prepared to accept it as a dreadful situation, because today India is in a position to face any situation. Secondly the tour programme of the President was finalised long ago so it was not proper to cancel the President's tour to Russia. As regards the wrong maps of India published in some Russian atlas. We have contacted the Russian embassy in this connection and we asked for the copy of the same, so that we can also see it and decide what further action should be taken in the matter.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, there has been a shift in the policy of U.S.S.R. in relation to India since Russia accepted the leadership of Mr. Kosygin and Mr. Brezhnev. It has been proved at the time of fighting in kutch area. Mr. Kosygin supported the stand taken by Mr. Wilson. It is further proved at the time of 1965-Conflict. At the time concluding Tashkent Agreement, the U.S.S.R. interfered in our internal affair by putting a pressure on Shri Lal Bahadur Shastri to accept the agreement. But the spokesmen of our foreign Ministry say that there is no change in Russian policy towards India. Moreover, the U.S.S.R.

never contr adicted it that there is a shift in Russian policy towards India. Therefore, I would like to ask the reason why the spokesmen of the Ministry for External Affairs mislead the people of this Country. Secondly why did our President not insist on inclusion of reference to this serious matter in the joint communique? Are the Government not following the wrong foreign policy in respect of all the big powers namely Britain, China, America and Russia.

Shrimati Indira Gandhi: The hon. Member has expressed his views instead of putting the questions. As I gather from his speech, he wants that we should do such things as will make Russia to go against India. Now it is not 1954 and we are acting in the changed circumstances in the way which will safeguard the interests of our country as well as the interests of the world. Moreover, we have no right to ask U.S.S.R. not to supply the arms to Pakistan What we can do is only to convey our concern over this matter to them and we have done. As regards the joint communique. it is not customary to include dissenting notes in the joint Communique of two Countries.

स्थगन प्रस्ताव
MOTION FOR ADJOURNMENT.

रूस द्वारा पाकिस्तान को शस्त्रास्त्र की सप्लाई

अध्यक्ष महोदय: इस विषय पर मुझे श्री पीलू मोडी तथा अन्य सदस्यों के 22 स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। मैं स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति देता हूं। प्रस्ताव का विषय है :

"पाकिस्तान को शस्त्रास्त्र तथा घातक हथियार सप्लाई करने के लिये रूस के सहमत हो जाने से स्पष्ट दृष्टिगोचर होने वाली भारत सरकार की विदेश नीति की असफलता।"

श्री पीलू मोडी (गोधरा) : मैं अपना स्थगन प्रस्ताव पेश करने की अनुमति मांगता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या इस पर किसी को आपत्ति है।

संसद्-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : हम इसका विरोध करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : जो सदस्य इस प्रस्ताव को अनुमति दिये जाने के पक्ष में हैं वे अपने स्थानों पर खड़े हो जायें। (कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए)

अध्यक्ष महोदय : चूंकि 50 सदस्यों से अधिक सदस्य प्रस्ताव का समर्थन कर रहे हैं, इस लिये अनुमति दी जाती है। यह विषय 3 बज म० प० लिया जायेगा।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) बिहार राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई दिनांक 29 जून, 1968 की उद्घोषणा की एक

प्रति, जो संविधान के अनुच्छेद 356(3) के अन्तर्गत दिनांक 29 जून, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1228 में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) उपरोक्त उद्घोषणा के खण्ड (ग) के उप-खण्ड (एक) के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा दिये गये दिनांक 29 जून, 1968 के आदेश की एक प्रति ।

(2) बिहार के राजपाल द्वारा राष्ट्रपति को दिये गये दिनांक 26 जून, 1968 के प्रतिवेदन की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1318/68]

संसद्-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): मैं संविधान के अनुच्छेद 123 (2) (क) के उपबन्धों के अन्तर्गत निम्नलिखित अध्यादेश की एक एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) अधिवक्ता (संशोधन) अध्यादेश, 1968 (1968 का संख्या 3) जो राष्ट्रपति द्वारा 5 जून, 1968 को प्रख्यापित किया गया था ।

(दो) अचल सम्पति का अधिग्रहण और अर्जन (संशोधन) अध्यादेश, 1968 (1968 का संख्या 4) जो राष्ट्रपति द्वारा में 17 जून, 1968 को प्रख्यापित किया गया था ।

(तीन) सरकारी भूगृहादि (अवैध कब्जा निष्कासन) संशोधन अध्यादेश, 1965 (1968 का संख्या 5) जो राष्ट्रपति द्वारा 17 जून, 1968 को प्रख्यापित किया गया था ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1319/68]

(चार) स्वर्ण (नियंत्रण) अध्यादेश, 1968 (1968 का संख्या 6) जो राष्ट्रपति द्वारा 29 जून, 1968 को प्रख्यापित किया गया था ।

(पांच) शत्रु सम्पति अध्यादेश, 1968 (1968 का संख्या 7) जो राष्ट्रपति द्वारा 6 जुलाई, 1968 को प्रख्यापित किया गया था ।

(छ:) भारतीय पेटेन्ट और डिजाइन (संशोधन) अध्यादेश, 1968 (1968 का संख्या 8) जो राष्ट्रपति द्वारा 6 जुलाई, 1968 को प्रख्यापित किया गया था ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1320/68]

औद्योगिक विकास तथा समवाय-कार्य मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): मैं लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 71(2) के अन्तर्गत भारतीय पेटेंट तथा डिजाइन (संशोधन) अध्यादेश, 1968 द्वारा तुरन्त विधान बनाने के कारण बताने वाले व्याख्यात्मक विवरण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

खाद्य, कृषि, सामदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी): मैं उत्तर प्रदेश गांव पंचायतों और क्षेत्र समितियां (कार्याकाल बढ़ाना) अधिनियम, 1968 (राष्ट्रपति का 1968 का अधिनियम संख्या 4) की एक प्रति जो उत्तर प्रदेश राज्य बिधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1968 की धारा 3 की उपधारा (3) के

अन्तर्गत दिनांक 2 मई, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था; सभा पटल पर रखता हूं ।

पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1321/68]

निर्माण, आवास तथा सम्भरण मंत्री (श्री जगन्नाथ राव): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

1. लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम, 71(2) के अन्तर्गत अचल सम्पत्ति का अधिगृहण और अर्जन (संशोधन) अध्यादेश, 1968 द्वारा तुरन्त विधान बनाने के कारण बताने वाले व्याख्यात्मक विवरण की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1322/68]

2. लोक परिसर (अप्राधिकृत दखलदारों की बेदखली) संशोधन अध्यादेश, 1968 द्वारा तुरन्त विधान बनाने के कारण बताने वाले व्याख्यात्मक विवरण की एक प्रति ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1332/68]

वित्त मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) दिल्ली संघ क्षेत्र में लागू रूप में बंगाल वित्त (विक्रय कर) अधिनियम, 1951 की धारा 26 की उपधारा (4) के अन्तर्गत दिल्ली विक्रय कर (दूसरा संशोधन) नियम, 1968 की एक प्रति जो दिनांक 30 अप्रल, 1968 के दिल्ली राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ० 4 (83)/67–फिन (ई) (आई) में प्रकाशित हुए थे ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1323/68]

(2) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अन्तर्गत आयकर (तीसरा संशोधन) नियम, 1968 की एक प्रति जो दिनांक 23 मई, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 1856 में प्रकाशित हुए थे । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1324/68]**

(3) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 280 जेड ई के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1042 की एक प्रति जो दिनांक 31 मई, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1323/68]**

(4) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति :—

(एक) एस० ओ० 2063 जो दिनांक 5 जून, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 1324/68]**

(दो) एस० ओ० 2430 जो दिनांक 2 जुलाई, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

(5) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80ग के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2431 की एक प्रति, जो दिनांक 2 जुलाई, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1325/68**]

(6) सम्पत्ति कर अधिनियम, 1957 की धारा 5 के अन्तर्गत जारी की गई निम्न-लिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) एस० ओ० 2064 जो दिनांक 5 जून, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1326/68**]

(दो) एस० ओ० 2432 जो दिनांक 2 जुलाई, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 1327/68**]

(7) औषधीय तथा सौंदर्य प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) अधिनियम, 1955 की धारा 19 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत औषधीय तथा सौंदर्य प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) तीसरा संशोधन नियम, 1968 की एक प्रति, जो दिनांक 22 जून, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1158 में प्रकाशित किये गए थे। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 326/68**]

(8) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधि-सूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 47वां संशोधन नियम, 1968, जो दिनांक 11 मई, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 861 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 48वां संशोधन नियम, 1968, जो दिनांक 11 मई, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी०एस० आर० 862 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 49वां संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 11 मई, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 863 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 50वां संशोधन नियम, 1968, जो दिनांक 11 मई, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 864 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 51 वां संशोधन नियम, 1968, जो दिनांक 11 मई, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 865 में प्रकाशित हुए थे।

(छः) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 52वां संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 11 मई, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 866 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय शुल्क उत्पादन निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 53वां संशोधन नियम, 1968, जो दिनांक 18 मई, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 900 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 54वां संशोधन नियम, 1968, जो दिनांक 18 मई, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 901 में प्रकाशित हुए थे।

(नो) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 55वां संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 18 मई, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 902 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 56वां संशोधन नियम, 1968, जो दिनांक 25 मई, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 978 में प्रकाशित हुए थे।

(ग्यारह) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 57वां संशोधन नियम, 1968, जो दिनांक 25 मई, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 979 में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 58वां संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 25 मई, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 980 में प्रकाशित हुए थे।

(तेरह) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 59वां संशोधन नियम, 1968, जो दिनांक 25 मई, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 981 में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 60वां संशोधन नियम, 1968, जो दिनांक 25 मई, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 982 में प्रकाशित हुए थे।

(पन्द्रह) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 61वां संशोधन नियम, 1968, जो दिनांक 25 मई, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 983 में प्रकाशित हुए थे।

(सोलह) जी० एस० आर० 986 जो दिनांक 25 मई, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जिसमें दिनांक 4 मई, 1968 की जी० एस० आर० 9795 का शुद्धिपत्र दिया हुआ है।

(सत्रह) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 62वां संशोधन नियम, 1968, जो दिनांक 18 जून, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1122 में प्रकाशित हुए थे।

(अठारह) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 63वां संशोधन नियम, 1968, जो दिनांक 15 जून, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1123 में प्रकाशित हुए थे।

(उन्नीस) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 64वां संशोधन नियम, 1968, जो दिनांक 15 जून, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1124 में प्रकाशित हुए थे।

(बीस) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 65वां संशोधन नियम, 1968, जो दिनांक 15 जून, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1125 में प्रकाशित हुए थे।

(इक्कीस) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 66वां संशोधन नियम, 1968, जो दिनांक 15 जून, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1126 में प्रकाशित हुए थे।

(बाईस) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 67वां संशोधन नियम, 1968, जो दिनांक 15 जून, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1127 में प्रकाशित हुए थे।

(तेईस) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 68वां संशोधन नियम, 1968, जो दिनांक 15 जून, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1128 में प्रकाशित हुए थे।

(चौबीस) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 69वां संशोधन नियम, 1968, जो दिनांक 29 जून, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1210 में प्रकाशित हुए थे।

(पच्चीस) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 70वां संशोधन नियम, 1968, जो दिनांक 29 जून, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1211 में प्रकाशित हुए थे।

(छब्बीस) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 71वां संशोधन नियम, 1968, जो दिनांक 29 जून, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1212 में प्रकाशित हुए थे।

(सत्ताईस) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 72वां संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 29 जून, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1213 में प्रकाशित हुए थे।

(अट्ठाईस) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 73वां संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 29 जून, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1214 में प्रकाशित हुए थे।

(उनतीस) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 74वां संशोधन नियम, 1968, जो दिनांक 29 जून, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1215 में प्रकाशित हुए थे।

(तीस) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 75वां संशोधन नियम, 1968, जो दिनांक 29 जून, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1216 में प्रकाशित हुए थे।

(इकत्तीस) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 76वां संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 29 जून, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस०, आर० 1217 में प्रकाशित हुए थे।

(बत्तीस) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 77वां संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 29 जून, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1218 में प्रकाशित हुए थे।

(तेंतीस) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 78वां संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 29 जून, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1219 में प्रकाशित हुए थे।

(चौंतीस) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 79वां संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 29 जून, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1220 में प्रकाशित हुए थे।

(पैंतीस) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 80वां संशोधन नियम, 1968, जो दिनांक 29 जून, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1221 में प्रकाशित हुए थे।

(छत्तीस) सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क वापसी (सामान्य) 81वां संशोधन नियम, 1968 जो दिनांक 29 जून, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1222 में प्रकाशित हुए थे।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—1329/68]

(9) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० एस० आर० 867, जो दिनांक 11 मई, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) जी० एस० आर० 871, जो दिनांक 11 मई, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) जी० एस० आर० 907, जो दिनांक 18 मई, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(चार) जी० एस० आर० 908, जो दिनांक 18 मई, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(पांच) जी० एस० आर० 894, जो दिनांक 25 मई, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(छः) जी० एस० आर० 985, जो दिनांक 25 मई, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(सात) जी० एस० आर० 987, जो दिनांक 25 मई, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(आठ) जी० एस० आर० 988, जो दिनांक 25 मई, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(नौ) जी० एस० आर० 989, जो दिनांक 25 मई, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(दस) जी० एस० आर० 992 जो दिनांक 21 मई, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(ग्यारह) जी० एस० आर० 1037, जो दिनांक 28 मई, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(बारह) जी० एस० आर० 1071, जो दिनांक 8 जून, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(तेरह) जी० एस० आर० 1072, जो दिनांक 8 जून, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(चौदह) जी० एस० आर० 1073, जो दिनांक 8 जून, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(पन्द्रह) जी० एस० आर० 1084, जो दिनांक 5 जून, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(सोलह) जी० एस० आर० 1121, जो दिनांक 15 जून, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(सत्रह) जी० एस० आर० 1129, जो दिनांक 15 जून, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(अठारह) जी० एस० आर० 1130, जो दिनांक 15 जून, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(उन्नीस) जी० एस० आर० 1131, जो दिनांक 15 जून, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(बीस) जी० एस० आर० 1173, जो दिनांक 19 जून, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(इक्कीस) जी० एस० आर० 1266, जो दिनांक 1 जुलाई, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(बाईस) जी० एस० आर० 1267, जो दिनांक 1 जुलाई, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(तेईस) जी० एस० आर० 1272, जो दिनांक 8 जुलाई, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(चौबीस) एस० ओ० 1876, जो दिनांक 1 जून, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(पच्चीस) जी० एस० आर० 1275, जो दिनांक 9 जुलाई, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(छब्बीस) जी० एस० आर० 1276, जो दिनांक 9 जुलाई, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(सत्ताईस) जी० एस० आर० 1313, जो दिनांक 13 जुलाई, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(अठाईस) जी० एस० आर० 1314, जो दिनांक 13 जुलाई, 1968 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०—1310/68]

(10) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (तीसरा संशोधन) नियम, 1968, जो दिनांक 11 मई, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 872 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (पांचवां संशोधन) नियम, 1968, जो दिनांक 25 मई, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 977 में प्रकाशित हुए थे ।

(तीन) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (छटा संशोधन) नियम, 1968, जो दिनांक 29 मई, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1038 में प्रकाशित हुए थे ।

(चार) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (सातवां संशोधन) नियम, 1968, जो दिनांक 31 मई, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1040 में प्रकाशित हुए थे ।

(पांच) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (आठवां संशोधन) नियम, 1968, जो दिनांक 31 मई, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1041 में प्रकाशित हुए थे ।

(छः) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (नवां संशोधन) नियम, 1968, जो दिनांक 22 जून, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1161 में प्रकाशित हुए थे ।

(सात) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (दसवां संशोधन) नियम, 1968, जो दिनांक 29 जून, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1209 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 1968, जो दिनांक 6 जुलाई, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1260 में प्रकाशित हुए थे।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—1331/68)

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : मैं स्थायी सिंधु आयोग के 31 मार्च, 1968 को समाप्त हुए वर्ष के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—1332/68]

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल): मैं संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (3) के अन्तर्गत हरियाणा राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा 21 मई, 1968 को जारी की गई उद्घोषणा की एक प्रति, जिसके द्वारा उनकी 21 नवम्बर, 1967 को जारी की गई उद्घोषणा को प्रतिसंहृत किया गया और जो दिनांक 21 मई, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 949 में प्रकाशित हुई थी, सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—1333/68]**

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया): मैं बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 114 की उपधारा (3) के अन्तर्गत बीमा (संशोधन) नियम, 1968 की एक प्रति, जो दिनांक 8 जून, 1968 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1070 में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—1334/68]**

विशेषाधिकार समिति

COMMITTEE OF PRIVILEGES

पांचवां प्रतिवेदन

श्री खाडिलकर (खेड) : मैं विशेषाधिकार समिति का पांचवा प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

सदस्य द्वारा त्यागपत्र

RESIGNATION OF MEMBER

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित ने 8 जुलाई, 1968 से लोक सभा में अपने स्थान से त्याग-पत्र दे दिया है।

प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTE E.

(सत्तावनवां प्रतिवेदन)

श्री पें० वेंकटासुब्बया (नन्द्याल) : मैं निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्रालय—ग्राम, आवास व्यवस्था के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति के तीसरे प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में प्राक्कलन समिति का 57 वां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

संविधान (संशोधन) विधेयक

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

श्री खाडिलकर (खेड) : मैं भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

संयुक्त समिति के समक्ष साक्ष्य

श्री खाडिलकर : मैं भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य की एक प्रति तथा संयुक्त समिति के समक्ष अपना साक्ष्य देते समय साक्षियों द्वारा बताई गई मुख्य बातों के सारांश के विवरण की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक

INDIAN PENAL CODE (AMENDMENT) BILL

प्रवर समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिये नियत समय का बढ़ाया जाना

श्री तेन्नेटिविश्वनाथम (विशाखापतनम) : मैं निम्न लिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :—

"कि यह सभा भारतीय दण्ड संहिता में आगे संशोधन तथा आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, सम्बन्धी प्रवर समिति का प्रतिवेदन पेश करने के लिये नियत समय को आगामी सत्र के अन्तिम दिन तक बढ़ाती है।"

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव सभा के मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।

The motion was put and adopted

प्रवर समिति में एक सदस्य की नियुक्ति

श्री तेन्नेटिविश्वनाथम : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव सभा-पटल पर रखता हूं :—

"कि यह सभा भारतीय दण्ड संहिता में आगे संशोधन तथा आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, सम्बन्धी प्रवर समिति

के लिए श्री माली मरियप्पा के देहावसान से हुई रिक्तता में श्री ए० एम० काहनडोले को नियुक्त करती है।"

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव सभा के मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।

The Motion was put and adopted.

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) विधेयक

SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES ORDERS (AMENDMENT) BILL

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिये नियत समय का बढ़ाया जाना ।

श्री अनिल कु० चन्दा (भोलपुर) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :

"कि यह सभा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों में कतिपय जातियों तथा आदिम जातियों को सम्मिलित करने और उनसे निकालने, उनके प्रतिनिधित्व के पुनः समायोजन तथा संसदीय तथा विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों के पुनः सीमांकन, जहां तक यह पुनः समायोजन तथा पुनः सीमांकन करना कतिपय अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों को सूचियों से निकालने अथवा उसमें सम्मिलित करने के परिणामस्वरूप आवश्यक हो, तथा तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन पेश करने के लिये नियत समय बजट सत्र (1969) के दूसरे सप्ताह के प्रथम दिन तक बढ़ाती है।"

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव सभा के मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।

The Motion was put and adopted.

संविद श्रमिक (विनियमन तथा उन्मूलन) विधेयक

CONTRACT LABOUR (REGULATION AND ABOLITION) BILL.

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिये समय का बढ़ाया जाना ।

श्री काशी नाथ पाण्डेय (पदरौना) : मैं निम्न लिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :

"कि यह सभा कतिपय संस्थापनों में संविद श्रमिकों के नियोजन का विनियमन करने और कुछ परिस्थितियों में इसे समाप्त करने तथा तत्संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन पेश करने के लिए नियत समय अगले सत्र के प्रथम दिन तक बढ़ाती है।"

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव सभा के मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।

The Motion was put and adopted.

1740 (Ai) LS—13.

सरकार का (दुष्कृति में दायित्व) विधेयक

GOVERNMENT (LIABILITY IN TORT) BILL

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिये नियत समय का बढ़ाया जाना ।

श्री नारायण स्वरूप शर्मा (डुमरियागंज) : श्री श्रीचन्द गोयल की ओर से मैं निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :—

"कि यह सभा दुष्कृति में सरकार के दायित्व की बाबत विधि को परिभाषित और संशोधित करने और उससे संसक्त कतिपय मामलों का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन पेश करने के लिये नियत समय अगले सत्र के अन्तिम दिन तक बढ़ाती है ।"

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव सभा के मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।

The Motion was put and adopted.

लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक

LOKPAL AND LOKAYUKTAS BILL

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिये नियत समय का बढ़ाया जाना ।

श्री राणा : (भड़ौंच) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :—

"कि यह सभा सरकार या कतिपय लोक प्राधिकारियों द्वारा या उनकी ओर से कतिपय मामलों में की गई प्रशासनिक कार्यवाही के अन्वेषण के लिये कतिपय प्राधिकारियों की नियुक्ति तथा कृत्यों का और तत्संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन पेश करने के लिये नियत समय अगले सत्र के प्रथम दिन तक बढ़ाती है ।"

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव सभा के मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ ।

The Motion was put and adopted.

राज्य सभा द्वारा संयुक्त समिति में सदस्य की नियुक्ति के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE: APPOINTMENT OF A MEMBER TO JOINT COMMITTEE BY RAJYA SABHA

श्री राणा : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :—

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा सरकार या कतिपय लोक प्राधिकारियों द्वारा या की ओर से कतिपय मामलों में की गई प्रशासनिक कार्यवाही के अन्वेषण के लिये कतिपय प्राधिकारियों की नियुक्ति तथा कृत्यों का

और तत्संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के लिये, श्री हरिश्चन्द्र माथुर के देहावसान से हुई रिक्तता में, राज्य सभा का एक सदस्य नियुक्त करे और संयुक्त समिति के लिये राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नियुक्त किये गये सदस्य का नाम इस सभा को बताये।"

अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव सभा के मतदान के लिये रखा गया तथा स्वीकृत हुआ।

The Motion was put and adopted.

अविश्वास प्रस्ताव के बारे में

RE: MOTION OF NO-CONFIDENCE

अध्यक्ष महोदय : श्री विश्वानाथन, आपने एक अविश्वास प्रस्ताव भेजा है।

श्री तेन्नेटिविश्वानाथम : स्थगन प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने के कारण अब मैं उस प्रस्ताव को प्रस्तुत नहीं करना चाहता।

स्वर्ण (नियंत्रण) विधेयक

GOLD (CONTROL) BILL

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि लोक समाज के आर्थिक हित और वित्तीय हित में सोने, सोने के आभूषणों तथा सोने की बनी अन्य वस्तुओं के उत्पादन, निर्माण, सप्लाई, वितरण, प्रयोग और इन्हें रखने तथा इनके व्यापार के नियंत्रण के लिये तथा तत्सम्बन्धी अथवा आनुषंगिक विषयों के लिये उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

चार सदस्यों की गिरफतारी, दोष-सिद्धि तथा रिहाई

ARREST, CONVICTION AND RELEASE OF FOUR MEMBERS

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को यह सूचित करना है कि 21 जुलाई, 1968 को मुझे दिल्ली के प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट से निम्नलिखित पत्र मिला है :—

"कि लोक सभा के सदस्य सर्व श्री यज्ञदत्त शर्मा, कंवरलाल गुप्त, रामस्वरूप विद्यार्थी और हरदयाल देवगुण को, जिन्हें दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत निषेधादेश का उल्लंघन करते हुए कनाट सर्कस क्षेत्र में प्रदर्शन करने के कारण 21 जुलाई, 1968 को गिरफ्तार किया गया था, विचारण के लिए 21 जुलाई, 1968 को उनके सामने पेश किया गया। विचारण के दौरान उन्होंने अपराध स्वीकार कर लिया और और दोष सिद्ध होने पर सदस्यों को उस दिन न्यायालय

के उठने तक कारावास का दण्ड दिया गया और न्यायालय के उठने के बाद रिहा कर दिया गया।"

(इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई।)

(The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock).

(लोक-सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् दो बजे म० प० पुनः समवेत हुई।)

(The Lok Sabha re-assembled after Lunch at fourteen of the Clock.)

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

स्वर्ण (नियन्त्रण) विधेयक

GOLD (CONTROL) BILL

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं प्रस्तुत विधेयक का विरोध करता हूं। सोने पर नियंत्रण लगाने से उस ध्येय की पूर्ति नहीं हुई जिसके लिए नियन्त्रण लगाया गया था। इसलिए देश स्वर्णकारों तथा सरकार के हित में इस प्रकार की कार्यवाही को बन्द कर देना चाहिये। सरकार को यह बात स्वीकार करनी चाहिये कि वह स्वर्ण नियंत्रण के सम्बन्ध में असफल रही है। इस विधेयक के तीन प्रयोजन थे। पहला सोने के मूल्य में कमी होना, जिसकी तुलना अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य के साथ हो सकेगी। दूसरे सोने का चोरी छिपे लाना और ले जाना कम हो जायेगा और तीसरे छिपा हुआ सोना बाजार में आ जायेगा। सोने का तस्कर व्यापार पहले से भी बढ़ गया है। अतः यह विधेयक वापिस लिया जाना चाहिये।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): I may point out that extensive powers have been given to the Government in provision 115 of the Bill. If all these powers are given to Government it will bring only injustice to the mankind. It has been observed that only lower class of people, have been affected adversly by implementing of this Act.

श्री द्वा० ना० तिवारी (गोपालगंज) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य बहुत सी अन्य बातों का उल्लेख कर रहे हैं जैसे मानो विधेयक पर चर्चा हो रही हो।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को केवल विधायी सक्षमता के विषय में अपने विचार व्यक्त करने चाहिये।

Shri Madhu Limaye : Now emergency is over and such exhaustive powers and particularly delegated legislation cannot be called legal in the new set of circumstances. It may be recalled that two years before we had raised the issue of 153 kg of gold which was with Shri Sukhadia, Chief Minister of Rajasthan. Government should take over this gold and let this House know whether that gold has been deposited in the Reserve Bank of India. Government should remove Shri Sukhadia from office and legal actions should be taken against him.

उपाध्यक्ष महोदय : यह बात मुख्य मामले के साथ सम्बद्ध नहीं है।

Shri George Fernandes (Bombay-South): I want to refer to clause 118 of this Bill. If the question of delegated legislation is referred to the court, it would be held illegal. Government want to have enormous at their disposal. In my opinion it is an undemocratic action of the Government. It amounts to abuse of power. It has been stated that this is a bill to provide in the economic and financial interest of the Community for the control of the production, manufacture, supply, distribution etc. As goldsmiths are most affected by this Bill, they should have been taken into confidence. Their plight has become miserable and many of them have committed suicide. I would therefore suggest that they should at least be consulted in this matter.

In view of clause 118, this Bill cannot be introduced here and powers sought are against the provisions of the constitution.

Shri D. N. Tiwary (Gopalganj): I have heard many Members but none of them have said whether this House is competent to discuss this issue. In my opinion this House is fully competent to discuss this issue. This amendment is being introduced keeping in view the difficulties experienced in the implementation of this legislation. The House has every right to discuss this amendment.

श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी (मंदसौर) : खण्ड 115 में उन विभिन्न विषयों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है जिनके सम्बन्ध में नियम बनाये जाने चाहियें। इसलिये खण्ड 118 की बिल्कुल कोई आवश्यकता नहीं है। यह खण्ड शक्ति प्रस्ताव भी हो सकता है। अतः इस खण्ड को हटा दिया जाना चाहिये। इस खण्ड में कहा गया है कि यदि अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने में कोई कठिनाई सामने आयी तो केन्द्रीय सरकार द्वारा आदेश जारी करके कोई भी कार्यवाही की जा सकती है। यह बात बिल्कुल अनुचित है। संसद् सरकार को कोई भी कार्यवाही करने के अधिकार नहीं दे सकती।

खण्ड 40 में कहा गया है कि कोई व्यक्ति पुनर्वास ऋण को कहीं बेकार नष्ट कर देता है तो उसे लाइसेंस वापिस नहीं मिलेगा। क्या वह ऐसी स्थिति में अपने पुराने कार्य को नहीं कर सकता? यह तो उसे मूलभूत अधिकार से वंचित करना है। अतः यह उपबन्ध संविधान के विरुद्ध है। अतः इस खण्ड को भी वापिस लिया जाना चाहिये।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (हावड़ा) : खण्ड 118 संविधान के विरुद्ध नहीं है। स्वर्ण (नियन्त्रण) अधिनियम, 1965 को क्रियान्वित करने में कठिनाई अनुभव होने के कारण इस विधेयक को प्रस्तुत करने की आवश्यकता पड़ी है। इस अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने से होने वाली कठिनाइयों के साथ निपटने के लिये सरकार कुछ अधिकार प्राप्त करनी चाहती है। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में सरकार द्वारा कुछ अधिकार प्राप्त करने के लिये केन्द्रीय सरकार पूर्ण रूप से सक्षम है।

श्री शिव नारायण (बस्ती) : क्या आप अब इस विधेयक पर पूरी चर्चा करने की अनुमति दे रहे हैं?

The Deputy Prime Minister and the Minister of Finance (Shri Morarji Desai): Some people are of the opinion that this law is of no use. It cannot serve any purpose. Gold Control order is very much necessary for our Country because whole of our economy is being spoilt because of its absence. It is not correct to say that law will not help in this regard. When the law was first made in 1963 it had to fall in the price of gold by 30 per cent within three months. It was relaxed due to pressure. This Bill has been brought with intention to keep the price low. I am not satisfied with the present Bill and in my opinion more strict law should be there. We have to create atmosphere for this Bill. For the time being I have brought this bill for acceptance only. It is not proper to say that the present Bill is not able to serve its purpose.

The Goldsmith should not have any opposition. Their primary opposition was regarding 14 Carat gold that did not exist now. Do you think that smuggled gold should be allowed to come ? If you do not like this then what is the difficulty in this Bill.

It is not correct to say that goldsmiths should be consulted in this matter. In the case of Income Tax Law people are not consulted before. Alike capitalists I have also met goldsmiths. Therefore it is not proper to say that I am not aware about their difficulties.

The question of sending it to Select Committee does not arise. It had already been sent to Select Committee and a lot of discussion was made on it. Therefore, I am not prepared to send it to Select Committee again.

The Government should have some power in its hands. Parliament have full powers. It can delegate power to states. So it cannot be illegal after its acceptance by the Parliament. I have thoroughly examined this law and I admit that this law is perfect. Therefore, I cannnot accept this opposition.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक समाज के आर्थिक और वित्तीय हित में, सोने, सोने के आभूषणों तथा सोने की बनी अन्य वस्तुओं के उत्पादन, निर्माण, सप्लाई, वितरण, प्रयोग और इन्हें रखने तथा इनके व्यापार के नियन्त्रण के लिए तथा तत्सम्बन्धी अथवा आनुषंगिक विषयों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये।

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ

The Lok Sabha Divided

पक्ष में : 103

विपक्ष में : 61

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं विधेयक प्रस्तुत करता हूं।

अध्यादेश के बारे में विवरण

STATEMENT RE: ORDINANCE

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): मैं लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 71(1) के अन्तर्गत स्वर्ण (नियन्त्रण) अध्यादेश, 1968 द्वारा तुरन्त विधान बनाने के कारण बताने वाले व्याख्यात्मक विवरण की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ?

न्यायाधीश जांच विधेयक

JUDGES (INQUIRY) BILL

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : मुझे श्री यशवन्तराव चव्हाण की ओर से उच्चतम न्यायालय अथवा किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के कदाचार या असमर्थता की जाँच तथा उसे सिद्ध करने की और संसद् द्वारा राष्ट्रपति के समक्ष समावेदन रखने की

प्रक्रिया का विनियमन करने तथा तत्सम्बन्धी विषयों सम्बन्धी विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"उच्चतम न्यायालय अथवा किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के कदाचार या असमर्थता की जाँच तथा उसे सिद्ध करने की और संसद् द्वारा राष्ट्रपति के समक्ष समावेदन रखने की प्रक्रिया का विनियमन करने तथा तत्सम्बन्धी विषयों सम्बन्धी विधेयक को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : मैं विधेयक प्रस्तुत करता हूं ।

अचल सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन (संशोधन) विधेयक

REQUISITIONING AND ACQUISITION OF IMMOVEABLE PROPERTY (AMENDMENT) BILL.

निर्माण, आवास और पूर्ति मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि अचल सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम, 1952 में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

इससे पहले कि मैं विधेयक की मुख्य बातों के बारे में बताऊं मैं संक्षिप्त रूप में इसकी पृष्ठ भूमि के बारे में बताऊंगा । 1894 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम द्वारा हमें सार्वजनिक हित के लिये भूमि को अर्जित करने के अधिकार प्राप्त हैं । 1947 के पश्चात् अचल सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम पारित किया गया । पहले यह अस्थायी अधिनियम था और 1952 के बाद यह अधिनियम लागू किया गया । 1952 का यह अधिनियम 13 मार्च, 1970 को समाप्त हो गया । चीनी आक्रमण के समय भारतीय प्रतिरक्षा अधिनियम पारित किया गया । प्रतिरक्षा मन्त्रालय द्वारा देश की रक्षा और सैनिक कार्यवाही को सफल बनाने के लिये 74,57,50 एकड़ भूमि और लगभग 208 मकान अधिग्रहण किये गये । इस समय भी लगभग 65916 एकड़ भूमि और लगभग 200 मकान अधिग्रहण के अन्तर्गत हैं जिनका मूल्य लगभग 35 करोड़ रुपये है । बहुत सी अधिग्रहित की गई भूमि पर मकान बनने आरम्भ हो गये हैं और यह स्थायी हैं । इन सब परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक हो गया है कि अचल सम्पत्ति अधिग्रहण अधिनियम जारी किया जाये और इसी प्रयोजन के लिये मई, 1968 के अन्त में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया ।

आपको ज्ञात है कि 10 जनवरी, 1962 को आपातकाल स्थिति की समाप्ति पर भारतीय रक्षा अधिनियम समाप्त कर दिया गया था । यह विधेयक पहले भी प्रस्तत किया गया था परन्तु पिछले अधिवेशन में पारित नहीं किया जा सका । अतः 10 जून को अध्यादेश जारी किया गया था ।

सरकार ने धारा 8(3), उप-खण्ड (ख) का संशोधन करने के लिये संशोधन का लाभ उठाया है जो क्षतिपूर्ति की अदायगी के बारे में है । इस खण्ड को उच्चतम न्यायालय ने समाप्त कर दिया था क्योंकि इससे संविधान के अनुच्छेद 31(2) का उल्लंघन होता था । अतः इस विधेयक से हम खण्ड (ख) को हटा रहे हैं और उच्चतम न्यायालय के अनुरूप उपबन्ध रख रहे हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री चं० चु० देसाई (साबरकंठा) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं यह विधेयक आपत-काल की अवधि के दौरान पारित किया गया था लेकिन मकान और सम्पत्ति का लगभग 30 वर्षों से अधिग्रहण किया गया है और वे सरकार के कब्जे में हैं । हम सरकार से यह जानना चाहते हैं कि उन सम्पत्तियों का अधिग्रहण समाप्त करने के लिये उसका भविष्य का क्या कार्यक्रम है । दूसरे, मुआवजे की अदायगी सम्बन्धी उपबन्ध बिल्कुल स्पष्ट नहीं है । आरम्भ में एक उपबन्ध था जिसे उच्चतम न्यायालय ने समाप्त कर दिया । हम यह बिल्कुल स्पष्ट करना चाहते हैं कि अधिग्रहण करते समय सम्पत्ति का जो बाजार का मूल्य होगा उसके अनुसार मुआवजा दिया जायेगा और भूमि अर्जन अधि-नियम के सभी उपबन्धों और इसके आधीन सामान्य प्रक्रियाओं तथा प्रथाओं का अनुसरण किया जायेगा और इसका अधिग्रहण करते समय उन पर अमल किया जायेगा । हम सरकार से स्पष्ट आश्वा-सन चाहते हैं कि क्या वह मुआवजे के भुगतान के समय कानून का पूर्णतया पालन करेगी ।

यह विशेष उपबन्ध आपतकाल स्थिति में किया गया था । अब इसको जारी रखना कहाँ तक न्यायोचित है । एक ओर तो सरकार कहती है कि आपत स्थिति समाप्त हो गई और दूसरी ओर वह कहती है कि भारत तथा रक्षा अधिनियमों के अधीन ली गई शक्तियाँ अब वैध हैं और वही कानून लाया गया है । यदि यह विशेष उपबन्ध आपतकाल स्थिति के कारण किया गया था तो आपतकाल स्थिति के समाप्त होने पर वास्तव में अर्जन की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिये थी ।

सरकार के साधन गैर-सरकारी साधनों से अधिक हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : स्थगन प्रस्ताव की समाप्ति के पश्चात्, माननीय सदस्य, यदि चाहें तो अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

स्थगन प्रस्ताव

ADJOURNMENT MOTION.

रूस द्वारा पाकिस्तान को शस्त्रास्त्र सप्लाई किया जाना

श्री पीलू मोडी (गोधरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं "कि सभा को अब स्थगित किया जाना चाहिये ।"

हमारे शासक इसी ही भ्रम में रहे कि भारत की महानता एक एतिहासिक तथ्य है और हम संसार को मन्त्रणा और नैतिकता के उपदेश देते रहे । दुर्भाग्यवश जब चीन ने 1962 में हमारे ऊपर आक्रमण किया तब हमारा यह भ्रम दूर हुआ ।

अब रूस पाकिस्तान को हथियार सप्लाई कर रहा है । इस बात की किसी को जानकारी नहीं है कि वह कौन कौन से हथियार सप्लाई कर रहा है और वह ऐसा क्यों कर रहा है ?

पाकिस्तान को हथियार देने के चाहे जो भी कारण हों परन्तु प्रश्न यह है कि क्या रूस को इस तथ्य की जानकारी नहीं है कि पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने से हमारे देश के लिये कठिनाई उत्पन्न हो रही है ? क्या इसे हमें अप्रसन्न करने का भय नहीं है ?

प्रधान मन्त्री कोसीगिन के अनुसार पाकिस्तान को हथियार उप-महाद्वीप में शान्ति स्थापित करने के उद्देश्य से किये जा रहे हैं। यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने का निर्णय भारत और रूस की मित्रता को दृष्टिकोण में रखते रूए किया गया है। उन्होंने भारत और रूस के बीच फूट डालने वाले तत्वों की निन्दा की और कहा कि जो भी शक्ति इन देशों के बीच फूट डालने का प्रयास करेगी उसको समाप्त कर दिया जायेगा।

पाकिस्तान को हथियार सप्लाई किये जाने से रूस और पाकिस्तान के बीच सुदृढ़ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध स्थापित होंगे। प्रधान मन्त्री ने स्वयं ही आश्वासन दिया कि रूस द्वारा हथियार दिये जाने के कार्य से हमारा कोई सम्बन्ध नहीं है यद्यपि वह स्वयं इस बात से प्रसन्न नहीं है।

यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि हमने अपनी अर्थ व्यवस्था रूस को बेच दी है और पिछले कुछ वर्षों से हम उनके अधिक से अधिक पंजे में आते जारहे हैं। व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, वैदेशिक नीति और यहाँ तक की हमारी रक्षा में भी वह हमारा खून चूस रहा है। वह रुपयों में भुगतान लेता है जिसका सन्तुलन हमारे पक्ष में है। हमें यह नहीं भूलना चाहिये कि रूस ने एकाधिकारवादी अर्थ-व्यवस्था चालू की और शीत युद्ध के भय से अपनी अर्थ व्यवस्था को माल उत्पादन से हटा कर हथियार उत्पादन में बदल दिया। उसने हमारे कमजोर राष्ट्र की तरह और भी कमजोर राष्ट्रों को खोजा और अपने राजनयिक सम्बन्धों को बढ़ाने के उद्देश्य से शस्त्रागारों का उपयोग किया। इसके परिणामस्वरूप हमारी स्थल सेना, विमान सेना तथा नौसेना रूसी हथियारों से लैस हो गई। इसी कारण हम असहायहो गये हैं और हम रूस को अप्रसन्न करते हुए डरते हैं। यह सरकार की असफल वैदेशिक नीति का प्रतीक है।

दुख की बात यह है कि विश्व के बीस देशों को जिन्हें रूस शस्त्रास्त्र सप्लाई कर रहा है, में केवल भारत ही एक ऐसा देश है जो रूस से प्राप्त होने वाले शस्त्रास्त्रों का पूरा मूल्य दे रहा है दूसरे देश शस्त्रास्त्रों को 10 प्रतिशत कटौती पर प्राप्त कर रहे हैं। रूस हमें इण्डियन एयर लाइन्स के लिये जहाज खरीदने के लिये मजबूर कर रहा है।

व्यापार के मामले में भी भारत रूस को निकल का मूल्य रूस द्वारा अन्य देशों से वसूल किये जाने वाले मूल्य का दुगना दे रहा है। इसी तरह हमें अपने परम्परागत निर्यात की वस्तुओं पर जैसे चाय और काजू के मामले में भी विदेशी मुद्रा की हानि हो रही है। मतलब यह है कि आज जो स्थिति सरकार ने अपनी नीति द्वारा निर्माण कर दी है उसके प्रभाव से हम प्रत्येक मामले में रूस के आश्रित हो रहे हैं।

लोक लेखा समिति ने इस बात को भी प्रकट किया है कि रूपये में भुगतान करने के कारण देश की कितनी हानि हो रही है, मोर्चे पर भेजने के लिए प्रतिरक्षा मंत्रालय को जो टायर दिये गये थे वे खराब थे, जहां तक कि जो ट्रैक्टर हमने प्राप्त किये उनमें से कोई भी परिचालित नहीं हो रहा है। पुर्जे भेजने के लिए सोवियत रूस बहुत ऊंची कीमतें मांग रहा है। वह अपने पुर्जों पर 200 से 300 प्रतिशत तक लाभ कमाकर हमारा शोषण कर रहा है। जब हमने अपने रुपये का अवमूल्यन किया था, और रुपये तथा रूबल की बीच विनिमय-दर निश्चित किया था तो यह रूबल के पक्ष में बहुत ऊंचा निश्चित किया गया था। एक ऐसा विचित्र सुझाव आया है कि हमें अपनी योजनाओं को सोवियत रूस की अर्थ व्यवस्था के अनुसार बनानी चाहिए, ऐसा करने पर, चाहे कितनी ही छोटी बात क्यों न हो हमारे लिए सोवियत रूस के साथ असमहत होना

असम्भव होगा, इस तरह हम उनके उपग्रह (पिछलग्गू) बन जायेंगे और जहां तक कि अन्ततोगत्वा हम उसके गणराज्य बन सकते हैं।

जबकि सोवियत रूस के उपग्रहों (पिछलगुओं) यथा चैकोस्लावाकिया, बुलगारिया, रूमानिया, पोलैंड तथा हंगरी की अर्थव्यवस्थाएं सोवियत अर्थव्यवस्था के चंगुल से निकलने का निष्फल प्रयत्न कर रही है तो हम अपनी योजनाओं को उनकी अर्थव्यवस्था के अनुकूल ढालने की बात कर रहे हैं । सन् 1965 से रूस के राजनयिक ढांचे में परिवर्तन हुआ है और इसका भारत-रूस सम्बन्धों पर कोई अप्रत्यक्ष प्रभाव भी नहीं पड़ा है । भारत की खाड़ी के कार्य तथा रूस के पाकिस्तान के साथ सहयोगी रवैये की ओर न तो सरकार का ध्यान गया और न ही समाचार पत्रों का क्या सोवियत संघ यह आशा करता है कि पाकिस्तान को मजबूत बनाने से भारत भयभीत होगा और उन पुराने हथियारों के लिए दौड़ेगा जिनकी उसके पास असीमित सप्लाई है । रूस का कहना है कि वे रक्षात्मक कार्यों के लिए पाकिस्तान को हथियार दे रहे हैं, यह बात तो समझ में आती है कि पाकिस्तान यह सोचता है कि हम उन पर आक्रमण करेंगे लेकिन यह बात समझ में नहीं आती कि सोवियत रूस पाकिस्तान के मुकाबले में हमारे शन्तिपूर्ण इरादों को नहीं जानता। यदि वह अभी भी हमारे शन्तिपूर्ण इरादों को नहीं जानता है तो यह हमारी वैदेशिक नीति की असफलता का दूसरा पहलू है।

सोवियत रूस को पाकिस्तान को हथियार देने दीजिये, हमें इसकी चिन्ता नहीं। यह उनका अधिकार है । लेकिन हमें अपने आपको रूस की योजनाओं का विदूषक सिद्ध नहीं करना चाहिये, सोवियत रूस के कहने पर ही हमने ताशकन्द समझौता किया था इसे अन्ततोगत्वा इसकी हत्या करने दीजिये । हम ताशकन्द की भावना का अभिनन्दन करते हैं । हम पाकिस्तान के साथ मित्रता करने में विश्वास करते हैं। हम सोवियत रूस का संरक्षण नहीं चाहते हैं। अगर हमारे इतने प्रयत्न करने दर भी पाकिस्तान हम पर आक्रमण करता है तो हम भी अपने तरीके से काम लेंगे। यदि पैटन टैंक हमारे विरूद्ध सफल नहीं हुए तो सोवियत प्रक्षेपणास्त्र (मिसाइलस) और टीयू 16 बाम्बर अधिक सफल होने वाले नहीं हैं।

मैं प्रधान मंत्री महोदया से पूछना चाहूंगा कि क्या उन्हें इस बात पर आश्चर्य है कि रूस पाकिस्थान को हथियार दे रहा है ? क्या उन्हें यह बात मास्को में नहीं बताई गयी थी जिस समय वह सूचना और प्रसारण मंत्री थीं ? इस जानकारी की प्रधान मंत्री बनने पर उन्होंने क्या उपयोग किया ?

पाकिस्तान ने अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी उसने रूस और चीन से दोस्ती की । इस समय केवल एक यही देश है जो, चीन, रूस और अमरीका से हथियार प्राप्त कर रहा है। इसे राजनीति कहते हैं, इधर हम अपनी गुटों से अलग रहने की नीति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, हमें तुष्टीकरण की नीति को छोड़ना चाहिये ।

इस लिये, यदि हमें सोवियत रूस से मित्रता बनानी है तो यह सम्मानपूर्ण शर्त पर होनी चाहिये, यह इस सिद्धान्त पर आधारित होनी चाहिये कि हमें जितनी आवश्यकता उनकी हो उतनी ही आवश्यकता उनको भी हमारी है, और इस सम्मान की रक्षा के लिए हमें उनको बताना चाहिये कि वे पाकिस्तान को मिलटरी हथियार नहीं देंगे, वे हमारे देश की अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हमारे व्यापार व्यापार समझौते केवल वाणिज्यिक आधार पर ही कार्य करेंगे जो दोनों के लिए

परस्पर लाभदायक होंगे, वे हमारी तेल-नीति का संचालन नहीं करेंगे अथवा हमें अपने इस्पात कारखाने कैसे बनाने चाहिये और हमें कौन कौन से जहाज खरीदने चाहिये इस सिलसिले में कोई आदेश नहीं देंगे, रेडियो फीस एण्ड प्रोग्रैस द्वारा निन्दात्मक प्रसारण से हमारे लोगों के मस्तिष्क को दूषित नहीं करेंगे और सर्वप्रथम यह कि हम अपनी योजनाओं को रूस की अर्थव्यवस्था के अनुसार नहीं बनायेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री हनुमन्तय्या (बंगलौर) : यहां केवल एक मात्र समस्या रूस द्वारा पाकिस्तान को हथियार दिये जाने की है, सर्व प्रथम हमारी प्रधान मंत्री ने ही इस बात को स्पष्ट रूप से कहा था कि हमारा देश इस बात से बहुत नाराज है, जब अमेरिका ने पाकिस्तान को सैनिक सहायता दी थी तो हमने उसका विरोध किया था, हमने उनके साथ अपने राजनयिक सम्बन्ध नहीं तोड़े थे और न ही अन्य क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग बन्द किये, वर्तमान मामले में भी सरकार का वैसा ही रवैया है । हम रूस के इस रवैये से प्रसन्न नहीं हैं लेकिन रूस के साथ हमारे प्रत्येक सम्बन्ध में मीनमेक निकालना ठीक नहीं : हम गलती को सुधारने में विश्वास रखते हैं ।

यह कहा जा सकता है कि सोवियत संघ के पाकिस्तान को हथियार देने के लिए सहमत होने के पीछे कुछ इरादा है, कुछ उद्देश्य हैं, यह अमेरिका की भांति मुफ्त सहायता न होकर हथियारों की बिक्री है । सम्पूर्ण भारत दलगत भेदों को ध्यान में न रखते हुए रूस के इस रवैये के प्रति अपनी नराजी प्रकट कर रहा है । मैं नहीं सोचता कि सोवियत सरकार और सोवियत नेता, जो कि भारत के साथ मित्रता को जारी रखने और उसके विकास के पक्ष में हैं हमारी इस नाराजी और असन्तोष पर ध्यान नहीं देंगे ।

श्री पीलू मोडो न केवल वैदेशिक नीति के क्षेत्र में ही भटके गये बल्कि उन्होंने वैदेशिक सहयोग के सम्पूर्ण प्रश्न पर चर्चा कर डाली, मैं विदेशी सहयोगों के अनेक पहलुओं के परीक्षण के पश्चात् यह कहने की स्थिती में हूं कि इनकी अपनी अपनी कहानी है, ये सहयोग 'चेरिटी शो' नहीं है । ये केवल मात्र हमारे देश की सहायता के लिए नहीं है । ये व्यापारिक सौदे हैं, यह संबंधित भारतीयों और विदेशियों की प्रतियोगी बुद्धिमत्ता का प्रश्न है और एक स्थिति में उन्हें इस सौदे से लाभ उठाना हो है । मेरे विचार से इन विदेशी सहयोगों से भारत को पूर्ण लाभ नहीं हुआ है और कई क्षेत्रों में से ये बन्द हो गई हैं और इनसे हमारी विदेशी मुद्रा स्थिति में असन्तुलन आया है । इस बात का अध्ययन करेने के लिए एक आयोग की आवश्यकता है । यह देखना है कि कितने सहयोगों से भारत को लाभ हुआ है और कितनों से नहीं. कितनों को जारी रखने की आवश्यकता है और कितनों को बन्द करने की, इसलिये हर क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें केवल सोवियत रूस को दोषी ठहराया जाये । दूसरे देशों पर अधिक दोषारोपण किया जा सकता है ।

द्वितीय महायुद्ध के बाद दुनियाँ का ढांचा ऐसा बदला कि यह दो गुटों में बंट गई और शीत युद्ध के वातावरण ने सम्पूर्ण विश्व को अपने में लपेट लिया, हमें अपने सम्मान को बचाना था और हम किसी गुट पर निर्भर रहना नहीं चाहते थे, हमने अब तक उस सम्मानपूर्ण गुट निरपेक्षता की नीति को अनवरत बनाये रखा है । कई अवसरों पर हमने सोवियत रूस की बात को नहीं माना । इसी प्रकार कई अवसरों पर हम अमेरिका की बात से सहमत नहीं हुए, यदि हमारी विदेशी नीति की निष्पक्ष जाँच की जाय तो यह विदित हो जायेगा कि हमने गुट निरपेक्षता की नीति का पूर्णतः और सत्यता से पालन किया है ।

[श्री हनुमन्थय्या]

यदि पाकिस्तान को विदेशी सहायता उपलब्ध होती है तो इसमें भारत का क्या दोष है। हमने इन देशों को पाकिस्तान की सहायता करने के लिए नहीं कहा।

यह कहा गया है क्योंकि रूस, अमेरिका तथा चीन की विदेश नीति में परिवर्तन आ रहा है इस लिए भारतीय विदेश नीति में भी परिवर्तन होना चाहिये मैं इस बाद से सहमत हूं कि भारतीय नीति को इसके हितों को ध्यान में रखते हुए बदलना चाहिये, यह विरोधी दल के सदस्यों का उत्तरदायित्व है कि ऐसी स्थिति पैदा करें और अहितकारी रवैया न अपनायें, प्रत्येक विरोधी दल के नेता को जिसे समस्या को एक सामान्य दृष्टिकोण से सुलझाने में रूचि हो इस अवसर से लाभ उठाना चाहिये यह देखने के लिए कि यथासम्भव एक मार्ग पर सहमति हो गई है। सरकार ने जो रूख अपनाया है वह न केवल उचित है बल्कि इतिहास बनायेगा कि जो कदम हमने उठाया है वह बिल्कुल ठीक है।

मैं विरोधी दलों से सहमत हूं कि यदि रूस भारतीय मित्रता के प्रति वफादार है तो उसको अकसाई चीन और नेफा क्षेत्रों को अपने नक्शों में चीन के क्षेत्र के रूप में नहीं दिखलाना चाहिये। राज्य के अध्यक्षों की यात्रायें व्यक्तिगत नमूना हैं जो व्यक्तियों अथवा अधिकारियों को प्रदान की जाती हैं, ऐसी बातों को इतनी गम्भीरता से नहीं लेना चाहिये जितनी गम्भीरता से हम ले रहे हैं, अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के क्षेत्र में केवल इसलिए कि कोई विज्ञप्ति जारी हुई है और किसी राष्ट्रपति ने यात्रा की है ऐसी बातें यह नहीं सूचित करती है कि हमारे सम्बन्ध उनके साथ शतप्रतिशत ठीक हैं। अतः यह तो केवल नम्रता प्रदर्शन करना मात्र है इनको वैदेशिक नीति अथवा स्थायी सम्बध के प्रतीक के रूप में बढ़ा चढ़ा कर नहीं दिखाना चाहिये।

यदि सोवियत संघ हमारे साथ 20 वर्ष पुरानी अपनी मित्रता को बनाये रखना चाहता है तो उन्हें अपने मानचित्रों को ठीक करना पड़ेगा और हमारे मन के संदेहों को दूर करना होगा। दूसरी बात यह देखनी होगी कि क्या वे सामन्तशाही देश की सहायता करके समाजवाद की सहायता कर रहे हैं ? क्या वे एक ऐसे देश की सहायता करके अन्तर्राष्ट्रीय शन्ति में योगदान दे रहे हैं जो कि हमेशा आक्रमण करने की सोचता है ? और क्या 20 वर्ष की मित्रता इस बात के लिए पर्याप्त नहीं है कि वे पाकिस्तान को हथियार बेचने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें ?

भारत में जनमत इतना दृढ़ है कि कोई भी दल इस प्रवाह के विरूद्ध नहीं जा सकता, अगर साम्यवादी दल से भी परामर्श लिया जाता तो यह भी यही कहता कि रूस को पाकिस्तान को शान्ति भंग करने के लिए हथियार नहीं देने चाहिये। एक दिन आयेगा जबकि सोवियत संघ द्वारा उठाये गये मजबूत कदम को विरोधी दलों के सहयोग द्वारा सुधारा जायेगा।

सभापति महोदय : श्री बाजपेयी मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि वे समय-सीमा का ध्यान रखें। वाद-विवाद में बहुत से सदस्यों को भाग लेना है।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Balrampur): The decision taken by Russia to supply arms to Pakistan has passed a situation which should be tackled with power and self-Confidence. The Prime Minister has expressed confidence that Government would be able to meat the situation bravely with the co-operation of the public. But it would have been better if the House had condemned the unanimously socalled decision of Russia and had declared firmly that India would try to be self-reliant and not leave her future at the mercy of big foreign powers. The Prime Minister should herself take the lead in the campaign against the deci-

assurance to the effect that these arms would not be used against us does not carry any weight. We have seen that despite repeated assurances by America, how American arms were used against our country.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।
MR. SPEAKER *in the chair.*]

The Russian policy regarding Pakistan has definitely changed and we have to keep this fact in mind. When China had supplied arms to Pakistan at that time Shri Suslov had criticised China for this. But now Russia itself has been supplying arms to Pakistan. We should express our resentment against the decision of Russia. It is very strange that Government has not so far protested against it.

There has been no change in the policy of Pakistan. As a matter of fact, the policy of Moscow leaders has changed and we should try to realise the implications of this change in policy. On the one hand it was been said that the arms being supplied to Pakistan will not be used against India while on the other it has been assured that these arms will be used only for defence purposes. These two statements are Contradictory.

A hint about the change in policy of Russia was available at the time when Russia had decided to supply helicopters to Pakistan. I would like to ask the Prime Minister what has been done by her to see that Russia does not take such a decision.

After the so-called decision of Soviet Government, to the atitude of Pakistan leaders has changed and they have started threatening on the issue of Kashmir. Therefore it has become evident that the supply of arms to Pakistan would not reduce tension between India and Pakistan and we should think what steps should be taken under the new circumstances.

We are not much perturbed over the supply of arms to Pakistan because we are fully confident that in case concerted efforts are made, we would be able to meet the situation. But our main concern is that Government is not able to take a decision regarding taking such action. Therefore, a No-Confidence Motion should be brought against this Government.

It is really very peculiar that nothing has been mentioned in this respect in the joint communique issued in Moscow after the conclusion of our President's visit of Russia. If before the departure of our President for a tour of Moscow, some information about the matter had become available his tour should have been either cancelled or at least postponed. But the Government does not have courage to do so.

The time demand that there should be reappraised of the foreign policy. The Soviet Union is very eager to fill the power vacum created as a result of withdrawal of Britain from Indian Ocean. Our foreign policy should be more realistic. We should not rely upon the assurances given by Russia that the arms supplied to Pakistan will not be used against India unless such assurances are not included in a treaty.

श्रीमती सुचेता कृपालानी : (गोंडा) : मैं नहीं चाहती कि यह वाद-विवाद आलोचना और प्रति-आलोचना का विषय बन जाय। यह एक ऐसा समय है जब हमें दलगत भावनाओं से उपर उठना चाहिये क्योंकि देश को खतरा है।

यह स्थिति हमारी सरकार की देन नहीं है। सरकार का दोष केवल इतना माना जा सकता है कि जिस समय रूस की नीति में परिवर्तन का आभास सरकार को मिला था, उस समय सरकार को देश को इस परिवर्तन से अवगत कराना चाहिये था। प्रधान

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

मंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा है कि पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने के सोवियत संघ के निर्णय से उत्पन्न स्थिति का मुकाबला जनता के पूर्ण समर्थन से करना चाहिये। किन्तु यह तभी हो सकता है जब हम उपयुक्त समय पर जनता का विश्वास प्राप्त कर सकें। सरकार की गलती के लिये तो उसको दोषी ठहराया जा सकता है, किन्तु वर्तमान स्थिति सरकार ने नहीं उत्पन्न की है अपितु यह रूस की नीति में परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुई है। रूस ने भारत को कश्मीर के मामले में पूर्ण समर्थन देकर हमारे साथ अपने संबंधों की शुरूआत की थी। सुरक्षा परिषद् में हमें रूस के निषेधाधिकार का समर्थन प्राप्त हुआ। किन्तु अब रूस उस स्थिति से हटकर बहुत दूर चला गया है।

ताशकन्द में हुए सम्मेलन में, यह स्पष्ट हो गया था कि रूस ने तटस्थता का रवैया अपनाया था। इससे रूस द्वारा प्रायोजित करार हमारे पक्ष में नहीं था। हमें हाजीपीर, कारगिल और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों को वापस करना पड़ा। इन सब बातों से यह स्पष्ट संकेत मिलता था कि रूस की नीति में भारी परिवर्तन होता जा रहा है। रूस द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई ने हमारे लिये एक सैनिक खतरा पैदा कर दिया है।

इस समय रूस भारत को खुश करने का बहुत इच्छुक है। अब सम्पूर्ण विश्व में एक परिवर्तन सा आ गया है, गुट टूट रहे हैं और प्रत्येक देश अपने स्वार्थ के लिये भरसक प्रयत्न कर रहा है। यह ठीक ही है।

रूस की नीति में परिवर्तन का कारण यह है कि भारत की अपेक्षा पाकिस्तान रूस की सीमा से अधिक निकट है। फिर रूस पेशावर के पास अमरीकी जासूसी अड्डे को समाप्त करने में पाकिस्तान की सहायता करना चाहता है। रूस पाकिस्तान को चीन के प्रभाव से भी मुक्त करना चाहता है। हम रूस की मित्रता बनाये रखने के इच्छुक हैं और रूस को भी हमारे साथ मित्रता बनाये रखने का इच्छुक होना चाहिये। यदि वह मित्रता बनाये रखने का इच्छुक हो, तो उसे ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिये जिससे हमें आघात पहुंचे। अतः रूस को भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ मित्रता बनाये रखने के लिये कोई रास्ता ढूंढ निकालना चाहिये।

प्रश्न यह है कि पाकिस्तान के प्रभाव को समाप्त करने के लिये सरकार को क्या करना चाहिये। विदेशी नीति में हठधर्मिता से काम नहीं चलता है। हमारी नीति ऐसी होनी चाहिये कि स्थिति पर निरन्तर पुनर्विचार करके उसमें परिवर्तन किया जा सके। किसी भी विदेश नीति की महत्वपूर्ण बात यह है कि वह देश के हित में होनी चाहिये। इसलिये हमारी विदेश नीति में भारत के हित को सबसे अधिक महत्व दिया जाना चाहिये।

हमारे राष्ट्रपति और सोवियत संघ द्वारा जारी की गई संयुक्त विज्ञप्ति में यह दृष्टिकोण अपनाया गया है कि अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं पर दोनों देशों के दृष्टिकोण लगभग समान हैं। इसीलिये ये दोनों देश अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में लड़ाई रोकने में प्रभावशाली ढंग से सहयोग करने में सफल रहे। मेरे विचार से यह हास्यास्पद लगता है। मैं जानना चाहती हूं कि रूस की हथियारों की सहायता से इस उप-महाद्वीप में शान्ति के वातावरण

को बढ़ावा मिलता है या शीत युद्ध शुरू हो रहा है। वस्तुतः इससे शीत युद्ध की स्थिति पैदा हो गई है।

इसके बाद जिससे हमें आघात पहुंचा है यह है कि भारत और पाकिस्तान को समान स्तर पर रखने के प्रयत्न में वक्तव्य में कहा गया है कि रूस भारत और पाकिस्तान के संबंधों को सामान्य बनाने में दोनों पक्षों के प्रयत्नों की सराहना करता है।

पाकिस्तान न केवल ताशकंद घोषणा की क्रियान्विति में ही सहायता नहीं कर रहा बल्कि वह इस काम में बाधायें भी डाल रहा है। पाकिस्तान ने पुरानी समस्याओं को हल करने के स्थान पर बांध का नया झगड़ा शुरू कर दिया है। इस मामले को अन्तर्राष्ट्रीय आयोग को सौंपने का परामर्श हमें दिया गया है। यदि रूस कोई ऐसी कार्यवाही करता है जिससे हमारी भावनाओं को धक्का लगता है और जो हमारे हितों के विरुद्ध जाती हो तो हमें उनको यह बता देना चाहिये कि पिछले बीस वर्ष से हमारी उनकी मित्रता रही है अतः उनको ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिये जो हमारे विरुद्ध जाता हो।

मैं नहीं जानती कि राष्ट्रपति को संयुक्त विज्ञप्ति के बारे में किसने परामर्श दिया है क्योंकि इससे ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति के भी विचार यही हैं। मुझे विश्वास है कि यदि राष्ट्रपति के विचार ऐसे ही हों तो भी भारत के लोगों के विचार ऐसे नहीं हैं। अतः लोगों के क्षुब्ध होने का कारण समझ में आता है। परन्तु मैं अपील करूंगी कि इस स्थिति से राजनैतिक लाभ उठाने का प्रयत्न न किया जाये। यह स्थगन प्रस्ताव का समय नहीं है। इसे वापस ले लिया जाना चाहिये। हमें आपस में बैठकर यह सोचना चाहिये कि देश को किस प्रकार मजबूत किया जा सकता है तथा सरकार के हाथ किस प्रकार मजबूत किये जा सकते हैं जिससे कि वह स्थिति का मुकाबला कर सके।

अध्यक्ष महोदय : संसद् सदस्यों से निवेदन है कि वह दस मिनट से अधिक समय न लें।

श्री मनोहरन (मद्रास–उत्तर) : रूस और पाकिस्तान के बीच होने वाले समझौते के बारे में देश में तथा सभा में दलों के नेताओं ने जो चिन्ता, उत्सुकता तथा शंका व्यक्त की है वह ठीक ही है। परन्तु मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि किसी भी सदस्य ने अनावश्यक तौर पर भावनाओं का प्रदर्शन नहीं किया अथवा आलोचना नहीं की जिससे भारत और रूस के सम्बन्धों में तनाव उत्पन्न हो।

हम इस बात की उपेक्षा नहीं कर सकते कि पिछले बीस वर्षों से रूस ने अनेक क्षेत्रों में हमारी सहायता की है जिसके लिये हम उसके आभारी हैं। उदाहरणतया प्रतिरक्षा, इस्पात, तेल तथा उर्वरक आदि में रूस ने जो हमारी सहायता की है उसको भुलाया नहीं जा सकता। हमें रूस को यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि वह पाकिस्तान को सशस्त्र सहायता न दे।

मैं यह जानना चाहता हूं कि रूस गत बीस वर्षों से हमारा मित्र रहा है परन्तु अब वही मित्र हमारा शत्रु हो गया है। इसके लिये कौन जिम्मेदार है? भारत और रूस के सम्बन्धों में तनाव उत्पन्न करने के लिये कौन जिम्मेदार है? यदि हम पिछले बीस वर्षों के अपने रिकार्ड को देखें तो पता चलेगा कि अधिक मित्र बनाने की अपेक्षा हम अपने मित्रों से हाथ धोते जा रहे हैं। इसके विपरीत पाकिस्तान विश्व में अधिक मित्र बनाने में सफल

[श्री मनोहरन]

हुआ है। अतः मेरा विश्वास है कि हमारी राजनीति सभी क्षेत्रों में बुरी तरह असफल हुई है।

प्रधान मंत्री ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि रूस और अमरीका घटनाओं के अनुसार अपनी नीतियों में परिवर्तन कर रहे हैं। मेरा प्रश्न यह है कि क्या हम भी अपनी वैदेशिक-कार्य नीति में परिवर्तन करते रहे हैं अथवा कर रहे हैं अथवा भविष्य में करने का इरादा है। जहां तक गुटनिरपेक्षता की नीति का प्रश्न है सरकार ने इस नीति का बिल्कुल भी अनुसरण नहीं किया है। विदेश नीति पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

वर्तमान मामले में समूचे देश को प्रधान मंत्री द्वारा अथवा सरकार द्वारा अन्धेरे में रखा गया है। उप-प्रधान मंत्री ने ठीक ही कहा है कि हमें इस बात की चिन्ता नहीं कि पाकिस्तान को कितने हथियार मिल रहे हैं बल्कि चिन्ताजनक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रूस के रवैये में परिवर्तन हुआ है। परन्तु प्रधान मंत्री ने इस बात को स्वीकार नहीं किया है। जैसा कि श्रीमती सुचेता कृपालानी ने कहा रूस के रवैये में दो वर्ष पूर्व अतः ताशकंद घोषणा के समय ही परिवर्तन हो गया था। घटनाओं के अध्ययन के लिए सरकार के पास पूरे दो वर्ष थे। इसके अतिरिक्त विदेशों में हमारे मिशन हैं, वैदेशिक कार्य मंत्रालय तथा आसूचना विभाग हैं। क्या इन लोगों ने प्रधान मंत्री को रूस के रवैये में हो रहे परिवर्तन के बारे में बताया है? मेरा निवेदन है कि विदेशों में काम कर रहे हमारे राजनैतिक मिशन पूर्णतया असक्षम हैं। अतः मिशनों तथा वैदेशिक-कार्य मंत्रालय के कार्यसंचालन की जांच की जानी चाहिए और वहां पर सक्षम व्यक्ति नियुक्त किये जाने चाहिएं। जहां तक रूस-स्थित हमारे राजनैतिक मिशन का सम्बन्ध है, उसने प्रधान मंत्री तथा देश को गुमराह किया है, वह रूस के नेताओं की मानसिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करने तथा उनको समझने में असफल रहा है, उसका परिणाम यह है कि आज हम रूस सरकार का ठीक रवैया जानने की स्थिति में नहीं हैं। प्रधान मंत्री भी यह नहीं कह सकतीं कि रूस और पाकिस्तान के बीच करार हो गया है अथवा नहीं।

अन्त में मेरा निवेदन है कि सरकार को रूस-स्थित मिशन के असफल रहने के कारणों का पता लगाना चाहिये और वहां पर सक्षम व्यक्ति नियुक्त किये जाने चाहियें। दूसरे हमें रूस को इस मामले पर पुनर्विचार करने के लिये कहना चाहिये। रूस को यह भी बता देना चाहिये कि भारत के लोग इस मामले पर बहुत क्षुब्ध हैं। सरकार को इस घटना से सबक लेना चाहिये और अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करना चाहिये। हमें अपने पांव पर खड़ा होने का प्रयत्न करना चाहिये।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि हमें इस मामले पर आवश्यकता से अधिक प्रतिक्रिया नहीं दिखानी चाहिये। रूस के साथ पिछले 20 वर्षों में हमने जो मित्रता बनाई है उसे एकदम समाप्त कर देना भी ठीक नहीं है। कुछ माननीय सदस्यों ने ऐसी बातें भी कही हैं जिनसे यह पता लगता है कि विश्व के सभी देशों के सम्बन्धों के लिये भारत जिम्मेदार है और कि भारत ही उन पर नियंत्रण करता है परन्तु ऐसी बात नहीं है।

विरोधी दलों ने यह कहा है कि हमारी विदेश नीति में कट्टरता है। परन्तु इस कट्टरता के लिये केवल सरकार को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। इसके लिए विरोधी दल भी

बराबर के जिम्मेदार हैं। वास्तव में हमारी विदेशी नीति प्रक्रियाओं पर आधारित है। जब कभी भी अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर चर्चा होती है तभी गलतियों की व्यवस्था की जाती है। वास्तव में प्रत्येक राष्ट्र ने अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में गलतियां की हैं। हमारी सरकार ने भी भूतकाल में कुछ गलतियां की हैं परन्तु विरोधी दलों ने राष्ट्रीय महत्व की समस्याओं का कभी कोई हल नहीं सुझाया है। उन्होंने विदेश कार्य पर होने वाले वाद-विवाद से सदा राजनैतिक लाभ उठाया है। हम प्रत्येक स्थिति पर आवश्यकता से अधिक प्रतिक्रिया दिखाते हैं और उसी प्रतिक्रिया के आधार पर हम अपनी नीति बनाते हैं। यही कारण है कि हमारी विदेश नीति में कट्टरता है।

इस समय अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में परिवर्तन हो रहा है और इसलिए हम भी विश्व में बदल रही परिस्थितियों के अनुसार अपनी नीति बना सकते हैं। यह समय है जब कि हमें शान्ति से बैठ कर पाकिस्तान को रूस की सहायता के आधार के बारे में सोचना चाहिये। हमें इस बात पर भी विचार करना है कि ऐसा परिवर्तन क्यों हुआ है।

पिछले दो अथवा तीन वर्षों से रूस पाकिस्तान के साथ सम्बन्ध बना रहा है। परन्तु यह एक पक्षीय नहीं है। पाकिस्तान भी रूस के साथ सम्बन्ध बनाने के लिए गत तीन अथवा चार वर्षों से प्रयत्न करता रहा है। पाकिस्तान ने पश्चिमी ब्लाकों में रहते हुए भी चीन के साथ सम्बन्ध किये। इसका कारण यह है कि उसको कोई रोकने वाला तथा उसकी आलोचना करने वाला नहीं है। । परन्तु भारत में स्थिति इसके बिलकुल विपरीत है। यहां स्थिति यह है कि कच्छतीवू के मामले पर भी जब कि सरकार श्री लंका सरकार से बातचीत करना चाहती थी तो विरोधी दलों ने इस बातचीत को असम्भव बना दिया था। हमारी विदेश नीति में कठोरता का यही कारण है। हमें प्रत्येक मामले पर शान्तिपूर्वक ढंग से विचार करना चाहिए।

श्री श्री० अ० डांगे (बम्बई–मध्य दक्षिण): यह एक राष्ट्रीय महत्व का मामला है। यह कहा गया है कि पाकिस्तान ने अमरीकी अथवा चीनी हथियारों से भारत पर तीन बार आक्रमण किया है। अब रूस पाकिस्तान को हथियार दे रहा है। अतः यह हथियार भी हमारे विरुद्ध ही प्रयोग किये जाएंगे। इससे यह निष्कर्ष भी निकाला जा रहा है कि भारत-रूस मित्रता समाप्त हो गई है और रूस भारत और पाकिस्तान के मामलों में निष्पक्ष हो गया है। अतः हमें किसी ओर से मित्रता करने अथवा आत्म-निर्भरता का सुझाव भी दिया जा रहा है।

यद्यपि वर्तमान स्थिति सभी दलों के लिए चिन्ता का विषय है तथापि जो हल सुझाये गये हैं उनसे मेरा दल सहमत नहीं है। यही कारण है कि हमारे दल ने स्थगन प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया है। इसका यह अर्थ नहीं कि सरकार गुट-निरपेक्षता की नीति के बारे में जो कुछ कर रही है, मेरा दल उसका समर्थन करता है। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने 1948–54 तक अमरीका से सहायता लेने का भरसक प्रयत्न किया परन्तु जब उनको वहां से इन्कार हो गया तभी उन्होंने रूस की ओर अपना रुख किया। रूस ने हमें वह सभी सामान दिया जो हमें पश्चिमी देशों ने देने से इन्कार कर दिया था। रूस ने भारत को लगभग आत्म-निर्भर कर दिया है।

रूस सदा से उन देशों की सहायता करने के लिए तैयार रहा है जो उपनिवेश-वाद के चंगुल में फंसे हैं और जो स्वतंत्र रूप से अपना विकास चाहते हैं। रूस ने भारत में तेल टेक्नोलोजी का विकास किया है। रूसी टेक्नोलोजी सब से सस्ती एवं सर्वोत्तम है।

अमरीका ने हमें विमान सप्लाई किये हैं परन्तु रूस ने हमें 'मिग' विमान बनाने का कारखाना दिया है। वास्तव में प्रतिरक्षा मंत्रालय यह कारखाना बनाने तथा भारत को आत्म-निर्भर बनाने में

[श्री श्री० अ० डांगे]

असफल रहा है । इसी प्रकार रूस ने हमें पनडुब्बी देने की पेशकश की थी, परन्तु हम पश्चिमी देशों की ओर भागते रहे । पाकिस्तान द्वारा आक्रमण किये जाने के बाद हमने सोचा कि हमारे पास भी पनडुब्बी होनी चाहिये । जब अन्य देशों ने हमें पनडुब्बी देने से इन्कार कर दिया तो हमने रूस को चार पनडुब्बियां सप्लाई करने के लिये कहा । अतः रूस की मित्रता ठोस तथा चिरस्थायी है । हमें इस मित्रता को समाप्त नहीं कर देना चाहिये ।

वस्तु स्थिति यह है कि युद्ध के बाद रूस की सीमाओं के आसपास कई देशों में अड्डे बनाये जाने लगे थे । यू-2 विमान पेशावर अड्डे से उड़ा था । वियतनाम में जब अमरीकी सम्मान को धक्का लगा तो तुर्की, ईरान, पाकिस्तान आदि ने रूस के साथ मित्रता स्थापित करने की इच्छा व्यक्त की । ऐसी परिस्थिति में रूस उनसे यह नहीं कह सकता था कि वह क्योंकि भारत का मित्र है, अतः वह उनके साथ मित्रता स्थापित नहीं कर सकता । हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि रूस द्वारा यह हस्तक्षेप शान्ति तथा शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिये हो ।

यह ठीक है कि इस बात की कोई गारन्टी नहीं है कि इन हथियारों का प्रयोग भारत के विरुद्ध नहीं होगा । परन्तु हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिये कि अमरीका सदा गड़बड़ करने, गृह-युद्ध तथा दो देशों के बीच शत्रुता पैदा करने के लिये सहायता देता है, जब कि रूस भारत और पाकिस्तान में मित्रता स्थापित करना चाहता है । यह सम्भव है कि रूस की नीति असफल सिद्ध हो, परन्तु हम सब जानते हैं कि आत्म-निर्भरता ही सब से बड़ी शक्ति है । हम पाकिस्तान के किसी भी आक्रमण का मुकाबला कर सकते हैं । अतः हमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है । भारत-रूस मित्रता तथा आत्म-निर्भरता के विषय में हम सब एक मत हैं ।

रूस ने भारत के प्रति अपनी नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया । उन्होंने पाकिस्तान के प्रति अपनी नीति में परिवर्तन किया है क्योंकि पहले पाकिस्तान ने रूस के प्रति अपनी नीति में परिवर्तन किया है । उन्होंने ताशकन्द में हस्तक्षेप नहीं किया था । परन्तु हम सब समझौता चाहते थे और वे इन दोनों देशों को एक दूसरे के निकट लाये । रूस का यह विचार है कि पाकिस्तान को सहायता दिये जाने से शायद उसके दृष्टिकोण में परिवर्तन हो जाये । यह रूस ही था जिसने चीन के व्यवहार की निन्दा की थी और काश्मीर को भारत का अंग कहा था । अब चीन के न चाहने पर भी पाकिस्तान रूस के साथ मित्रता स्थापित करना चाहता है । पाकिस्तान की नीति में यह परिवर्तन का चिन्ह है । संभव है कि यह चिन्ह वास्तविक सिद्ध हो जाये । हमें भय और घबराहट का रवैया नहीं अपनाना चाहिये बल्कि हमें आत्म-विश्वास से काम लेना चाहिये और आत्म-निर्भरता पर भरोसा रखना चाहिये ।

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : हम सब इस बात से सहमत हैं कि रूस द्वारा पाकिस्तान को हथियार सप्लाई किये जाने से बड़ी गम्भीर स्थिति पैदा हो गयी है । परन्तु हमें अपनी नाराजगी इस रूप में व्यक्त करनी चाहिये कि हमारी शक्ति बढ़े, हम किसी प्रकार से कमजोर न हों । हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि हमारी गलती के कारण किसी के साथ हमारे सम्बन्ध न बिगड़े । यदि कुछ लोग रूस के साथ हमारे सम्बन्धों को कमजोर करना चाहते हैं तो हमें उनके साथ झगड़ा करने की कोई आवश्यकता नहीं है बल्कि हमें ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिये जिससे अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अन्य लोगों के साथ हमारे सम्बन्ध कमजोर हों ।

विदेशी मामलों के सम्बन्ध में हमने तटस्थता की नीति अपनायी है और सभा ने इसकी अनुमदि दी है । अब यह कहना उचित नहीं कि यह कमजोर नीति है किसी भी माननीय सदस्य ने यह नहीं बताया कि यह नीति कैसे गलत है । जहां तक गलती करने का प्रश्न है वह तो प्रत्येक देश और समाज में गलतियां होती रहती हैं, यह कोई असाधारण बात नहीं है । जब कोई नीति क्रियान्वित की जाती है तो कुछ लोग उसे ठीक बताते हैं और कुछ गलत बताते हैं । वास्तव में हमें इस प्रकार की स्थिति में एकमत होना चाहिये, परन्तु यह सम्भव नहीं । यहां पर एकमत होकर कोई संकल्प पारित नहीं हो सकता । हमें अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में किसी के विरूद्ध अधिक कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिये । यदि हम सब मिलकर नराजगी व्यक्त करें कि इस बात से भारत को ठेस पहुंची है तो इस से किसी संकल्प की अपेक्षा अधिक प्रभाव पड़ेगा ।

रूस द्वारा पाकिस्तान को हथियार देने से यदि हम यह कहें कि रूस अब हमारा मित्र नहीं रहा है तो यह मूल्यांकन ठीक नहीं होगा । निःसंदेह यह सच है कि इस कार्यवाही से यह पता चलता है कि रूस की नीति में परिवर्तन हुआ है । परन्तु यदि रूस यह परिवर्तन अपने हित को सामने रख कर करता है, तो अपने हित के बारे में विचार करने का उन्हें पूर्ण अधिकार है और हम उनके साथ इस सम्बन्ध में कोई झगड़ा नहीं कर सकते ।

यदि यह कार्यवाही हमारे हित में नहीं है तो हमें उन्हें बता देना चाहिये कि वह हमारे हित में नहीं है । यह बात हमने उन्हें पहले ही बता दी है । उन्हें यह स्पष्ट रूप से बता दिया गया था कि इससे भारत को ठेस पहुंचेगी । मैं यह स्वीकार करता हुं कि इस प्रकार की स्थिति का सामना करने के लिये हमें आत्म-निर्भर होना चाहिये । परन्तु आज विश्व में कोई भी इतना आत्म-निर्भर नहीं कि उसे दूसरे देश से कुछ भी लेने की आवश्यकता ही न हो । प्रत्येक व्यक्ति को एक दूसरे से कुछ लेना पड़ता है । परन्तु आत्म-सम्मान अथवा अपनी स्वतंत्रता को खतरे मे डालकर हमें कोई चीज नहीं लेनी चाहिये । अमरीका ने भी जब पाकिस्तान को हथियार दिये थे तो हमने उस कार्यवाही की निन्दा की थी परन्तु हमने उनके साथ सम्बन्ध तोड़ने की कभी भी कोशिश नहीं की क्योंकि हम सभी देशों के साथ अच्छे सम्बन्ध रखना चाहते हैं जिससे अन्ततोगत्वा शान्ति स्थापित हो सके । हम किसी भी देश के साथ सम्बन्ध तोड़ने के पक्ष में नहीं हैं ।

यह कहा गया है कि हमें अप्रचलित हथियार दिये गये थे । यह बात गलत है । हम इतने मूर्ख नहीं हैं कि हम अप्रचलित हथियार अन्य देशों से लेंगे । यदि यह बात होती तो हमने पाकिस्तान के विरूद्ध युद्ध जीता न होता । वातव में पिछले 20 वर्षों के दौरान पाकिस्तान के व्यवहार के आधार पर यह कहते हैं कि यह बड़ी गम्भीर बात है । हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते कि यदि वे हमारे मित्र हैं तो वे और किसी देश के मित्र न बने । ऐसा करने से तो हमारा भी कोई मित्र नहीं रहेगा ।

अमरीका ने हमें कहा था कि उनके द्वारा दिये गये हथियारों के प्रयोग हमारे विरूद्ध नहीं होगा, परन्तु उसे कोई रोक न सका । यही बात रूस के बारे में भी सच हो सकती है । इसीलिये हम किसी भी देश से मुफ्त में हथियार नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम अपने आपको गिरवी नहीं डालना चाहते । जो देश उपहार के रूप में हथियार प्राप्त करता है, उसे बाद में पछताना पड़ेगा ? फिर मुझे समझ नहीं आता कि हमारी विदेश नीति असफल रही है ।

जहां तक व्यापारिक सम्बन्धों का मामला है, हमें जो वस्तु एक ही देश से मिल सकती है, हमें उसके लिये अधिक मूल्य देना पड़ता है अन्यथा हम किसी देश को अधिक मूल्य नहीं देते । जहां तक

[श्री मोरारजी देसाई]

निक्कल खरीदने का सम्बन्ध है वह हमें रूस से भी पूरी मात्रा में नहीं मिल रहा है और हम कनाडा से खरीदने का प्रयत्न कर रहे हैं। मिट्टी के तेल के खरीदने के बारे में तर्क दिया गया है। हम मिट्टी का तेल पर्याप्त मात्रा में उत्पादित करने में समर्थ नहीं हैं। हमें पर्याप्त मात्रा में मिट्टी का तेल प्राप्त नहीं हो रहा है। हम अधिक से अधिक पेट्रोल का उत्पादन कर रहे हैं, जिसे हमें बाहर बेचना है।

रूस की हमारे साथ अन्य देशों की भांति मित्रता है। हमें उसकी मित्रता से भी लाभ हो रहा है। न तो रूस और ना ही अमरीका ने हमारे ऊपर कोई एहसान किया है और ना ही हमने उनके ऊपर कोई एहसान किया है।

सरकार कितनी ही बार इस बात का आश्वासन दे चुकी है कि वह किसी भी शक्ति के प्रभाव में नहीं आयेगी। फरक्का बैरेज या गंगा के जल के बारे में रूस ने हमें पंच निर्णय करने या किसी को मध्यस्थ बनाने की राय नहीं दी थी। इसने केवल यह राय दी थी कि इस मामले पर विचार विमर्श किया जाना चाहिये।

परमाणु अस्त्रों के प्रसार पर रोक लगाने के बारे में की गई सन्धि पर हमने हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया यद्यपि रूस और अमरीका यह चाहते थे कि हम इस पर हस्ताक्षर कर दें। हम अमरीका से पी०एल० 480 के अन्तर्गत अनाज का आयात कर रहे हैं इसका यह अभिप्राय नहीं कि हम उनके ऊपर निर्भर हो जायें। यह कहना ठीक नहीं कि वह हमें किन्ही शर्तों पर सहमत होने के लियें जोर दे रहे हैं। यह कहना उचित नहीं है कि रूस और अमरीका हमारे ऊपर दबाब डाल रहे हैं।

श्री जी० भा० कृपालानी (गुना): आज रूस द्वारा किये गये वर्ताव से देश में घबराहट फैली हुई है। इस सम्बन्ध में लोगों में रोष है। इस बारे में सारी जिम्मेदारी सरकार की है क्योंकि ताशकन्द करार के बाद भी सरकार ने कई बार घोषणा की थी कि रूस की नीति में कोई परिवर्त नहीं हुआ है।

इस बात में सन्देह नहीं कि सरकार दबाब में आती रही है। उसने दबाब में आकर तथा संसद् को दिये गये वचनों की परवाह न कर ताशकन्द समझौते को स्वीकार किया। कच्छ के प्रश्न को किसी अन्तर्राष्ट्रीय अधिकरण को सौंपना देश के साथ विश्वासघात करना था जबकि हमें अन्तराष्ट्रीय अधिकरण का पूरा अनुभव है।

हम रूस को अपने प्रतिनिधि मंडल भेजते रहे हैं। यहां तक कई मंत्रियों ने भी रूस का दौरा किया। हमारे सेना अध्यक्ष भी वहां गये थे और राष्ट्रपति भी वहां गये और उसी समय यह निर्णय लिया गया।

आप रूस के दबाब में आकर कार्य कर रहे हैं। आप ही ऐसी स्थिति पैदा करने के दोषी हैं। रूस को अपने हथियार किसी भी देश को बेचने का पूरा अधिकार है जहां से उसे उनकी कीमत मिलती है। प्रत्येक राष्ट्र ऐसा करता है। हम भी स्वयं दूसरों से हथियार प्राप्त करते हैं। रूस ने जो कुछ किया है उसका हमें विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है।

हमारी रूस से यह मैत्री 1917 से रही है। हमने उसकी हर तरह से सहायता की है। यदि उसने हमारी सहायता की तो इसमें गलती की क्या बात। यह तो आपसी मामला था।

अतः हमें यह नहीं कहना चाहिये कि हम रूस के दबाव में नहीं आये हैं। पाकिस्तान से हुए संघर्ष में हमारे देश के पाकिस्तान की तुलना में चार गुने अधिकारियों की मृत्यु हुई। इसके बावजूद भी हमें जो क्षेत्रों का लाभ हुआ था वे हमने उसे वापिस कर दिया।

हमें आत्म-निर्भर होना चाहिये। क्या आत्म-निर्भरता का अभिप्राय यह है कि हमें केवल रक्षा के मामले में ही आत्म निर्भर होना है? हमें आर्थिक दृष्टि और उद्योग की दृष्टि से भी आत्म-निर्भर होना है। हमारे देश में किसी भी चीज की कमी नहीं है। यदि हम अपने साधन जुटाते हैं और बचत करते हैं तो हम देश में आत्म निर्भरता ला सकते हैं।

Shri Madhu Limaye (Monoghyr) : The Prime Minister has stated that every country acts according to the interest of her welfare. Nobody acts with a view to oblige others. But it is not true with regard to our Government.

Pakistan is getting economical and armamental assistance from those countries which are not on friendly terms. Pakistan is getting help from America, Russia, West Germany and China. Although it is a well known fact that there are no friendly relations between Russia, America and China

At the time of Chinese and Pakistani aggression, the countries who favoured our naeutral policy, remained quiet. It is because Pakkistan has made its main aim to become powerful against India, whereas India has not even made its aim to defend the welfare of the country.

It has been said that we will never tolerate the intervention of foreigners. But we had been dependent on foreigners since the very beginning of the independence. we have entered several agreements under the pressure of forign powers. The agreement of the distribution of the water of the Sindh river was done under the pressure of World Bank. The Kutch Award was given due to the intervention and mediations of Mr. Wiltson Mr. Johnson and Mr. Kosygin. The Tashkant Agreement was done under the pressure of Russia. We were the persons we accepted the Russion Arbitration. I cannot blame Russia and America for it because they are working for the welfare of their Countries. Our Government have done nothing for the welfare of the Country.

With regard to supply of Russian arms, it has also been said that it is possible that these arms may be used by Pakistan against India. I have no doubt that these arms will definitely be used agnaist India.

At the time of Supplying arms to Pakistan, President Eisenhower assured that these arms would not be used against any country, but nothing was done against Pakistan when it used those arms against India.

Unless the Country becomes selfsufficient in all respects and the Government changes its policy and the Government becomes firm in not losing it independence at any cost. nothing is going to happen.

I have got the lattest Soviet Atlas. It has been prepared according to lattest information. In that Atlas a big portion of Kashmir and Assam has been shown as a part of China. We should make our country self-sufficient in all respects and not in the matter of producing arms alone.

The country be cannot strong without national and social unity (*interruption*) I am talking only with reference to country's safety. We will only be able to make our country united when there will not be any foreign intervention whether it may be social or our internal affairs.

श्री संत बख्श सिंह (फतेहपुर): अध्यक्ष महोदय वर्तमान स्थिति सभा के प्रत्येक सदस्य के लिये और देश के लिये चिन्ता का विषय है। परन्तु कुछ लोग इस बात को लेकर रूस की आवश्यकता से अधिक आलोचना करना चाहेंगे। हम इस मौके पर व्यर्थ की बातों को नहीं करना चाहते।

रूस की नीति में परिवर्तन हो गया है। इस बात को प्रधान मन्त्री और उप-प्रधान मन्त्री ने भी कहा है।

अन्तर्राष्ट्रीयॉक्षेत्र में जो परिवर्तन आये हैं वे हमारे कारण नहीं हुए हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारी गुट निरपेक्षता की नीति असफल हो गई है। इससे तो यह पता चलता है कि अन्तर्राष्ट्रीय गुटों की नीति असफल हो गई है। देश के सामने इस समय ऐसी स्थिति है कि दो महान् शक्तियाँ एक दूसरे के अधिक नजदीक आ रही हैं और उनके हितों की एकता एक दूसरे को इतना अधिक नजदीक ले आयी हैं कि वे अन्य सभी छोटे राष्ट्रों को नीचा दिखाने के लिये तैयार हैं। पाकिस्तान को हथियार देने के रूप में जो कुछ किया गया है वह इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि भविष्य में जब परमाणु संधि पर हस्ताक्षर करने के लिये दबाव दाला जायेगा उस समय जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।

हम इस सभा में हमेशा सुनते रहते हैं कि सोवियत संघ के साथ कोई सन्धि हो रही है। बर्मा अथवा किसी अन्य देश के साथ कोई प्रतिराज्य समझौता हो रहा है। हमें यह याद रखना चाहिये कि यह केवल हमारे निर्णय की बात नहीं है कि हम किसके साथ समझौता अथवा सन्धि करें। विरोधी दलों का तो यह कर्त्तव्य है कि वे सरकार के कार्यो की आलोचना करें।

जैसा कि श्री मधु लिमये ने स्वीकार किया है हमने रूमानिया में यह सुना है कि रूस अन्य देशों पर हथियारों के प्रसार को रोकने सम्बन्धी सन्धि पर हस्ताक्षर करने के लिये दबाव डाल रहा है। भारत एक ऐसा देश है जिसने इस पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया है। यदि हमें आज कोई काम करना, है तो हमें सोवियत संघ को विरोध पत्र भेजने की आवश्यकता नहीं है। हम गुलाम नहीं हैं। हमें तो अपने देशवासियों को बताना है कि अधिक त्याग और अधिक एकता का समय आ गया है।

हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि इस स्थिति का अनुचित लाभ न उठाया जाय जिससे देश के हितों को आघात पहुंचे।

जब तक हम एक शक्तिशाली राष्ट्र नहीं बनेंगे, तब तक हमारा शोषण होता रहेगा और समय समय पर हम पर दबाव डाले जाते रहेंगे। अतः हमें अपनी शक्ति बढ़ानी है और इन दबावों का सामना करना है। हम पर जो दबाव पड़े हैं, हमने उनका मुकाबला किया है और भविष्य में भी उनका मुकाबला करते रहेंगे। हम यह मुकाबला केवल विरोध-पत्र भेज कर नहीं बल्कि आत्म-निर्भर और जिम्मेदार बन कर तथा एक परिवर्तनशील दृष्टिकोण अपनाकर करेंगे।

श्री राममूर्ति (मदुरै) : पता नहीं, प्रधान मन्त्री जी ने किस आधार पर यह वक्तव्य दिया है कि भारत सरकार द्वारा अपनाई गई विदेश नीति का समर्थन किया गया है।

मुख्य बात तो यह है कि क्या रूस की नीति में कोई परिवर्तन हुआ है अथवा। नहीं जिस समय हमारी सरकार ने ताशकन्द में करार पर हस्ताक्षर किये थे तो क्या उसे उस समय सोवियत संघ की सरकार की नीति में परिवर्तन का संकेत नहीं मिला था।

सोवियत संघ का काश्मीर के बारे में 1954, 1963 अथवा 1964 में जो दृष्टिकोण था, वह अब नहीं है। उसकी नीति अब यह है कि यह मामला भारत और पाकिस्तान का है और वे दोनों मिल कर इसको हल करें।

इस समय वस्तुतः प्रश्न यह है कि भारत की समूची विदेश नीति किस प्रकार काम कर रही है। प्रश्न केवल पाकिस्तान को कुछ हथियार देने का नहीं है। क्या हमारी नीति वस्तुतः गुट-निरपेक्षता की रही है, क्या यह स्वयं हमारी इच्छा से हुआ था कि हमने समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत वियतनाम से पुस्तकों के लिये अनुमति नहीं दी जब कि दक्षिणी वियतनाम से उनके लिये अनुमति दे दी। यह बिना किसी दबाव के एक अजीब गुट निरपेक्षता है।

एक स्वतन्त्र विदेश नीति अपनी स्वतन्त्र आर्थिक व्यवस्था से निकलती है। अब तक सरकार ने इस देश को आर्थिक दृष्टि से स्वतन्त्र एवं शक्तिशाली बनाने का विचार नहीं किया है और अब जो हम स्वतन्त्र नीति की बातें करते हैं वह निरर्थक हैं। राजनयिकता ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका उपयोग शून्य में किया जाता है। राजनयिकता का कुछ आधार होना चाहिये जिस पर कि वह संचालित हो। हमारा कोई स्वतन्त्र आधार नहीं है क्योंकि हमारी अर्थ-व्यवस्था किसी दूसरे पर निर्भर है। एक स्वतन्त्र आधार के अभाव में हमने दो शक्तिशाली गुटों के बीच आने का प्रयत्न किया है।

यह बहुत ही खेद का विषय है कि सोवियत संघ भी भारत में राजनैतिक दाँवपेच चल रहा है, हमारी कूटनीति ऐसी रही है कि हम सोवियत संघ अथवा अमरीका अथवा ब्रिटेन किसी को भी मित्र नहीं बना सके।

पिछले दस वर्षों से हमारी नीति दूसरे लोगों के लिये आग में जूझने की रही है लेकिन हमने अपने हित की बात कभी नहीं सोची। दूसरी ओर हमें उन राष्ट्रों के दबावों में आकर झुकना पड़ा है जिनकी ओर हमारी आँखें आर्थिक सहायता पाने के लिये लगी रहीं। इसलिये जब तक हम एक ऐसी स्वतन्त्र विदेश नीति के बारे में नहीं सोच पाते जिस आधार पर स्वयं अपनी शक्ति हो, तब तक कोई विशेष परिणाम नहीं निकलेगा। हमारा दल केवल साम्राज्यशाही के विरुद्ध लड़ने के उद्देश्य को छोड़ कर अन्य किसी प्रयोजन के लिये किसी समाजवादी देश द्वारा शस्त्रास्त्र दिये जाने के विरुद्ध है। कुछ राष्ट्रों द्वारा राजनीतिक चाल खेली जा रही है चाहे वह चीन सोवियत संघ अथवा कोई दूसरा देश हो। इसलिये हमें अपने देश में उत्पन्न स्थिति की गम्भीरता पर विचार करना चाहिये और अपनी विदेश नीति को पुनः निर्धारित करने के बारे में सोचना चाहिये।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

श्री त्रिदिब कुमार चौधरी (बरहामपुर) : फरक्का बाँध के विषय पर पाकिस्तान के साथ हमारे विवाद में सोवियत संघ विशेष रुचि लेने लगा है परन्तु प्रधान मन्त्री और उपप्रधान मन्त्री ने भी यह कहा है कि सोवियत प्रधान मन्त्री ने कोई दबाव नहीं डाला है और न ही मध्यस्थ निर्णय का सुझाव दिया है बल्कि उन्होंने केवल यह सुझाव दिया है कि हमें गंगा पानी विषयक विवाद पाकिस्तान के साथ शान्तिपूर्वक तय करना चाहिये।

गंगा बाँध परियोजना का महत्व कम नहीं है। इस पर कलकत्ता पत्तन का भविष्य तथा पूर्वी भारत की भावी अर्थव्यवस्था निर्भर है। दो-तिहाई कार्य पहिले ही पूरा कर लिया गया है। अब यदि सोवियत संघ का अथवा किसी दूसरे देश का दबाव पड़ता है कि हम पाकिस्तान से बातचीत द्वारा

[श्री त्रिदिब कुमार चौधरी]

इस विवाद को तय करने के लिये सहमत हो जायें तो भविष्य में हमें अपनी अर्थव्यवस्था के लिये गम्भीर चुनौती का सामना करना पड़ सकता है ।

यह समझा गया है कि बड़े राष्ट्रों के साथ सम्बन्ध निर्धारित करने में हमारे नीति-निर्माताओं ने सिद्धान्तों का सहारा लिया है । पिछले तीन वर्षों से ताशकन्द से भी पहिले इसके पर्याप्त संकेत मिलते रहे हैं कि सोवियत नीति भारत और पाकिस्तान के सम्बन्ध में बदल रही है । यदि वैदेशिक कार्य मन्त्रालय इस बारे में पर्याप्त सजग रहा है तो सोवियत संघ की नीति में इन परिवर्तनों को क्यों नहीं समझा गया और उसका प्रतिरोध क्यों नहीं किया गया ।

हमें काफी साहस के साथ सोवियत संघ को बताना चाहिये कि उसने पाकिस्तान को शस्त्रास्त्र बेचने का जो निर्णय किया है वह शांति के हित में नहीं है और न इससे भारत पाकिस्तान उपमहाद्वीप में तनाव कम हो सकता है । हमें रूस को पूरी तरह बता देना चाहिये तथा उसे यह भी जान लेना चाहिये कि हम प्रतिरोधी कार्यवाही करेंगे और उसका उपाय ढूंढेंगे ।

Shri Sheo Narain (Basti) **:** The Soviet Union is our friend and it has always supported us. We should not lose a good friend on such a trevial issue.

The world should know that our nation is not a weak nation. The arms supplied to Pakistan by U. S. A. to 1954 were completely smashed by our Jwaned during Indo-Pak conflict in 1965. We have folowed a policy of non-alignment The policy is not indicative of any weakness. We should be freindlv with Japan, Israel, England, U. S. A. and all other nations. In fact, we should be friendly with all those Countries which provide us assistance.

The time demands that we should be united, we should make our country self sufficient and our economy should be independent. We should dissolve all our differences and strengthen our security force on the borders.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : जब सोवियत रूस द्वारा पाकिस्तान को हथियार दिये जाने के निर्णय की रिपोर्ट जनता को प्रकट की गई तो हम सबने सोचा और देश में भी वैसी ही प्रतिक्रिया हुई अर्थात् एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जो सम्भवत: 1962 की स्थिति से जब चीन ने हमला किया था अधिक गम्भीर है यह राष्ट्रीय प्रश्न है । इसका निर्णय स्थगन प्रस्ताव अथवा अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा नहीं हो सकता । हम पूर्णत: सहमत होते हैं कि यह सम्पूर्ण राष्ट्र पर असर डालता है । अत: हमने आशा की कि इस मामले में कम से कम राष्ट्रीय मतैक्य बनाने का प्रयत्न करेंगे और तब हम अपनी सम्पूर्ण नीति में परिवर्तन करेंगे । लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो कुछ हुआ है उससे यह दिखाई देता है कि जब तक हमारी विदेश नीति इस सरकार के अधिकार में है तब तक कोई स्वतंत्र नीति इस देश में नहीं हो सकती ।

यह बिल्कुल स्पष्ट है क्योंकि प्रधान मंत्री ने स्वयं कहा कि यह निर्णय खतरनाक है । अब वह यह बताने के लिये भी तैयार नहीं हैं कि खतरा क्या है ? यह ठीक है कि उप-प्रधान मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि सोवियत रूस की नीति में परिवर्तन हुआ है । सोवियत रूस के हथियार बेचने पर हमें कोई आपत्ति नहीं है । लेकिन हम पूछना चाहते हैं कि सोवियत रूस जो कि अब तक हमारा साथ देता रहा है उसकी नीति में परिवर्तन क्यों हुआ है ?

रूस की नीति में इस परिवर्तन का सरकार को कब पता लगा ?

क्या 1966 में श्री कुमारमंगलम तथा श्री सोकोलोस्की के बीच ताशकन्द में कोई बातचीत हुई थी और क्या यह सच है कि तब हमें यह संकेत मिल गया था कि रूस पाकिस्तान को हथियार देने जा रहा है ?

उप-प्रधान मंत्री कहते हैं कि हम अन्तर्राष्ट्रीय दबाव में कभी नहीं आते लेकिन यहाँ सब कुछ दूसरे देशों के दबाव में आकर ही किया जाता है। श्री वाजपेयी और अन्य दूसरे सदस्य इस बात को जानते हैं कि ताशकन्द समझौते के पीछे क्या था ? अतः हमें यह स्वीकार करना चाहिये कि हम ऐसी स्थिति में नहीं हैं कि हम जो कुछ कहना चाहें वह कह सकें। श्री मोरारजी देसाई 'कठोर भाषा' की बात करते हैं। जो विकल्प प्रजा समाजवादी दल सभा में पेश करके पारित करवाना चाहता था उसमें कहा गया था "यह सभा खेद प्रकट करती है।" लेकिन सरकार इतना भी कहने को तैयार नहीं। हमें तथ्यों को नहीं छिपाना चाहिये। यदि सरकार गाँधी जी की ईमानदारी का अनसरण कर रही है तो हमें ईमानदारी के साथ इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिये कि हम आज ऐसी स्थिति में हैं कि रूस के विरुद्ध अपने मन की बात को स्वतंत्रता से नहीं कह सकते। मुझे इस बात पर नाराजगी नहीं है। यह अच्छा है क्योंकि रूस ने हमारी कठिनाइयों के समय सहायता भी की है। लेकिन हमें क्या हो गया है कि रक्षा के मामले में भी हम दूसरों पर निर्भर हैं। रूस के विरुद्ध हम कैसे कह सकते हैं जबकि चौथी पंचवर्षीय योजना में उसने हमें पर्याप्त सहायता देनी है। जब देश की यह स्थिति हो गई है तो मैं नहीं सोचता कि यह हमेशा स्वतंत्र रह सकेगा।

हम हमेशा गुट-निरपेक्षता की बात करते हैं लेकिन गुट-निरपेक्षता का अभिप्राय क्या है ? प्रधान मंत्री ने स्वयं कहा है कि विभिन्न देशों की सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय नीति आज अस्थिर स्थिति में है। फिर भी हम तोते की तरह गुट-निरपेक्षता के मंत्र को रटते हैं। इससे क्या लाभ है ? हम एक सक्रिय और निश्चित नीति चाहते हैं। गुट-निरपेक्षता का शोर मचाकर हम किसी की सहायता नहीं करते बल्कि स्वयं को ही हानि पहुंचाते हैं। अतः ऐसी स्थिति में हमें गम्भीरता से विचार करना चाहिये। यद्यपि हमें इस समय गम्भीर स्थिति का सामना नहीं करना पड़ रहा है लेकिन यह स्पष्ट है कि निकट भविष्य में हमें इसका सामना करना पड़ेगा क्योंकि रूस द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई से हमारी सुरक्षा को खतरा बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण देश को एक होना पड़ेगा।

यह स्थगन प्रस्ताव जो यहाँ लाया गया है इससे बचा जा सकता था लेकिन सरकार का जो व्यवहार है उसे देखते हुए ऐसा किया ही जाना चाहिये था। साथ ही हमें सरकार को यह भी बता देना चाहिये कि उन्हें अपनी नीतियाँ और रास्ते बदलने होंगे।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापत्तनम्) : मास्को के 14 जुलाई के संदेश से हमें यह सूचना मिल गई थी कि रूस पाकिस्तान को हथियार भेजने से पहले हमें सूचित कर देगा। प्रधान मंत्री ने कहा कि उनको इस बात का पता आज से तीन सप्ताह पहले लग गया था। सोवियत सरकार ने हमारी सरकार को पहले ही बता दिया था कि पाकिस्तान को कुछ सैनिक सहायता और हथियार दिये जायेंगे। प्रश्न यह है कि सरकार इस बीच क्या करती रही। हमें सूचना क्यों नहीं दी गई ?

1740(Ai)LS—15.

[श्री नेत्तूर पि विश्वनाथनम]

हम इस बात को मानते हैं कि एक मित्र देश के प्रति कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिये और हमें अविश्वास प्रस्तावों तथा स्थगन प्रस्तावों से बचना चाहिये। लेकिन यह स्थिति किसने पैदा की? प्रधान मंत्री को अपने देश में तथा उसके आस-पास घटने वाली घटनाओं के बारे में कुछ और अधिक बताने में क्या आपत्ति थी? यद्यपि उनको तीन सप्ताह पहले यह सूचना मिल गई थी कि रूस पाकिस्तान को हथियार देगा लेकिन कुछ नहीं किया गया। यह आत्म-सन्तुष्टि की कहानी ही तो हमारे वर्तमान राजनीतिक जीवन की दुखान्त घटना है।

यह सच है कि हमारी एक स्वतंत्र विदेश नीति नहीं हो सकती क्योंकि हमारा आर्थिक जीवन स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अपने आप को मजबूत बनाने की बजाय हम दूसरों पर निर्भर होते गये और हमने सोचा कि प्रत्येक से सहायता लेना अच्छा है हमने अपने को आर्थिक दृष्टि से आत्म-निर्भर बनाने के बारे में नहीं सोचा। अब हम एक निराशापूर्ण और गंभीर स्थिति में हैं। इसलिए मैं प्रधान मंत्री से आशा करता हूं वे पूरी सभा का विश्वास प्राप्त करें। एक स्थगन प्रस्ताव अथवा अविश्वास प्रस्ताव बुलाने की बजाय सरकार को स्वयं एक ऐसा प्रस्ताव लेकर आगे आना चाहिये जिसमें नीति का उल्लेख हो स्थिति का उल्लेख हो तथा जो कदम उठाने हों उनका उल्लेख हो। राष्ट्र सरकार से ऐसी ही अपेक्षा करता है।

प्रधान मंत्री अणु शक्ति मंत्री, योजना मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : ऐसे ही एक पहले अवसर पर भी इसी प्रकार के तर्क उपस्थित किये गये थे मैंने सोचा था कि इस वाद-विवाद का कारण रूस द्वारा पाकिस्तान को हथियार दिया जाना था लेकिन इसमें सभी बातों को लिया गया यहाँ तक कि श्री पीलू मोडी के व्यापार और वाणिज्य को भी लिया गया यह भी कहा गया कि पाकिस्तान द्वारा गुट-निरपेक्षता के लिये किये गये प्रयत्नों के कारण उसको लाभ हुआ है।

विदेशी सहयोग के सम्बन्ध में जिस बात पर विचार करना है वह यह है कि दीर्घ-कालीन रियायतें क्या हैं और इससे देश के लिए दीर्घकालीन आर्थिक और राजनीतिक क्या परिणाम होंगे। मैंने सोचा था कि श्री पीलू मोडी उत्तरदायित्व की भावना से काम लेंगे और ऐसे मिथ्या तर्कों का जोरदार समर्थन नहीं करेंगे। उप-प्रधान मंत्री महोदय ने उनकी कुछ बातों का उत्तर दे दिया है। यदि हम तथ्यों में जायें तो स्थिति को स्पष्ट किया जा सकता है और तर्कों के मिथ्यापन को सिद्ध किया जा सकता है। लेकिन यह वाद-विवाद आर्थिक मामलों के विषय में नहीं है। मैं नहीं सोचती कि इन मामलों में सभा का समय लेना समुचित होगा।

इस वाद-विवाद का विशेष पहलू रूस द्वारा पाकिस्तान को हथियार दिये जाने से सम्बन्धित है। बहुत से प्रश्न जो उठाये गये थे उनका उत्तर दिया जा चुका है। उदाहरणार्थ यह प्रश्न कि हम संकल्प को स्वीकार करना क्यों नहीं चाहते थे? यह संकल्प के शब्दों के साथ झगड़ने का प्रश्न नहीं था। बल्कि इसके मूल विचार से झगड़ने का प्रश्न था और यह कि क्या अपने इतिहास में पहली बार संसद् उन देशों में से केवल एक देश (रूस) के सम्बन्ध में संकल्प पारित करे जिससे पाकिस्तान हथियार खरीदता

रहा है विशेषकर जबकि वह अन्य देशों से बहुत अधिक मात्रा में उपहार के रूप में हथियार प्राप्त करता रहा है। यही वास्तविक प्रश्न था।

हमारे बारे में यह कहा गया है कि हम विदेशी दबाव में आते हैं और एक सदस्य ने तो यहाँ तक कहा कि जो शिष्टमंडल बाहर जाते हैं वे भी दबाव में आकर ही जाते हैं। लेकिन यह सत्य नहीं है। दबाव उनकी ओर से होता है जो जाना चाहते हैं न कि आमंत्रित करने वालों की ओर से।

एक दूसरा प्रश्न 'गुट निरपेक्षता' के बारे में है। प्रत्येक दल ने 'गुट-निरपेक्षता' की अपनी-अपनी परिभाषा दी है। मैंने कई बार इसकी परिभाषा दी है और मैं आज फिर दूंगी। मैंने इस वाद-विवाद का स्वागत किया है क्योंकि इससे अपनी स्थिति पर पुनर्विचार का अवसर मिला है। इस समय इसका विशेष महत्व है क्योंकि इस समय जनमत बहुत विक्षुब्ध और चिंतित है।

एक प्रजातंत्रात्मक समाज में वैदेशिक कार्यों का संचालन करना हमेशा एक कठिन समस्या होती है, बहुत बातें लगातार प्रचार के कारण कठिन हो जाती हैं। जिन देशों की आधुनिक संसदीय संस्थाओं की एक लम्बी परम्परा और एक लम्बा इतिहास हो वे भी इस समस्या का एक वास्तविक, सच्चा और संतोषजनक उत्तर नहीं खोज पाये हैं, क्योंकि हमारी समस्यायें जटिल हैं और कई संगत तत्व यहां तक कि विशेषज्ञों को भी ज्ञात नहीं है साधारण आदमी की तो, बात ही क्या। किसी भी उत्तरदायी व्यक्ति को और विशेषकर सरकार को इन मामलों में विवेक से काम लेना है क्योंकि इसमें दूसरी सरकारें और राष्ट्र भी शामिल हैं और कोई भी अनुपयुक्त शब्द हमारे हित पर आघात कर सकता है जिसकी हम रक्षा करना चाहते हैं, लेकिन खुशी की बात है कि हम प्रजातंत्रात्मक ढंग से चल रहे हैं और जनमत भी ठीक रूप से कार्य कर रहा है। हमारा कर्तव्य भी है कि हम एक जागृत जनमत तैयार करें। विशेषकर वर्तमान स्थिति में जबकि लोगों में चिन्ता व्याप्त है।

कई सदस्यों ने सुझाव दिया है कि हमारी पहुंच वास्तविक होनी चाहिये। लेकिन यह कहना बड़ा कठिन है कि वे वास्तविकता का असली अभिप्राय क्या समझते हैं क्योंकि प्रत्येक सदस्य भिन्न भिन्न बातें कहते हैं कुछ सदस्यों ने नीति में परिवर्तन सम्बन्धी मेरे और उप प्रधान मंत्री के वक्तव्य में अन्तर बताने का प्रयत्न किया लेकिन बात यह है कि सदस्य हमारी बात को गौर से नहीं सुनते केवल अपनी ही कहते हैं।

मैंने अपने वक्तव्य में बदलती हुई अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति का वर्णन किया था, यदि सोवियत रूस ने अपने रवैये में कुछ परिवर्तन कर लिया है तो हमें इसे दूसरे परिवर्तनों के सन्दर्भ में भी देखना चाहिये। और जब मैंने यह कहा कि मुझे इस पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ तो इस का अर्थ यह नहीं था कि हमें कोई निश्चित जानकारी प्राप्त हो गई थी बल्कि आश्चर्य इसलिये नहीं हुआ क्योंकि इस मामले के बारे में ऐसे अनुमान प्रचलित थे और हमें निश्चित रूप से ऐसा संकेत प्राप्त हुआ कि रूस पाकिस्तान के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध चाहता है यद्यपि उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि इस से हमारे साथ उनकी मित्रता अथवा हमारे हितों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह विश्वास करने का हमारे पास कोई कारण नहीं है कि रूस हमें नुकसान पहुंचाना चाहेगा। मित्रता अनन्य नहीं होती, आज की अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति से भी यही दिखाई दे रहा है। भिन्न गुटों में जो निश्चित विरोध दिखाई देता

था आज वह भी समाप्त होता सा जान पड़ रहा है, वे एक दूसरे के साथ अब सम्पर्क बढ़ाना चाहते हैं ।

पाकिस्तान को हथियार दिये जाने पर हमने चिन्ता इसलिए व्यक्त नहीं की कि वह हमें तुरन्त धमकी देने लगेगा बल्कि इसलिए कि इससे उसके शत्रुतापूर्ण रवैये को बढ़ावा मिलेगा, यह स्पष्ट है कि हम अपने पड़ोसियों के लिये हमेशा शत्रुता की बात नहीं सोच सकते । हम समझौते के लिए हमेशा अपना द्वार खुला रखते हैं, पाकिस्तान के साथ बैठकर चर्चा करने आदि से यह प्रकट होता है कि हम विवादास्पद मामलों पर बातचीत करने के इच्छुक हैं लेकिन इसके लिए समुचित वातावरण होना चाहिये और हम अपने राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा नहीं कर सकते ।

ताशकन्द घोषणा, कच्छ न्यायाधिकरण और अन्य ऐसी ही बातों के बारे में कुछ कहा गया है। सरकार इन विषयों पर चर्चा कर चुकी है और उत्तर दिये जा चुके हैं । यह कहना अनुचित और पूर्णतः आधार रहित होगा कि हम इन मामलों में किसी के दबाव में आये हैं । पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने तेहरान में बोलते हुए कहा कि इस सौदे से भारत और पाकिस्तान के बीच कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होगी । यदि इसका अर्थ यह है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति अपने और अपने देश के रवैये पर पुनर्विचार करके अधिक मित्रतापूर्ण रवैया अपनायेंगे तो हम इसका निश्चय रूप से स्वागत करेंगे । .

गुट-निरपेक्षता की नीति का उल्लेख किया गया था, सरकार इस बारे में स्पष्टीकरण दे चुकी है । यदि नीति को कार्यान्वित करने में कठोरता बरती गयी है तो हम देखेंगे कि हम किस प्रकार अधिक लचीला रवैया अपना सकते हैं । लेकिन कुछ ऐसे कारणों से जो हमारे नियंत्रण से परे थे हमारी कूटनीति मंद पड़ गई । हमारी सीमाओं पर हुए आक्रमणों से ऐसा हुआ ।

इन कठिनाइयों के बावजूद भी हम अपने सम्पर्क बढ़ाते रहे हैं । मैंने कुछ ऐसे देशों की यात्रा की है जिनके साथ हमारी कोई शत्रुता नहीं थी । लेकिन कोई निकट सम्पर्क भी नहीं थे । इसी प्रकार के सम्पर्क बढ़ाने के कार्य सरकार ने भी आरम्भ कर दिये हैं। मैं महसूस कर रही हूं कि हम नये मित्र बना रहे हैं और नये सम्पर्क बढ़ा रहे हैं तथा आर्थिक सहयोग भी बढ़ रहा है । मैंने 5 अप्रैल 1968 को सरकार के उद्देश्यों की परिभाषा देते हुए कहा था कि जिनके साथ हमारी मित्रता है उनके साथ और अधिक मित्रता बढ़ाई जानी चाहिए और जिनके साथ मतभेद हैं उस मतभेद को दूर किया जाना चाहिये तथा जिनके साथ शत्रुता है उस शत्रुता को समाप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये । अपने स्थायी मूल्यों और हितों के बारे में हम समझौता नहीं कर सकते ।

चैकोस्लोवाकिया की स्थिति अभी अस्थिर है और वे रूस के साथ अपने सम्बन्धों के बारे में एक समझौते पर आने का प्रयत्न कर रहे हैं कि उसके साथ किस प्रकार के उनके सम्बन्ध होंगे । इस समय चेकोस्लोवाकिया के साथ हमारे रवैये का प्रश्न नहीं उठता । हमारा विश्वास है कि प्रत्येक देश को अपनी समस्यायें स्वयं हल करनी चाहिये। दूसरों को उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये ।

आशा है कि इतना कुछ कहने के बाद वे स्थगन प्रस्ताव वापिस ले लेंगे ।

श्री पीलू मोडी : (गोधरा) एक बहुत साधारण और सीधा संकल्प सरकार के सामने प्रस्तुत किया गया था जिससे यह सम्भव हो सके कि ऐसे गम्भीर महत्वपूर्ण मामलों में देश एक दृढ़ और संग-

ठित रवैया अपना सके, हम स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने में खुश नहीं थे लेकिन यह सरकार इतना कहने के लिए भी तैयार नहीं कि "हम सोवियत संघ के निर्णय पर खेद प्रकट करते हैं" ।

मुझपर यह कहने का आरोप लगाया गया है कि मैं गुट-निरपेक्षता के पक्ष में नहीं हूं । पहले तो मैंने ऐसा नहीं कहा, अगर मैंने ऐसा कहा है तो मैं चिन्ता नहीं करता क्योंकि मैं नहीं सोचता कि किसी भी विदेश नीति पर समय से पूर्व ही कोई आक्षेप लगाया जाना चाहिये । प्रत्येक विदेश नीति को स्व-हितों के आधार पर विकसित होना चाहिये ।

मैं बता चुका हूं कि कहां इस सरकार ने अपने हितों का बलिदान किया है । मैंने कभी भी ऐसा निर्देश नहीं किया है कि सोवियत संघ ने हमेशा हमारे साथ ऐसा किया, हमने सोवियत संघ से कई अच्छे प्रस्ताव प्राप्त किये हैं तो बुरे प्रस्ताव भी प्राप्त किये हैं । वास्तव में अनेक कुछ ऐसे बुरे प्रस्ताव हैं जिनको आज मैं प्रस्तुत नहीं कर सका । यही स्थगन प्रस्ताव का प्रयोजन था, कुछ कारणों से अनेक ऐसे समझौते किये गये जो हमारे हितों में नहीं हैं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि यह सभा अब स्थगित होती है "।

लोक-सभा में मत-विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided :

पक्ष में 61, विपक्ष में 206

Ayes 61, Noes 206.

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived.

अचल सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन (संशोधन) विधेयक—(जारी)

Requisitioning and Acquisition of Immovable Property (Amendment) Bill—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : श्री चं० चु० देसाई अपना भाषण जारी करें । वह उपस्थित नहीं है । तब श्री कंवर लाल गुप्त ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar) : Mr. speaker, I stand to oppose the Bill which is before the House.

अध्यक्ष महोदय : वह अपना भाषण कल जारी रखें । सभा कल 11 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है ।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, 23 जुलाई, 1968/1 श्रावण, 1890 (शक) के 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, July 23, 1968/Sravana 1, 1890 (Saka).

GMGIPND—1740 (ai) LS—21-1-69— 600.